अष्टम माला, खंड 12, अंक 21

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1985

26 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

55
6/8/86

(खंड 12 में अंक 21 से 24 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1985/26 अग्रहायण, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 74, नीचे से पंक्ति 7, "श्री एन0सोन्दरराजन" के स्थान पर "श्री एन0सुन्दरराजन" पढ़िये।

पृष्ठ 81, नीचे से पंक्ति 4, "श्री वी0एल0शैलेश" के स्थान पर "श्री बी0एल0 शैलेश" पढ़िये।

पृष्ठ 183, नीचे से पंक्ति 7, "985" के स्थान पर "1985" पढ़िये।

पृष्ठ 200, पंक्ति 2 व नीचे से पंक्ति 6, "श्री सोमजी भाई डागार" के स्थान पर "श्री सोमजी भाई डामर" पढ़िये।

पृष्ठ 202, पंक्ति 12, अ0प्र0संख्या "444" के स्थान पर "4445" पढ़िये।

पृष्ठ 219, नीचे से पंक्ति 2, "(ग) से (घ)" के स्थान पर "(ग) से (ङ)" पढ़िये।

पृष्ठ 273, पंक्ति 12, पृष्ठ 287 पंक्ति 4, "वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री" के स्थान पर "वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री" पढ़िये।

पृष्ठ 281, नीचे से पंक्ति 9, "बुत्रायेंगे" के स्थान पर "बुलायेंगे" पढ़िये।

पृष्ठ 318, पंक्ति 4, "मन्त्रा" के स्थान पर "मंत्री" पढ़िये।

पृष्ठ 323, पंक्ति 14, "प्रस्ताव" के स्थान पर "प्रस्ताव" पढ़िये।

पृष्ठ 347, पंक्ति 14, "में राज्य मंत्री" के स्थान पर "के राज्य मंत्री" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 12, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 21, मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1985/26 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	... ...	1—24
	*तारांकित प्रश्न संख्या : 410, 412, से 417, 420 और 421	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	... ...	25—237
	तारांकित प्रश्न संख्या : 409, 411, 418, 419 और 422 से 428	
	अतारांकित प्रश्न संख्या : 4246 से 4293, 4295 से 4297, 4299 से 4309, 4311 से 4330, 4332 से 4420, 4422 से 4447 और 4449 से 4476	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	... ...	237—248
राज्य-सभा से संदेश	... ...	249
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति अध्ययन दौरे दल 1 और 2 के प्रतिवेदन	...	249
कार्य मंत्रणा समिति सत्रहवां प्रतिवेदन	... ...	249

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विधेयक—पुरःस्थापित ... ... 250—252

(एक) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक 250

(दो) सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक 251

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 252—255

(एक) धौंड-मनमाड-पूना संपर्क लाइन को दोहरी रेल लाइन में बदलने की मांग

श्री बालासाहेब विखे पाटिल 252

(दो) उड़ीसा के फूलबनी जिले में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर की बजाय पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री राधाकान्त डिगाल 252

(तीन) गोवा में रंगीन दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने की मांग

श्री शांता राम नायक 253

(चार) राजस्थान में वनों की कटाई पर रोक लगाने की मांग

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 253

(पांच) गुंटाकल और हैदराबाद के बीच की मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता

श्री वी० कृष्ण राव 254

(छह) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना "बावनथारी सिंचाई परियोजना" को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्वीकृति देने और पूरा करने की आवश्यकता

श्री केशव राव पारधी 255

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक

तथा

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक ... ... 255—301

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बालासाहेब विखे पाटिल 256

श्री के० एस० राव 259

श्री अनिल बसु 262

	पृष्ठ
श्री मनोज पांडे	264
श्री तम्पन थामस	266
श्री गिरधारी लाल व्यास	269
श्रीमती गीता मुखर्जी	272
श्री जी० एस० बसवराजू	274
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	276
डा० के० जी० अदियोडी	278
श्री सी० जंगा० रेड्डी	279
श्री हरीश रावत	281
श्री प्रकाश वी० पाटिल	283
श्री पीयूष तिरकी	284
श्री वी० कृष्ण राव	285
श्री खुर्शीद आलम खां	287
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक	
खंड 2 से 34 और 1	
पारित करने के लिये प्रस्ताव	
श्री खुर्शीद आलम खां	299
प्रो० एन० जी० रंगा	299
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक	
खंड 2 से 4 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री खुर्शीद आलम खां	300
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक	301—323
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम० सुब्बा रेड्डी	301
प्रो० नारायण चन्द पराशर	304
श्री सोमनाथ रथ	306
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	307
श्री सुरेश कुरूप	309
प्रो० पी० जे० कुरियन	310
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	313

पृष्ठ

श्री कमल चौधरी	314
श्रीमती गीता मुखर्जी	315
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	316
श्रीमती सुशीला रोहतगी	318
खंड 2 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	323
अंतर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक	323—334
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जगदीश टाइटलर	323
श्री अमल दत्त	325
श्री विजय एन० पाटिल	328
डा० वी० वेंकटेश	329
खंड 2 से 4 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जगदीश टाइटलर	334
प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) विधेयक	335—347
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० आर० भारद्वाज	335
श्री सुरेश कुरूप	336
श्री हरूभाई मेहता	337
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	340
श्री मूल चन्द डागा	342
खंड 2 और 1	
संशोधित रूप में विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० आर० भारद्वाज	346
प्रो० एन० जी० रंगा	347
बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) संशोधन विधेयक	347—351
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री टी० अंजैया	347
श्री राम प्यारे पनिका	348
पाकिस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा के बारे में वक्तव्य	351—352
श्री बी० आर० भगत	351

लोक सभा

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1985/26 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइप लाइन के निर्माण के लिए विश्व व्यापी प्रस्तावों का भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन

*410. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइप लाइन के निर्माण के लिए विश्व-व्यापी प्रस्तावों का मूल्यांकन हेतु भारतीय गैस प्राधिकरण लि० को नामांकित किया गया था;

(ख) क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) इस रिपोर्ट में मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अन्तिम निर्णय लेने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन के निर्माण हेतु जून-जुलाई, 1985 में निविदाएं आमन्त्रित की।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विश्व-व्यापी निविदाओं के प्रत्युत्तर में प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस समय इसका ब्यौरा देना लोकहित में उचित नहीं होगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरे माननीय मित्र, पेट्रोलियम मन्त्री जी ने स्पष्ट कारणों से पूरा उत्तर नहीं दिया है। पिछले कुछ सप्ताहों से कई समाचार पत्र सरकारी स्रोतों को उद्धृत करते हुए — न कि प्रेस संवाददाता की अपने आप बनाई गई कहानी यह समाचार देते रहे हैं कि निविदाएं खोली जा रही हैं निश्चय ही, इन निविदाओं को निविदा प्रेषकों के समक्ष ही खोला गया होगा, यह भी बताया गया कि स्पाई-केपग और एन० एन० के० और टोयो, फ्रांसीसी तथा जापानी कंपनियों का एक संघ, ने 739.38 करोड़ रुपये की न्यूनतम निविदा भेजी है जो स्नैम्प्रोजैट्टी और डाइसेल से 1190 करोड़ रुपये कम है। इसलिए, बाहर के सभी लोगों को पता है— कि यह किस विषय में है। आखिरकार यह एक निविदा प्रक्रिया है जो एक सार्वजनिक प्रक्रिया होती है। किन्तु संसद को अंधेरे में रखा जा रहा है। वे कहते हैं कि वे लोकहित को देखते हुए इसे बताने की स्थिति में नहीं हैं, सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये समाचार ठीक हैं। स्नैम्प्रोजैट्टी के आवासी प्रतिनिधि श्री क्वाट्रोची ने एक संवाददाता सम्मेलन किया है। और वे भी कहते हैं कि उनकी निविदा ऊंची है किंतु सिर्फ 4 प्रतिशत ही। इस सम्मेलन में भारत में इटली के राजदूत ने भी भाग लिया जो कहते हैं कि उन्होंने भारत सरकार को पहले ही लिख दिया है कि उनकी निविदा पर पुर्नविचार किया जाये। इस विषय में मैं आपका स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्योंकि जनता को पहले से ही यह सब पता है - तो संसद को ये सूचना देने में वे लोकहित के नाम पर क्यों झिझक रहे हैं। क्या ये सूचनाएं ठीक हैं ? क्या इटली के राजदूत अथवा स्नैम्प्रोगेट्टी के अनुरोध पर वे उनकी निविदा पर पुर्नविचार करेंगे।

श्री नवल किशोर शर्मा : जहां तक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का संबंध है मैंने उनमें से कुछ को पढ़ा है। समाचार पत्रों में सरकारी स्रोतों को उद्धृत किया होगा। किंतु मैं इससे इंकार करता हूं—क्योंकि न तो मन्त्रालय ने और न ही भारतीय गैस प्राधिकरण ने उन्हें प्रकाशित किया है और न ही प्रेस को भेजा है। जहां तक निविदाएं खोले जाने का प्रश्न है—,यह सच है कि निविदायें खोली जा चुकी हैं और यह भी सच है जैसाकि मैंने प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा है कि भारतीय गैस प्राधिकरण लि० ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मैंने यह कभी नहीं कहा – कि रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। रिपोर्ट हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइप लाइन के मूल्य निविदा के संबंध में है। किंतु जहां तक कि किसने सबसे कम बोली दी और निर्णय किसके पक्ष में होगा, सम्बन्धी ब्योरे की बात है इस मामले पर विचार किया जा रहा है क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जिनकी जांच की जाती है। इनमें से एक है वित्तीय प्रारूप। कुछ पार्टियों की तरफ से आपत्ति भी की गई है और— इन पर भी विचार किया जाना है क्योंकि निर्णय करने से पहले, देश के हित में यह बेहतर होगा कि सभी आपत्तियों पर विचार किया जाये ताकि हम कोई गलती न कर बैठें। क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पाइप लाइन है इसलिए हम कोई खतरा नहीं मोल ले सकते। मैं आशा करता हूं कि इस उत्तर से मेरे माननीय मित्र संतुष्ट होंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं संतुष्ट हूं या नहीं, सभा को तो संतुष्ट करना ही होगा। अगस्त 1984 में पिछली सरकार ने एक सुविचारित निर्णय लिया था। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की पिछले 35 वर्षों की हमारी नीति के आधार पर, हमने भारतीय गैस प्राधिकरण लि० का गठन किया और इसके उद्देश्यों में देश के बाहर पाइप लाइन के प्रारूप तैयार करना तथा निर्माण करना भी है। यदि आप तत्कालीन सरकार की नीतियों के अनुरूप संसद द्वारा गठित इस प्राधिकरण की नियमावली को देखें तो आपको इसका सही पता लग जायेगा। इस सरकार ने सत्ता में आते ही इसके मूलरूप को ही बदल

दिया और गैस प्राधिकरण को मूल्यांकन करने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया तथा पूर्ण दायित्व दे दिया गया बहरहाल जो भी है, जो हो गया सो हो गया। अब इस पाइप लाइन का निर्माण कार्य फरवरी 1985 में आरम्भ होना था, उसके बाद इसे बदल कर अप्रैल 1986 कर दिया गया। अब दिसम्बर 1985 चल रहा है। मैं मंत्री जी के दृष्टिकोण को समझ रहा हूं कि प्रत्येक बात पर विचार किया जाना है किंतु फिर भी वह यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि यह निर्णय कब लिया जायेगा। गुना संयंत्र को जो उन संयंत्रों में से एक है, जिनके लिए गैस सप्लाई की जाती है, दिसम्बर 1986 में पूरा हो जाना चाहिए था, पर बाद में 25 माह के कार्यक्रम के आधार पर इसे बदलकर मार्च 1985 कर दिया गया। अब प्रश्न यह है कि क्या पुनरीक्षण करने के बाद वह इस स्थिति में हैं कि अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य पूरा हो जाएगा या उन्होंने फिर से कार्यक्रम में संशोधन कर दिया है। उनका वर्तमान कार्यक्रम क्या है और क्या इन सब पर विचार करने से, और एक ही स्थान पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने का दावा करके वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदय, एक स्थान पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के इस प्रश्न पर सभा में काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। और सरकार ने देश के व्यापक हित में इस पर सोच-समझकर निर्णय लिया था। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, मैंने पहले ही कहा था कि 1985 के अन्त तक यह ठेका दे दिया जायेगा। और मैं इस बात पर दृढ़ हूं। इस वर्ष के अन्त तक हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइप लाइन का ठेका दे दिया जाएगा। जहां तक गुना के पाइपलाइन के पूरा होने का संबंध है मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम आशा करते रहे हैं कि गुना तक यह पाइप लाइन तब तक बन जाएगी जब इस उर्वरक संयंत्र को उर्वरक उत्पादन के लिए गैस की आवश्यकता होगी। और मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सबसे पहले माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे हमें यह बताएंगे कि इसके लिए कितने लोगों की निविदाएं विचाराधीन हैं, मैं संख्या के बारे में पूछ रहा हूं नाम नहीं। क्या उनमें से सब विदेशी कम्पनियां ही हैं या उनके अलावा भी कोई हैं।

दूसरे इस तथ्य को देखते हुए कि यह सुविदित है और आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पाइप लाइन का निर्माण साईबेरिया से पश्चिमी यूरोप तक सोवियत प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों से हुआ था, और ऐसा लगता है कि पश्चिमी यूरोप वालों को इससे काफी संतोष है और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया है। इन निविदाओं के लिए आमंत्रित करने से पहले सभी प्रकार की बहुदेशीय कम्पनियों को सरकार ने सोवियत प्रौद्योगिकी तथा उपस्करों के लिए क्यों प्रयत्न नहीं किया, यह जानते हुए भी कि भारत तथा सोवियत संघ के बीच हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। क्या उन्होंने इस पाइपलाइन के लिए सोवियत प्रौद्योगिकी और सहायता प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाने का कोई प्रयत्न किया है।

श्री नवल किशोर शर्मा : इस मामले में सोवियत सहायता प्राप्त करने के संबंध में मुझे यह कहना है कि क्योंकि हमने अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं के आधार पर एक स्थान पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्णय लिया है इसलिए सोवियत संघ से सहायता प्राप्त करने के संबंध में उनके साथ चर्चा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्यों ?

श्री नवल किशोर शर्मा : निश्चय ही मैं पाइप लाईन बिछाने के उनके अनुभव से इन्कार नहीं करता यदि सोवियत संघ ने इसे उचित समझा होता तो वे भी निविदा भेज सकते थे ।

जहां तक पार्टियों के नाम का संबंध है मैं चार पार्टियों का नाम ले सकता हूं जिन्होंने अपनी निविदा भेजी है, ये हैं फ्रांस की स्पाई केपाग मेक्सिको की कान्डक्स, इटली की स्नैम प्रोजेट्टी, कनाडा का नोवा कार्पोरेशन। इन पार्टियों के अपने अन्य सहयोगी भी हैं, स्पाई केपाग के इसके सहयोगी हैं, इसके जापान के एन० के० के०, जापान के टोयो इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन टी० सी० आई० एल, बी० एच० ई०एल०, पुंज एण्ड संस, और एल० एण्ड टी० कान्डक्स के अन्य सहयोगी हैं :—टी०सी० आई० एल० और बी० एच० ई० एल० स्नैप प्रोजेट्टी अन्य सहयोगी है डाइसेल···

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं ।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : गैस पाइप लाइन पर बहुत से प्रश्न हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपना काम मालूम है । मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है । मैंने पहले ही 15 मिनट लगा दिए हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें कुछ और प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे अधिकारों पर आपत्ति नहीं कर सकते ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम तो आपसे केवल अनुरोध करने की कोशिश कर रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर 15 मिनट के समय की अनुमति दे दी थी । इतना ही काफी है ।

राज्यों में केमिकल्स काम्प्लेक्स स्थापित करना

***412. श्री एम० रघुमा रेड्डी†**
श्री धर्म पाल सिंह मलिक } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक राज्य में एक कैमिकल काम्प्लेक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक राज्य में उक्त प्रयोजन के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है और प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, माननीय मन्त्री जी का उत्तर ठीक है। उन्होंने इस संबंध में कुछ भी विचार नहीं किया है। हम विदेशी मुद्रा खर्च करके काफी मात्रा में रसायनों का आयात कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी रसायनों के आयात के विकल्प के रूप में प्रत्येक राज्य में रसायन उद्योग स्थापित करने पर विचार करेंगे।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : जैसा कि मेरे उत्तर में बताया गया है, हमारे पास प्रत्येक राज्य में रसायन उद्योग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, किन्तु जैसे ही निजी कम्पनियों अथवा राज्यों के औद्योगिक विकास निगमों से कोई आवेदन आयेगा और जब इसकी आवश्यकता होगी, हम निश्चय ही ऐसा करेंगे।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, हम आज भी कुछ महत्वपूर्ण रसायनों का विदेशों से आयात कर रहे हैं। माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे सभी राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र या गैर-सरकारी क्षेत्र में इन उद्योगों को स्थापित करने का विचार कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश के गोदावरी बेसिन में गैस काफी मात्रा में उपलब्ध है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मन्त्री जी आन्ध्र प्रदेश में पेट्रो-रसायन उद्योग की स्थापना के लिए विचार कर रहे हैं।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : प्रश्न का संबंध रसायन काम्पलेक्स से है। आन्ध्र प्रदेश में पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स की स्थापना करने के प्रश्न पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या मैं मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या संस्थापित क्षमता के हिसाब से विभिन्न रसायनों और कीटनाशकों के उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है। यदि नहीं, तो सरकार इन रसायन काम्पलेक्सों की स्थापना करने की योजना क्यों नहीं बना रही है?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : इस समय मेरे पास बिल्कुल सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं इन्हें एकत्रित करके माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

श्री नारायण चौबे : रासायनिक कारखाने लगाये जा रहे हैं ·· (व्यवधान) जो भी रासायनिक कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं, वे इस देश में अनेक लोगों की मृत्यु का कारण बन रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार तथा हमारा श्रम विभाग सुरक्षा के सम्बन्ध में पूरी सावधानी नहीं बरत रहा है।

भोपाल में गैस त्रासदी और दिल्ली में हाल ही में हुई दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं कि देश में अधिक से अधिक रासायनिक कारखानों की स्थापना की जा सके···(व्यवधान) देश के बाहर ही क्यों ? देश के अन्दर ही अनेक स्थानों पर ऐसे कारखाने होने चाहिएं ? आप सुरक्षा सम्बन्धी क्या उपाय कर रहे हैं, ताकि नागरिकों के जीवन सुरक्षित हो सकें।

अध्यक्ष महोदय : ये रासायनिक कारखाने आबादी वाले क्षेत्रों में नहीं होने चाहिए।

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : हम गैस, कच्चे तेल आदि जैसे अन्वेषित अपने पेट्रो-रसायनिक पदार्थों का उपयोग अधिकांशतः पेट्रो-रासायनिक उप-उत्पाद उद्योगों के लिए करना चाहते हैं। किन्तु साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि, ये रासायनिक उद्योग, प्रदूषण अथवा दुर्घटना अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हमारी जनता को नुकसान न पहुंचाएं। अतः इस सम्बन्ध में जो सामान्य नीति हमने अपनाई है वह यह है कि जहां कहीं भी ये काम्पलैक्स अथवा उद्योग स्थापित किए जाएं, वे अधिक आबादी वाले स्थानों पर अथवा उनके समीप न हों। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए सभी वैज्ञानिक और औद्योगिकीय सावधानियां बरती जायें और निवारक उपाय किये जायें कि दुर्घटना होने पर भी कोई खतरा नहीं होगा। यही हमारी नीति है और इसी का अनुपालन हम करना चाहते हैं।

श्री नारायण चौबे : श्रम आयुक्त इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं।

श्री बसन्त साठे : पहले मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बम्बई जैसी जगह में जहां "राष्ट्रीय कैमीकल्स फर्टिलाइजर" की स्थापना की गई थी। वह स्थान पहले नगर से बाहर था। यही बात कलकत्ता में भी देखी गई और यही अन्य बड़े नगरों का भी अनुभव रहा है। जब आप कोई रासायनिक कारखाना लगाने की बात सोचते हैं तो सभी सावधानियां बरती जाती हैं और आप इसे नगर के बाहर लगाते हैं। किन्तु शीघ्र ही कुछ सालों में ही यह सम्पूर्ण क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र बन जाता है, और एक खतरा बन जाता है। अतः यह मामला, इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार करने वाला है और सभी निवारक उपाय भी करने होंगे।

श्री प्रताप भानु शर्मा : पेट्रोलियम मंत्री महोदय ने हमें सूचित किया कि हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, पाइप लाइन के आधारभूत ढांचे का जो कार्य चल रहा है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

अतः मैं रसायन मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्राकृतिक गैस के उपयोग की हमारी कोई योजना है···

श्री नारायण चौबे : ये अपनी बात से मुकर रहे हैं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा हूं, मैं रसायन मन्त्रालय की बाबत

कह रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्लास्टिक और अन्य सी-4 तथा सी-5 श्रेणियों जैसे प्राकृतिक गैस से उर्वरक उत्पन्न करने के अतिरिक्त रसायन उद्योग में अन्य कारकों के लिए प्राकृतिक गैस इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कोई योजना है।

श्री बसन्त साठे : मैंने कहा है कि कच्चे तेल और गैस से बनने वाले सभी उत्पादों का उपयोग हम पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में करना चाहते हैं।

उड़ीसा में तेल की खोज

*413. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के तीन तटवर्ती जिलों में जून, 1986 में तेल की खोज करने के बारे में निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो खोज का कार्य कौन-सा संगठन करेगा;

(ग) वहां कितने तेल के कुएं खोदे जाएंगे; और

(घ) इस संबंध में कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) आयल इंडिया लिमिटेड

(ग) और (घ) 1986-87 के दौरान लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत पर छः अन्वेषी कुओं (12000 मीटर) की खुदाई होने की संभावना है।

श्री राधाकांत डिगाल : महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी के उत्तर का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि उड़ीसा में वे विभिन्न जिले कौन से हैं जहां सर्वेक्षण किया गया था और क्या यह सत्य है कि उत्तर में दिए गए 6 कुओं से अधिक की खुदाई की जानी चाहिए थी और यदि हां तो क्या अतिरिक्त कुओं की खोज और खुदाई के लिए निधियों की व्यवस्था की जायेगी।

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदय, 1986-87 के वार्षिक कार्यक्रम में उड़ीसा में 6 कुओं की खुदाई की जानी है और वहां 12,000 मीटर खुदाई की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ, इस वर्ष के लिए 7.1 करोड़ रुपये की योजना व्यवस्था की गई है।

7वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में कुल 9 अन्वेषी कुएं खोदे

जाने की सम्भावना है। 7वीं योजना के दौरान, अनुमानत: 18,000 मीट्रिक के कार्यक्रम पर 9.50 करोड़ रुपये लागत की संभावना है।

श्री राधाकांत डिगाल : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि, क्या यह सत्य है कि दिसम्बर 1985 के प्रथम सप्ताह में उड़ीसा का दौरा करने वाले तीन सदस्यीय विश्व बैंक दल ने इस प्रणाली को उत्तर-पूर्वी समुद्र तट तक विशेषत: उड़ीसा के लिए तट से दूर तेल खोज तक विस्तृत करने का समर्थन किया था। यदि ऐसा है तो इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से कितनी अनुमानित सहायता राशि प्राप्त की जायेगी और उनका ब्यौरा क्या है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री सोमनाथ रथ : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं का वित्तपोषण किन स्रोतों से किया जाएगा और 7 करोड़ रुपये की इस राशि को जुटाने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है।

श्री नवल किशोर शर्मा : धन की व्यवस्था योजना आबंटन से और हमारे आन्तरिक संसाधन जिन्हें हम उत्पन्न करते हैं, से आ जाएगी।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मिदनापुर जिला, उड़ीसा के अपेक्षाकृत नजदीक है। इसलिए मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि (व्यवधान) कामरेड अमल दत्त के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले के घातन क्षेत्र में पाया गया है। हमने माननीय मन्त्री महोदय को भी पत्र लिखा है। इसी परिप्रेक्ष्य में क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार मिदनापुर जिले में तेल की खोज के लिए खुदाई करवाने की व्यवस्था करने के लिए विचार कर रही है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदय, तथापि यह प्रश्न मिदनापुर जिले से सम्बन्धित नहीं है फिर भी क्योंकि यह मामला सभा में उठाया गया है मुझे कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्यवश ये प्रेस रिपोर्ट सही नहीं हैं। काश यह सच होती।

किन्तु जहां तक मिदनापुर में खुदाई के सुझाव का सम्बन्ध है, यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

जाली पत्रों के आधार पर लगाए गए टेलीफोन

*414. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अक्तूबर, 1985 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फोन्स इन्स्टाल्ड आन फेक लेटर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामलों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कार्यप्रणाली क्या है;

(ग) विभाग द्वारा टेलीफोन और एक्सटेन्सन लगाने के ऐसे कितने मामले अब तक पकड़े गये हैं और वे शहर के किन इलाकों में पकड़े गए हैं;

(घ) क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसे कोई मामले पकड़े गये हैं, यदि हां, तो कितने, कब और कहां;

(ङ) ऐसे मामलों की पुनरावृति रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गए हैं; और

(च) दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कितने मामलों में कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) दूरसंचार विभाग द्वारा जांच करने पर यह पता चला है कि दिल्ली टेलीफोन के कार्यालयों में अनियमित स्वीकृतियों के आधार पर कुछ टेलीफोन कनेक्शनों की स्थापना अथवा उनकी अवधि बढ़ाई गई थी।

(ग) अब तक ऐसे 32 मामलों का पता चला है और वे क्षेत्रीय प्रबन्धक (पूर्व) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) फील्ड यूनिटों से ऐसी सूचना पुनः प्राप्त कर ऐसे मामलों में जारी की गई स्वीकृति की प्रति जांच करने के प्रबन्ध किए गए हैं।

(च) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, दिल्ली ने मामला दर्ज कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह जो अखबार में निकलता है कि प्रतीक्षा कीजिए टेलीफोन लेने की, इसकी अब जरूरत नहीं मालूम होती, क्योंकि आपने एडमिट किया है कि फर्जी दस्तखत करके टेलीफोन प्राप्त किये गये हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप कृपा करके बताइए कि आपके विभाग को यह कब मालूम हुआ कि फर्जी दस्तखत करके टेलीफोन दे दिए जाते हैं, यह कब मालूम हुआ और कब इन्क्वायरी आर्डर दिया और कौन-कौन से महानुभाव थे, बड़ी-बड़ी हस्तियां थीं जिन्होंने वो टेलीफोन फर्जी प्राप्त कर लिया टेंपरेरी और उसके अलावा उन्होंने एक्सटेंशन भी ले लिया। आप उन लोगों के नाम दे दीजिए। उनके खिलाफ आपने अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह मामला अभी पिछले ही कुछ दिनों का, महीनों का है, ज्यादा लम्बा नहीं है और हमारे विभाग की सतर्कता के कारण ही ये पकड़ा गया है। जब हमारे दिल्ली टेलीफोन वालों को पता लगा···।

अध्यक्ष महोदय : आपने डागा जी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

श्री राम निवास मिर्धा : जब दिल्ली टेलीफोन वालों को पता लगा कि दिल्ली एक्सचेंज के लिए क्यों ज्यादा चिट्ठियां आ रही हैं आउट आफ टर्न एलोकेशन के लिए, तब उन्होंने जांच की और डायरेक्टर से पूछा कि आपने कितने लोगों की सूची भेजी है। जब सूची का मिलान किया गया तो पता लगा कि ये आज्ञा जारी नहीं की गई थी। तब इसकी जांच की गई और 20 पहले पकड़े गए, 12 बाद में पकड़े गए। सारे मामले सी०बी०आई० को दिए गए हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : डागा साहब को कैसे पता लगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस की भी इन्क्वायरी कराएंगे।

श्री मूल चन्द डागा : इसमें कौन-कौन से व्यक्ति लगे हुए थे ?

श्री राम निवास मिर्धा : कौन-कौन से लोग लगे हुए हैं, ये सी०बी०आई० की जांच के बाद ही पता लगेगा।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि कौन-सी तारीख को मालूम हुआ, अखबार में अक्तूबर में प्रकाशित हो चुका है, 24 अक्तूबर को, उसके पहले आपके डिपार्टमेंट ने सतर्कता से काम किया या नहीं, यह आप बताइए। कौन सी तारीख थी और उन कनेक्शन को आपने डिसकनेक्ट किया या नहीं ?

श्री राम निवास मिर्धा : अखबार में आने से पहले हमारे विभाग ने इस चीज को पकड़ लिया था।

श्री मूल चन्द डागा : कब, तारीख बताइए। तारीख बता नहीं रहे हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : आपने जब अखबार में पढ़ा, उससे पहले इस चीज को पकड़ लिया गया था, अखबार में आने से पहले कार्यवाही शुरू हो चुकी थी।

अध्यक्ष महोदय : तारीख भी भिजवा देना इनको। तारीख भिजवा देंगे।

श्री मूल चन्द डागा : यह तो बताइए कि जिन्होंने कनेक्शन ले लिए हैं उनको डिसकनेक्ट किया या नहीं।

श्री राम निवास मिर्धा : ऐसा हुआ कि ये जो 32 आदमी मैंने बताए हैं, फौरन इनके कनेक्शन डिसकनेक्ट किए गए और इनको पत्र लिखा कि आप बताइए, आपने कैसे कनेक्शन लिया था, कब आपने दरख्वास्त दी थी। कुछ लोग तो वापिस ही नहीं आए यह बताने और कहां से यह सब कुछ हुआ, विभाग वालों से किनका संबंध है, यह सारा कुछ सी० बी० आई० की जांच से पता चलेगा।

श्री राम नगीना मिश्र : उनका नाम क्या है ?

श्री राम निवास मिर्धा : नाम जांच के बाद पता लगेंगे।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : महोदय, मुझे समाचार पत्र से यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सांसदों के जाली पत्रों के आधार पर टेलीफोन कनेक्शनों के लिए ये प्राथमिकताएं दी गई हैं।

मेरे अपने मामले में, मैं जानता हूं कि मेरे वास्तविक पत्र पर भी कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। मुझे आश्चर्य हुआ था और मैंने अनुभव किया 'कि संभवत: टेलीफोन विभाग हर स्थान पर एक समान नीति नहीं अपना रहा है। जब कि दिल्ली में, ऐसे प्राथमिकताएं चलन में हैं, कलकत्ता में ऐसी प्राथमिकताएं नहीं दी जातीं। यह मेरा निजी अनुभव है। क्या मन्त्री महोदय इस मामले को स्पष्ट करेंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य बारी से पहले आबंटन हेतु अनेकानेक पत्र लिखते हैं और हम यथा संभव उनकी सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। कभी-कभी जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने यह लिखा है, उन्हें याद भी नहीं होता कि उन्होंने ऐसा पत्र लिखा है अथवा नहीं। वास्तविक मामलों पर जो कि असल में ध्यान देने योग्य होते हैं, अत्यधिक ध्यान दिया जाता है और हम उन्हें निभाने की पूरी कोशिश करते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : हम सिर्फ मन्त्री जी से नाम जानना चाहते हैं। उन लोगों के नाम जरूर बता दें।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इंक्वायरी के बाद ही नामों का पता चलेगा।···(व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन-कौन हैं।···(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : नाम जरूर बता दें।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिना इन्क्वायरी के नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में दूर-संचार सेवाओं का विकास

*415. श्री अजय विश्वास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में दूर-संचार सेवाओं के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी योजनायें आरम्भ की जाएंगी; और

(ख) योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) और (ख) देश में दूर-संचार सेवाओं के विकास के लिए योजना आयोग ने 4010 करोड़ रुपए के परिव्यय की मंजूरी दी है। इस परिव्यय के आधार पर राज्य यूनिटों को मार्ग-निर्देशन दिए गए हैं कि वे अपनी योजनाओं को अन्तिम रूप दें। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र द्वारा अपनी योजनाओं को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात ही त्रिपुरा की योजनाओं का ब्यौरा पता चल सकेगा।

श्री अजय विश्वास : अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। किन्तु अगरतला एस० टी० डी० से सम्बद्ध नहीं है। विभिन्न राज्यों की राजधानियां ही नहीं अपितु जिला मुख्यालय भी एस०टी०डी० से जुड़े हुए हैं। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि आजादी के 38 वर्ष बाद भी सरकार राजधानी, त्रिपुरा को एस०टी०डी० से सम्बद्ध क्यों नहीं कर सकी। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि केन्द्र सरकार किस प्रकार त्रिपुरा और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अन्य भागों की अवहेलना कर रही है।

मन्त्री महोदय से मेरा सीधा प्रश्न यह है कि केन्द्र सरकार संचार योजनाओं को अन्तिम रूप कब देगी और क्या उसमें अगरतला के लिए एस०टी०डी० सुविधा सम्मिलित होगी और क्या केन्द्र सरकार योजना को अन्तिम रूप देते समय इस पर विचार करेगी?

श्री राम निवास मिर्धा : हम उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और त्रिपुरा में दूर-संचार व्यवस्था के विकास की आवश्यकता के प्रति बहुत अधिक चैतन्य हैं। यह सच है कि इस समय अगरतला नैशनल सब्स्क्राइबर डायलिंग (राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग) से जुड़ा हुआ नहीं है। किन्तु हम यथा शीघ्र इससे जोड़ने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। हम सबसे पहले अगरतला को दिल्ली से जोड़ने के लिए सैटलाइट सर्किट उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बाद अगरतला को कलकत्ता से जोड़ने की मांग है। हम कलकत्ता को सैटलाइट कनैक्शन देने के लिए भी खोज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सामान्य चैनल काम नहीं करते और सैटलाइट संदेश के विकास में कुछ समय लगेगा।

अतः हमारा प्रयास है कि कम से कम ये दो कनैक्शन यथा शीघ्र दे दिए जाएं। इसके बाद अगरतला और जिला मुख्यालयों के बीच कनैक्शन देने की हमारी अन्य योजनाएं हैं।

हमारे पास पूरे अगरतला के लिए स्वीकृत अंकीय नेटवर्क की अन्य योजना है, और मैं माननीय सदस्य महोदय को आश्वासन देता हूं कि अगरतला को दिल्ली और कलकत्ता तथा अन्य स्थानों से जोड़ने के लिए, सभी आवश्यक उपाय किये जाएंगे, इसके साथ ही सम्पूर्ण त्रिपुरा के लिए दूर-संचार के विकास की ओर भी हमारा ध्यान है।

श्री अजय विश्वास : मन्त्री महोदय के उत्तर में यह बताया गया है कि "राज्य यूनिटों को अपनी योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए मार्ग निर्देश दे दिये गए हैं।" राज्य इकाइयों को क्या मार्ग निर्देश दिये गए हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : ये मार्ग निर्देश एक तरह से सामान्य हैं क्योंकि 7वीं योजना बड़े आकार की थी और उसमें 11,000 करोड़ से 13,000 करोड़ रुपए का अनुमान था उसके लिए हमारे मार्ग निर्देश भिन्न थे और अब हमने उनमें संशोधन करके अपने क्षेत्र आबंटन हेतु अधिक वास्तविक

बना दिया है। उदाहरणार्थ, एक दिशा निर्देश यह है कि सभी जिला मुख्यालयों के टेलीफोन स्वचालित हों और यथाशीघ्र राजधानी से जोड़ दिए जाएं। इसी प्रकार के अन्य व्यापक दिशा निर्देश हैं। दूसरा दिशा निर्देश यह है कि, जहां भी यू०एच०एस० सम्पर्क आवश्यक हो, इसे लगाया जाए, और जितनी जल्दी हो सके, विश्वसनीय ट्रांसमीशन प्रणाली बनाई जाए। कुछ मार्ग निर्देश ऐसे हैं, जिनके अनुसार वे अपनी योजना पर दुबारा विचार करेंगे और तब हम आगे कार्य करेंगे।

भारतीय लागत तथा संकर्म लेखापाल संस्थान का कार्यकरण

*416. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1984 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय लागत तथा संकर्म लेखापाल संस्थान की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बैंक खातों के समायोजन में 32 लाख रुपए से अधिक का अन्तर पाए जाने के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त संस्थान द्वारा लगभग 12 लाख रुपए की राशि बैंक में जमा कराये जाने का दावा किया गया परन्तु वह बैंक में उपलब्ध रिकार्डों से मेल नहीं खाता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का संस्थान के 1.5 लाख विद्यार्थियों और 6000 सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार संस्थान की परिषद को भंग करके लागत तथा संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 35 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया ने सूचित किया है कि आन्तरिक लेखा परीक्षकों ने दिसम्बर, 1984 को समाप्त होने वाली तिमाही के बारे में अपनी रिपोर्ट में 32 लाख रुपये की कमी को रिपोर्ट नहीं दी है। तथापि, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंस्टीट्यूट द्वारा जमा की गई और रोकड़ बही में दर्ज की गई निम्नलिखित रकम बैंक विवरण पत्र से सम्बद्ध नहीं थी और ना ही बैंक विवरण पत्र उनसे सम्बद्ध है।

	(लाख रुपयों में)
रोकड़ बही के अनुसार जमा किन्तु बैंक विवरण पत्र से सम्बद्ध नहीं।	12.59
बैंक विवरण पत्र में दर्ज पर रोकड़ बही से सम्बद्ध नहीं।	20.17

इंस्टीट्यूट के अनुसार उन्हें बड़ी संख्या में डिमांड ड्राफ्ट/चैक मिलते रहते हैं और उन्हें तुरन्त बैंकों में जमा कर दिया जाता है। इंस्टीट्यूट की तरफ से विद्यार्थी भी सारे देश में उन तीन बैंकों में, जिनमें इंस्टीट्यूट का खाता है, फीस सीधे जमा करा देते हैं और इंस्टीट्यूट को पावती चालान भेज देते हैं। बैंक इंस्टीट्यूट के बैंक विवरण पत्र में, अपनी शाखाओं से एडवाइस आने पर ही दर्ज करते हैं और बाहर के स्थानों के चैकों को केवल वसूली होने पर ही दर्ज करते हैं। चूंकि बैंक विवरण-पत्र के अनुसार शेष धन का इंस्टीट्यूट के खाते के साथ सामंजस्य एक निरन्तर प्रक्रिया है, अन्तर का, यदि कोई हो, सामान्य व्यापारिक खाता प्रणाली के अनुसार बाद में, सामंजस्य हो जाता है।

(ग) और (घ) उपरोक्त उल्लेख के कारण, किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : भारतीय लागत तथा संकर्म लेखापाल संस्थान में काफी गड़बड़-घोटाला है। माननीय मन्त्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो विवरण सभा पटल पर रखा है वह स्वयं संस्थान का ही भेजा हुआ है। मैं यह नहीं जानती कि मन्त्री महोदय ने जो विवरण सभा पटल पर रखा है उसे उन्होंने स्वयं जांचा भी है या नहीं। इसमें तो यह बताया गया है कि आंतरिक लेखापरीक्षा ने किसी प्रकार की अनियमितताओं की रिपोर्ट नहीं दी है, किन्तु साथ ही यह भी कहा गया है :—

"तथापि, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि इंस्टीट्यूट द्वारा जमा की गई और रोकड़बही में दर्ज की गई निम्नलिखित रकम बैंक विवरण पत्र से सम्बद्ध नहीं थी और ना ही बैंक विवरण-पत्र उनसे सम्बद्ध हैं।"

मेरा प्रश्न 'समायोजन में अन्तर' के बारे में था। और आंकड़े भी वही हैं अर्थात 32 लाख रु० ही हैं। और उन्होंने कहा है "....इंस्टीट्यूट द्वारा जमा की गई और रोकड़बही में दर्ज की गई निम्नलिखित रकम बैंक विवरण-पत्र से सम्बद्ध नहीं थी और ना ही बैंक विवरण-पत्र उनसे सम्बद्ध हैं।" क्या यह समायोजन में अन्तर' का ही दूसरा नाम नहीं है? जहां तक मुझे जानकारी है उन्होंने अपने वार्षिक लेखे में ही समायोजन अन्तर के प्रश्न का उल्लेख किया है। कृपया इसकी जांच करें। तत्पश्चात, परिषद की बाद में हुई एक बैठक में, उन्होंने बैंक समायोजन विवरण में दर्शाये गये समायोजन अन्तर की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या मन्त्री महोदय, इसके बारे में जानते हैं या नहीं? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि लाखों रुपयों के चैक और ड्राफ्ट, जिन्हें बैंकों ने वापस कर दिया था और जिनमें से अधिकांश अमान्य हो गये थे उन सभी का हिसाब-किताब कर पुन: वैध कर बाद में उन्हें बैंक में जमा कर दिया गया है। यह प्रक्रिया का प्रश्न नहीं है जैसा कि आपके उत्तर से स्पष्ट होता है। जो ये सभी तथ्य सामने आए हैं उनके सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मन्त्री इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेंगे और इस संस्थान की वित्त व्यवस्था के बारे में एक उच्च शक्ति प्राप्त लेखा जांच समिति से जांच करवायेंगे?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कमाल है, गीता जी, आपने तो घर से बाहर वाला भी सारा हिसाब-किताब समझ लिया।

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे : पहला प्रश्न यह है कि क्या बड़े पैमाने पर गलत अथवा झूठे खाते रखे गये हैं और यदि हमें पता चलता है कि इस तरह की शरारत हुई है या कदाशयता से काम किया गया है, तभी जांच या कार्यवाही का प्रश्न उठता है। यह एक अधिनियम के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय है जिसे काफी पहले अर्थात् 1944 में स्थापित किया गया था; यह एक बहुत पुराना संगठन है। हमारी सामान्य नीति यही रही है कि चार्टरित लेखाकारों के निकाय या विश्वविद्यालय या अन्य ऐसे संगठनों जैसे स्वशासी निकायों में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। माननीय सदस्या ने जो भी आरोप लगाए हैं वे दुर्भाग्य-वश सच नहीं हैं। स्वयं माननीय सदस्या ने भी उसी तुलन-पत्र या रिपोर्ट के आधार पर ही अपनी बात कही है जो उस संस्थान ने प्रस्तुत किए हैं। यह 31 मार्च, 1985 तक अद्यतन हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि 31-3-1984 तक अधिशेष राशि जिसका समायोजन किया जाना था वह 32 लाख रुपये नहीं बल्कि केवल 52,672 रुपये ही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

श्री वसन्त साठे : इसे बट्टे खाते में कहां डाला गया है ? उन्होंने इसे बट्टे खाते में नहीं डाला है। इसके बट्टे खाते में डालने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या परिषद की बैठक में इस राशि को बट्टे खाते में डाला गया था या नहीं ? कृपया मुझे इस बात का उत्तर दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे वार्तालाप नहीं करें। (**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : महोदय, मेरी रक्षा करें।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यहां महिला का मामला है इसीलिए मैं आपको अवश्य सुरक्षा प्रदान करूंगा। (**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : मैं तथ्यों के बारे में ही बता रहा हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : नहीं।

श्री वसन्त साठे : मैं उस पुस्तक से उद्धृत कर रहा हूं जिस पर आप निर्भर रही थीं। मैं उसमें से उद्धरण दे रहा हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है।

श्री वसन्त साठे : आपने जो भी तथ्य दिए हैं, जिस भी स्रोत से दिए हैं उनके बारे में जांच से मुझे पता चला है कि किसी तरह की कदाशयता के लिए सन्देह करने का कोई आधार नहीं है। यह समायोजन की प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहती है। यदि हमें पता चलता है कि कहीं भी किसी

प्रकार की गड़बड़ी की जा रही है, तो हम किसी तरह की कार्यवाही करने में नहीं हिचकिचाएंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मुझे सभा पटल पर इसी निकाय की परिषद के एक सदस्य का पत्र रखने की अनुमति दीजिए, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे इसे पढ़ें और समुचित कार्यवाही करें। इसे पढ़े बिना वे वित्तीय कुप्रबन्ध पर लीपा-पोर्ती न करें।

अध्यक्ष महोदय : यह उन्हें ही भेज दें।

श्री बसन्त साठे : मैं प्रसाधनों के इस्तेमाल का अभ्यस्त नहीं हूं। (**व्यवधान**) आमतौर से यह महिलाओं के लिए ही है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे आपके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देनी होगी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, अब भूमिकाएं परस्पर बदल गई हैं।

श्री वसन्त साठे : मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करता हूं कि जो भी जानकारी उनके पास है वे उसे मेरे पास भेज दें; मैं उसे अपने सहकर्मी उद्योग मन्त्री महोदय को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दूंगा, जिनकी ओर से मैं आज बोल रहा हूं।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा पालघाट में ई० पी० ए० बी० एक्स० का निर्माण

***417. श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स ने ई० पी० ए० बी० एक्स० का एक डिजाइन तैयार किया है जिसमें अनेक नई विशेषताएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा पालघाट स्थित कारखाने में ई० पी० ए० बी० एक्स० के निर्माण में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती किशोरी सिंह : माननीय मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में दिया है। यदि ऐसा ही है, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि तीन विदेशी प्रौद्योगिकियों के आयात की अनुमति देने के क्या कारण थे।

श्री राम निवास मिर्धा : इन तीन विदेशी प्रौद्योगिकियों के आयात की अनुमति इन सी०डी० ओ० टी० तथा ई० पी० ए० बी० एक्स० के विकसित होने से पहले दी गई थी। इसीलिए हम इस चरण पर इसे रोक नहीं सकते जबकि सी० डी० ओ० टी० प्रौद्योगिकी पर अभी परीक्षण ही किए जा रहे हैं और अन्य निर्माता सहयोग से काम करने के लिए उत्सुक हैं। जिस प्रक्रिया का अनुपालन किया गया उसके अनुसार विश्वव्यापी टेंडर आमंत्रित किये गये थे और अनेक विदेशी कम्पनियों ने सरकारी क्षेत्र तथा ऐसे सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए अपनी शर्तें आदि प्रस्तुत की थीं। मूल्यांकन के परिणामस्वरूप दूसरे देशों की तीन प्रौद्योगिकियों का चयन किया गया था और सभी कम्पनियों के सामने यह विकल्प दिया गया इनमें से किसी के सहयोग से काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करें। इसके बाद सी० डी० ओ० टी० ने ई० पी० ए० बी० एक्स० का यह मॉडल प्रस्तुत किया था। अब 90 कम्पनियों ने सी० डी० ओ० टी० की इस प्रौद्योगिकी को स्वीकार करने के लिए आवेदन पत्र दिया है। किन्तु अभी हमने यह निर्णय नहीं किया है कि इसके लिए किस-किस कम्पनी को लाइसेंस दें। किन्तु हमारी इस स्वदेशी प्रौद्योगिकी के लिए इतनी उत्सुकता को देखते हुए जल्दी ही कोई-न-कोई निर्णय लिया जाएगा।

श्रीमती किशोरी सिंह : मैं इतने विस्तृत उत्तर के लिए माननीय मन्त्री की आभारी हूं। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सी० डी० ओ० टी० अर्थात् सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमैट्रिक्स के पक्ष में इस प्रौद्योगिकी की केन्द्रीकृत खरीदारी करना छोड़ दिया जाएगा।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं माननीय सदस्या का आभारी हूं कि उन्हें हमारी प्रौद्योगिकी पर इतना विश्वास है। मैं उनके इस विचार से सहमत हूं और जहां तक इस काम का सम्बन्ध है हम सी०-डी० ओ० टी० को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने प्रयोगशाला मॉडल ही प्रस्तुत किया है और जल्दी ही इस्तेमाल के लिए तैयार मॉडल भी परीक्षण के लिए बाहर आ जाएंगे। अतः हम स्वदेशी प्रौद्योगिकी और विदेशी स्रोत से विकसित प्रौद्योगिकी का समानांतर विकास चाहते हैं।

श्री एडुआर्डो फलीरो : सिद्धांत रूप में हम विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात का विरोध करते हैं। किन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए कि जब हम दूरसंचार की विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करें तो अपने यहां के लोगों को इस प्रौद्योगिकी को स्थापित करने तथा प्रचालित करने के लिए प्रशिक्षित करें।

इसी संदर्भ में आपको यह बताना चाहता हूं कि तीन या चार वर्ष पहले कुछ जापानी टेलीफोनों का आयात किया गया था और उनमें से एक मेरे घर पर भी लगाया गया था। जब इसे वहां लगाया गया तो टेलीफोन के प्रभारी अधिकारी ने कहा कि यह तो खराब है किन्तु 5 मिनट बाद ही वह काम करने लगा और फिर उन्होंने कहा कि अब यह बिल्कुल ठीक है। अतः जब कभी ये जापानी टेलीफोन खराब होते हैं तो शाहजहां रोड के प्रभारी इंजीनियर आते हैं और कहते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते और हमें पूरे टेलीफोन को ही बदलना होगा। यही मुद्दा संगत है। वह कहते हैं कि इस टेलीफोन की मरम्मत के लिए कोई भी प्रशिक्षित नहीं है और हम इस टेलीफोन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसमें कुछ बटन हैं, जो मेरी राय में सजावट के लिए ही हैं और उनका कोई काम नहीं है। अतः क्या मन्त्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब इस प्रौद्योगिकी का आयात किया जाए तो हमारे कर्म-

चारियों को इसे समझने और चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए और उनके खराब होने पर उसके मरम्मत के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाए। जैसा कि इस समय नहीं किया जा रहा है।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने जो समस्या उठाई है वह बिल्कुल सही है क्योंकि जब एक प्रौद्योगिकी के स्थान पर किसी बेहतर प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं तो नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए अपने कर्मचारियों को पुन: प्रशिक्षित की समस्या उठ खड़ी होती है। खासतौर से जब हम विद्युत यांत्रिक व्यवस्था में इलेक्ट्रानिक व्यवस्था अपनाते हैं तो प्रौद्योगिकी सम्बन्धी व्यवस्था में लगभग आमूल-चूल परिवर्तन होते हैं। हम इस समस्या के प्रति सजग हैं और विभिन्न स्तरों पर कमचारियों को पुन: प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह प्रौद्योगिकी अनुचित रूप से अपनाई जा सके और माननीय सदस्य को जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसका सामना नहीं करना पड़े।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री वांगफा लोवांग···

श्री सोडे रमैया···

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की लोहारी नागपाल पन बिजली परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

*420. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने लोहारी नागपाल पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था और उसमें कितनी राशि की सहायता मांगी गई है; और

(ग) उस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना के लिए प्रस्ताव 15-11-1983 को प्रस्तुत किया था, जिसकी अनुमानित लागत 177.2 करोड़ रुपये थी।

(ग) प्रस्ताव पर विश्व बैंक के साथ अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की जा सकी, क्योंकि परियोजना के लिए पर्यावरण और वन सम्बन्धी स्वीकृतियां तथा निवेश सम्बन्धी निर्णय प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण और वन सम्बन्धी स्वीकृतियां तथा निवेश सम्बन्धी निर्णय के बारे में कई बार मंत्रालय के अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों

के मध्य बात हो चुकी है और 1983 से अब तक यह मामला निबटाया नहीं जा सका है, बहुत अधिक विलम्ब इस मामले में हो रहा है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस मामले को कब तक निबटा दिया जायेगा और उसके बाद क्या इसका प्रपोजल विश्व बैंक के पास भेज दिया जायेगा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ हमारे विभाग के अधिकारियों की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन पर्यावरण सम्बन्धी निर्णय विद्युत विभाग को नहीं लेना है। यह निर्णय पर्यावरण विभाग द्वारा ही लिया जायेगा। हमारे और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की मीटिंग होने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को उन परियोजनाओं की सूची में शामिल कर लिया गया जिनको विश्व बैंक की सहायता के लिए पोज किया जाना है। डिपार्टमेंट आफ इकनामिक एफेयर्स ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह लिखा है कि जब तक पर्यावरण का क्लीयरेंस नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी परियोजना विश्व बैंक की सहायता वाली सूची में शामिल नहीं की जा सकती। इसलिए उसके बाद इस परियोजना को उस सूची से निकाल दिया गया। जैसे ही उस विभाग का निर्णय हो जायेगा हम इस परियोजना के सम्बन्ध में फैसला करेंगे।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है और उस क्षमता का समयबद्ध दोहन हो सके, इसके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में किन-किन परियोजनाओं पर केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की मदद करने जा रही है और कौन-कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको विश्व बैंक की मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके मंत्रालय को भेजा है ? आप कब तक उन योजनाओं को विश्व बैंक के सम्मुख रख देंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन् इस समय उत्तर प्रदेश की दो योजनाएं ऐसी हैं जिस पर विश्व बैंक की सहायता के लिए उन दोनों परियोजनाओं पर गौर कर रहे हैं। इनमें से एक टिहरी परियोजना है और दूसरी श्रीनगर परियोजना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की ही पाला-मनेरी परियोजना और सोवला परियोजना है, जिन पर इस वक्त प्लैनिंग कमिशन में इनवैस्टमेंट सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।

श्री हरीश रावत : आप टिहरी प्रोजेक्ट के बारे में बताएं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने टिहरी परियोजना के बारे में पहले ही बताया है। टिहरी और श्रीनगर दो ऐसी परियोजनाएं हैं जिस पर विश्व बैंक की सहायता लेने की बात अन्तिम चरण में है।

[अनुवाद]

फालतू बिजली तथा कम बिजली वाले राज्य

*421. **श्री पी० मानिक रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके पास इस समय फालतू बिजली है तथा किन-किन राज्यों के पास कम बिजली है; और

(ख) बिजली की, राज्यवार, प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, पश्चिमी क्षेत्र में सभी राज्य, दक्षिणी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश और केरल तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कुल मिलाकर अपनी ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं। देश के शेष अन्य भाग भिन्न-भिन्न मात्रा में विद्युत की कमी का सामना कर रहे थे।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्यों में बिजली की अनुमानित प्रति व्यक्ति खपत सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्यों में बिजली की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत

(यूनिट में)

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1983-84
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	245.45
हिमाचल प्रदेश	88.93
जम्मू व कश्मीर	104.71
पंजाब	354.44
राजस्थान	126.26
उत्तर प्रदेश	103.07
चण्डीगढ़	386.35
दिल्ली	467.34
उप जोड़ :	151.24

1	2
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	274.19
मध्य प्रदेश	136.94
महाराष्ट्र	267.00
गोवा, दमन व दीव	279.26
दादर व नागर हवेली	86.07
उप जोड़ :	223.54
पूर्वीक्षेत्र	
बिहार	90.51
उड़ीसा	135.38
पश्चिम बंगाल	123.02
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	63.19
सिक्किम	51.64
उप जोड़ :	109.88
दक्षिणी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	142.42
कर्नाटक	166.24
केरल	113.36
तमिलनाडु	178.05
पांडिचेरी	222.41
लक्ष्यद्वीप	57.79
उप जोड़ :	153.93

1	2
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
असम	42.20
मणिपुर	12.77
मेघालय	68.74
त्रिपुरा	20.60
अरुणाचल प्रदेश	26.76
मिजोरम	25.30
नागालैण्ड	48.87
उप जोड़ :	39.30
जोड़ अखिल भारत :	154.86

[हिन्दी]

श्री पी० मानिक रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो आंकड़े दिखाये हैं, उससे मालूम होता है कि विभिन्न राज्यों में बिजली की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत में काफी डिफरेंस है। अगर सरकार शीघ्र ही नेशनल ग्रिड सिस्टम इम्पलीमेंट कर दे तो बहुत अच्छा होगा। इम्पलीमेंट करने में आज जो देरी हो रही है, उससे देश को बहुत नुक्सान हो रहा है। क्या सरकार ने इस बारे में शीघ्र कदम उठाने के बारे में कोई कदम उठाया है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन् माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। नेशनल ग्रिड अपने आप में कोई अलग से योजना नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय ग्रिड को मजबूत करना है और जब क्षेत्रीय ग्रिड इतना मजबूत हो जाये कि एक क्षेत्र में पड़ने वाले राज्यों के बीच में पूरी तरह सम्पर्क और समन्वय स्थापित हो जाए, उसके बाद उन क्षेत्रीय ग्रिड का आपस में सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाएगा, वही नेशनल ग्रिड कहलाएगा। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा ज्यादा काम किया जा सके इसके लिए हमें माननीय सदस्य की इस बात की सहायता की जरूरत है कि वह अपनी-अपनी प्रदेश सरकारों को इस बात के लिए रजामन्द कर सकें कि वे विद्युत के क्षेत्र में केन्द्र सरकार को ज्यादा काम करने की छूट दे सकें।

श्री पी० मानिक रेड्डी : महोदय, सारे हिन्दुस्तान में इलेक्ट्रिकसिटी का एक ही रेट लगाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। यू०एस०ए० में जो रेटिंग कमिशन है, इसी तरह का हिन्दुस्तान में भी कंज्यूमर्स

को इनवाल्वमेंट करके एक कमेटी कायम कर दें तो बहुत अच्छा होगा। क्या इस बारे में कोई बात विचाराधीन है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, विभिन्न स्टेशनों में जो बिजली का उत्पादन होता है, उसमें आने वाला खर्चा भी भिन्न है। चूंकि बुनियादी तौर पर उसके इंतजाम का काम प्रदेश के इलेक्ट्रिक बोर्ड करते हैं, इसलिए वह अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए और यूनिटों में आने वाले खर्च को देखते हुए दरों का निर्धारण करते हैं। जब हमारा नेशनल ग्रिड मजबूत हो जाएगा जब पूरे देश में इस स्थिति में होंगे कि जहां एक हिस्से में बिजली ज्यादा मात्रा में है और दूसरे क्षेत्र में जहां बिजली कम मात्रा में है, वहां पहुंचा सकेंगे तो शायद इसका भी कोई रास्ता निकाला जा सकेगा जिससे विभिन्न क्षेत्रों में जो असमानता है दरों में उसको भी कम किया जा सकेगा या उसे बराबर लाया जा सकेगा।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने बिजली की कमी वाले राज्यों, खासतौर से पश्चिम बंगाल में जहां बिजली का संकट बहुत विकट है, और अधिक ताप बिजली घर स्थापित करने के बारे में विचार किया है। पश्चिम बंगाल की जनता को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। बिजली के गम्भीर संकट के कारण उद्योगपति इस राज्य में उद्योग स्थापित करने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। बिजली की कमी का राज्य के सभी वर्गों पर बुरा असर पड़ रहा है। मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु का नाम बिजली कीं कटौती करने से जोड़ा जाता है उन्हें बिजली संकट मन्त्री या लोड शेडिंग मन्त्री कहा जाता है। इसीलिए मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहती हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में और अधिक ताप बिजली घर स्थापित करने के बारे में केन्द्र का कोई प्रस्ताव है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मैं माननीय सदस्या द्वारा देश के कुछ भागों में बिजली की कमी के बारे में व्यक्त की गई चिन्ता को समझता हूं। माननीय सदस्या ने पश्चिम बंगाल के बिजली संकट के बारे में चिन्ता व्यक्त की है और मैं उनकी चिन्ता को समझता हूं। वस्तुतः हम उन्हें इस विषय के सम्बन्ध में लिख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ममता जी आप बिजली की शक्ति चाहती हैं या राजनीतिक शक्ति ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : वस्तुतः हम विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य-निष्पादन की निगरानी कर रहे हैं और जो बोर्ड संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उन्हें हम खासतौर से लिख रहे हैं। मुझे खेद है कि तीन अन्य राज्यों के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल भी ऐसा ही एक राज्य है जहां बिजली संयंत्र की क्षमता राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।

एक माननीय सदस्य : शर्म करो।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : ऐसा मत कहिए क्योंकि तीन राज्य और भी हैं।... (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : आपको इस कमी को दूर करना चाहिए।... (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं आपको बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी बिजली संयंत्रों की क्षमता राष्ट्रीय औसत से कम है। इसके बारे में हम कम चिंतित नहीं हैं। हम बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बारे में समान रूप से ही चिंतित हैं, पश्चिम बंगाल में भी बिजली संयंत्रों की क्षमता राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत 50% से अधिक है और विद्युत उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में निर्माणाधीन परियोजनाओं का शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर शुरू किया जाना, ताप बिजली घरों के संयंत्रों की क्षमता में सुधार के उपाय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत व्यापक पैमाने पर पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण, करना शामिल है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 'प्रचालन और अनुरक्षण' कर्मचारियों की कुशलता और जानकारी बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण के लिए भी कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त आधुनिक विधियों तकनीकों का इस्तेमाल होगा, समुचित योजनाएं बनाई जाएंगी, निर्माण-कार्य समय पर पूरे किए जाएंगे, कोयले की किस्म में सुधार होगा, पारेषण में समग्र कमी हो पाएगी, ऊर्जा का परिरक्षण भी हो पाएगा आदि। एक प्रस्ताव 22000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए है जिसके लिए 24000 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसका सातवीं योजना के दौरान इस्तेमाल किया जाना है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली की बहुत कमी है और जो इन्होंने एवरेज लोड के बारे में बताया वह एवरेज लोड भी 45 प्रतिशत के आसपास वहां है। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में वह इसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं जिससे राजस्थान में बिजली की जो कमी है उसकी पूर्ति की जा सके ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार कमी तो है लेकिन उतनी कमी नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य ने बताई है।

अध्यक्ष महोदय : कमी तो है, वे ठीक बतला रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से नवम्बर तक 4457 मिलियन यूनिट्स की आवश्यकता थी, 4162 मिलियन यूनिट वहां पर सप्लाई की गई और कमी रही 295 मिलियन यूनिट्स की जो कि कुल आवश्यकता का 6.6 प्रतिशत ही है। जो मैंने पहले आंकड़े बताए हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो 22 हजार से अधिक की क्षमता बढ़ानी है उसमें राजस्थान का भी हिस्सा है और इसके लिए हमारी पूरी कोशिश होगी। प्रधान मन्त्री जी ने इस सदन में यह आश्वासन दिया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश के किसी हिस्से में बिजली की कमी नहीं रहनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी को 21 तारीख को साथ ले चलेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली देने के लिए समयबद्ध योजनायें

*409. डा० ए० के० पटेल
श्री सी० जंगा रेड्डी
: क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की पन बिजली की क्षमता कितनी है और इस समय कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग होता है;

(ख) वर्तमान पन बिजली संयंत्रों की औसत उपयोग क्षमता (प्लांट लोड फैक्टर) कितनी है;

(ग) पंजाब और बिहार में पन बिजली पर औसत शुल्क कितना है;

(घ) क्या इसमें काफी अन्तर है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली देने के लिए पन बिजली परियोजनाओं संबंधी समयबद्ध योजनायें क्या हैं और उसकी क्या संभावनायें हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारत की जल विद्युत क्षमता 60% भार अनुपात पर लगभग 89,000 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें से लगभग 11% विकसित कर दी गई है तथा अतिरिक्त 7% का विकास किया जा रहा है।

(ख) जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन संयंत्र भार अनुपात द्वारा नहीं किया जाता बल्कि वास्तविक ऊर्जा उत्पादन की तुलना में डिजाइन किए गए ऊर्जा उत्पादन के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1984-85 के दौरान अभिकल्पित क्षमता की तुलना में जल विद्युत परियोजनाओं से वास्तविक विद्युत उत्पादन 102% हुआ था।

(ग) जल विद्युत की सप्लाई के लिए अलग से टैरिफ का निर्धारण नहीं किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सातवीं योजना अवधि के दौरान कुल लगभग 5,540 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं चालू किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

डाकघर खोलना

*411. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक भाग में 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर एक डाकघर अथवा शाखा डाकघर खोलने का है;

(ख) क्या इसके लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार का किन अन्य साधनों के माध्यम से लोगों को डाक सुविधायें प्रदान करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार बस्ती (उत्तर प्रदेश) जिले में उक्त मानदण्ड के अनुसार खोले जाने वाले डाकघरों की अपेक्षित संख्या का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में, डाकघर इस आधार पर खोले जाते हैं कि प्रस्तावित ग्राम और नजदीकी डाकघर के बीच की दूरी 3 कि० मी० से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा जनसंख्या और सम्भावित राजस्व को भी ध्यान में रखा जाता है। शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने की शर्त यह है कि 20 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में यह दूरी कम से कम एक कि०मी० तथा अन्य शहरों में 1.5 कि०मी० होनी चाहिए। शहरी डाकघरों को वित्तीय दृष्टि से अपने पर निर्भर भी होना चाहिए। समय-समय पर निर्धारित मानदण्डों के आधार पर 31-10-1985 तक कुल 1,44,519 डाकघर पहले ही खोले जा चुके हैं।

(ख) और (ग) नियमित डाकघरों और चलते-फिरते डाकघरों के अलावा, एक नई योजना भी चालू की गई है जिसके अधीन डाक की विशिष्ट मदों का कार्य करने के लिए कमीशन के आधार पर उपयुक्त संस्थानों और व्यक्ति विशेष को लाइसेंस दिया जा सकता है।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की डाक सुविधाओं की पुनरीक्षा की गई है। यहां पहले ही 577 डाकघर हैं। इस जिले के शहरी क्षेत्रों में 2.25 वर्ग कि० मी० के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 12.97 वर्ग कि०मी० के लिए एक डाकघर है। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये आंकड़े क्रमश: 2.40 वर्ग कि०मी० और 17.77 वर्ग कि०मी० है। अत: बस्ती में डाक सुविधाओं के विकास के वर्तमान कार्य को पर्याप्त समझा जा सकता है।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश में दूर-संचार सेवाएं

*418. **श्री वांगफा लोवांग** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरुणाचल प्रदेश में दूर-संचार सेवायें बहुत ही खराब हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या अरुणाचल प्रदेश के दूर-दराज भाग में स्थित होने तथा राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से अलग-अलग होने को देखते हुए, सरकार का विचार अरुणाचल प्रदेश में दूर-संचार सेवाओं में प्राथमिकता के आधार पर सुधार करने का है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अरुणाचल प्रदेश में टेलीफोन सेवाएं आमतौर पर संतोषजनक हैं।

(ख) टेलीफोन सेवाओं में आगे और सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(i) रख-रखाव कार्यक्रमों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है।

(ii) लम्बी दूरी के ओवरहैड ओपन वायर लाइनों के बदले विश्वसनीय यू० एच० एफ० माइक्रोवेव रेडियो रिले प्रणाली तथा उपग्रह संचार प्रणाली स्थापित की जा रही है।

(ग) जी, हां।

हैदराबाद और सिकन्दराबाद में वितरकों द्वारा खाना पकाने की गैस के लाइसेंसों का वापस किया जाना

*419. श्री सोडे रामैय्या : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद और सिकन्दराबाद में खाना पकाने की गैस के लगभग 50 वितरकों ने सरकार द्वारा उनके कमीशन में वृद्धि करने से इन्कार किये जाने के विरोधस्वरूप अपने लाइसेंस नागरिक पूर्ति प्राधिकारियों को वापस कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) दिनांक 15 नवम्बर, 1985 को आन्ध्र प्रदेश सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा चलाए जाने वाले वितरण केन्द्रों के अतिरिक्त हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के वितरकों ने आन्ध्र प्रदेश पेट्रोलियम उत्पाद (लाइसेंसिंग तथा आपूर्ति विनियोजन) आदेश, 1980 के कड़े प्रयोग द्वारा गिरफ्तारियों के प्रति विरोध प्रकट करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिये गये लाइसेंस वापस कर दिये थे। दिनांक 17 नवम्बर, 1985 को स्थिति पर काबू पा लिया गया तथा डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में सामान्य कार्य आरंभ हो गया था।

उड़ीसा को सीमेंट की सप्लाई

*422. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को सीमेंट की कितनी आवश्यकता है और सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उसको वास्तव में कितना सीमेंट सप्लाई किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को उसकी आवश्यकता की तुलना में बहुत कम सीमेंट सप्लाई किया गया है; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार उड़ीसा की समूची आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आंशिक विनियंत्रण की नीति लागू हो जाने पर, उड़ीसा राज्य के लिए अप्रैल, 1982 में 57,800 मी० टन तिमाही प्रारम्भिक आधारभूत आवंटन निर्धारित किया गया था। अप्रैल, 1983 में इसे बढ़ाकर 61,800 मी० टन प्रति तिमाही और अक्तूबर, 1984 में 67,800 मी० टन प्रति तिमाही कर दिया गया। उड़ीसा सरकार ने फरवरी, 1984 में यह अनुरोध किया था कि उनका तिमाही आवंटन बढ़ाकर 1,01,800 मी० टन कर दिया जाए। लेवी सीमेंट की सीमित उप-लब्धता के कारण इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। राज्य के तिमाही आवंटनों के अलावा, केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक तिमाही में निर्धारित की गई और बताई गई मात्राओं के अनुसार राज्यों में सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए आवंटन भी किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983-84, और 1984-85 में उड़ीसा राज्य को किए गए आवंटन (सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए किए गए आवंटन सहित) प्रेषण (सिंचाई और विद्युत परि योजनाओं के लिए किए गए प्रेषण सहित) के बारे में ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(हजार मी० टन में आंकड़े)

अवधि	राज्य को किया गया आवंटन (सिंचाई और विद्युत परि-योजनाओं के लिए किए गए आवंटन सहित)	प्रेषण	आवंटन में से किए गए प्रेषण का प्रतिशत
1982-83	559	359	64
1983-84	503	441	88
1984-85	469	324	69

(ख) और (ग) उड़ीसा को सीमेंट की पूर्ति करने वाले कारखानों पर लागू की बिजली की कटौती के कारण उत्पादन में कमी पूर्ण आवंटन करने के लिए उड़ीसा में स्थानीय कारखानों में कम उपलब्धता, लाने-ले जाने में परिवहन की कठिनाई जैसे विभिन्न कारकों के कारण आवंटन में से पूरा-पूरा प्रेषण न हो पाया। हीरा सीमेंट (बारगढ़) की लाइसेन्स क्षमता 4 लाख मी० टन प्रति वर्ष से बढ़-

कर 5.65 लाख मी० टन प्रतिवर्ष हो जाने के कारण, उड़ीसा में सीमेंट की स्थानीय उपलब्धता में वृद्धि हो जाने की संभावना है। इसके अलावा, समय-समय पर स्थिति की समीक्षा भी जाती है और उपयुक्त उपचारात्मक कारंवाई की जाती है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की दूसरी खान विस्तार परियोजना के लिये निविदा

***423. डा० वी० वेंकटेश**
श्री एच० जी० रामुलु } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० की दूसरी खान विस्तार परियोजना की कुल लागत का अन्तिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है;

(ख) क्या इसके लिए कोई विदेशी ऋण लिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पश्चिम जर्मनी की एक फाइनेंसिंग एजेंसी "के० एफ० डब्लू०", पश्चिम जर्मनी से उपकरण/सामान मंगाने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं पूरी करने की दृष्टि से वित्तीय सहायता देने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गई है।

बड़ौदा जिले (गुजरात) के आदिवासी क्षेत्र का औद्योगिकीकरण

***424. श्री अमर सिंह राठवा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में बड़ौदा जिले का आदिवासी क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र के आदिवासी लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए यहां कोई बड़ा उद्योग लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र का औद्योगिकीकरण करने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम):(क) गुजरात के बड़ौदा जिले को केन्द्रीय रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। उद्योग रहित जिलों सहित केन्द्रीय रूप से चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों के विकासार्थ केन्द्र सरकार ने योजनाएं घोषित की हैं।

मेसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड द्वारा स्कूटरों की बुकिंग के लिए एकत्रित की गई धनराशि का सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश

*425. **श्री सोमजी भाई डामर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर ने वेस्पा एक्स-ई स्कूटरों की बुकिंग पर आरंभिक जमा धनराशि के रूप में जनता से कितनी धनराशि एकत्रित की है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे मार्ग-निदेश जारी किए हैं कि दुपहिया स्कूटरों के निर्माताओं को वाहनों की बुकिंग के लिए जनता से प्राप्त प्रारम्भिक जमा राशि में से एक विशिष्ट राशि सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करनी होगी;

(ग) यदि हां, तो इस धनराशि का कितना प्रतिशत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है;

(घ) क्या यह सच है कि मेसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर ने एकत्र की गई प्रारम्भिक धनराशि में से अपेक्षित धनराशि सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश नहीं की है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है; और

(च) इस कम्पनी ने सरकार की प्रतिभूतियों में कुल कितनी राशि का निवेश किया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कम्पनी को आरम्भ में प्राप्त 115 करोड़ रुपये की राशि में से 31 अक्तूबर, 1985 को इसके पास 93.77 करोड़ रुपये की राशि शेष थी।

(ख) मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह निर्दिष्ट है कि ली गई जमाराशियों का कम से कम 50 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंकों/सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया और एच० डी० एफ० सी० में जमा किया जाना चाहिए।

(ग) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किए जाने के संबंध में कोई शर्त नहीं है।

(घ) कम्पनी ने इस बात की पुष्टि की है कि वह मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन कर रही है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि तथा उद्योग में उपयोग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता

*426. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि, उद्योग आदि में उपयोग के लिए ऊर्जा की अपेक्षित मात्रा के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा के बारे में भी कोई अध्ययन किया है;

(ग) क्या राज्यों में ऊर्जा की अत्यन्त कमी है;

(घ) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यक्रम तथा योजनाएं बनाई जा रही हैं और क्या प्रबंध किए गए हैं; और

(ङ) इन योजनाओं को अब तक किस हद तक कार्यान्वित किया गया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां। अप्रैल से नवम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान देश में ऊर्जा की कुल उपलब्धता लगभग 102 मिलियन यूनिट थी, जबकि इसकी तुलना में कुल अनुमानित आवश्यकता लगभग 112 मिलियन यूनिट थी।

(ग) अप्रैल से नवम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान विद्युत की कुल कमी लगभग 8.4 प्रतिशत थी।

(घ) और (ङ) विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सातवीं योजना में 34,273 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 22,245 मेगावाट नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने और मौजूद क्षमता के समुपयोजन में सुधार किए जाने का प्रस्ताव है। पारेषण और वितरण हानियों को कम करने तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान अब तक 1442 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई गई है। कोयले पर आधारित यूनिटों के संयंत्र भार अनुपात में सुधार लाने के लिए अनेक उपाए शुरू किए गए हैं। अप्रैल से नवम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 50.3 प्रतिशत था, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 45.9 प्रतिशत था।

खादी ग्रामोद्योग आयोग की निधियों का दुरुपयोग

*427. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 नवम्बर, 1985 के "इंडियन एक्सप्रेस" मिस-एपरोप्रिएशन आफ के० वी० आई० सी० फण्ड्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग से विद्यावनम न्यास द्वारा लिया गया 50 लाख रुपये के ऋण और राजसहायता का दुरुपयोग किया गया तथा यह राशि अन्य कार्य पर लगा दी गई; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और न्यास के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग विद्यावनम् पब्लिक ट्रस्ट को खादी और ग्रामो-

द्योग के विकास के लिए ऋण और अनुदान देता रहा है। 31-3-85 को विद्यावनम् ट्रस्ट को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ऋण के रूप में 41.48 लाख रुपये की अग्रिम राशि दी गई है। ट्रस्ट को 3.56 लाख रु० की राशि भी अनुदान के रूप में दी गई है। ट्रस्ट के कार्य संचालन और लेखों को देखने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए लेखा परीक्षा दल को धनराशियों के किसी भी दुरुपयोग का पता नहीं चला। तथापि, इसमें अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दिए गए ऋण के रूप में 41.48 लाख रु० की उक्त धनराशि में से 23 लाख रु०के ऋण विशेष रूप से जिन मदों के लिए मंजूर किए गए थे, उनसे अलग ही मदों के लिए प्रयुक्त की गई हैं, परन्तु फिर भी वह खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम की सूची में सूचीबद्ध खादी और ग्रामोद्योगों की मदों पर ही प्रयुक्त किए गए, और इस प्रकार यह ऋण अधिनियम के अधीन स्वीकृत किए गए क्रियाकलापों के लिए ही उपयोग में लाए गए।

पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए तंत्र

*428. श्री आई० रामा राय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम और इसके उप-उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए कोई तंत्र है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल विपणन कम्पनियों के अधिकारी पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों, एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा एस० के० ओ०/एल० डी० ओ० डीलरशिपों की नियमित आधार पर तथा अचानक निरीक्षण करते हैं। कम्पनियों के संयुक्त दल भी ऐसा निरीक्षण करते हैं तथा, जहां आवश्यक हो, परीक्षणों के लिए नमूने लिए जाते हैं। उपयुक्त मामलों में विपणन अनुशासन मार्गदर्शी निर्देशों के अधीन कार्रवाई की जाती है। मिलावट की जांच करने के उद्देश्य से राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों के अधिकारी भी निरीक्षण करते हैं।

[अनुवाद]

"6 ए० पी० ए० का आयात

4246. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान सरणीकरण एजेंसियों द्वारा "6 ए० पी० ए० के आयात के लिए क्रयादेशवार ऋण अवधि की क्या अनुमति प्राप्त की गई;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान "6 ए० पी० ए० के आयात में सरणीकरण एजेंसियों द्वारा, जहां बैंक प्रक्रियाओं के बिना इन क्रयादेशों के लिए सीधे ऋण प्राप्त किया गया था क्रयादेशवार कितनी राशि के बैंक कमीशन आदि की बचत की गई;

(ग) क्या इन बचतों को औषधियों और औषध इन्टरमीडिएट्स के मूल्यों में कमी करके यह लाभ उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सरणीकरण एजेंसी एस० टी० सी० द्वारा 6 ए० पी० ए० के निर्यात के लिए किये गये करारों में ऋण की अवधि 60 दिन से लेकर 120 दिनों तक की थी।

(ख) एस० टी० सी० ने सूचित किया है कि 6 ए० पी० ए० के आयात द्वारा बचत की गई बैंक कमीशन की राशि थोड़ी है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि औषध मूल्य नियंत्रण आदेशों के अन्तर्गत 6 ए० पी० ए० के संबंध में मूल्य निर्धारण योजना में 1230 रुपये प्रति किलोग्राम के पलड़ विक्रय मूल्य की परिकल्पना की गई है इस प्रकार एस० टी० सी० ने 6 ए० पी० ए० को इस मूल्य पर बेचा।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा चोरी-छिपे व्यापार

4247. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइफबाय साबुन की लगभग 190 करोड़ रुपये की बिक्री होती है;

(ख) क्या इसके निर्माता हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड वजन और 'टी० एफ० एम० तत्व' में कमी जैसे चोरी छिपे कार्यकलापों में लिप्त है;

(ग) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्युरो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की अपने उत्पादों के लिए मूल्य नीति पर नियन्त्रण रख सका है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार का क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1984 के दौरान लाइफबाय साबुन का एक्स-फैक्ट्री मूल्य लगभग 119 करोड़ रुपये था।

(ख) उद्योग मंत्रालय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि मै० हिन्दुस्तान लीवर लि० वजन और टी० एफ० एम० में कमी करने जैसी प्रथाओं में लिप्त रहा है।

(ग) हिन्दुस्तान लीवर लि० की मूल्य नीति के संबंध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० की मूल्य नीति पर नजर रखने के अधिपत्र के लिए विशेष कारणों के अभाव में, उस सम्बन्ध में कोई अध्ययन कार्य नहीं किया गया। इसलिए उचित उपायों को करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

अमरावती जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना

4248. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि महाराष्ट्र में अमरावती जिले को औद्योगिक रूप पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की बहुत लम्बे अर्से से मांग की जा रही है; और

(ख) क्या मेलघाट (आदिवासी क्षेत्र) को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक छितराव तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना की समीक्षा तथा संशोधन के लिए अन्तर्मन्त्रालीय समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देने की संभावना है।

अन्य बातों के साथ-साथ यह समिति मेलघाट को पिछड़ा हुआ घोषित किये जाने पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

पी० टी० ए० डी० एम० टी० मड्डल आफ ब्यूरोक्रेटिक मेकिंग शीर्षक समाचार

4249. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 नवम्बर, 1985 के टाइम्स आफ इंडिया में पी०टी०ए०डी०एम०टी० मड्डल आफ ब्यूरोक्रेटिक मेकिंग शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और पोलिएस्टर फिलामेंट धागे के निर्माण के लिए डाइ मेथाइल टेरेफैथलिक (डी० एम० टी०) के स्थान पर परिष्कृत टेरेफैथैलिक एसिड (पी०टी०ए०) के प्रयोग के लिए इसका आयात करने के घपले में किन फार्मों को लाभ हुआ है;

(ग) डी० एम० टी० के स्वदेशी उत्पादन पर इसका अन्ततः प्रभाव क्या पड़ेगा तथा घरेलू बाजार में इसकी भरमार हो जाएगी और इससे उपभोक्ताओं तथा पोलिएस्टर फिलामेंट धागे के मूल्य-ढांचे पर कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार का डी० एम० टी० के प्रयोग को प्रोत्साहन देने तथा पी० टी० ए० के आयात को बन्द करने, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) परिष्कृत टेरेपैथलिक एसिड (पी० टी० ए०) तथा डाईमेथाइल टेरेपैथलिक (डी० एम० टी०) पालिस्टर के उत्पादन के लिए वैकल्पिक कच्चे माल हैं। पोलिएस्टर एककों की पी० टी० ए० और डी० एम० टी० के आयात की अनुमति गुणदोष के आधार पर आयात नीति के अनुसार दी जाती है जिसमें इन कच्चे मालों के उपयोग के लिए उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है ताकि स्वदेशी डी० एम० टी० का यथासंभव अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जा सके ।

कोल इंडिया लिमिटेड का कार्यकरण

4250. श्री सोमनाथ रथ : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० के चेयरमैन ने यह स्वीकार किया है कि संगठन की कार्य-कुशलता में कमी आई है, जैसाकि 14 नवम्बर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ग) इसके लिए कौन सी बातें जिम्मेदार हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० का एक दशक पूरा होने के अवसर पर कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक ने कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को एक अपील के रूप में संबोधित किया। इस अपील में उन्होंने कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने तथा कंपनियों के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए कहा। इस अपील में उन्होंने कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए निर्धारित उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में उद्योग के वास्तविक निष्पादन की विभिन्न बातों का उल्लेख किया जिसमें इस संगठन में कम कार्य-क्षमता भी शामिल हैं। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर एक पत्रकार सम्मेलन को भी सम्बोधित किया। समाचार-पत्रों ने इस पत्रकार सम्मेलन के समाचार आदि विभिन्न प्रकार से प्रकाशित किए ।

कोयला कंपनियों को एक सुदृढ़ वित्तीय आधार प्रदान करने के साथ-साथ आगामी वर्षों में कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पूर्णतया तैयार करने के विचार से उनमें उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। कोयला कंपनियों में उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं। जिनमें यह उपाय शामिल हैं : नई खानों में निवेश, पहले ही उपलब्ध खनन क्षमता का पूर्णतर उपयोग, उपकरणों का बेहतर इस्तेमाल

तथा रख रखाव, सामग्री सूची पर अधिक कड़ा नियन्त्रण और भंडार-सामग्री के उपयोग में किफायत, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण तथा अनुशासन लागू करके जनशक्ति का बेहतर इस्तेमाल और बेशी कामगारों का पता लगाकर उचित प्रशिक्षण के बाद उनका पुर्ननियोजन, विस्फोटक, इमारती लकड़ी आदि दुर्लभ उत्पादन-सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि, तीव्रतर संचलन तथा प्रणालीबद्ध वितरण द्वारा खान मुहाना स्टाकों में कमी, नई परियोजनाएं शीघ्रता से एवं समय पर पूरी करना तथा कानून एवं व्यवस्था में सुधार और बिहार-बंगाल कोयला क्षेत्रों में माफिया गिरोहों के क्रियाकलाप पर नियन्त्रण।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड द्वारा बोनस की अदायगी

4251. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद और सिकन्दराबाद क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोनस अदायगी की सीमा को 8.33 प्रतिशत की सांविधिक सीमा तक सीमित रखने और किसी भी मामले में 20 प्रतिशत को अधिक न होने के अनुदेश दिए गए हैं;

(ख) क्या इन अनुदेशों की दृष्टि से हिन्दुस्तान केबल्स को केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अनुसार अक्तूबर, 1985 में तालाबंदी की घोषणा करनी पड़ी;

(ग) क्या सरकार ने यह भी निर्देश दिये हैं कि यह उपक्रम उत्पादकता से जुड़े बोनस समझौते का पालन कर सकती है अथवा विकल्प के रूप में सांविधिक सीमा तक सीमित बोनस की अदायगी कर सकती है; और

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में मजदूरों में भारी असन्तोष उत्पन्न हो गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जो सरकारी उद्यम बोनस संदाय अधिनियम के विचार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें अपने कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बोनस अदा करना चाहिए। जो उद्यम बोनस संदाय अधिनियम के विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें भी अनुग्रह राशि अदा करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, मानो कि बोनस संदाय अधिनियम के उपबन्ध उन पर लागू होते हों। हैदराबाद एवं सिकन्दराबाद स्थित उद्यमों को भी इन नीति-निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। बोनस अधिनियम के अधीन मजूरी/वेतन का न्यूनतम भुगतान 8.33 प्रतिशत तथा अधिकतम 20 प्रतिशत है।

(ख) हिन्दुस्तान केबल्स लि० के कर्मचारियों की यूनियनों ने 20 प्रतिशत की दर से अनुग्रह राशि मांगी थी, जबकि अनुग्रह राशि की प्रस्तावित दर 17.5 प्रतिशत थी। इसके कारण औद्योगिक अशान्ति उत्पन्न हुई। कम्पनी की सम्पत्ति की हिफाजत के लिए प्रबंधकों ने 17-10-85 को 6.11 बजे से तालाबन्दी घोषित कर दी थी। चूंकि यूनियनें अब वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए पूर्णतः अपनी वार्षिक मजूरी की 19 प्रतिशत दर से अनुग्रह राशि स्वीकार करने और अपनी मांग को अन्तिम रूप

से तय करने के लिए सहमत हो गई हैं, अतः उक्त तालाबन्दी 26-10-1985 से समाप्त कर दी गई है।

(ग) बोनस संदाय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धकों तथा कर्मकारों को यह विकल्प प्राप्त है कि वे या तो बोनस के रूप में संवितरण के लिए उपलब्ध विनिधान करने योग्य बचत पर आधारित बोनस स्वीकार करें या वे ऐसी योजना तैयार करने के लिए संयुक्त रूप से सहमत हो सकें जिसमें बोनस को उत्पादकता वृद्धि से जोड़ दिया जाता है। सरकार ने हिन्दुस्तान केबल्स लि० को उत्पादकता से जुड़ी हुई बोनस योजना लागू करने के लिए कोई विशेष अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

मारुति के अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य निर्धारण

4252. **डा० चिन्ता मोहन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 अक्तूबर, 1985 के "फाइनेन्सियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार मारुति के आयातित और स्वदेशी अतिरिक्त पुर्जों के मूल्यों में बहुत अधिक कमी हो गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार मारुति द्वारा और इसके भारतीय या विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं द्वारा अतिरिक्त पुर्जों के मूल्य निर्धारण में की गई स्पष्ट धोखा-धड़ी की जांच करने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड ने कुछ फालतू हिस्से पुर्जों की कीमतें कम कर दी हैं।

(ख) जी, नहीं। पहले की कीमतों का निर्धारण उस समय प्रचलित खरीद मूल्यों तथा अधिक वस्तु सूचियों के आधार पर दिया गया था। स्वदेशीकरण, बिक्री में बढ़ोत्तरी तथा कम खरीद मूल्यों के कारण हिस्से पुर्जों की कीमतें कम करना सम्भव हुआ है।

विदेशी ग्राहकों पर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड के दावे

4253. **श्री के० एस० राव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा विदेशों में शुरू की गई प्रत्येक परियोजना के मामले में विदेशी ग्राहकों द्वारा उस पर कितना जुर्माना किया गया और अब तक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ख) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड के विदेशी ग्राहकों पर कितने दावे थे और उनमें से अब तक कितनों का निपटारा हो गया है;

(ग) ईराक और कुवैत में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड को प्रत्येक परियोजना में कितना अस्थाई अथवा वास्तविक घाटा/लाभ हुआ है; और

(घ) होटल प्रोजेक्ट, जिसके बारे में अल्जीरिया के साथ बातचीत चल रही थी, के लिए आशयपत्र के रद्द होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) कम्पनी को 31-3-85 तक कुल लगभग 108 करोड़ रु० का संचित घाटा हुआ है। अन्य ब्यौरों का बताया जाना कम्पनी के वाणिज्यिक हित में नहीं समझा जाता है।

(घ) अल्जीरियाई सरकार जिसने ई० पी० आई० को होटल परियोजना पूरी करने के लिए आशय-पत्र जारी किया था, ने बाद में ठेके की कीमत कम करने के लिए कहा। ठेके की कीमत कम करने के लिए ई०पी०आई० सहमत नहीं हुआ। अतः आशयपत्र रद्द कर दिया गया था।

पांडिचेरी में व्यापारियों को ट्रक चेसिस बेचने की अनुमति

4254. **श्री पी० कन्नन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 से 1985 के दौरान पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में कुल कितने व्यापारियों को ट्रकों के चेसिस बेचने की अनुमति दी गई; और

(ख) वर्ष-वार, डीलर-वार और माडल-वार उन्होंने कितने चेसिस बेचे ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) ट्रक चेसिस बेचने के लिए डीलरों की नियुक्ति हेतु सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार सरकार डीलरवार बिक्री का ब्यौरा नहीं रखती है।

खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) संबंधी समिति की सिफारिश

4255. **श्री आर० एम० भोये** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त खाना बनाने की गैस (एल० पी० जी०) संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसका गठन करने के बारे में क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या उस समिति ने यह सिफारिश दी थी कि पेट्रोल पम्प के स्वामियों को स्टाकिस्टों तथा वितरकों के रूप में नियुक्त किया जाए;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है;

(ङ) क्या यह सच है कि यदि इस सिफारिश को कार्यान्वित कर दिया गया तो उन बेरोजगार युवकों पर, जिन्हें इस समय वितरक बनाने का विचार किया जा रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (च) 1984 में एल० पी० जी० के विपणन और वितरण के लिए वैकल्पिक माडलों को सुझाने के लिए एक तेल उद्योग के प्रतिनिधियों की समिति गठित की गई थी। इसका संगठन इस प्रकार हुआ था :—

1. श्री वी० लोबो, निदेशक　　　　—संयोजक
   तेल समन्वय समिति

2. श्री जे० एस० ओबराय, जी० एम०　　　　—सदस्य
   इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड

3. श्री जे० एस० किकेरी, जी० एम०　　　　—सदस्य
   हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

4. श्री के० एस० अनिरुद्ध सिंह जी, जी० एम०　　　　—सदस्य
   भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

सरकार को समिति की एक अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसकी अनुसंशाओं पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मीटर द्वारा अधिक टेलीफोन काल दिखाये जाने के बारे में शिकायतें

4256. **श्री बालकवि बैरागी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से अब तक सरकार को मध्य प्रदेश में भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच और जावरा से मीटर द्वारा अधिक टेलीफोन काल दिखाये जाने के बारे में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या एस० टी० डी० सेवा शुरू होने के पश्चात उक्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मीटर द्वारा अधिक टेलीफोन काल दिखाये जाने संबंधी अधिकांश शिकायतों का मुख्य कारण कर्मचारियों द्वारा टेलीफोनों का दुरुपयोग किया जाना और टेलीफोन एक्सचेंज का दोषपूर्ण रखरखाव है;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि मीटर द्वारा अधिक टेलीफोन काल दिखाये जाने के मामले कई वर्षों तक लम्बित रखे जाते हैं जिसके कारण न्यू मार्केट भोपाल के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) जानकारी संबंधित यूनिटों से मंगाई गई है तथा यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग

4257. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) ये औद्योगिक यूनिट कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ग) इन उद्योगों में से कितने उद्योगों ने वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर दिया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में खनिज पदार्थों पर आधारित निम्नलिखित औद्योगिक एकक स्थापित किए गए थे :—

(1) कलिंग सीमेंट बीरमित्रपुर, जिला सुन्दरगढ़—29,700 मी० टन सीमेंट की वार्षिक क्षमता;

(2) मैसर्स इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा बारबढ़, जिला साम्बलपुर—1,65,000 मी० टन सीमेंट की वार्षिक क्षमता (पर्याप्त विस्तार)

(3) मैसर्स नेशनल एलुमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नल्को) बॉक्साइट की खुदाई, एलुमिना के निर्माण और एलुमिनियम धातु और इससे सम्बद्ध छोटे उत्पादों के उत्पादन के लिए क्रमशः पंचपतमाली, दामनजोदी और आंगुल में स्थित हैं। इन परियोजनाओं की

क्षमताएं निम्न प्रकार है—खुदी हुई बॉक्साइट 24 लाख टी० पी० ए०, एलुमिना 8,00,000 टी० पी० ए०, और एलुमिनियम धातु 2,18,000 टी० पी० ए०। इनको चालू करने की अनुसूची बॉक्साइट खानों के लिए नवम्बर, 1985 एलुमिना प्लांट के लिए सितम्बर, 1986 और एलुमिनियम प्लांट के लिए दिसम्बर, 1986 बताई गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत/तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत किए गए। ये कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं :

	एकक का नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता (मी० टन)	निर्माण की वस्तु
1	2	3	4	5
1.	मै० आई०पी०आई०-एस० पी० सीमेंट कम्पनी लिमिटेड	कौरमुंडा जिला—सुन्दरगढ़	66,000	सीमेंट
2.	मै० इपीकोल, भुवनेश्वर	सुन्की जिला—कोरापुट	66,000	सीमेंट
3.	मै० आई०डी०सी० आफ उड़ीसा	बारगढ़, जिला—साम्बलपुर	4,35,000	सीमेंट
4.	मै० उत्कल एस्बेस्टोज	राजगंगापुर जिला सुन्दरगढ़	56,000	सीमेंट
5.	मै० उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन	उम्पेवल्ली जिला—कोरापुट	33,000	सीमेंट
6.	मै० अमरचंद सोरमा	जिला—बोलनगीर	33,000	सीमेंट
7.	मै० जी० एम० बी० सिरेमिक्स लिमिटेड	रायरंगपुर जिला—मयूरभंज	6,000	सेनीटरीवेयर
8.	मै० ललित कुमार मोदी	सरबल जिला—साम्बलपुर	6,000	सेनीटरीवेयर
9.	मै० ललित कुमार अग्रवाल	सरबल जिला—साम्बलपुर	1,800	सेनीटरीवेयर

सिक्किम में सीमेंट फैक्टरी की स्थापना

4258. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी
डा० जी० विजयरामाराव } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सिक्किम में कोयले की ढुलाई बहुत महंगी है;

(ख) क्या सिक्किम में सीमेंट की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार का विचार सिक्किम में सीमेंट की फैक्टरियां स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। चूंकि सिक्किम पर्वतीय राज्य है और सीमेंट को निकटतम रेलवे स्टेशन से सड़क द्वारा ले जाना होता है अतः तुलनात्मक दृष्टि से सीमेंट को लाना-ले जाना मैदानों की तुलना में महंगा पड़ता है। तथापि, लेवी सीमेंट को सिक्किम में सड़क द्वारा ले जाने के लिए भाड़ा पूल से सामान्य नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य दर से अधिक दर पर भाड़े की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाती है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पेपर मिलों को कच्चे माल की सप्लाई

4259. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के अनेक पेपर मिलों को पेपरों का निर्माण करने में कच्चे माल अर्थात् लकड़ी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों को कच्चे माल की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) देश में कागज की मिलें वन के कच्चे माल की कमी का सामना कर रही हैं। सेलुलोसिक कच्चे माल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए उद्योग को खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अन्तर्गत सीमा-शुल्क से मुक्त लुग्दी, लकड़ी के छीलन और रद्दी कागज के आयात की सुविधा दी जाती है। लकड़ी के लट्ठे को भी खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाया गया है और उस पर रियायती सीमा शुल्क लिया जाता है। उद्योग को उत्पादन संबंधी रियायतें देकर कृषि अपशिष्टों और रद्दी के उपयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। कृषि अपशिष्टों और रद्दी पर आधारित लिखाई, छपाई और लपेटने के कागज के उत्पादन को भी लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में उपग्रह संचार सुविधाएं

4260. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को उपग्रह संचार सुविधाएं देने के संबंध में सरकार का निर्णय क्या है; और

(ख) कितने नये केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित प्रदेशों के पोर्ट ब्लेयर और कार निकोबार में उपग्रह संचार सुविधाएं पहले से ही प्रदान की गई हैं और इन्हें अन्य स्थानों में भी प्रदान किया जा रहा है।

(ख) 1986-87 तक तीन नये स्टेशन स्थापित कर दिये जाएंगे।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति

4261. **श्री जगन्नाथ प्रसाद :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे उद्यमियों को पंजीकृत करने और उन्हें उद्योग चलाने हेतु पर्याप्त मात्रा में माल उपलब्ध कराने के लिए लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति के अन्तर्गत अब तक कितने छोटे उद्यमियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) लघु क्षेत्र में उद्यमी को एकक स्थापित करने के लिए आमतौर पर कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती। तथापि, उनके अपने हित में उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने एकक, सम्बन्धित राज्य उद्योग निदेशक के कार्यालय में पंजीकृत करवा लें ताकि वे लघु उद्योग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार से मिलने वाली कच्ची सामग्री सहित अन्य सुविधाओं और सहायता का लाभ उठा सकें।

देश में उत्पादित अधिकांश कच्चे माल पर से नियन्त्रण हटा लिया गया है और वे ये कच्चा माल सीधे उत्पादकों, उत्पादकों के स्टाकयार्डों, राज्य लघु उद्योग निगमों और खुले बाजार से ले सकते हैं तथा लागू आयात नीति के अनुसार आयात भी कर सकते हैं।

[अनुवाद]

रसायनों और कीटनाशी दवाइयों का आयात

4262. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रसायनों और कीटनाशी दवाइयों का उत्पादन लक्ष्य अधिष्ठापित क्षमता को ध्यान में रखते हुए पूरा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनका कितनी मात्रा में आयात किया गया और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(घ) इस संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) यद्यपि रसायन उद्योग के लिए समग्र रूप से कोई उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते तथापि योजना का उद्देश्य अनुमानित मांग तथा सम्भावित उत्पादन क्षमता के बीच के अन्तर का पता लगाना तथा इस अन्तर को दूर करने के लिए उपाय करना है । छठी पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक प्रमुख रसायनों की अधिकतर स्वदेशी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता का सृजन कर लिया गया है ।

वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान प्रमुख अकार्बनिक एवं कार्बनिक रसायनों का अभाव निम्न प्रकार हैं :—

(मात्रा मी० टनों में)

मद/रसायन	आयात 1980-81	आयात 1981-82
कार्बनिक रसायन :		
1. कास्टिक सोडा	42569	2
2. सोडा ऐश	116369	147633
3. कैल्सियम कार्बाइड	2642	1309
4. कार्बन ब्लैक	9314	18530

अकार्बनिक रसायन

1.	एसीटोन	1323	2066
2.	फेनोल	6422	7105
3.	मेथानोल	12381	38991
4.	एसिटिक एसिड	21	21
5.	एसिटिक एनहाइड्राइड	शून्य	शून्य

पश्चातवर्ती अवधि के सम्बन्ध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

दूर संचार में कम्प्यूटरीकरण

4263. **श्री अमल दत्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूर संचार के किन-किन क्षेत्रों में अब तक कंप्यूटरीकरण लागू किया जा चुका है;

(ख) कार्यकुशलता और कम श्रम शक्ति की आवश्यकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस समय किन-किन योजनाओं पर कंप्यूटर प्रणाली लागू की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) महानगरीय जिलों में दूरसंचार के निम्नलिखित क्षेत्रों का कम्प्यूटरीकरण किया गया।

(एक) टेलीफोन के बिल तैयार करना।

(दो) निर्देशिका संकलन और मुद्रण।

(तीन) दोष विश्लेषण

(ख) 1. कम्प्यूटरीकरण के परिणाम इस प्रकार हैं :

(एक) बिलों के सही और समय पर जारी करना तथा राजस्व के तेजी से वसूली।

(दो) टेलीफोन निर्देशिकाओं से मुद्रण के समय में कमी। निर्देशिकाओं में गलतियों में कमी।

(तीन) प्रबंधकों के लिए दोषों की जानकारी और आंकड़ों का समय पर उपलब्ध हो जाना।

2. कम्प्यूटरीकरण के फलस्वरूप मौजूदा कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है।

(ग) (i) अगले वर्ष 4 महानगरीय जिलों में इन हाउस कम्प्यूटर स्थापित कर दिए जाएंगे। इन हाउस कम्प्यूटर पर निम्नलिखित कार्य दिए जाएंगे :

1. टेलीफोन निर्देशिका पूछताछ
2. दोष विश्लेषण और नियंत्रण
3. निर्देशिका संकलन और मुद्रण
4. टेलीफोन के बिल बनाना
5. केबिल और वाणिज्य रिकार्ड रखना
6. सामान सूची नियंत्रण
7. नेटवर्क योजना

(ii) लखनऊ और हैदराबाद में निर्देशिका पूछताछ सेवा का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। इसके कारण निर्देशिका पूछताछ कालों का उत्तर देने के लिए आपरेटरों को सही और अद्यतन जानकारी मिल जाती है।

(iii) अहमदाबाद और बैंगलूर में हाल ही में कम्प्यूटर द्वारा बिल बनाने की प्रणाली अपनाई गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी के पदों में बदलना

4264. **श्री बनवारी लाल बैरवा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नई भर्ती करने और नए पदों के सृजन करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है फिर भी दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में अनेक खाली पदों को भरा है;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी के पदों में बदला गया है; और

(ग) वहां ऐसा कितनी बार किया गया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार उन्होंने या तो सरकार के अनुमोदन से अथवा उनके लिए सरकार का अनुमोदन

प्राप्त हो जाने की उम्मीद पर, सार्वजनिक हित में, कुछ रिक्त पदों को भर लिया है। कुछ मामलों में ऐसा विकलांग व्यक्तियों को/दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने के लिए किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) भाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मूल्य निर्धारण के बिना परौक्सीवोन कैप्सूल की बिक्री

4265. **श्री शांति धारीवाल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि परौक्सीवोन कैप्सूल जो मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत आता है मूल्य निर्धारण के बिना अति अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह उत्पादन कब से मूल्य निर्धारण के बिना बेचा जा रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान इस उत्पाद की वर्षवार कितनी बिक्री हुई है;

(ग) अभी तक इसकी कीमत निर्धारित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इसकी कीमत कब निर्धारित की जाएगी; और

(ङ) क्या यह सच है कि मूल्य निर्धारण में विलम्ब के कारण उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ है?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) प्राक्सीवेन कैप्सूलों के उत्पादकों ने 50 लाख रु० की कुल बिक्री की सीमा पार करने पर मूल्य अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है।

(ख) से (ङ) उत्पादकों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए हैं और कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

सीधी डायल सेवा द्वारा जिला मुख्यालयों को संबंधित राज्यों की राजधानियों से जोड़ना

4266. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर-संचार बोर्ड ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला मुख्यालयों को संबंधित राज्यों की राजधानियों तथा केन्द्र की राजधानी के साथ सीधी डायल सेवा द्वारा जोड़ने के लिए कार्यक्रम को तेज करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और क्या किन्हीं राज्यों/क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

(घ) कितने जिला मुख्यालयों को सीधी डायल सेवा से संबंधित राज्यों की राजधानियों और दिल्ली से जोड़ा गया है और उनकी प्रतिशतता क्या है तथा प्रत्येक राज्य का पृथक ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विभाग ने सभी जिला मुख्यालयों को उनके राज्यों की राजधानियों के साथ एस०टी०डी० द्वारा जोड़ने के कार्यक्रम में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेजी लाने का निर्णय लिया है। जहां तक जिला मुख्यालयों को एस०टी०डी० द्वारा दिल्ली के साथ जोड़ने का प्रश्न है, यह कार्य उत्तरोत्तर रूप में किया जाएगा।

(ख) और (ग) निम्नलिखित तरीकों से एस०टी०डी० सुविधा प्रदान की जा रही है :—

(i) उस स्थान पर उचित टाइप के स्वचल एक्सचेंज की संस्थापना।

(ii) मल्टीप्लेक्सिंग उपस्कर सहित विश्वसनीय संचारण माध्यम की संस्थापना।

(iii) नए ट्रंक स्वचल एक्सचेंज स्थापित करना तथा मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार।

(iv) स्थानीय एक्सचेंजों में योजक उपस्कर की स्थापना।

किसी भी राज्य/क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी गई है।

(घ) जिन जिला मुख्यालयों को एस०टी०डी० द्वारा राज्य की राजधानियों तथा दिल्ली से जोड़ा गया है उनकी संख्या तथा प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31-3-85 तक जिन जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानियों तथा दिल्ली से जोड़ा गया है उनकी संख्या तथा प्रतिशतता

राज्य	राज्य में जिला मुख्यालयों की संख्या	राज्य की राजधानियों के साथ एस०टी०डी० द्वारा जुड़े हुए जिला मुख्यालयों की संख्या	राज्य की राजधानियों के साथ एस०टी०डी० से जुड़े जिला मुख्यालयों की प्रतिशतता	दिल्ली के साथ एस०टी०डी० से जुड़े जिला मुख्यालय	दिल्ली के साथ एस०टी०डी० से जुड़े जिला मुख्यालयों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	23	20	86.56	20	86.56
असम	17	1	5.86	1	5.86

1	2	3	4	5	6
बिहार	38	11	28.55	11	28.55
गुजरात	19	9	47.37	9	47.37
जम्मू व कश्मीर	14	5	35.71	2	14.29
केरल	14	11	78.57	11	78.57
कर्नाटक	19	13	68.42	13	68.42
हरियाणा	12	6	50.00	8	66.67
हिमाचल प्रदेश	12	2	16.67	1	8.33
मध्य प्रदेश	45	11	24·44	9	20.00
मणिपुर	6	—	—	—	—
मेघालय	5	1	20.00	1	20.00
महाराष्ट्र	30	15	50.00	14	46.67
नागालैंड	7	1	14.29	1	14.29
उड़ीसा	13	1	7.65	1	7.65
पंजाब	12	7	58.33	7	58.33
राजस्थान	27	6	22.22	7	25.53
तमिलनाडु	18	14	77.78	14	77.78
त्रिपुरा	3	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	16	11	68.75	10	62.50
सिक्किम	4	1	25.00	1	25.00
उत्तर प्रदेश	57	19	33.33	24	42.10

टिप्पणी : हरियाणा, पंजाब और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों की राजधानियां जिला मुख्यालय भी हैं और उपर्युक्त सूची में शामिल की गई हैं।

राष्ट्रीय बचत पत्र की बिक्री के लिये चैक द्वारा अदायगी

4267. श्री सरफराज अहमद : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचतपत्रों और अन्य सुरक्षापत्रों को बेचने वाले डाकघरों को ऐसे आदेश दिए गए हैं कि उनको एक निर्धारित सीमा के पश्चात् चैक द्वारा भुगतान स्वीकार करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो जी०पी०ओ० पार्लियामेंट स्ट्रीट और विशेष रूप से मार्किट रोड डाकघर, कृष्णानगर मुख्य डाकघर और सामान्यत: अन्य डाकघरों से दस हजार से पचास हजार तक की राशि के सुरक्षापत्र व्यक्तिगत नाम पर किन परिस्थितियों में और कैसे जारी किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्धारित सीमा से अधिक नकद धनराशि लेने पर संबंधित क्लर्क, पर्यवेक्षक और प्रभारी अधिकारी को दण्डित करने हेतु सभी डाकघरों को आदेश जारी करने का है; और

(घ) यदि इस बारे में पहले से ही आदेश हों तो इनका पालन न किए जाने के क्या कारण हैं और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मुनीराबाद, जिला रायचुर (कर्नाटक) में स्थित तुंगभद्रा पल्प एण्ड बोर्ड मिल्स लिमिटेड

4268. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला रायचुर, कर्नाटक में मुनीराबाद में स्थित तुंगभद्रा पल्प एण्ड बोर्ड मिल्स लिमिटेड की लाइसेंस क्षमता कितनी है;

(ख) उक्त कम्पनी ने वाणिज्यिक उत्पादन कब से आरम्भ किया; और

(ग) उस मिल में कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 9,000 मी० टन प्रतिवर्ष लुग्दी और 9,000 मी० टन प्रतिवर्ष स्ट्रा बोर्ड।

(ख) 1965

(ग) 227 में से 205

पश्चिमी बंगाल के जिलों/मुख्यालयों में सीधी ट्रंक डायल सेवा

4269. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कितने जिला मुख्यालय इस समय राष्ट्रीय नेटवर्क में सीधे ट्रंक डायल से नहीं जुड़े हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल के सभी जिला मुख्यालयों को सीधो ट्रंक डायल सेवा द्वारा जोड़ने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के 16 जिला मुख्यालयों में से फिलहाल 5 जिला मुख्यालय राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ एस०टी०डी० से नहीं जुड़े हैं।

1. बांकुरा

2. बेहरामपुर (मुर्शिदाबाद)

3. बलूरघाट (पश्चिम दिनाजपुर)

4. जलपाइगुडी

5. पुरुलिया

(ग) जी, हां।

(घ) बांकुरा, बेहरामपुर एवं जलपाइगुडी के स्थानीय एक्सचेंजों को स्वचल बनाने तथा बांकुरा, बलूरघाट एवं पुरुलिया को ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों के साथ जोड़ने के लिए विश्वसनीय संचारण माध्यम प्रदान करने की योजना है। एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के लिए बेहरामपुर को कलकत्ता टी० ए० एक्स० के साथ बांकुरा और पुरुलिया को आसनसोल टी० ए० एक्स० के साथ तथा जलपाइगुड़ी एवं बलूरघाट को सिलीगुड़ी टी०ए०एक्स० के साथ जोड़ने की योजना है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बल्क औषधियों के मूल्य का निर्धारण

4270. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु एकक एम्पीसिलियन ड्राइहाइड्रेट एमोक्सीसाइक्लिन क्लोरम-फेनीकाल, सल्फामेथोक्साजोल आदि को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर बेच रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन बल्क औषधियों का अधिक मूल्य निर्धारित करने के क्या कारण हैं और उपभोक्ताओं को ये औषधियां वास्तविक मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ;

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) सरकार द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन निर्धारित मूल्य अधिकतम बिक्री मूल्य है और निर्माता, सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्यों तक बल्क औषधों की बिक्री करने के लिये स्वतंत्र है।

(ख) बल्क औषधों के मूल्य की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है और उनमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

कोमिसीन-एस सीरप और टेबलेटों की कमी

4271. **डा० गुलाम याजदानी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाजार में कोमिसीन-एस सीरप और टेबलेट उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) इन औषधियों की उपलब्धता के क्या कारण हैं और वे कब तक उपलब्ध हो जाएगी ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) कोमाइसिन-एस सीरप अथवा कोमाइसिन गोलियों की कमी की कोई शिकायत इस मन्त्रालय में प्राप्त नहीं हुई है। इन औषधों के निर्माता मै० ग्लैक्सो लेबोरेटरीज ने कोमाइसिन-एस सीरप की पर्याप्त उपलब्धता सूचित की है। कोमाइसिन गोलियों के सम्बन्ध में निर्माता ने सूचित किया है कि कम मांग होने के कारण उनका उत्पादन अस्थाई रूप से बन्द हो गया है। अन्य विकल्प तत्काल उपलब्ध हैं।

सातवीं योजना में मिट्टी के तेल का उत्पादन, आवश्यकता, और आयात

4272. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मिट्टी के तेल की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) देश में मिट्टी के तेल का वार्षिक उत्पादन कितना होता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मांग को पूरा करने के लिए कितना मिट्टी का तेल आयात किया गया तथा उसका मूल्य कितना है;

(घ) मिट्टी का तेल किस देश से आयात किया जा रहा है; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मिट्टी के तेल की मांग पूरी करने तथा विदेशी मुद्रा की बचत के लिए देश में मिट्टी के तेल का उत्पादन करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान 6.69 मि० मी० टन मिट्टी के तेल की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान 4.16 मि०मी० टन मिट्टी के तेल का स्वदेशी उत्पादन होने का अनुमान है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयात किये गये मिट्टी के तेल की मात्रा और उसकी लागत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा मि०मी० टनों में	लागत (रुपए/करोड़)
1982-83	1.9	595.89
1983-84	2.0	603.64
1984-85	2.6	844.77

(घ) वर्तमान में सोवियत संघ के साथ आवधिक करार के अधीन तथा कुछ देशों में मौके पर खरीद के द्वारा मिट्टी के तेल का आयात किया जा रहा है।

(ङ) सातवीं योजना के दौरान देश में मिट्टी के तेल के उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके आयात में विदेशी मुद्रा की बचत के लिए उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) देश में शोधन क्षमता में वृद्धि की गई है और इसमें और अधिक वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(2) कुछ तेल शोधक कारखानों में एफ०सी०सी० यूनिटें स्थापित की गई हैं तथा मिट्टी के तेल सहित मध्य आसुतों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त गौण संसाधन सुविधाएं भी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(3) मिट्टी के तेल के उपभोग को रोकने के लिए ताप-क्षम मिट्टी के तेल के स्टोवों तथा कुछ

वैकल्पिक ईंधनों जैसेकि बायोगैस, साफ्ट-कोक आदि को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

4273. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न बिजली घरों की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) बिजली घरों द्वारा वास्तव में कितनी बिजली पैदा की जा रही है;

(ग) क्या उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार बिजली पैदा करने के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार ने उन्हें निदेश जारी किए हैं अथवा सलाह दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) केन्द्रवार विद्युत उत्पादन क्षमता और अप्रैल-नवम्बर, 1985 के दौरान का विद्युत उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों और बिजली बोर्डों के साथ पारस्परिक संबंध बनाए रखना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य बिजली बोर्डों से वर्तमान ताप विद्युत क्षमता का इष्टतम समुपयोजन करने के लिए उपाय करने हेतु समय-समय पर अनुरोध किया गया है। ताप विद्युत उत्पादन और ताप विद्युत के कार्य निष्पादन में सुधार करने की आवश्यकता पर हाल ही में 3 और 4 नवम्बर, 1985 को हुए राज्य विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में भी जोर दिया गया था। ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों से विभिन्न उपाय करने के लिए अनुरोध किया गया है जिसमें नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम संबंधी कार्य करना, विद्युत केन्द्रों की प्रचालन और अनुरक्षण पद्धतियों में सुधार करना, प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और आधुनिक प्रबन्ध पद्धतियों को अपनाना शामिल है। किए गए विभिन्न उपायों से अप्रैल-नवम्बर, 1985 के दौरान संयंत्र भार अनुपात सुधर कर 50.3 प्रतिशत हो गया। जबकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 45.9 प्रतिशत था।

विवरण

ताप विद्युत, न्यूक्लीय और जल विद्युत केन्द्रों की केन्द्रवार क्षमता और विद्युत उत्पादन (मेगावाट आवर)

राज्य	केन्द्र	क्षमता (मेगावाट) (30-11-1985 की स्थिति के अनुसार)	विद्युत उत्पादक (मेगावाट आवर) (अप्रैल-नवम्बर, 85)
1	2	3	4
भा० ब्या० प्र० बोर्ड	जल विद्युत		
	भाखड़ा नांगल	1049	3927
	देहर	990	2623
	पोंग	360	882
दिल्ली	ताप विद्युत		
	बदरपुर	720	1667
	इ० प्रस्थ स्टेशन	282.5	998
	राजघाट	14.0	15
जम्मू व कश्मीर	ताप विद्युत		
	कालाकोटे	22.5	0
	जल विद्युत		
	लोअर झेलम	105.5	414
	लघु केन्द्र	69.0	221
हिमाचल प्रदेश	जल विद्युत		
	बस्सी	60.0	256
	गिरी बाटो	60.0	190
	बिनवा	60.0	24
	बेरा सियूल	180.0	526
हरियाणा	ताप विद्युत		
	फरीदाबाद विस्तार	180	231
	पानीपत	330	469
	अन्य	15	31

1	2	3	4
राजस्थान	ताप विद्युत		
	कोटा	220	698
	न्यूक्लीय		
	आर०ए०पी०एस०	440	828
	जल विद्युत		
	राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर	172	517
पंजाब	ताप विद्युत		
	भटिण्डा	440	1520
	रोपड़	420	1306
	जल विद्युत		
	यू०बी०डी०सी०	45	206
	शानाह	110	462
	आनन्दपुर साहिब	134	285
	मकेरिया	45	127
उत्तर प्रदेश	ताप विद्युत		
	ओबरा	1550	2985
	पंकी	284	556
	हरदुआगंज "क"	90	123
	हरदुआगंज "ख" और "ग"	450	742
	आर०पी०एच० कानपुर	65	65
	परीछा	220	147
	अन्य (उ०प्र०)	33.5	52
	सिंगरौली	1050	3983

1	2	3	4
	जल विद्युत		
	रिहन्द + ओबरा	399	502
	माटाटीला	30	55
	कटेमा	41.4	177
	गंगा नहर	45.2	106
	रामगंगा	198	3
	यमुना चरण 1 और 4	114.8	444
	यमुना चरण 2	240	720
	चिला	144	644
	कोडरी	120	338
	मनेरीभाली	90	168
गुजरात	ताप विद्युत		
	धवारण	534	1690
	उकई	850	2073
	गांधीनगर	240	980
	यानकबोरी	630	1794
	उतराण	61	199
	गैस टरबाइन और अन्य	77	10
	ए०ई० कम्पनी	161	621
	साबरमती	220	818
	जल विद्युत		
	उकई	300	230
महाराष्ट्र	ताप विद्युत		
	नासिक	910	2998
	कोराडी	1100	2639
	खापरखेडा	90	145
	पारस	92.5	225
	भुसावल	482.5	1695

1	2	3	4
	पारली	480	1479
	चन्द्रपुर	630	976
	उरान (जी०टी०)	564	671
	अन्य	18	37
	ट्राम्बे	830	2525
	चोला	40	108
	न्यूक्लीय		
	तारापुर	320	1385
	जल विद्युत		
	कोइना	920	284.1
	वेतरणा	60	71
	मंठो	12	821
	टाटा	276	9.0
मध्य प्रदेश	ताप विद्युत		
	सतपुड़ा •	1142.5	329.5
	कोरबा-1	100	306
	कोरबा-2	200	572
	कोरबा-3	240	816
	अमरकंटक	300	1038
	कोरबा पश्चिमी	630	1047
	कोरबा स०पा०वि० केन्द्र	630	2641
	जल विद्युत		
	गांधी सागर	115	225
आंध्र प्रदेश	ताप विद्युत		
	कोठागुंडम "क"	240	705
	कोठागुंडम "ख"	220	417

1	2	3	4
	कोठागुंडम "ग"	220	591
	विजयवाड़ा	420	2130
	रामागुण्डम "ख"	62.5	325
	नैल्लोर	30	67
	अन्य	33	0
	रामागुण्डम	600	2126
	सु० ता० वि० के०		
	जल विद्युत		
	मच्छकुण्ड	114.7	515
	टी०बी० बांध	72	132
	अपर सिलेरू	120	169
	लोवर सिलेरू	400	523
	सिरिसलम+नागार्जुन	500	1476
	सागर दायां तट नहर		
	डोनकराई	25	23
	निमास सागर	10	10
	नागार्जुन सागर	710	1314
कर्नाटक	ताप विद्युत		
	रायचूर	210	33
	जल विद्युत		
	शरावती+जोग	1011	3105
	काली नदी	810	1345
	सुपा बांध	100	81
	बदरा	33.2	30
	लिंगनमकी	55	105
	शिवासमुद्रम	30	83
	शिमर्सेपुरा	16	89
	मुनीराबाद	87	60

1	2	3	4
केरल	जल विद्युत		
	इदुक्की	520	1507
	सबरीगिरी	300	1019
	कलगाडी	75	987
	सोलयार	54	
	सिंगुलम	48	
	निमाक्कोंगलम	45	
	पल्लीवासल	37.5	
	परिंगातकुटी	32	
	कुन्नियार	30	
तमिलनाडु	ताप विद्युत		
	इन्नौर	450	1338
	तुतिकोरिन	630	2173
	बेसिन ब्रिजज	70	22
	नेवेली	600	2499
	जल विद्युत		
	पिकारा	70	172
	मोयार	36	76
	कुण्डूर	535	680
	सुरिलिया	35	55
	अलियां	60	119
	मेथ बांध+टी०एल०एल०	240	205
	पेरियार	140	332
	पपरियासम	28	68
	सरकारपथी	30	72
	शोलायार	95	245
	कोडायार	100	143
	न्यूक्लीय		
	कलपक्कम	470	954

1	2	3	4
बिहार 8	ताप विद्युत		
	पतरातू	730	1754
	बरौनी	365	318
	मुजफ्फरपुर	110	17
	जल विद्युत		
	कोसी	20	10
	सुवर्ण रेखा	130	173
उड़ीसा	ताप विद्युत		
	तलचेर	470	857
	जल विद्युत		
	बालीमेला	360	517
	हीराकुण्ड 1 व 2	270	770
	रेंगाली	50	80
पश्चिम बंगाल	ताप विद्युत		
	बंडेल	530	1716
	संथोलडीह	480	756
	कोलाघाट	210	571
	गौरीपुर	28	28
	गैस टरबाइन	100	26
	डी०पी०एल०	390	406
	सी०ई०एस०सी०	559	1617
	जल विद्युत		
	पश्चिम बंगाल जल विद्युत	41	79
दा० घा० नि०	ताप विद्युत		
	चन्द्रपुर	780	2129
	दुर्गापुर	460	1243
	बोकारो	205	607

1	2	4	4
	जल विद्युत		
	मैन्थू	60	332
	पचेट	40	
	तिलैया	4	
सिक्किम	जल विद्युत		
	लोअर लैग्यप	12	18
असम	ताप विद्युत		
	चन्द्रपुर	30	79
	नामरूप	133.5	278
	बोंगईगांव	180	45
	गैस टरबाइन	66	132
मेघालय	जल विद्युत		
	किरडमकुल	60	722
	अमियां	54	
	उमतरा	11.2	
	खानडोंग	50	
	गुमते	15	

नालन्दा जिला, बिहार के लिए गैस की एजेन्सियों का आवंटन

4274. श्री विजय कुमार यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में खाना पकाने की गैस की एजेन्सियों की जिला-वार संख्या कितनी है और कितने उपभोक्ताओं के आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या नालन्दा जिले में खाना पकाने की गैस की एक ही एजेन्सी है;

(ग) क्या इस एजेन्सी के खिलाफ उपभोक्ताओं द्वारा कुछ शिकायतें की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की शिकायतें दूर करने हेतु उक्त जिले में खाना पकाने की एजेन्सियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जी हां। नालन्दा जिले के मात्र बिहार शरीफ में एक रसोई गैस का वितरक है।

(ग) प्रचालनात्मक कारणों से रिफिलों की सप्लाई में कुछ विलम्ब होने की शिकायतें मिली हैं। अब सप्लाई की स्थिति सामान्य है।

(घ) इंडियन आयल कारपोरेशन ने तीन वितरण-शिपों की योजना बनाई है, जिनमें से बिहारशरीफ के लिए एक का विज्ञापन दे दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	जिला	मौजूदा एल० पी० जी० वितरकों की संख्या	एल० पी० जी० कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची पर व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	औरंगाबाद	1	270
2.	बेगूसराय	2	1130
3.	भागलपुर	3	3154
4.	भोजपुर	3	1533
5.	छपरा	1	—
6.	देवघर	—	—
7.	दरभंगा	2	2349
8.	धनबाद	8	8483
9.	पूर्व चम्पारण	1	602
10.	गया	3	3031
11.	गुमला	—	—
12.	गिरिडीह	2	—
13.	गोपालगंज	1	450
14.	हजारीबाग	4	2729
15.	कटिहार	1	302

1	2	3	4
16.	खगड़िया	—	—
17.	लोहरदगा	—	—
18.	मुंगेर	2	2415
19.	मुजफ्फरपुर	3	2715
20.	मधुबनी	1	460
21.	नालन्दा	1	1296
22.	पलायूं	1	990
23.	पटना	7	20411
24.	पूर्णिया	1	902
25.	रांची	8	1373
26.	रोहतास	3	930
27.	समृबेगंज	—	—
28.	सहर्षा	1	975
29.	समस्तीपुर	1	800
30.	सिंहभूमि	8	1099
31.	संथाल परगना	2	1782
32.	सीवान	1	650
33.	सीतामढ़ी	1	1000
34.	सारन	1	1349
35.	वैशाली	1	—
36.	पश्चिम चंपारण	1	894

[अनुवाद]

मोदी उद्योग समूह की एक कम्पनी द्वारा क्षमता से अधिक उत्पादन

4275. श्री तम्पन थामस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोदी उद्योग समूह की एक कम्पनी द्वारा क्षमता से अधिक उत्पादन करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों से पूरी बातचीत कर ली थी; और

(ग) यदि हां, तो की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) यह समझा जाता है कि माननीय सदस्य मैसर्स मोदी पेन्ट्स एण्ड वार्निशीज वर्क्स, मोदीनगर जोकि पेंट, एनैमल और वार्निश एवम् अपने कैप्टिव प्रयोग के लिए पेंट और एनैमल के उत्पादन में सिंथेटिक रेजिन के उत्पादन में भी संलग्न हैं, नमक कम्पनी का उल्लेख कर रहे हैं।

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नियमों के अनुसार कंपनी को पेन्ट और एनैमल के उत्पादन में आवश्यक सिंथेटिक रेजिन के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कम्पनी के पास पहले से ही इन वस्तुओं के लिए लाइसेंस हैं।

भारत कोकिंग कोल लि० में ठेके पर कार्य करने वाले श्रमिक

4276. श्री बसुदेव आचार्य : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 सितम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि० की खानों में ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों की, उनके क्षेत्र-वार ब्यौरे सहित संख्या कितनी है;

(ख) भारत कोकिंग कोल लि० के परिपत्र के अनुसार उनको 21.16 रु० प्रतिदिन की दर से मजूरी दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो उनमें से कितने श्रमिकों को उस दर पर मजूरी दी जाती है;

(घ) क्या भारत कोकिंग कोल लि० ने मुख्य नियोक्ता होने के रूप में पिछले छः महीनों के दौरान किसी भी समय वसूली कानूनी अपेक्षा के अनुसार भुगतान की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हार्ड कोक के प्रयोक्ताओं के आवेदन

4277. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० पी०/बी० एच० हार्ड कोक के वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा कोयला लिंकेज के लिए 1978 के पश्चात् किए गए आवेदनों को कोल इंडिया लि० ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) कोल इंडिया लि० ही देश का एकमात्र हार्ड कोक उत्पादक नहीं है। हार्ड कोक के अन्य उत्पादक भी हैं जैसे—दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि० प्राइवेट कोकरियां, आदि। बी० पी०/बी० एच० हार्ड कोक के उपभोक्ताओं से कोल इंडिया लि० को 1978 के बाद संयुजन के लिए जो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए उनमें से अक्तूबर, 1983 तक प्राप्त आवेदनों पर उपलब्धता के आधार पर कारंवाई कर दी गई है।

(ख) बी० पी० और बी० हाइव हार्ड कोक के नए उपभोक्ताओं का संयुजन 10-10-1983 से रोक दिया गया था क्योंकि कोल इंडिया लि० के पास उपलब्ध हार्ड कोक की तुलना में इसकी मांग बढ़ गई थी। फिर भी, कोल इंडिया लि० से हार्ड कोक का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है। जब हार्ड कोक की उपलब्धता में सुधार हो जाएगा तो नए उपभोक्ताओं का संयुजन किया जाएगा।

[अनुवाद]

केरल में दूरसंचार प्रणाली का विकास

4278. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले वर्ष केरल में दूरसंचार प्रणाली के विकास के संबंध में क्या प्रस्ताव है; और

(ख) उस वर्ष के लिए कुल परिव्यय क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आगामी वर्ष में केरल में दूरसंचार प्रणाली के विकास संबंधी प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(1) क्यूलान एक्सचेंज का 1200 लाइनों में, आलवी का 350 लाइनों में तथा पालघाट का 50 लाइनों में विस्तार किया जाएगा।

(2) विज़िनजाम, कन्यापुरम, इरिटी, सस्थामकोट्टाह, मायानाड, पुलपल्ली, किलीमानूर, याम्पाडी, कोडुवायूर, पूवाथूर, वारापूझा, मीनीमाला, अनचारकांडी, वलपाड, पिन्नाकानडू, पूवरानी, नाडापुरम तथा पुन्नयूरकुलम में 200 लाइनों वाले 18 स्वचल एक्सचेंज चालू किए जाएंगे।

(3) ओटापालम, कुन्नाकुलम, पाथानाम, चिट्टा, तिरूर, पारूर में 100 लाइनों का विस्तार किया जाएगा।

(4) 13 नए छोटे एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

(5) 50 छोटे एक्सचेंजों का विस्तार किया जाएगा।

(6) रतलाई एवं पालघाट में टैलेक्स एक्सचेंज खोले जाएंगे।

(7) कालीकट में 1000 लाइनों वाला ट्रंक स्वचल एक्सचेंज चालू किया जाएगा।

(8) मुवाध्थूपुझा और थोडूपूजा के बीच कोएकिसएल प्रणाली चालू की जाएगी।

(9) इडुक्की एवं मुनार के बीच 60 चैनल वाली माइक्रोवेव प्रणाली चालू की जाएगी।

(10) गंगनोर और इरिनजलकुडा के बीच केबिल कैरियर प्रणाली चालू की जाएगी।

(11) कोयम्बटूर एवं एर्णाकुलम के बीच 24 चैनल वाली बी० एफ० टी० प्रणाली स्थापित की जाएगी।

(ख) केरल के लिए वर्ष 1985-86 के लिए 15.09 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

विदेशी कम्पनियों के साथ खाद्य पदार्थों के सहयोग

4279. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य वस्तुओं के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग करने पर पुनर्विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़ी कम्पनियों द्वारा जीवन रक्षक औषधों का उत्पादन

4280. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में औषधों की बेहतर उपलब्धता के लिए अधिक औषधों के सम्बन्ध में विशेष रूप से मूल औषधों के सम्बन्ध में औषधों के उत्पादन को लाइसेंस मुक्त करने की योजना लागू करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या दवाइयां बनाने वाली बड़ी कम्पनियों के कुछ जीवन रक्षक औषधों का अनिवार्य रूप में उत्पादन करने के लिए कहा जाएगा ताकि रोगियों को दवाइयों की कमी का सामना न करना पड़े; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने नई औषध नीति के सम्बन्ध में अपने विचारों को अंतिम रूप नहीं दिया है। सरकार का यथा शीघ्र नई औषध नीति घोषित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

दिल्ली और झुंझुनु (राजस्थान) के बीच सीधे डायल प्रणाली की सुविधा

4281. **श्री मोहम्मद अयूब खान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा राजस्थान में झुंझुनू के बीच एस० टी० डी० प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एस० टी० डी० चालू करने की योजना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ताप विद्युत जेनरेटर्स की स्थापना

4282. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ताप विद्युत जेनरेटर स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या ताप विद्युत के प्रयोजन के लिए और ऊर्जा का प्रयोग करने से मितव्ययिता और उपादेयता के संबंध में सरकार ने कोई अध्ययन कराया है और कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अनुसन्धान एवं विकास के प्रयोजनों के लिए एक सौर तापीय विद्युत जनित्र आन्ध्र प्रदेश के एक गांव में स्थापना के अधीन है और दूसरे की उत्तर प्रदेश के एक गांव में योजना बनाई गई है। वृहत् सौर तापीय विद्युत इकाइयों की तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) तापीय प्रयोजनों के लिए सौर ऊर्जा के कुछ अनुप्रयोग पहले ही प्रचलन में हैं। इनमें सौर जल-तापन प्रणालियां, सौर काष्ठ भट्टियां, सौर फसल शुष्कक, सौर कुकर, सौर विलवणीकरण एकक आदि सम्मिलित हैं। यदि सभी लागतों पर विचार किया जाए तो कुछ अध्ययनों के अनुसार कम और मध्यम तापमान के लिए ये अनुप्रयोग किफायती हैं। इनसे अप्रदूषण के अतिरिक्त बहुत ही कम आवर्ती लागतों के लाभ भी हैं।

सोडा ऐश का वितरण

4283. श्री सुरेश कुरुप : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मै० टाटा कैमिकल्स लि० द्वारा देश में सोडा ऐश के उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत सोडा ऐश उत्पादित किया जाता है;

(ख) क्या इसके उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक भाग पश्चिम क्षेत्र को जा रहा है;

(ग) क्या अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं द्वारा सोडा ऐश के वितरण में क्षेत्रीय असमानता संबंधी शिकायतें की गई हैं; और

(घ) क्या सरकार सोडा ऐश के क्षेत्रीय वितरण में असमानता को कम करने के लिए कोई स्कीम तैयार नहीं कर रही है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सोडा ऐश की आपूर्ति की निगरानी पर उप समिति की अगस्त, 1985 में हुई बैठक में जिन मुद्दों पर विचार किया गया उनमें से एक मुद्दा पूर्वी क्षेत्र को सोडा ऐश की अपर्याप्त आपूर्ति था। वर्तमान में सभी क्षेत्रों में आपूर्ति की स्थिति सन्तोषप्रद है। सरकार सोडा ऐश के वितरण हेतु व्यापक मार्गदर्शन भी जारी कर चुकी है। सोडा ऐश पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ सोडा ऐश का वितरण भी शामिल है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में टांडा ताप परियोजना के लिए भूमि अर्जन के लिए भूमि मालिकों का मुआवजा

4284. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले में टांडा ताप परियोजना के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी भूमि का अर्जन किया गया है;

(ख) क्या उसी भू-स्वामियों को इस प्रकार अर्जन की गई भूमि का मुआवजा दे दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) मुआवजे की कितनी राशि अदा की जानी है तथा कितने व्यक्तियों को दी जानी है;

(ङ) क्या सरकार की परियोजना से प्रभावित किसानों/व्यक्तियों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने की नीति है;

(च) यदि हां, तो अब तक परियोजना में वर्ग-वार कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(छ) उनमें से कितने व्यक्ति प्रभावित परिवारों से सम्बन्धित हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारत द्वारा वियतनाम में तेल की खोज

4285. **श्री आनन्द सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री की हाल की वियतनाम यात्रा के दौरान हुए एक बड़े आर्थिक पेकेज समझौते के अंग के रूप में भारत ने वियतनाम के तटदूर क्षेत्र में तेल की खोज का दायित्व उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) दक्षिण वियतनाम के अपतटीय क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हाइड्रोकार्बनों की खोज के लिए सहयोग किये जाने की सम्भावना पर विचार करने के लिए वियतनाम तैयार हो गया है।

तेल उद्योग में सहयोग के बारे में सोवियत संघ के साथ समझौता

4286. **श्री मुरलीधर माने**
श्री प्रकाश बी० पाटिल } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-1990 की अवधि के लिए तेल उद्योग में सहयोग हेतु सोवियत संघ के साथ सितम्बर, 1984 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शेष अवधि के लिए कोई कार्यकरण योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। सोवियत संघ में 5 सितम्बर से 12 सितम्बर, 1984 को हुई आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारतीय-सोवियत अन्तरसरकारी आयोग के अन्तर्गत तेल उद्योग पर कार्यकारी दल की दूसरी बैठक में वर्ष 1985-1990 के लिए सहयोग के मुख्य क्षेत्रों के लिए एक कार्यकारी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस कार्यक्रम का कार्यान्वियन पहले ही आरम्भ हो चुका है। इसमें भूकम्पीय सर्वेक्षण, कूप लॉगिंग और भारत के कुछ तटीय थालों में खुदाई, कूओं पर वर्क-ओवर और उपचारी कार्य तेल उत्पादन की यन्त्रीकृत विधियां तैलाशय इंजीनियरी आरम्भ करना, ड्रिलिंग और उत्पादन उपकरणों की सप्लाई, भारत में सोवियत विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति और सोवियत संघ में भारतीय विशेषज्ञों का प्रशिक्षण शामिल है।

(घ) और (ङ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और यू० एस० एस० आर० की टैक्नोऐक्सपोर्ट के बीच हुए सामान्य करार के एक भाग के रूप में उत्तरवर्ती को भारत के दो तटीय (अर्थात् कम्भात और कावेरी थालों में) थालों में टर्नकी के आधार पर हाइड्रोकार्बनों का गहन और समेकित अन्वेषण करना होगा। इस परियोजना की कुल लागत की 70% लागत को सोवियत ऋण द्वारा पूरा किया जाएगा और इसे 1995 के अन्त तक तब समाप्त कर दिया जाएगा, यदि आपसी समझौते के आधार पर विशिष्ट रूप से इसकी अवधि बढ़ा न दी जाए।

केरल की अपेक्षित विद्युत की मांग

4287. प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री पी० ए० अन्टनी
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवी पंचवर्षीय योजना में केरल की अपेक्षित विद्युत की मांग और उत्पादन कितना है;

(ख) मांग और उत्पादन के अन्तर को किस प्रकार पूरा किया जाएगा;

(ग) क्या यह सच है कि केरल में विद्युत क्षेत्र में केन्द्र द्वारा अभी तक कोई पूंजी निवेष नहीं किया गया है;

(घ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में कोई विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 12वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति ने रिपोर्ट दी है कि केरल में सातवीं योजनावधि के अन्त में ऊर्जा की आवश्यकता और उपलब्धता का क्रमश: 8647 मिलियन यूनिट और 7157 मिलियन यूनिट का अनुमान लगाया गया था।

(ख) केरल में सातवीं योजनावधि के दौरान 530 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि की जाने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त केरल दक्षिणी क्षेत्र की केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का अपना हिस्सा प्राप्त करने का भी हकदार होगा।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं, समग्र क्षेत्र की विद्युत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थापित की जाती है।

(घ) इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड का किसी अन्य सरकारी उपक्रम में विलय

4288. **श्री अनादि चरण दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड का किसी अन्य सरकारी उपक्रम में विलय करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड के पुनर्गठन के कुछ प्रस्तावों के विस्तृत ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

कम्पनी सेक्रेटरी परीक्षा का माध्यम

4289. **श्री विरा महाता** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी सेक्रेटरी परीक्षा में प्रारम्भिक परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी अथवा हिन्दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कम्पनी सेक्रेटरी परीक्षा की इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार का विचार कम्पनी सेक्रेटरी परीक्षा की इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं का माध्यम कब तक हिन्दी करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया की प्रारम्भिक परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिन्दी दोनों हैं।

(ग) हां, श्रीमान् जी।

(घ) और (ङ) विद्यार्थियों को हिन्दी माध्यम से परीक्षाओं के लिए अध्ययन और तैयारी करने में समर्थ बनाने के लिए परीक्षकों की एक नामिका सूची बनाने और इंस्टीट्यूट के विभिन्न तकनीकी विषयों पर हिन्दी में पुस्तकों और अध्ययन की सामग्री का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रस्ताव है कि हिन्दी को क्रमशः 1986 और 1987 में मध्यवर्ती और अन्तिम परीक्षाओं में माध्यम के रूप में पुरःस्थापित किया जाये। उन विद्यार्थियों को जो हिन्दी में प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, मध्यवर्ती और अन्तिम परीक्षा हिन्दी में देने की अनुमति दी जायेगी।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशी सहयोग समझौते

4290. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोग समझौतों के लिए 2 अगस्त, 1985 को नये दिशा-निर्देश जारी किए गए थे;

(ख) क्या सरकार द्वारा 2 अगस्त, 1985 को विदेशी सहयोगों को दी गई मंजूरी पर नये दिशा निर्देश लागू होंगे अथवा पुराने;

(ग) उनके मन्त्रालय के पास स्पष्टीकरण सम्बन्धी ऐसे कितने मामले 2 अगस्त, 1985 को मंजूरी दी गयी/विचाराधीन है;

(घ) क्या उन्हें मालूम है कि स्पष्टीकरण के अभाव में अनेक कम्पनियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि विदेशी कम्पनियों को भुगतान करने की अन्तिम तिथि कुल मामलों में पहले ही समाप्त हो गई है और बकाया मामलों में समाप्त होने वाली है; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास के राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा 2 अगस्त, 1985 को जारी की गई विदेशी सहयोग की स्वीकृतियों पर पुराने दिशा निर्देश लागू होंगे।

(ग) से (ङ) इस मन्त्रालय के पास स्पष्टीकरण के अभाव में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

टेलीफोन के लिए निगम

4291. श्री एन० सौन्दरराजन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई और दिल्ली दोनों प्रमुख शहरों में सेवाओं में कुशलता बढ़ाने और अतिरिक्त संसाधन जुटाने की दृष्टि से बम्बई और दिल्ली टेलीफोन्स के लिए एक निगम बनाने की योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) मद्रास और कलकत्ता को इस योजना में शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में मद्रास और कलकत्ता को भी शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) केवल दो बड़ी महानगरीय टेलीफोन प्रणालियों को ही योजना में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र में तेल/गैस के लिए छिद्रण कार्य

4292. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में तट पर और दूर कितने स्थानों पर तेल/गैस के लिए छिद्रण कार्य चल रहे हैं;

(ख) क्या कार्य की गति में शिथिलता आई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) महाराष्ट्र में छिद्रण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) बम्बई के अपतट/बेसिन में 13 कुओं की खुदाई हो रही है; महाराष्ट्र तट पर कोई खुदाई नहीं हो रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) बम्बई अपतट में योजनानुसार खुदाई चल रही है।

महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन

4293. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी नीतियों का लक्ष्य युवा महिला उद्यमियों को सरकार द्वारा उपलब्ध किये गये लघु कारोबार विकास कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में हाथ बंटाने के लिए प्रोत्साहित करना है;

(ख) क्या सरकार का विचार महिलाओं के लिए विशेषकर सिक्किम जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में, समुचित जानकारी देने और मार्गदर्शन करने वाले केन्द्र आयोजित करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों में युवा उद्यमियों के सुगमता से प्रवेश को प्रोत्साहन देने के लिए शर्तों को अधिक उदार बनाने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) लघु उद्योग विकास संगठन 26 लघु उद्योग सेवा संस्थानों एवं 32 शाखा संस्थानों और अन्य संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं सहित लघु उद्योगपतियों के लाभ के लिए सम्पूर्ण देश में उद्यमियता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कुछ पाठ्यक्रमों का आयोजन केवल महिला उद्यमियों के लिए किया जाता है। राज्य सरकारें भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं।

केरल के पठानामथिट्टा जिले में डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

4295. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान केरल के पठानामथिट्टा जिले में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इन डाकघरों का दर्जा बढ़ाये जाने के बावजूद भी उनमें से कई डाकघरों में तार भेजने की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान केरल के पठानामथिट्टा जिले के किसी भी डाकघर का दर्जा नहीं बढ़ाया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

वक्फ विवादों का न्यायालय से बाहर निपटारा

4296. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने वक्फ सम्पत्ति के विवादों को न्यायालय से बाहर सुलझाने के लिए सभी मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या कारंवाई की गई है;

(ग) क्या उन्होंने भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के पत्र को ध्यान में रखते हुए तुरन्त कारंवाई करने के लिए राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को अनुस्मारक भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने क्या कारंवाई की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) जी हां, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने 1976 में दो पृथक् पत्र लिखे थे जिनमें से एक आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्य मन्त्रियों को और दूसरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों और दिल्ली के उप-राज्यपाल को लिखा गया था। इन पत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया था कि वे वक्फ सम्पत्ति पर राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों के प्रतिकूल कब्जे सम्बन्धी विवाद्यकों का प्रशासनिक आधार पर निपटारा कर लें क्योंकि सम्बद्ध विभागों के विरुद्ध वक्फ बोर्डों द्वारा विधिक कार्यवाहियां आरम्भ करना वांछनीय नहीं होगा। ऐसे मामलों में शीघ्र निपटारे के लिए निम्नलिखित तीन सुझाव दिए गए थे, अर्थात् :—

(i) जहां साध्य हो, वहां वक्फ सम्पत्ति खाली कर दी जाए और उसे सम्बद्ध वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाए;

(ii) जहां भूमि पर भारी लागत से भवन निर्माण कर दिया गया है और उसे खाली करना साध्य नहीं है वहां बाजार मूल्य का प्रपुंज प्रीमियम के रूप में भुगतान करने के पश्चात् राज्य सरकारें वक्फ बोर्डों के साथ स्थायी पट्टे कर लें;

(iii) इसके विकल्पस्वरूप राज्य सरकारें बोर्डों को भूमि का उचित बाजार मूल्य दे सकती हैं। इससे भूमि पर उनके अधिकारों का त्यजन हो जाएगा यदि वह भूमि उसके सीधे प्रबन्ध ग्रहण में है या वह भूमि सम्बद्ध मुतवल्लियों से उनकी सहमति से, आवश्यक त्यजन विलेख तैयार करके प्राप्त की गई है।

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के दो पत्रों के पश्चात् तत्कालीन वक्फ राज्य मन्त्री स्वर्गीय श्री शाहनवाज खान द्वारा सभी राज्य सरकारों के वक्फ मन्त्रियों को अर्द्ध सरकारी पत्र लिखे गए थे। तब से, समय-समय पर, राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे प्रशासनिक कार्रवाई करके विवाद ग्रस्त सम्पत्तियों के विवाद्यकों का निपटारा कर लिया जाए। अनेक राज्यों से जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और उड़ीसा से उत्तर प्राप्त हो गए हैं। सिक्किम, केरल, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्यों ने लिखा है कि उनकी राज्य सरकार के विभागों या स्थानीय निकायों के प्रतिकूल कब्जे के अधीन कोई वक्फ सम्पत्ति नहीं है। शेष राज्यों से भी इस विषय में अनुरोध किया जा रहा है।

दिल्ली में तथा इसके आसपास ताप बिजली संयंत्रों से पर्यावरण प्रदूषण

4297. श्री वाई० एस० महाजन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में तथा इसके आस-पास स्थित ताप बिजली के संयंत्रों से काफी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो इससे राजधानी तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के लिए भारी समस्या उत्पन्न हो जायेगी; और

(ध) यदि हां, तो सरकार ने ताप बिजली संयंत्रों से उड़ने वाली राख का कृषि उत्पादों, फलों तथा मनुष्यों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाये है या उठाये जाने का विचार है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र तथा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के लिए 'नवीकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीमें अनुमोदित की गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इन केन्द्रों के इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरंस में बढ़ोतरी/सुधार शामिल है। इन विद्युत केन्द्रों के कारण होने वाली प्रदूषण संबंधी समस्या इन स्कीमों के कार्यान्वियन के पश्चात दूर हो जायेगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में शेडों का निर्माण और आवंटन

4299. **श्री भरत सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास कालोनियों का निर्माण दिल्ली के विभिन्न भागों से उठाये गये गरीब लोगों के लिए किया गया था;

(ख) क्या इनमें से कुछ व्यक्ति छोटे उद्यमी हैं;

(ग) क्या सभी पुनर्वास कालोनियों में छोटे उद्योगों के लिए शेडों का निर्माण और आवंटन किया जा रहा है; और

(घ) शेडों के निर्माण और आवंटन के कार्य के कब तक समाप्त होने की संभावना है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से पुनर्वास कालोनियों में दो योजना स्कीमों के अंतर्गत औद्योगिक शेडों का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने 29 स्थानों पर अब तक ऐसे आवास का निर्माण किया है जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 4 स्थानों पर निर्माण कार्य पूरा किया है। 14 स्थानों पर निर्माण कार्य अभी चल रहा है। इस कार्य को स्वःरोजगार सोसाइटी को सौंपने का प्रस्ताव है जो कि निर्माणाधीन है। चूंकि यह एक चलती रहने वाली योजना है, अतः इसके पूरा होने की कोई तारीख निश्चित करना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

सिगरेट और शराब का उपभोग रोकना

4300. श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिगरेट और शराब के उपभोग और कैंसर और हृदय रोग जैसी प्रमुख घातक बीमारियों के बीच संबंध पता है;

(ख) यदि हां, तो सिगरेट और शराब का उपभोग रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या इस संबंध में सभी प्रकार के विज्ञापनों और निर्माण क्षमताओं और ब्रांडों पर रोक लगाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार इन उद्योगों के विकास को रोकने के लिए इनका राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है जैसा कि जापान और फिनलैंड में किया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) शराब और सिगरेट से संबंधित सभी विज्ञापनों पर पहले से ही प्रतिबन्ध लागू है, इसके साथ-साथ सिगरेट के पैकटों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी भी लिखी रहती है। शराब के लिए किसी नई क्षमता की भी अनुमति नहीं दी गई है ।

(घ) ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

वाटरवरी कम्पाऊन्ड, हाल-लोसेंजेज आदि की कीमतों में वृद्धि

4301. श्री विष्णु मोदी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों के दौरान वाटरवरी कम्पाऊंड हाललोसेंजज लिस्टशन, विम्सवपोरन, कम्पोज, स्टेपसिल्ज और ग्लूकोज की कीमतों में 100 प्रतिशत से 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) 1980 में प्रत्येक उत्पाद के प्रत्येक पैंक की क्या कीमत थी और 31 अक्तूबर, 1985 को क्या कीमत थी;

(ग) साधारण आदमी की दिन प्रतिदिन की आवश्यक औषधियों में इतनी अधिक वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि को रोकने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) निर्दिष्ट दवाइयां औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन मूल्य अनियंत्रित है और उत्पादक समय-समय पर मूल्यों को बदलने के लिए स्वतंत्र है। नीति के रूप में अपेक्षाकृत गैर आवश्यक फार्मूलेशनों का मूल्य नियंत्रण के अधीन नहीं रखा जाता।

विवरण

क्रमांक	उत्पाद	कंपनी का नाम	पैक साइज	को मूल्य		
				फार्मास्युटिकल गाइड के अनुसार 31-3-79 को	मूल्य सूची के अनुसार 1985	औसत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7
1.	वाटरवरी	वारनर	250 मिलि०	5.71	9.95	+ 74
	कम्पाउन्ड	हिन्दुस्तान	470 मिलि०	9.59	17.72	+ 85
2.	हाल्स लोजेन्ज	,, ,,	10 का	1.19	2.09	+ 75
			250 का	30.11	58.28	+ 93
3.	लिस्टरान	,, ,,	85 मिलि०	2.91	4.38	+ 50
	तरल		200 मिलि०	5.60	9.20	+ 64
			400 मिलि०	9.37	15.39	+ 64
4.	विक्स वेपोरब	रिचर्डसन	5 ग्राम	0.77	1.90x	+ 147
		हिन्दुस्तान	12 ग्राम	1.82	—	—
			19 ग्राम	2.65	6.30	+ 138
			25 ग्राम	4.45		—
			35 ग्राम	—	9.65x	—
			60 ग्राम	6.47	14.70x	+127
5.	कोलमपोज	रेनवेक्सी लेब्स	10 गोली का पत्ता	1.04	1.86	+ 79
			60 मिलि० सिरप	4.03	6.17	+ 53

1	2	3	4	5	6	7
6.	स्ट्रेपसिल	बूटस (आई०) लि०	10 जोल	1.36	2.12	+ 56
7.	ग्लुकोज	ग्लेक्सो लेब्स	(ग्लेक्सो डी	"ग्लुकोज डी		
			पाउडर 100 ग्राम	2.15	4.19	+ 95
			200 ग्राम	3.95	7.64x	+ 93
			400 ग्राम	7.12	14.46x	+ 103

x 1985 के

x भेषज निदेशिका, 1985 के अनुसार

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मूल्य निर्धारण के अंतरण पर रोक

4302. श्री हरि कृष्ण शास्त्री : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मूल्य निर्धारण अंतरण को रोकने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या प्रणाली अपनाई जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बल्क औषधों इण्टरमीडिएट्स और उपान्तिम औषधों (पेनल्टीमेट) का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से अधिक मूल्यों पर आयात किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जहां फार्मूलेशनों के मूल्य अवतरित लागत पर आधारित है, किसी कम्पनी विशेष द्वारा आयातों की वास्तविक अवतरित लागत की बनिस्पत औसत अवतरित लागत को हिसाब में लगाया जाता है।

(ख) ऐसी कोई घटना मेरे मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

टी० पी० ए० का आयात

4303. डा० बी० एल० शैलेश : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में तकनीकी विकास महानिदेशालय ने पोलिएस्टर रेशा यूनिटों को डी० एम० टी० के स्थान पर टी० पी० ए० का प्रयोग करने के लिए बाध्य करके अपनी नीति बदल दी है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर तकनीकी विकास महानिदेशालय ने टी०पी०ए० का आयात करने की तरजीह दी, जबकि टी०पी० ए० का आयातित मूल्य डी०एम० टी० से बहुत अधिक और टी० पी० ए० के आयात के लिए स्वीकृत किये गए कुछ आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के पेट्रो केमिकल्स यूनिट द्वारा निर्माण किए जाने वाले डी० एम० टी० के स्वदेशी उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या वह इस बात से अवगत है कि निजी क्षेत्र की मिलें उत्पादन शुल्क के लाभ अथवा आयातित देशों की कम लागत के लाभ को वास्तविक उपभोक्ताओं को देने में संकोच करती आई है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार टी० पी०ए० के और अधिक आयात, जो डी०एम० टी० के स्वदेशी उत्पादन की कीमत पर किया जा रहा है, पर प्रतिबन्ध लगाने और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। टी० पी० ए० और डी० एम० टी० दोनो सिंथेटिक फाइबर और यार्न का निर्माण करने के लिए वैकल्पिक कच्चा माल हैं तथा दोनों मदें आयात की सीमित स्वीकृत मदों में है। डी०जी० टी० डी० ने कुछ एककों को टी० पी० ए० के आयात की सिफारिश की हैं जो यह पता लगाने के बाद किया गया है वे टी० पी० ए० के वास्तविक उपभोक्ता हैं और उनके पास डी० एम० टी के इस्तेमाल की सुविधा नहीं है।

(ग) टी० पी० ए० का आयात सीमित किया गया है ताकि डी० एम० टी० के उत्पादन के लिए स्वदेशी क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

(घ) ये सूचना दी गई है कि पोलिएस्टर फाइबर उत्पादकों ने उत्पाद शुल्क में कमी का लाभ पोलिएस्टर फाइबर के उपभोक्ताओं को प्रदान कर दिया है।

(ङ) सरकार का टी० पी० ए० के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार का प्रयास यह सुनिनिश्चत करना है कि स्वदेशी एककों के द्वारा डी० एम० टी० के उत्पादन का पूर्णतः उपयोए किया जाए और टी० पी० ए० का आयात केवल उन्हीं एककों के लिए सीमित किया जाए जो टी० पी० ए० के वास्तविक उपयोगकर्ता हैं और उनके पास डी० एम० टी० के इस्तेमाल करने की सुविधा नहीं है।

दवाइयों के लिए दोहरी मूल्य नीति

4304. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दवाइयों के लिए भी दोहरी मूल्य नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या औचित्य है;

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने नई औषध नीति पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

ईस्टर्न इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा खाना पकाने की गैस की कम सप्लाई किए जाने के संबंध में शिकायत

4305. **श्री के० राममूर्ति** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने शिकायत की है कि भारतीय तेल निगम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा खाना पकाने की गैस की सप्लाई, सितम्बर, 1985 से निरन्तर आवश्यकता से 45 प्रतिशत कम की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कम सप्लाई के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एसोसिएशन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि सप्लाई की स्थिति न सुधरी तो खाना पकाने की गैस की सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी; और

(घ) भारतीय तेल निगम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा खाना पकाने की गैस सप्लाई की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) जबकि ईस्टर्न इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से कोई विशिष्ट लिखित रूप में शिकायत अथवा धमकी प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु अधिक वर्षा और बवण्डर के कारण उत्पन्न उत्पाद परिवहन की समस्या के कारण सितम्बर 1985 में पश्चिम बंगाल के बाजारों में एल० पी० जी० की सप्लाईज पर बुरा प्रभाव पड़ा था। बैकलाग के निपटान के लिए कोयाली, बोंगाईगांव और नागपुर के बाटलिंग संयंत्रों से सप्लाईज बढ़ाकर उपचारी कार्रवाई की गई थी।

[हिन्दी]

सिंगरौली से प्राप्त होने वाले कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करना

4306. **श्री सुभाष यादव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने सिंगरौली से कोयला प्राप्त करके कोयला पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अनेक प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या इस संबंध में पहला प्रस्ताव 1971 मे भेजा गया था और प्रत्येक बार इन प्रस्तावों को किसी न किसी कारण से अस्वीकार किया जाता रहा है;

(ग) क्या बांध, ताप विद्युत संयंत्र के सम्बन्ध में भी ऐसा ही प्रस्ताव हाल ही में भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सिंगरौली से कोयला प्राप्त करने के आधार पर मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव किए थे :—

	स्कीम का नाम तथा इसकी क्षमता	प्राप्त होने की तारीख
(1)	सिंगरौली (2 × 200 मेगावाट)	जून, 1974
(2)	विन्ध्याचल (2 × 500 मेगावाट	जनवरी, 1979
(3)	बंधेव (गुजरात और मध्य प्रदेश की सांझी परियोजना) (4 × 500 मेगावाट)	मई, 1981

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड की सिंगरौली और विन्ध्याचल स्कीमों पर, इस बात को ध्यान में रखते हुए, विचार नहीं किया गया था कि इन क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र में वृहत ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने की आयोजना थी ।

(ग) से (ङ) बंधेव ताप विद्युत स्कीम (4 × 500 मेगावाट) की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में संबंधित एजेंसियों के परामर्श से जांच की जा रही है, इसमें मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड भी शामिल है। एक यूनिट (500 मेगावाट) के लिए समयावधि 1994-95 के लिए कोयला लिंकेज का प्रावधान किया गया है। निवेश संबंधी निर्णय, सभी प्रकार के आवश्यक निवेशों और पर्यावरण विभाग कृषि मंत्रालय आदि से इस्तेमाल करने के लिए वन भूमि उपलब्ध हो जाने के लिए अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात ही लिए जा सकेंगे ।

[अनुवाद]

सातवीं योजना के दौरान औषधियों की मांग

4307. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लगभग 225 करोड़ रुपये मूल्य की बल्क औषधियों की मांग होगी;

(ख) देश में कितने मूल्य की औषधियों का उत्पादन किया जायेगा और कितने मूल्य की औषधियों का आयात किया जायेगा;

(ग) इन देशों के नाम क्या हैं जहां से औषधियों का आयात किया जायेगा;

(घ) कितनी मात्रा में और किस किस्म की जीवन रक्षक औषधियों का आयात किया जायेगा और देश में कितनी और किस किस्म की जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन किया जायेगा; और

(ङ) औषधियों का आयात कब तक बंद कर दिया जायेगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) औषधों और भेषजों पर सातवीं पंचवर्षीय योजना कार्यकारी दल द्वारा 1989-90 के दौरान 1033.4 करोड़ रुपये की बल्क औषधों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इसमें 225 करोड़ रुपये आयातित बल्क औषधों का सी० आई० एफ० मूल्य शामिल है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सम्भावित आयातों के स्रोत स्पष्ट रूप से दर्शाना कठिन है। देश में प्रयोग की जाने वाली औषधों की गुणवत्ता औषध और प्रशाधन अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुरूप होने चाहिये।

(ङ) चूंकि नई औषधों का प्रचलन वर्षानुवर्ष अधिकांशतः औद्योगिक रूप से विकसित देशों में किया जायेगा, अतः आयातों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता।

सीरे के मूल्य निर्धारित करने के मानदंड

4308. **श्री जी० भूपति** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीरे की विभिन्न श्रेणियों के मूल्य निर्धारित करने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं तथा सीरे के अलाभकारी मूल्य निर्धारित करने के क्या कारण हैं;

(ख) किन राज्यों में खाण्डसारी एककों द्वारा उत्पादित सीरे पर मूल्य नियंत्रण है और उसकी वसूली की जाती है तथा कुछ राज्यों में ऐसे नियंत्रण की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) खाण्डसारी एककों को घाटे से बचाने के लिए उन्हें किस प्रकार की राहत देने का प्रस्ताव है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) विभिन्न श्रेणियों के सीरे के मूल्य चीनी की मात्रा के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जिसे उपयुक्त आधार माना जाता है।

(ख) सीरे का वितरण और मूल्य, खांडसारी सीरे सहित, सीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के

अधीन नियंत्रित किए जाते हैं। खांडसारी सीरे के संबंध में यह आदेश आन्ध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु में पहली नवम्बर, 1975 से लागू हो गया है, क्योंकि इन राज्यों की सरकारों ने इस पर अपनी सहमति दी थी।

(ग) राज्य सरकारों से खांडसारी एककों की हानि के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

आरक्षित प्रशिक्षित पूल के उम्मीदवारों को नियमित पदों पर नियुक्ति

4309. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और दूरसंचार विभाग के आरक्षित प्रशिक्षित पूल के उन उम्मीदवारों की कितनी संख्या है, जिन्हें पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध के कारण अभी तक नियमित पदों पर नियुक्त नहीं किया गया है;

(ख) क्या डाक और दूरसंचार जैसे राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में पदों के सृजन पर भी इस प्रतिबन्ध को लागू करना आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा आरक्षित प्रशिक्षित पूल के उम्मीदवारों के साथ उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार करने और उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आरक्षित प्रशिक्षित पूल के लगभग 12,000 उम्मीदवार डाक विभाग तथा लगभग 7,000 उम्मीदवार दूरसंचार विभाग में हैं।

(ख) और (ग) डाक विभाग और दूरसंचार विभाग में प्रचालन कार्यालयों के समयमान लिपिकीय संवर्ग में उम्मीदवारों का आरक्षित प्रशिक्षित पूल तैयार करने की योजना इसलिए प्रारम्भ की गई है जिससे इन दोनों विभागों के प्रचालन कार्यालयों में व्यस्त समय/समय किसी विशेष समय में कार्य के बढ़ जाने, अनुपस्थिति आदि आकस्मिक स्थिति के दौरान कार्य पूरा किया जा सके। इन प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नियमित रिक्तियों के अन्तर्गत किया जाता है। आरक्षित प्रशिक्षित पूल में रखे गए उम्मीदवारों की भर्ती भविष्य में होने वाली उन संभावित रिक्तियों के अंतर्गत की जाती है जो सीधी भर्ती के लिए निर्धारित होता है। इनकी सेवाएं समय-समय पर निर्धारित मजदूरी की प्रति घंटे की दर पर उस समय तक ली जाती हैं जब तक उन्हें नियमित संवर्ग में नहीं खपा लिया जाता। चूंकि आरक्षित प्रशिक्षित पूल के उम्मीदवारों की भर्ती सीधी भर्ती के लिए भविष्य में होने वाली संभावित रिक्तियों के अंतर्गत की जाती है, अत: पाबन्दी के बने रहने के दौरान उन्हें नियमित रिक्तियों में खपाया नहीं जा सकता है। दोनों विभागों को इस पाबंदी में छूट नहीं दी गई है। आरक्षित प्रशिक्षित पूल के उम्मीदवारों को यह आश्वासन दिया गया है कि पाबंदी हटा दिए जाने के बाद तथा रिक्त पद उपलब्ध हो जाने पर उन्हें नियमित ग्रेड में खपाने के मामले पर विचार किया जाएगा।

व्हील सेटों की सड़क द्वारा ढुलाई

4311. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्हील सेटों की ढुलाई सामान्यतः सड़क द्वारा न करके रेल द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा भरतपुर (राजस्थान) से मोक्कामेह (बिहार) के लिए व्हील सेटों की ढुलाई सड़क द्वारा किन परिस्थितियों में की गई;

(ग) क्या इस कार्य के लिए रेलवे द्वारा 1,15,000 रुपये की अनुमानित लागत की तुलना में ट्रांसपोर्ट एजेन्सी को 4,20,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था; और

(घ) क्या सरकार का इस मामले में कोई जांच करने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) व्हील सेट निःशुल्क सम्भरण वाली वस्तुएं हैं जिनका सम्भरण वैगन निर्माताओं को रेलवे द्वारा निःशुल्क किया जाता है। बन्दरगाहों से समय पर सम्भरण होने में देरी के कारण रेलवे ने भरतपुर से मोकामा को अन्तरण करके 300 व्हील सेटों का आवंटन किया और सड़क से ढुलाई करने का सुझाव भी दिया ताकि बराबर उत्पादन करने के लिए भारत वैगन एण्ड इंजी० कम्पनी लिमिटेड के व्हील सेटों की समय पर उपलब्धता का सुनिश्चय हो सके।

(ग) 308 व्हील सेटों की ढुलाई के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी और निम्नतम निविदा भरने वाले को ठेका दिया गया था। 401,250 रु० की राशि का भुगतान किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

बिहार में पलामू जिले में गढ़वा में उप डाकघर खोलना

4312. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पलामू जिले को पिछड़ा जिला घोषित किया गया है, जहां विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जानी है, जिसके लिए डाक और तार सेवाएं अत्यन्त आवश्यक हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि गढ़वा में जो इस जिले के अन्तर्गत एक सब-डिवीजन मुख्यालय है, लोगों को उप-डाकघर न होने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गढ़वा में उप-डाकघर खोलने के लिए तत्काल कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) गढ़वा में सार्वजनिक टेलीफोन घर सहित एक उप डाकघर पहले से ही कार्य कर रहा है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

परिवहन के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी

4313. **श्री आई० रामा राय :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेट्रोलियम और इसके उप-उत्पादों की उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक रेल और सड़क दोनों के द्वारा परिवहन के दौरान बड़े पैमाने पर होने वाली चोरी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस चोरी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जबकि सड़क और रेल द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के समय बड़े पैमाने पर चोरी होने का अनुभव नहीं हुआ है, फिर भी चोरी को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं, जो निम्न प्रकार है :—

(1) टैंक ट्रकों को मोहरबंद करने के लिए चोरी बंद सीलें लगाना आरम्भ करना।

(2) वे ब्रिजिस, फ्लों मीटर, कैलिब्रेशन (व्यासमापन) टावर्स की स्थापना करना जिससे टैंक ट्रकों के व्यासमापन की अचानक जांच पड़ताल की जा सके।

(3) पेट्रोलियम उत्पाद ले जाने वाले टैंक ट्रकों में डीलर के प्रतिनिधि को साथ जाने की अनुमति प्रदान करना।

(4) महत्वपूर्ण भागों में टैंक वैगन विशेष गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल द्वारा रक्षार्थ साथ जाना।

(5) आयल साइडिंग्स और मुख्य अहातों में जहां पी० ओ० एल० का विशेष रूप से रख-रखाव होता है, रेलवे सुरक्षा दल द्वारा कड़ी निगरानी रखना।

(6) पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी करने वाले अपराधियों का पता लगाने की दृष्टि से अपराध सम्बन्धी सूचना एकत्र करने के लिए सफेद कपड़ों में रेलवे सुरक्षा दल के कार्मिकों को लगाना।

(7) ऐसे भ्रष्टाचारों में लगे ठेकेदारों के विरुद्ध दण्डनीय कार्रवाई करना जिसमें उनका नाम काली सूची में डाल देना तक शामिल है।

महानदी तेल खोज परियोजना

4314. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानदी तेल खोज परियोजना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या ऑयल इण्डिया ने "टर्न की" आधार पर ठेका देने के मूल प्रस्ताव को त्याग दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस परियोजना के कार्यान्वयन के निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और इसके प्राक्कलन में पहले कितनी बार परिवर्तन किया गया है, तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) महानदी अपतट में अब तक 7 अन्वेषी कुएं खोदे जा चुके हैं। तटीय क्षेत्र में 3500 लाइन किलोमीटर तक भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया है। आंकड़ों की व्याख्या करने पर कई अनेक स्थानों को खुदाई के लिए चुना गया है।

(ख) से (च) शायद यह तटीय परियोजना से संबंधित है। मूलत: टर्न की अनुबंध प्रदान करने के बारे में आयल इंडिया लिमिटेड ने विचार किया था। फिर भी निविदाओं के बारे में पूछताछ के प्रत्युत्तर में और लागत विचारों के अभाव में यह निर्णय लिया गया है कि केवल खुदाई सेवाओं के लिए दे दिया जाय आरम्भ में वर्ष 1985-86 में 4 कुएं खोदने का प्रस्ताव था। संशोधन शिड्यूल में 1986 तक खुदाई आरम्भ होना निर्दिष्ट है। वर्ष 1986-87 में 6 कुएं तथा वर्ष 1987-88 में तीन कुओं के खोदने की संभावना है।

नौ कुओं के संशोधित कार्यक्रम पर 9.5 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। सातवीं

पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन के विभिन्न चरणों के दौरान इसके अनुमानों को समय-समय पर संशोधित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय विद्युत निगम की स्थापना

4315. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विद्युत निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निगम के बनाने पर केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से बिजली की सप्लाई सीमित करने का विचार है;

(घ) क्या अनेक राज्यों ने इस निगम की स्थापना का विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो वह राज्य कौन से हैं और उन्होंने क्या आपत्तियां की हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

गुजरात में जिला उद्योग केन्द्र

4316. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने जिला उद्योग केन्द्र हैं तथा वे किस-किस स्थान पर हैं;

(ख) इन केन्द्रों की स्थापना के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इन केन्द्रों की उपलब्धि क्या है;

(घ) उद्योगों की स्थापना के लिए क्या सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या 1985 और 1986 के दौरान गुजरात में कुछ और केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) गुजरात में 17 जिला उद्योग केन्द्र हैं और वे निम्नलिखित स्थापना स्थलों पर हैं :—

1. अहमदाबाद (जिसके अन्तर्गत गांधीनगर जिला भी है) 2. राजकोट, 3. जामनगर, 4. खेड़ा, 5. अमरेली, 6. बनासकण्ठा, 7. भड़ौच, 8. भावनगर, 9. जूनागढ़,

10. कच्छ, 11. मेहसाणा, 12. पंचमहल, 13. साबरकण्ठा, 14. सुरेन्द्र नगर, 15. वड़ोदरा, 16. सूरत और 17. वलसाड (जिसके अंतर्गत डांग जिला भी है)।

(ख) जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य लघु, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की सहायता करना है जिससे कि जहां तक संभव हो उन्हें आवश्यक सेवाएं और निविष्टियां जिला स्तर पर उपलब्ध हो जाएं।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1978-79 से 1983-84 के बीच गुजरात में 1,18,185 औद्योगिक एककों की स्थापना हुई जिनमें 88,632 कामगार आधारित एकक और 29,553 लघु उद्योग एकक थे और इनसे 4,67,654 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए।

(घ) उद्योगों की स्थापना करने हेतु दी जाने वाली सुविधाएं और प्रोत्साहन निम्नलिखित हैं:—आर्थिक छान-बीन, उत्पादन की वस्तुओं का चयन करने के लिए उद्यमियों को मार्गदर्शन, संभाव्यता रिपोर्टें तैयार करना, एककों का पंजीकरण, मशीनों और उपकरणों की आपूर्ति की व्यवस्था करना आदि सम्भव हो सके तो किराया खरीद आधार पर कच्चे माल और ऋण की व्यवस्था, प्रशिक्षण देना और टूल किटों (औजारों) के लिए राजसहायता, देना, संयंत्र व उपकरणों के लिए राजसहायता, प्रशिक्षित कामगारों को वर्क-शेडों के लिए राजसहायता और साथ ही पिछड़े हुए घोषित जिलों में उद्यमियों के लिए पूंजी राजसहायता का प्रावधान। शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार दिलाने की नई योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केन्द्र भी शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार स्थापित करने में सहायता दे रहे हैं।

(ङ) गुजरात सरकार ने गांधीनगर जिले, इस समय जिसकी देख-रेख अहमदाबाद जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जा रही है, के लिए अलग से एक नया जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है।

सातवीं योजना में मथुरा तेल शोधक कारखाने का विस्तार

4317. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण विभाग ने मथुरा तेल शोधक कारखाने की विस्तार योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने के कच्चे तेल पारिष्करण एकक की क्षमता में 1.5 मिलियन टन की वृद्धि करने हेतु 5.5 करोड़ रुपये की लागत से इस एकक का विस्तार किया जाएगा;

(ग) क्या विभाग ने इस परियोजना के सामने आने वाली बड़ी बाधा को दूर कर दिया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मथुरा तेल शोधक कारखाने का विस्तार कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) परियोजना को कार्यान्वित करने में कोई बाधा नहीं है, और 1987 के अन्त तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

पेट्रो-रसायन एककों की स्थापना

4318. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन और पेट्रो-रसायन राज्य मंत्री ने हाल ही में उद्यमियों को देश में अधिक पेट्रो-रसायन एकक स्थापित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुणवत्ता मूल्यांकन संगठन की स्थापना

4319. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण क्षेत्र में गुणवत्ता में लापरवाही बरतने के कारण अस्वीकृत होने, पुन: कार्य करने और इसके परिणामस्वरूप अन्य सम्बद्ध व्यय होने से देश को प्रतिवर्ष कुल कितनी हानि हो रही है; और

(ख) गुणवत्ता में लापरवाही को कम करने की दृष्टि से क्या सरकार का विचार निर्माताओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और इसे प्रमाणित करने तथा इस प्रकार सप्लाईकर्त्ताओं को राहत देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता मूल्यांकन संगठन स्थापित करने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) गुणवत्ता में लापरवाही बरतने के कारण अस्वीकृत होने, पुन: कार्य करने और इसके फलस्वरूप अन्य व्ययों के कारण निर्माणकारी क्षेत्र में हानि, यदि कोई हो, के संबंध में सूचना उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जा रही।

(ख) गुणवत्ता नियंत्रण के कार्यकलापों का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकार भारतीय मानक संस्थान का नवीकरण और अधिक विस्तार कर रही है। तथापि आई० एस० आई० प्रमाणीकरण चिह्न योजना जो आई० एस० आई० प्रमाणीकरण अधिनियम के अन्तर्गत चल रही है, गुणवत्ता नियंत्रण के सिद्धांतों और तकनीकों पर आधारित योजना है और यह सुनिश्चित करती है कि आई० एस० आई० मार्क लगे उत्पाद सम्बन्धित भारतीय मानकों के निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप हैं। 31 अक्तूबर, 1985 को 5593 निर्माताओं द्वारा 8090 लाइसेंस प्रयोग के लाए जा रहे हैं।

लघु एककों को आई० एस० आई० प्रमाण पत्र के अनुसार अपने उत्पादों का परीक्षण करवाने की सुविधाओं के साथ गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी परामर्शी सेवाएं देने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन (सी० डो०) द्वारा महानगरों अर्थात् नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चार क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा लघु एककों को इसी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए देश के विभिन्न भागों में 4 क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र और 17 क्षेत्र परीक्षण केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

कलमस्सेरी (केरल) में एच० एम० टी० एकक का विस्तार

4320. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलमस्सेरी, केरल में एच० एम० टी० की वर्तमान एकक का विस्तार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक-तार सिविल प्रभाग संख्या —1 को जबलपुर से भोपाल ले जाना

4321. **श्री अजय मुशरान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने डाक-तार सिविल डिवीजन संख्या-1 को जबलपुर से भोपाल के प्रस्तावित स्थानान्तरण को रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रभाग को पहले की तरह जबलपुर में ही रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इसका स्थानान्तरण रोक दिए जाने के बावजूद भी बड़ी संख्या में जबलपुर के कार्यों को अन्य प्रभागों में ले जाने के आदेश देकर प्रभाग संख्या—1 में गड़बड़ी करने के प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) डाक-तार विभाग के द्विशाखन के फलस्वरूप डाक-तार सिविल विंग के पुनर्गठन के समय जबलपुर सिविल डिवीजन संख्या—1 डाक विभाग को आवंटित कर दी गई है। इससे पहले इसे भोपाल में अन्तरण करने के लिए आदेश दिए गए थे, जो अब रद्द कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) चूंकि यह डिवीजन डाक विभाग को अन्तरित कर दी गई है, इसलिए दूर-संचार का कार्य करने वाले इसके दो डिवीजनों को बाहर निकाल दिया गया है और उनके बदले डाक कार्य निष्पादित करने वाली दो अन्य उप-डिवीजनों को इसके साथ जोड़ दिया गया है। इस प्रकार इस डिवीजन में कोई कटौती नहीं की गई है।

गैस कनैक्शनों की अवैध बिक्री रोकने तथा उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास

432?. **श्री दौलत सिंहजी जडेजा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियों ने घरेलू गैस एजेन्सियों के बारे में उपभोक्ताओं से होने वाली समस्याओं के बारे में उपभोक्ताओं से अचानक संपर्क स्थापित करने के कोई विशेष प्रयास किए हैं;

(ख) इन प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपभोक्ताओं की समस्याओं और शिकायतों से निबटने में किस कम्पनी का कार्य सर्वश्रेष्ठ है;

(घ) एजेंसियों द्वारा भारी प्रीमियम पर गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री को रोकने संबंधी नये कार्यक्रम क्या हैं; और

(ङ) जिन व्यक्तियों के पास वैध गैस कनेक्शन नहीं हैं उन्हें एल० पी० जी० की अवैध बिक्री के भ्रष्टाचार के मामलों को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की कोटि का विश्लेषण करने हेतु सभी तेल कंपनियों के फील्ड अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपभोक्ताओं के साथ नियमित आधार

पर अचानक संपर्क बनाएं/उनके यहां दौरा करें। तेल कंपनियां उपभोक्ताओं/डिस्ट्रीब्यूटरों/कम्पनी के अधिकारियों की बैठकें आयोजित करती है जिनमें आमंत्रित किसी भी उपभोक्ता को भाग लेने तथा अपनी समस्याएं बताने के लिए जोर डाला जाता है।

(ग) तेल कंपनियां एल० पी० जी० ग्राहकों की समस्याओं तथा शिकायतों से प्रभावशाली ढंग से निपटने का प्रयत्न करती रहती है।

(घ) और (ङ) विपणन अनुशासन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन तेल कम्पनियां दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध निवारक कदम उठा कर एल० पी० जी० की गैर कानूनी बिक्री या नये कनैक्शनों की गैर कानूनी रिलीज जैसे कदाचारों को रोकने का प्रयत्न करती हैं।

औषधियों और औषध फार्मूलेशनों का आयात

4323. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बल्क औषधियां और औषध फार्मूलेशनों का उत्पादन छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) आयातित बल्क औषधियों तथा औषध फार्मूलेशनों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) छठी योजना अवधि के दौरान आयात की गई बल्क औषधियों और औषध फार्मूलेशनों की मात्रा और उनका मूल्य कितना है;

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1984-85 के दौरान 500 करोड़ रुपये के बल्क औषधों के लक्ष्य की तुलना में अनुमानित उत्पादन लगभग 377 करोड़ रुपये का होने की आशा है। इसी प्रकार, 1984-85 के दौरान 1, 950 करोड़ रुपये के फार्मूलेशनों के लक्ष्य की तुलना में अनुमानित उत्पादन 1,827 करोड़ रुपये का होने की आशा है। अनुमानों के अनुसार मांग में वृद्धि न होना, कमी का कारण है।

(ग) सरकार ने अनेक बल्क औषधों को लाइसेंस मुक्त करने, विदेशी सहयोग को उदार करने जैसे कई कदम उठाये हैं ताकि स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि हो सके। देशी फार्मूलेशनों के मामले में लगभग आत्म-निर्भरता प्राप्त कर चुका है।

(घ) वर्ष 1983-84 के दौरान बल्क औषधों, औषध मध्यवर्तीयों और फार्मूलेशनों के आयातों का कुल मूल्य लगभग 163.34 करोड़ रुपये था। 1984-85 के आयात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं

हैं। आयात की गई औषधों की गुणवत्ता औषध और प्रशाधन अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन सुविधा प्राप्त गांव

4324. **डा० फूल रेणु गुहा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान पश्चिम बंगाल के कितने गांवों को टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) पश्चिम बंगाल के उन गांवों के जिला वार नाम क्या हैं जहां वर्ष 1985-86 के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये जाने हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1984-85 के दौराम पश्चिम बंगाल के 52 ग्रामों को टेलीफोन से जोड़ा गया।

(ख) 1985-86 के दौरान पश्चिम बंगाल के जिन ग्रामों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था करने की योजना को अब तक अंतिम रूप दिया गया है उनकी जिला वार संख्या इस प्रकार है :

	जिले का नाम	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन की संख्या
1.	बांकुरा	7
2.	बीरभूम	2
3.	बर्दवान	7
4.	कूच बिहार	1
5.	दार्जिलिंग	3
6.	हुगली	4
7.	जलपाईगुड़ी	2
8.	माल्दा	3
9.	मिदनापुर	8
10.	मुर्शिदाबाद	8
11.	24 परगना	3
	योग	48

कार उद्योग का आधुनिकीकरण और नई क्षमता का विकास

4325. श्री पी० एम० सईद
श्री मुरलीधर माने
श्री प्रकाश वी० पाटिल
} : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार उद्योग के आधुनिकीकरण और उसमें नई क्षमता के विकास हेतु कई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान विदेशी सहयोग और पूर्णरूप से स्वदेशी, दोनों रूप में कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है; और

(ग) अन्य प्रस्तावों की मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं और उन पर कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ग) यात्री कारों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस और/या विदेशी सहयोग के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त हुए चार प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) कार निर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए स्टैन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड का प्रस्ताव पिछले एक वर्ष के दौरान अनुमोदित किया गया था।

महानगरों में दोषपूर्ण टेलीफोन प्रणाली के बारे में शिकायतें

4326. प्रो० मधु दण्डवते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन प्रणाली के दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में विशेष रूप से महानगरों से ऐसी शिकायतें बढ़ रही हैं कि सही स्थानीय काल और ट्रंक कालों का शीघ्र मिलना कठिन हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन प्रणाली को अधिक कुशल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। कभी-कभी बार-बार होने वाले दोषों के बारे में रिपोर्ट की जाती है।

(ख) टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिए किये जा रहे उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

टेलीफोनों के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे दीर्घ कालिक तथा अल्पकालिक सुधारात्मक उपाय।

1. अब तक प्रयुक्त इलेक्ट्रानिक मैगनेटिक स्विचन उपस्कर में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए परिष्कृत इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना।

2. जिन उपस्करों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उन्हें निकालना।

3. अंत: एक्सचेंज कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक्सचेंज उपस्करों विशेष रूप से अंत: एक्सचेंज जंक्शनों की विशेष जांच की जाती है।

4. एक्सचेंजों में लगे वातानुकूलन संयंत्रों के कार्यकरण को नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है ताकि वे उचित ढंग से कार्य कर सकें।

5. नए जंक्शन, प्राइमरी और सेकण्डरी केबिलों को डक्ट में बिछाना ताकि उन्हें बाहरी क्षति से बचाया जा सके।

6. प्राइमरी, सेकेण्डरी और जंक्शन केबिलों का दाबीकरण करना ताकि केबिल दोषों को कम किया जा सके।

7. केबिल दोषों से बचने के लिए उनमें पानी के प्रवेश को रोकने के लिये वितरण नेटवर्क में जैली भरे केबिलों का प्रयोग करना।

8. केबिल खाइयों को बन्द करने से पहले उनमें पानी भरना ताकि खुदाई करते या केबिल बिछाते समय होने वाली क्षति का पता चल सके। जनता से कहा जा रहा है कि खुदाई कार्य शुरू करने से पहले वे दिल्ली टेलीफोन को "खुदाई से पहले डायल करें" सेवा पर सूचित करें ताकि खुदाई करने वाली अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क किया जा सके।

9. किसी खुदाई कार्य का पता लगाने तथा केबिलों को क्षति से बचाने के लिए केबिल स्टों की गश्त लगाना।

10. बेहतर किस्म की तथा विश्वसनीय सेवा प्रदान करने के लिए पल्स कोड माड्यूलेशन, कोएक्सिअल और माइक्रोवेव मीडिया पर उच्च ग्रेड के जंक्शन सर्किट प्रदान करना।

11. उपभोक्ता के अहातों में लगी फिटिंग और डी० पी० बक्सों को सही करना ताकि लाइन दोषों को कम किया जा सके।

12. ओवर हैड वायर के स्थान पर इंस्यूलेटेड ड्राप वायर लगाना जिससे कि पतंग डोरियों पक्षियों के घोसलों आदि जिससे संपर्क या अल्प इंस्यूलेशन दोष उत्पन्न होते हैं, के कारण उत्पन्न होने वाले दोषों से बचा जा सके।

13. बेहतर किस्म के टेलीफोन उपकरणों का उपयोग करना।

14. उपभोक्ता के अहातों में लगी फिटिंग में एल्यूमीनियम की तारों के स्थान पर तांबे की तारें लगाना जिससे दोष उत्पन्न न हों।

15. केबिल रिकार्ड और दोष मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण जिससे दोषों की अवधि को कम किया जा सके।

16. डाइरेक्टरी सहायता (197) सेवा और वाणिज्यिक रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण।

17. आपरेटर द्वारा चालित (80) ट्रंक सेवा का कम्प्यूटरीकरण।

18. आटो मैनुअल सेवा और ट्रंक सेवाओं की मानिटरिंग की जा रही है ताकि इन सेवाओं पर तुरन्त उत्तर दिया जा सके।

19. उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण एक ही स्थान पर करने के लिए महाप्रबंधकों एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों के कार्यालयों में जन शिकायत कक्ष खोले गये हैं।

जयन्ती खास कोयला खान, बिहार को पुनः खोलना

4327. **प्रो० सलाहुद्दीन :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जयन्ती ग्राम, जिला देवघर (बिहार) के अन्तर्गत जयन्ती खास कोयला खान को पुनः चालू करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में सर्वेक्षण करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जयन्ती खास कोलियरी का राष्ट्रीयकरण के समय बन्द खान के रूप में अधिग्रहण किया गया था और बाद में उसके समन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि पूर्व-मालिकों ने कोयले की अधिकांश सीमों में से कोयला निकाल लिया था और उस क्षेत्र में अत्यधिक पानी भरा हुआ है।

भारतीय इंजीनियरी सामान सम्बन्धी उद्योग

4328. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि भारत में इंजीनियरी वस्तु उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि भारत में इस्पात जैसे कच्चे माल का मूल्य अन्य देशों की तुलना में दुगना है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय इंजीनियरी सामान सम्बन्धी उद्योग की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि इंजीनियरी सामान सम्बन्धी उद्योग को कच्चे लोहे की सप्लाई नियमित रूप से नहीं की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) स्वदेशी इस्पात की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों से अधिक बताई जाती हैं। इंजीनियरी निर्यात की प्रतियोगात्मकता को बनाये रखने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य के साथ-साथ अग्रिम लाइसेंस की सुविधा और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना का संचालन सम्मिलित है ताकि पंजीकृत निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर इस्पात उपलब्ध हो सके।

(ग) और (घ) बताया जाता है कि स्वदेशी स्रोतों से कच्चे लोहे की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है। स्वदेशी उपलब्धता की अनुपूर्ति के लिए उठाए गए कदमों में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के जरिए कच्चे लोहे का आयात और कच्चे लोहे के आयात पर सीमा शुल्क में कमी शामिल है।

[हिन्दी]

ऐसे व्यक्तियों के टेलीफोन कनेक्शन जिन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है

4329. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को भी टेलीफोन कनेक्शन दे दिए हैं जिन्हें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है और वे व्यक्ति जरूरतमन्द व्यक्तियों को टेलीफोन बेचकर अवैध पैसा अर्जित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन लोगों से टेलीफोन सुविधा वापस लेने के मामले में जांच कराने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। सरकार को ऐसे टेलीफोन कनेक्शनों के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बरौनी बेगूसराय बिहार में टेलीफोन सेवा

4330. **श्रीमती कृष्ण साही** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र बरौनी-बेगूसराय में टेलीफोन सेवा पूर्णतया अपर्याप्त है, जबकि इससे बिहार की राजधानी पटना के लिए सीधा टेलीफोन सम्पर्क होना चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेलीफोन एक्सचेंज के नए भवन का निर्माण 2-3 वर्ष पहले हुआ था और इसके लिये परियोजना प्राक्कलन भी तीन वर्ष पहले मंजूर किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का क्रियान्वयन अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। बरौनी और बेगूसराय के दोनों ट्रंक मैनुअल एक्सचेंजों से पटना के लिए सीधे ट्रंक सर्किट उपलब्ध हैं। बरौनी और बेगूसराय के बीच दो ट्रंक सर्किट कार्य कर रहे हैं। बरौनी और बेगूसराय में प्रभावी ट्रंक कालों की प्रतिशतता क्रमश: 83 और 70 है। जहां तक स्थानीय टेलीफोन सेवाओं का संबंध है, बरौनी में 200 लाइनों वाला मैनुअल एक्सचेंज है जिसमें 119 चालू कनेक्शन हैं तथा कोई नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं है। इसी प्रकार बेगूसराय में भी 600 लाइनों वाला मैनुअल एक्सचेंज है जिसमें 580 चालू कनेक्शन हैं तथा 40 नाम प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ख) जी, हां। बेगूसराय में नई इमारत का निर्माण कार्य अप्रैल, 1984 में पूरा हो गया था।

(ग) इस योजना को क्रियान्वित न किए जाने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(एक) बेगूसराय में मौजूदा मैनुअल एक्सचेंज को बदलने के लिए 1983-84 के सप्लाई कार्यक्रम में जो 500 लाइनों का आटोमेटिक उपस्कर अलाट किया गया था, वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसकी सप्लाई 1986-87 में होने की संभावना है।

(दो) 1985-86 सप्लाई कार्यक्रम में इसका 500 से 700 लाइनों में विस्तार करने के लिए अलाटमेंट कर दिया गया है ताकि सभी चालू लाइनों को आटोमेटिक एक्सचेंज में अंतरित किया जा सके।

(तीन) 20 लाइनों के कैबिनेट किस्म के टेलेक्स एक्सचेंज, जिसे बेगूसराय में ही स्थापित किया जा रहा है, के लिए अभी तक केवल तीन उपभोक्ताओं ने डिमांड नोट का भुगतान किया है।

(चार) टेलेक्स एक्सचेंज को कलकत्ता से जोड़ा जाना है जिसके लिए एक वी०एफ०टी० प्रणाली स्थापित की जानी है। लेकिन बेगूसराय-पटना के बीच जिस 8-चैनल वाली कैरियर प्रणाली पर वी०एफ०टी० सर्किटों ने कार्य करना है, वह स्थाई नहीं है। अत: वी०एफ०टी प्रणाली चालू नहीं की जा सकी। यह स्थाई माध्यम पर कार्य करती रहे, इसके लिए पटना-कटिहार माइक्रोवेव प्रणाली से चैनलों को ड्राप करके उन्हें बेगूसराय तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस कार्य के मार्च, 86 तक पूरा किए जाने की योजना है।

(पांच) बरौनी के मैनुअल एक्सचेंज को तुरन्त बदलने की कोई योजना नहीं है क्योंकि नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए वहां पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

[अनुवाद]

लघु क्षेत्र के उद्योगों की गणना

4332. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक लेखा समिति के 14वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुपालन में लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिये समुचित योजना बनाने हेतु लघु क्षेत्र के उद्योगों की गणना करने की कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नाथपा झाकरी परियोजना का निर्माण

4333. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या ऊर्जा मंत्री नाथपा झाकरी परियोजना के बारे में 13 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3449 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाथपा-झाकरी विद्युत परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है;

(ख) उक्त परियोजना के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार राजस्थान को उसके हिस्से की विद्युत देने में बाधा डाल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संयंत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान को क्या सहयोग देने का प्रस्ताव है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश में नाथपा-झाकरी जल-विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए निवेश सम्बन्धी निर्णय नहीं लिया गया है। विद्युत के आबंटन के बारे में, निवेश सम्बन्धी निर्णय ले लिए जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र और असम आदि में तेल का पाया जाना

4334. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1984 से 18 नवम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र, असम के विभिन्न भागों और देश के कुछ अन्य भागों में तेल और गैस पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल और गैस के इन भण्डारों की किस्म और मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस हेतु ड्रिलिंग प्रशासन और स्थापना पर कितना व्यय हुआ है; और

(ङ) 1 दिसम्बर, 1985 से 30 दिसम्बर, 1986 तक की अवधि में गुजरात के विभिन्न भागों में तेल के लिए ड्रिलिंग के संबंध में क्या प्रस्ताव है और उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) :(क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित स्थानों में हाइड्रोकार्बन पाये गये हैं :—

गुजरात	दक्षिणी मेवाड़
	गंधार,
	देहज
	लिम्बोदरा
	करसीजन
असम	कोरगांव
	चंगमाईगांव
	कथलगुरी
	मोरान
	शान्ती
	नहरकटिया
	तिनाली
	लंकाशी
	राजगढ़
	जोराजन
	जयपुर

वेस्ट कोस्ट	नार्थ ताप्ती	
	बी-48	बी-187
	डी-18	केडी-1
	बी-174	पाना ईस्ट
	बी-172	
आन्ध्र प्रदेश	कैकालूर	
	भीमनापल्ली	राजोले
	नरसापुर	
तमिलनाडु	कोविलकल्लापल	नरीमानस
त्रिपुरा	रोखिया	
अरुणाचल प्रदेश	खरसांग	

(ग) असम तथा अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर संरचनाओं से उत्पादन होना आरम्भ हो गया है। अन्य स्थानों के भंडारों का पता आगे खोज करने के बाद ही ज्ञात होगा।

(घ) ओ०एन०जी०सी० तथा ओ०आई०एल० को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान का योजना व्यय 6628 करोड़ रुपये का था।

(ङ)	1985-86 (संशोधित अनुमान) कुओं की संख्या	1986-87 (बजटीय अनुमान) कुओं की संख्या
अन्वेषी	53	34
विकासी	49	138
योग :	102	172
अन्वेषी तथा विकास खुदाई पर प्रस्तावित व्यय (करोड़ रु० में)	96.79	172.76

फार्मास्युटिकल्स उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों की हिस्सेदारी

4335. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मन्त्रालय में फार्मास्युटिकल्स उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्मिथ स्टेनस्ट्रीट वर्कर्स यूनियन द्वारा निदेशक मण्डल में अपने प्रतिनिधि के नामांकन के लिए किए गए दावे पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभागिता के लिये श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय (श्रम विभाग) के दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 के संकल्प में निहित योजना में संबंधित ट्रेड यूनियन नेताओं के परामर्श से तैयार की गई सहमति के माध्यम से शाप फ्लोर और संयंत्र स्तरों पर मजदूरों के प्रतिनिधित्व की परिकल्पना है। सार्वजनिक क्षेत्रीय भेषज उपक्रमों में से इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (आई०डी०पी०एल०) ने सूचित किया है कि योजना एकक स्तर पर केवल ऋषिकेश, हैदराबाद, गुड़गांव और मुजफ्फरपुर एककों में कार्यान्वित की गई है। आई०डी०पी०एल० के मद्रास एकक और सार्वजनिक क्षेत्रीय अन्य भेषज उपक्रमों में योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही जारी है।

(ख) इस सन्दर्भ में स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि० (एस० एम० पी०एल०) से कोई औपचारिक प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्यम आकार की यात्री कारों के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग

4336. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत के किसी प्रमुख उद्योग समूह ने मध्यम आकार की यात्री कारों के निर्माण के लिए किसी विदेशी कार कम्पनी के साथ सहयोग समझौता किया है और सरकार की आवश्यक मंजूरी हेतु आवेदन पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास विदेशी सहयोग अथवा गैर-विदेशी सहयोग के औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने संबंधी कुल कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और उनके नाम क्या हैं; और

(घ) उन पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) कारों का निर्माण करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस और विदेशी सहयोग के बारे में मै० एस्कार्ट्स लिमिटेड और गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के दो मिले-जुले आवेदन सरकार के पास विचाराधीन हैं।

दिल्ली-श्रीनगर, और दिल्ली-जम्मू के बीच एस०टी०डी० लाइनों में सुधार

4337. **श्री पी० नामग्याल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) दिल्ली-श्रीनगर और दिल्ली-जम्मू के बीच कितनी एस०टी०डी० लाइनें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली-श्रीनगर और दिल्ली-जम्मू के बीच लाइनें पहले या तो बहुत व्यस्त रही या उनमें अवरोध रहा; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली तथा जम्मू तथा काश्मीर राज्य की दोनों राजधानियों के बीच एस०टी०डी० लाइनों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली-श्रीनगर और दिल्ली जम्मू के बीच प्वाइंट-टू-प्वाइंट आधार पर उपलब्ध एस० टी० डी० लाइनों की संख्या इस प्रकार है :—

दिल्ली-श्रीनगर	18
श्रीनगर-दिल्ली	28
दिल्ली-जम्मू	17
जम्मू-दिल्ली	16

इसके अलावा जम्मू के ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज से दिल्ली के एस०पी०सी० ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के लिए 9 लाइनें कार्य कर रही हैं। 16 प्वाइंट-टू-प्वाइंट एस०टी०डी० लाइनों के अलावा इन लाइनों से भी जम्मू से दिल्ली बात की जा सकती है।

(ख) जी, नहीं। परियात के संचालन के लिए मौजूदा एस०टी०डी० लाइनें पर्याप्त हैं। बढ़ते हुए परियात को पूरा करने के लिए दिल्ली-श्रीनगर — तीन तथा जम्मू-दिल्ली 8 अतिरिक्त लाइनें प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) बेहतर एस०टी०डी० सेवा के लिए जम्मू ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज से एस०पी०सी० ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज, दिल्ली तथा इसके विपरीत दिशायें अतिरिक्त लाइनें प्रदान करने की योजना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान श्रीनगर में एक ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज खोलने की भी योजना है।

हल्दिया पेट्रो केमिकल्स प्रोजेक्ट का राज्य क्षेत्र से संयुक्त क्षेत्र में अन्तरण

4338. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पेट्रो केमिकल्स प्रोजेक्ट को राज्य क्षेत्र से संयुक्त क्षेत्र में अन्तरित किया जा रहा है;

(ख) क्या इसके ऋण इक्विटी अनुपात को अन्तिम स्वरूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या परियोजना के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसे अभी केन्द्र से मंजूरी नहीं मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) हल्दिया पेट्रो केमिकल्स कम्पलेक्स की स्थापना के लिए आशयपत्र इस समय पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि० के नाम में हैं, जिन्होंने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एक संयुक्त क्षेत्रीय कम्पनी का गठन करने के लिए गोयंका के साथ एक करार किया है। नई कम्पनी द्वारा परिकल्पित ऋण साम्य अनुपात 3:1 है। एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अधीन मंजूरी और नई कम्पनी को आशयपत्र के स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी का आयात, पूंजीगत माल जैसे सामान्य अनुमोदन प्राप्त करने अपेक्षित होंगे।

राज्यों में बिजली की कमी दूर करने के लिए विद्युत परियोजनाएं प्रारम्भ करना

4339. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विद्युत परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कौन सी तारीख निर्धारित की गई है; और

(घ) विद्युत कमी को दूर करने और सबसे अधिक कमी वाले राज्यों को राहत देने के लिए इन परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां। परियोजनाओं को पूरा होने में देरी के कारण भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों, परियोजनाओं के कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन, उपस्कर की क्रमिक सप्लाई में देरी, निधियों की कमी, निर्माण संबंधी मुख्य सामग्री की कमी, श्रमिक समस्याओं, कार्य-स्थलों पर अप्रत्याशित भूविज्ञानी परिस्थितियों, डिजाइन एवं इंजीनियरी समस्याओं आदि से सम्बन्धित हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने तथा चालू करने में शीघ्रता लाने हेतु राज्य/परियोजना प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं की नियमित मानीटरिंग करना, उपस्करों तथा सामग्री की सप्लाई में शीघ्रता लाना, समस्याओं के समाधान हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा परियोजना स्थलों का दौरा करना आदि शामिल हैं। राज्य बिजली बोर्डों को परियोजना प्रबन्ध तथा परियोजना क्रियान्वयन में सुधार करने के लिए भी कहा गया है।

सौराष्ट्र क्षेत्र में तेल की खोज

4340. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र के तट-दूर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज का काम अब तक सफल रहा है;

(ख) क्या वहां पर किए गए परीक्षणों पर पुनरीक्षा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो वहां ऐसे खोज कार्य के लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्छ-सौराष्ट्र बेसिन में अन्वेषण के लिए 144.50 करोड़ रुपये की अन्तरिम योजना व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

पुलिस और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास लम्बित पड़ा खादी ग्रामोद्योग आयोग का मामला

4341. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास लम्बित पड़े खादी ग्रामोद्योग आयोग और इसकी बिक्री केन्द्रों के मामले का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये मामले उनके पास कब से लम्बित पड़े हैं;

(ग) क्या कोई विभागीय कार्यवाही भी आरम्भ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

औद्योगिक कार्यक्रम की पुनरीक्षा

4342. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने लघु क्षेत्र के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए देश के औद्योगिकरण कार्यक्रम की विस्तृत पुनरीक्षा करने पर बल दिया है जैसा कि 24 नवम्बर, 198` के "डेकन हेरल्ड" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार लघु उद्योगों की बाधाओं को समझती है और इन उद्योगों के संवर्द्धन को प्रोत्साहित करने के लिए निरन्तर उपाय कर रही है। इन उपायों में राजकोषीय और वित्तीय रियायतों के प्रावधान, जांच सुविधाएं, किस्म सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन सहायता किराया-खरीद आधार पर मशीनें, दुर्लभ कच्चे माल की आपूर्ति, तकनीकी-प्रबन्धकीय पहलुओं पर परामर्शदात्री सेवाएं, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार सुविधाएं आदि शामिल हैं। तथापि, लघु उद्योगों के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

पारगमन के दौरान पंजीकृत सामान का गुम होना

`4343. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बारह महीनों में पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए कितने मनीआर्डर, पार्सल आदि पारगमन के दौरान गुम हुए हैं;

(ख) ऐसे कितने मामले निपटाए गए हैं और कितना मुआवजा दिया गया है और कितने दावे अभी लम्बित हैं;

(ग) उन्हें शीघ्र निबटाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मनीआर्डर, पार्सल आदि पंजीकृत सामान के गुम होने के क्या कारण हैं और उन कारणों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार को मिट्टी-तेल और डीजल का आबंटन

4344. **श्री कुंवर राम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की प्रतिमाह मिट्टी-तेल और डीजल की मांग कितनी है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान उक्त मांग की तुलना में कितनी मात्रा में मिट्टी-तेल और डीजल आबंटित किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) खुले तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है और इन उत्पादों का आबंटन राज्यों को नहीं किया जाता है।

बिहार सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का निर्धारण चार मास के ब्लाक के आधार पर पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीनों के आबंटन में 5% की वृद्धि देकर किया जाता है। नियमित आबंटन के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवात, एल० पी० जी०/साफ्ट कोक आदि का अभाव होने जैसी विशिष्ट स्थितियों में तदर्थ आधार पर अतिरिक्त आबंटन किये जाते हैं।

(ख) 1985 के दौरान अभी तक बिहार को किया गया मिट्टी के तेल का आबंटन और एच० एस० डी० की सप्लाईज निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े मी० टनों में)

मास	मिट्टी का तेल		एच० एस० डी०
	आबंटन	सप्लाईज*	सप्लाईज*
1	2	3	4
जनवरी	27000	26681	57720
फरवरी	27000	28551	58993
मार्च	25570	25434	55790
अप्रैल	25570	25919	66935
मई	25070	25280	55522
जून	25070	25253	50847

1	2	3	4
जुलाई	25990	26888	47182
अगस्त	27000	27114	41146
सितम्बर	27000	27468	36751
अक्तूबर	27500	28064	42365
नवम्बर	28500	शून्य	शून्य
दिसम्बर	29500	—	—
		(*अस्थायी)	

विभिन्न कारखानों को कच्चे माल के कोटे की सप्लाई

4345. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विभिन्न कारखानों को अन्तिम उत्पाद तैयार करने हेतु आयातित कच्चे माल का कोटा स्वीकृत कर रही है; और

(ख) किसी कारखाने, जिसे कच्चा माल सप्लाई किया जाता है, के बन्द होने अथवा उसमें दीर्घकालीन हड़ताल की स्थिति में कोटा सप्लाई करने की सरकार की क्या नीति है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आयातित कच्चे माल का आवंटन भिन्न-भिन्न एककों को विशिष्ट मानदंडों के आधार पर प्रणालीकरण/वितरणकारी अभिकरणों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। एकक को कच्चे माल के आवंटन/कोटे के लिए सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय, प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा पिछले अपक्रय को ध्यान में रखा जाता है। बन्द अथवा हड़ताल वाले मामलों में, जहां पिछले अपक्रय को आवंटन के लिए सिफारिश करने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता, वहां कच्चे माल का आवंटन करने के लिए गुणावगुण पर आधारित सम्बद्ध प्राधिकारियों/प्रणालीकरण अभिकरणों द्वारा जांच की जाती है।

सीमेंट को प्राप्त करने में कठिनाइयां

4346 **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण पोर्ट-लैण्ड सीमेंट आम आदमी को आसानी से उपलब्ध नहीं होता है;

(ख) क्या यह सच है कि सीमेंट प्राप्त करने में सरकारी विभागों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या गैर-लेवी सीमेंट का मूल्य भी बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कम कीमत पर सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) खुले बाजार में साधारण पोर्ट-लैण्ड सीमेंट उपलब्ध न होने की कोई शिकायत नहीं मिली है। सरकार और सीमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के बीच समझौते के अनुसार सीमेंट उद्योग को सरकारी विभागों को उनकी साधारण पोर्ट-लैण्ड सीमेंट की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने लेवी उत्तरदायित्व के 30 प्रतिशत तक साधारण पोर्ट-लैण्ड सीमेंट की पूर्ति करनी होती है। तथापि, कई ऐसे मामले हैं जहां सीमेंट कारखानों ने अपेक्षित मात्रा में साधारण पोर्ट-लैण्ड सीमेंट की पूर्ति नहीं की है।

(ग) गैर-लेवी सीमेंट की कीमतों में विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र में अप्रैल, 1985 से जुलाई, 1985 के बीच वृद्धि की प्रवृत्ति थी। तथापि, अगस्त 1985 से देश भर में कीमतों पर आमतौर पर गिरावट की प्रवृत्ति देखने में आई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बल्क औषधियों का उत्पादन

4347. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औषध नीति की घोषणा के पश्चात् कितनी और किन-किन बहुराष्ट्रीय औषधि कम्पनियों ने उच्च प्रौद्योगिकी युक्त तकनीक द्वारा बल्क औषधियों के उत्पादन के लिए आवेदन किया है;

(ख) इनमें से कितनी को बल्क औषधियों के उत्पादन के लिए आशय पत्र/लाइसेंस दिये गये हैं और कितनी और किन-किन कम्पनियों ने वास्तव में उत्पादन आरम्भ कर दिया है; और

(ग) शेष बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्साहहीन प्रत्युत्तर के क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) 1978 में औषध नीति की घोषणा के पश्चात् उच्च प्रौद्योगिकी निहित बल्क औषधों के निर्माण के लिए फैरा कम्पनियों से 37 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिन कम्पनियों ने बल्क औषधों के निर्माण के लिए आवेदन किया है, उनके नाम संलग्न विवरण — I में दिये गये हैं।

(ख) इन आवेदन पत्रों में से 27 औद्योगिक अनुमोदन विभिन्न कम्पनियों को प्रदान किये गये हैं और 11 औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वित किये जा चुके हैं। औद्योगिक लाइसेंसों का कार्यान्वयन

करने वाली कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण—2 में दिये गये हैं। शेष औद्योगिक अनुमोदन कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ग) फैरा कम्पनियों की प्रतिक्रिया भिन्न-भिन्न है।

विवरण—1

1. वायथ लेब्स०
2. हैक्स्ट इंडिया लिमिटेड
3. बुरोज-वैलकम
4. सैंडोज इंडिया लिमिटेड
5. ग्लैकसो लैब्स०
6. ई० मर्क०
7. राशे प्रोडक्ट्स
8. हिन्दुस्तान सीवा-गिगि (फोरमली सीवा-गिगि)
9. सिनामिड इंडिया लिमिटेड
10. फाइजर लिमिटेड
11. मे० एण्ड बेकर
12. मैरिंड (फोरमली मर्क शार्प एण्ड सोमे आफ इंडिया)
13. बूटस कम्पनी (इंडिया) लि०

विवरण—2

1. बुरोज वैलकम
2. ग्लैक्सो लैब्स
3. ई० मर्क
4. फाईजर लिमिटेड
5. हैक्स्ट इंडिया लिमिटेड
6. मे० एण्ड बेकर
7. सेंडोज इंडिया लिमिटेड

गुजरात की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को मंजूरी

4348. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की ऐसी कितनी विद्युत परियोजनाएं हैं जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अभी तक मंजूर नहीं की गई हैं तथा उनके क्या नाम हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) यह विद्युत परियोजनाएं प्राधिकरण के पास कब से लम्बित पड़ी हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन परियोजनाओं को कोयला-लिंकेज के कारण स्वीकृति नहीं मिली है; और

(ङ) क्या गुजरात से कोयला क्षेत्र दूर होने के कारण इन परियोजनाओं को वैकल्पिक साधनों अर्थात् आर० एम० ओ० आदि के साथ स्वीकृति देने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) एक ताप विद्युत स्कीम, नामशः सिक्का ताप विद्युत विस्तार की 120 मेगावाट क्षमता की यूनिट संख्या दो का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) यह स्कीम 29-7-1983 को प्राप्त हुई थी;

(ग) से (ङ) गुजरात बिजली बोर्ड सहित सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ परामर्श करके इस स्कीम का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मूल्यांकन किया जा रहा है। कोयला-लिंकेज सहित विभिन्न निवेशों को सुनिश्चित हो जाने के बाद ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस स्कीम को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दी जा सकती है। कोयला-लिंकेज की स्वीकृति के लिए इस स्कीम की सिद्धांत रूप में सिफारिश कर दी गई है।

उप-ठेकेदारों को अग्रिम राशि देने के कारण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड को नुकसान

4349. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने सरकार का ध्यान बहुत पहले, वर्ष 1983 में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा उप-ठेकेदारों को अन्धाधुन्ध अग्रिम राशि देने की ओर दिलाया था;

(ख) यदि हां, तो इन अग्रिम राशियों को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कितनी राशि वसूल की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड में 150 करोड़ रुपये के

हुए नुकसान का कारण वहां व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद तथा वित्तीय कुप्रबन्ध है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकारी उपक्रम समिति ने अपनी 50वीं रिपोर्ट जो अप्रैल, 1982 में लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी, में ई० पी० आई० द्वारा अपने उप-ठेकेदारों/सहयोगियों को उदारतापूर्वक अग्रिम राशियां दिए जाने पर टिप्पणी की है।

(ख) अग्रिम राशियां वसूल करने के लिए कम्पनी द्वारा उठाए गए कदम हैं—ठेकेदारों के वैध दावों पर अग्रिम राशियों का समंजन करना, अन्तिम बिलों को निपटाते समय बकाया अग्रिम राशि को कम करना बैंक गारंटी लागू करना, मध्यस्थता दावे और दीवानी मुकदमें दायर करना। अप्रैल, 1981 से मार्च, 1985 तक की अवधि में कुवैत में ए० एफ० एस० पी० परियोजना के सम्बन्ध में 14.40 करोड़ रुपये की राशि का समंजन किया गया है और 15.39 करोड़ रुपये की राशि स्वदेशी परियोजनाओं के सम्बन्ध में वसूल/समंजित की गई है।

(ग) से (ङ) 31-3-1985 तक ई० पी० आई० को 108 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई है। अपनी 50वीं रिपोर्ट में सरकारी उपक्रम समिति ने इस मामले की विस्तार से जांच की है और समिति की सिफारिशों के संदर्भ में जैसी कि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, ई० पी० आई० के प्रबन्धकों/सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के भटिण्डा तथा पानीपत यूनिटों के लिए रक्षित विद्युत संयंत्र

4350. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी निवेश बोर्ड ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के भटिण्डा तथा पानीपत यूनिटों के लिए दो रक्षित विद्युत संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का निर्माण कब आरम्भ किए जाने की सम्भावना है;

(ग) उनकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(घ) उन पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के भटिंडा तथा पानीपत स्थित यूनिटों के लिए कैप्टिव विद्युत

संयंत्र स्थापित किए जाने का कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है।

(ग) इन संयंत्रों की प्रत्येक की प्रतिष्ठापित क्षमता 30 मेगावाट होगी। उर्वरक संयंत्रों को प्रत्येक कैप्टिव संयंत्र से लगभग 22.5 मेगावाट विद्युत उपलब्ध होगी।

(घ) इन संयंत्रों पर 138.64 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है।

उड़ीसा सिन्थेटिक में उत्पादन और क्षमता उपयोग

4351. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडस्ट्रीयल प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा के साथ मिलकर ;; प्रोडक्ट्स द्वारा संस्थापित कम्पनी उड़ीसा सिन्थेटिक ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और प्रति वर्ष कुल कितने टन रेशे का उत्पादन किया;

(ग) उक्त कम्पनी द्वारा अनिवासी भारतीयों को कितने शेयर जारी किए और ऐसे व्यक्ति कितने हैं;

(घ) इस कम्पनी का क्षमता उपयोग कितना है; और

(ङ) कम्पनी में किस वर्ष से क्षमता का पूरा उपयोग होने की सम्भावना है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कम्पनी ने अभी तक अनिवासियों को कोई शेयर जारी नहीं किया है। तथापि, कम्पनी ने अनिवासी भारतीयों को 3 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए प्रत्येक 10 रुपये से 30 लाख इक्विटी शेयरों के लिए माहिती पत्र जारी किया है। निर्गमन 5-12-1985 को खुला और बन्द होने की निकटतम तारीख 19-12-1985 है।

(ङ) कम्पनी द्वारा 1985 तक पूर्ण क्षमता उपयोगिता प्राप्त करने की सम्भावना है।

कच्चे माल की कमी के कारण चीनी मिलों और शराब कारखानों के मालिकों के बीच मतभेद

4352. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्कोहल बनाने के लिए कच्चे माल की कमी के कारण चीनी मिलों और शराब

कारखानों के मालिकों के बीच गम्भीर मतभेद पैदा हो गए हैं, जैसाकि दिनांक 24 अक्तूबर, 1985 के दि इक्नामिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान शीरे का वर्षवार कितना निर्यात किया गया तथा इसका बहुत कम मूल्य पर निर्यात किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने टैपियोका जैसे अन्य कच्चे माल का प्रयोग करके अन्य विधियां विकसित की थीं और यदि हां, तो क्या व्यवहार में इनका प्रयोग किया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार औद्योगिक प्रयोजनों के लिए सिंथेटिक अल्कोहल प्रयोग करने का है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने शीरे के आंशिक विनियन्त्रण का सुझाव दिया है तथा आल इण्डिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन ने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है।

(ख) नेपाल को निर्यात की गई छोटी मात्राओं को छोड़कर गत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान शीरे का निर्यात निम्न-निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	निर्यात की मात्रा (मी० टनों में)	मूल्य (रु० लाखों में)
1980-81	शून्य	शून्य
1981-82	—वही—	—वही—
1982-83	8.72 लाख	3219
1983-84	5.04 "	2679
1984-85	2.49 "	1236

(पिछले वर्ष से लिया गया)

शीरे की अतिरिक्त उपलब्धता के कारण निर्यात की अनुमति दी गई थी निर्यात एस० टी० सी० के माध्यम से प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भावों पर तथा लाभ पर किए गए।

(ग) केन्द्रीय ट्यूबर अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अल्कोहल का उत्पादन करने हेतु टैपियोका का प्रयोग करने के लिए प्रक्रियाएं विकसित की हैं। तथापि यह प्रक्रिया अभी वाणिज्यिक प्रयोग में नहीं लाई गई है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सालकिया साल्ट डिपो का विस्तार

4353. श्री रेणुपद दास : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वी क्षेत्र में नमक की तेज गति लाने-ले जाने की सुविधा देने के लिए विद्यमान सालकिया साल्ट डिपो का और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी आधारभूत सुविधाओं वाली कोई डिपो खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि सालकिया साल्ट गोलास का नमक का संग्रह करने के लिए पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है, बड़ा बाजार में वर्तमान थोक बाजार पर दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक थोक व्यापार केन्द्र को विकसित करने की दृष्टि से, इन स्थानों को राज्य सरकार को स्थानांतरित किया जा सकता है। राज्य सरकार ने राज्य में नमक का संग्रह करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक प्रबन्ध करने और अन्य आनुषंगिक मामलों को देखने के लिए सहमत हो गई है। इसलिए इस मंत्रालय ने इन गोलासों के हस्तान्तरण को राज्य सरकार को थोक व्यापार केन्द्र के विकास के लिये प्रयुक्त किये जाने के लिए सहमति दे दी है।

आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में रिपाल्ली में एस० टी० डी० की सुविधा

4354. श्री सी० सम्भु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में रिपाल्ली में एस० टी० डी० की सुविधा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) रिपाल्ली में एस० टी० डी० की सुविधा स्थापित करने के लिए भवन के निर्माण और अन्य आवश्यकताएं पूरी करने में कितना समय लगने की संभावना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जा नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

हावड़ा जिले में भेदन (ड्रिलिंग) कार्य

4355. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा प्राकृतिक गैस आयोग हावड़ा जिले में कोई भेदन कार्य कर रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सफलता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने हावड़ा जिले में दो कुओं की खुदाई की दोनों कुएं सूखे पाये गये।

ट्रीसोडियम फास्फेट, इत्यादि का उत्पादन

4356. **डा० पी० वल्लव पेरुमान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो ट्रीसोडियम, फास्फेट, टेट्रासोडियम पाइरा-फास्फेट, सोडियम फाईपोलीफोस्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम मेटा सिलीकेट, सोडियम कारबोक्सा-मेथाइल सेलूलोज, सोडा एश तथा मेटाफास्फेट का उत्पादन करती हैं; और

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान प्रत्येक उत्पादन का कितनी मात्रा का उत्पाद किया गया तथा उन पर प्रति टन कितनी लागत आई ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारत में संगठित क्षेत्र में ट्रीसोडियम फास्फेट, सोडियम ट्रिपोल फास्फेट सोडियम कार्बोक्सा-मिथाइल सेलूलोस सोडा ऐश, तथा सोडियम हैक्सामेटमप फास्फेट, का उत्पादन करने वाली कम्पनियों तथा इन मदों का 1984-85 में उत्पादन एवं प्रति टन औसत उत्पादन लागत के ब्यौरे, कम्पनियों द्वारा दायर की गई विवरणियों के अनुसार, निम्न प्रकार हैं :—

मद	संगठित क्षेत्र में उत्पादकों के नाम	1984-85 में कुल उत्पादन (000टनों में)	1984-85 में उत्पादन का औसत लागत रु०/प्रति टन
1	2	3	4
ट्रिसोडियम फास्फेट	1. मै० ट्रान्सपेक इन्डस्ट्रीज लि०, बड़ौदा	6.7	5.000
	2. मै० आलराइट मोरारजी एण्ड पण्डित लि०, बम्बई		
	3. मै० इण्डियन रेयर अर्थ बम्बई		

1	2	3	4
सोडियम ट्रि-पोली फास्फेट	1. मै० आलराइट मोरारजी एण्ड पण्डित लि० बम्बई	38.3	9,000
	2. मै० हिन्दुस्तान लीवर लि० हल्दिया (वेस्ट बंगाल)		
	3. मै० बलारपुर इन्डस्ट्रीज, करवार		
सोडा एश	1. मै० धारगन्धरा कैमिकल वर्क्स लि० धारगन्धरा गुजरात	817.0	2,900
	2. मै० तुताकोरिन एलकलीज कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स तुताकोरिन तमिलनाडु		
	3. मै० सौराष्ट्रा कैमिकल्स, पोरबन्दर, गुजरात		
	4. मै० टाटा कैमिकल्स लि०, मीठापुर, ओखनंदल, गुजरात		
	5. मै० हूरा फर्टिलाइजर्स, वाराणसी		
	6. मै० पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, नया नंगल, पंजाब		
सोडियम कारबोक्सी-मिथाइल सेलुलोज	1. मै० सेलुलोज प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लि० अहमदाबाद गुजरात	5.6	16,000
	2. मै० गुजरात डिस्टलरीज इंडिया लि० अहमदाबाद (गुजरात)		
	3. मै० अशोक सेलुलोज (प्रा०) लि०, तलोजा, महाराष्ट्र		
	4. मै० रेलिएन्स सेलुलोज प्रोडक्ट्स लि०, हैदराबाद (ए० पी०)		

1	2	3	4
	5. मै० अशोक ओरगेनिक प्रोडक्ट्स लि०, बड़ौदा (गुजरात)		
	6. मै० इंडियन ओरगेनिक कैमिकल्स लि० रायगढ़, महाराष्ट्र।		
सोडियम हेक्सामेथा फास्फेट	1. मै० आलब्राइट मोरारजी एण्ड पंडित लि०, बम्बई	1.2	10,000
	2. मै० ट्रान्सपेक इन्डस्ट्रीज लि० बड़ौदा		

उपलब्ध सूचना के अनुसार टेट्रासोडियम पाइरोफास्फेट, सोडियम फास्फेट तथा सोडियम मेटा सिलिएट का संगठित क्षेत्र में उत्पादन नहीं किया जाता इसलिए ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्य दिवस

4357. **श्री हरूभाई मेहता** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष 1985 के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए कितने वास्तविक कार्य दिवस हैं; और

(ख) क्या सरकार के पास उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने जानकारी दी है कि उच्चतम न्यायालय के कार्य दिवस उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के आदेश II के नियम 4 में अधिकथित हैं। उच्च न्यायालयों के कार्य दिवसों के बारे में उनकी रजिस्ट्रियों द्वारा दी गई जानकारी संलग्न विवरण में दे दी गई है।

(ख) जी नहीं।

विवरण

उच्च न्यायालय का नाम	वर्ष 1985 के दौरान कार्य दिवसों की संख्या
1. इलाहाबाद	175*
2. आंध्र प्रदेश	210
3. मुम्बई	208
4. कलकत्ता	210
5. दिल्ली	210
6. गौहाटी	210
7. गुजरात	210
8. हिमाचल प्रदेश	210
9. जम्मू-कश्मीर	90@
10. कर्नाटक	210
11. केरल	210
12. मध्य प्रदेश	210
13. मद्रास	उपलब्ध नहीं
14. उड़ीसा	210
15. पटना	210
16. पंजाब और हरियाणा	210
17. राजस्थान	210
18. सिक्किम	114@

* 31-10-1985 तक।

@ 30-6-1985 तक।

पश्चिम बंगाल में विद्युत की खपत

4358. श्री सतीश चन्द्र सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र के लिए अधिक परिव्यय की व्यवस्था के बावजूद पश्चिम बंगाल विद्युत उत्पादन क्षमता छठी पंचवर्षीय योजना में बढ़ने के स्थान पर लक्ष्य से कम रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1977-78 से 1984-85 तक की अवधि में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत वृद्धि की तुलना में पश्चिम बंगाल में विद्युत की खपत में प्रति व्यक्ति कितनी वृद्धि हुई है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में छठी योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए कुल प्रत्याशित व्यय लगभग 659 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। छठी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में राज्य क्षेत्र में 1368 मेगावाट की नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई थी इसकी तुलना में उपलब्धि 788 मेगावाट थी। इस कमी का ब्यौरा और कारण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1977-78 से 1683-84 तक की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल में प्रतिव्यक्ति खपत और अखिल भारत औसत जिसके बारे में सूचना उपलब्ध है, निम्नानुसार है :—

(किलोवाट आवर)

	1977-78	78-79	79-80	80-81	81-82	82-83	83-84 अनन्तिम
पश्चिम बंगाल	120 08	118.45	114.67	116.98	122.50	121.72	123.02
अखिल भारत	120.73	130.94	130.49	132 34	141.87	147.05	154.06

विवरण

पश्चिम बंगाल के वे ताप विद्युत/जल विद्युत उत्पादन यूनिटें छठी योजनावधि के दौरान चालू नहीं की जा सकीं।

क्रम सं०	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	पिछड़ जाने के मुख्य कारण
1	2	3	4
1.	कोलघाट यूनिट-2	210 210	(1) यूनिट-3 को देर से चालू करने का प्रभाव यूनिट-2 को चालू करने पर पड़ा
	यूनिट-1 (पश्चिम बंगाल)		(2) यूनिट-2 और 1 के बायलर उत्थापन संबंधी कार्यों में धीमी गति से प्रगति होना

1	2	3	4
			(3) ए० बी० एल० द्वारा बायलर की क्षतिग्रस्त/गुमशुदा/अंगोपयोग की गई मदें सप्लाई किया जाना।
			(4) श्रमिक अशांति
2.	दुर्गापुर (डी० पी० एल०) यूनिट-6 पश्चिम बंगाल	118	(1) पूरा करने में विलम्ब/जल शीतलन पम्प घरों को तैयार करने नियंत्रण कक्ष और अन्य सिविल कार्यों में विलम्ब।
			(2) संवेदनशील पाइपिंग, जल शीतलन पाइपिंग और केबलिंग संबंधी उत्थापन कार्य में देरी।
			(3) राख हैण्डलिंग संयंत्र के सप्लाई और उत्थापन कार्य में देरी।
			(4) श्रमिक अशांति।
3.	पश्चिम बंगाल में रम्मन चरण-दो	50	भूगोलिक दुष्कर परिस्थितियों और ठेके देने में विलम्ब।

गैस सिलेंडरों का निर्माण

4359. **श्री यू० एच० पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात तथा देश के अन्य भागों में कितने गैर सरकारी और सरकारी एकक गैस सिलेन्डरों का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) 1 जनवरी, 1984 से 18 नवम्बर, 1985 तक प्रत्येक कम्पनी में कुल कितने गैस सिलेन्डरों का निर्माण हुआ;

(ग) देश में अब कितने गैस सिलेण्डरों की आवश्यकता है; और

(घ) 1 दिसम्बर, 1985 से 31 दिसम्बर, 1986 के दौरान गैस सिलेण्डरों के निर्माण की क्या योजनाएं, परियोजनाएं हैं और उन पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) संगठित क्षेत्र में इस समय 37 कम्पनियां देश में एल० पी० जी० सिलेन्डरों का निर्माण कर रही हैं इसमें गुजरात की भी एक कम्पनी शामिल है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में एल० पी० जी० सिलेन्डरों की मांग का अनुमान क्रमश: 37.70 लाख नग तथा 34 लाख नग होने का लगाया गया है। निर्माण करने वाले एकक इस समय देश की एल० पी० जी० सिलेन्डरों की मांग को पूरा करने के लिए सक्षम हैं।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के अनुसंधान और विकास स्कन्ध का विस्तार

4360. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज के अनुसंधान और विकास स्कन्ध का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा शुरू किए जाने वाले विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के विस्तार पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(घ) विस्तार कार्यक्रम कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की अनुसंधान एवं विकास शाखा के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में असन्तोषजनक टेलीफोन सेवा

4361. **श्री राम भगत पासवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में और दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सारन, चम्पारन, सहरसा, पूर्णियां, मुंगेर जैसे जिलों और दक्षिण बिहार में टेलीफोन सेवाएं पूर्णतया असंतोषजनक हैं और अधिकांश समय लाइनें खराब रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस बारे में जनता द्वारा की गई शिकायतों पर पटना स्थित विभागीय प्रमुखों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1982 से अब तक उनको असंतोषजनक सेवा, गलत और अधिक राशि के बिल बनाए जाने के बारे में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। पटना तथा बिहार सर्किल में टेलीफोन सेवाएं सामान्यतः संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं और केवल दोषपूर्ण लाइनों को छोड़कर अधिकांश लाइनें काम करती रहती हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। महाप्रबंधक दूरसंचार और जिला प्रबंधक टेलीफोन, पटना के नाम भेजी सभी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।

(घ) 1982 से आज तक टेलीफोन सेवाओं के बारे में कुल 55,490 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में रुग्णता

4362. डा० सुधीर राय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की रुग्णता के मूल कारण का पता लगाने के लिए कोई गहन अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन का ब्यौरा, यदि कोई है, क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे अलाभकारी एककों को बन्द करने या उन्हें गैर-सरकारी कम्पनियों को नीलाम करने से पहले सरकार का ऐसा कोई गहन अध्ययन करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम कार्यालय समय-समय पर सरकारी क्षेत्र के आर्थिक दृष्टि से अक्षम/रुग्ण उद्यमों का अलग-अलग गहन अध्ययन कार्य हाथ में लेता है, हालांकि इस प्रकार सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कुल मिलाकर रुग्णता के मूल कारण की जांच करने के लिए कोई गहन अध्ययन नहीं किया गया है। पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी उद्यम कार्यालय ने (1) राष्ट्रीय बीज निगम (2) भारतीय राज्य फार्म्स निगम (3) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (4) दिल्ली परिवहन निगम के बारे में गहन अध्ययन, और (5) उर्वरक कारखानों की एक दूसरे से तुलना करने का कार्य किया है।

(ग) और (घ) सरकारी उद्यमों, विशेषकर दीर्घकालिक रूप से घाटा उठाने वाले उद्यमों के कार्य-निष्पादन की निरन्तर समीक्षा की जाती है, ताकि घाटे के कारण निर्धारित किए जा सकें और उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

मैसर्स एम० जी० खोसला मोटर्स लिमिटेड द्वारा 'शक्ति' मोपेड का निर्माण

4363. **श्री विजय एन०पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद (गाजियाबाद) में एम० जी० खोसला मोटर्स लिमिटेड नामक एक फर्म को 'शक्ति' मोपेड का निर्माण करने के लिए लाइसेंस जारी किया है;

(ख) क्या सरकार को कम्पनी द्वारा वितरकों को मोपेड सप्लाई किए बिना एजेंटों के जरिए जमा और अग्रिम राशि लिए जाने के बारे में 'शिकायतें' प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने अथवा कम्पनी की सदस्यता के बारे में जांच करने का है।

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है ?

(ख) और (ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन लघु उद्योगों से संबंधित होने के कारण शिकायतें उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश को उचित कार्रवाई के लिए भेज दी गई थी।

फैजाबाद टेलीफोन एक्सचेंज को मैक्स-1 टेलीफोन एक्सचेंज में परिवर्तित करने का प्रस्ताव

4364. **श्री निर्मल खत्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में इस समय काम कर रहे टेलीफोन एक्सचेंज को मैक्स-1 टेलीफोन एक्सचेंज में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या नए स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज लगाने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से बचने और समय लगाने वाले कारणों को दूर करने के उद्देश्य से डाक-तार विभाग से भूमि का एक छोटा टुकड़ा ले करके वर्तमान एक्सचेंज के स्थान पर ही टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) फैजाबाद में कार्य कर रहे मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज को बदलने का प्रस्ताव नहीं था क्योंकि विभाग को मार्च 1985 तक एम० ए० एक्स०-1 टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(ख) इस समय ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।

विधायकों को शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन देने की योजना

4365. श्री छीतू भाई गामित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विधान सभाओं के सदस्यों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए हाल ही में बनाए गए नियमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विधायकों को शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है/बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) विधायकों को बिना पारी के प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन दिये जाते हैं बशर्ते कि एक्सचेंज में क्षमता उपलब्ध हो।

कलपेटा केरल में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

4366. डा० के० जी० आदियोडी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलपेटा, केरल में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज के किस तारीख तक आरम्भ होने की आशा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : कलपेटा में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज के मार्च 1986 तक चालू हो जाने की आशा है।

केन्द्रीय बिजली घरों से बिजली सप्लाई करने के लिए दोहरी टैरिफ प्रणाली लागू करने हेतु विश्व बैंक की शर्त

4367. श्री अजित कुमार साहा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय बिजली घरों से बिजली सप्लाई करने के लिए दोहरी टैरिफ प्रणाली लागू करने का विचार विश्व बैंक की शर्त के अनुसार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा 63 प्रतिशत संयंत्र भार अनुपात के स्थान पर 57 प्रतिशत संयंत्र भार अनुपात पर आग्रह करना भी उसी आधार पर है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी शर्तें स्वीकार करने का है जो राज्य सरकारों के अनुकूल नहीं है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम को विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में विश्व बैंक के साथ किए गए समझौतों में केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से विद्युत की सप्लाई के लिए 'टू-टायर' टैरिफ प्रणाली अपनाए जाने की कोई शर्त नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल के त्रिचूर जिले में भट्टम टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधा शुरू करना

4368. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में केरल के त्रिचूर जिले में भट्टम टेलीफोन एक्सचेंज में एस०टी०डी० सुविधा आरम्भ करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह निविदा कब तक आरम्भ हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय भट्टम टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधा चालू करने का प्रस्ताव नहीं है।

किदवई भवन, नई दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग में सुरक्षोपाय

4369. **श्री अनूप चन्द्र शाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किदवई भवन स्थित टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग में पिछले महीने किसी समय आग लगी थी ;

(ख) यदि हां, तो उससे कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(ग) समुचित सुरक्षोपाय न करने, विशेष रूप से ऐसी आपात घटनाओं से बचने हेतु कर्मचारियों के उपयोग के लिए सभी द्वार न खोलने, के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) 21-8-1985 को किदवई भवन की पुरानी इमारत के दो विंडो एयरकंडीशनरों में से एक में मामूली आग लग गई। इसका तुरन्त पता लग गया और आग को फौरन बुझा दिया गया। शीशा तोड़ते समय एक व्यक्ति के हाथ में चोट आ गई थी। उपयुक्त बचाव के तरीके अपनाए जाते हैं।

दुलियाजान असम में जल प्रदूषण

4370. **श्री सी० पी० ठाकुर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुलियाजान, असम में पेयजल में तेल द्वारा प्रदूषण है; और

ख) यदि हां, तो सरकार का विचार भविष्य में के इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु क्षेत्र द्वारा बल्क औषधियों का निर्माण

4371. **श्री बी० बी० रामैय्या :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एक ओर तो सरकार कहती है कि लघु क्षेत्र पर देश में बल्क औषधियों के उत्पादन के बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं जी जाए तथा दूसरी ओर सरकार लघु क्षेत्र एककों को मूल्य तंत्र प्रणाली के माध्यम से सस्ती दर पर प्रौद्योगिकी उपलब्ध किए बिना अपनी निर्माण प्रक्रिया मूल स्तर तक ले जाने के लिए मजबूर करती है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो सरकार के इस वक्तव्य का आधार क्या है कि उन्होंने सीमा निर्धारित नहीं की है तथा उसके साथ-साथ प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता तथा लघु क्षेत्र द्वारा इस समय इंटरमीडिएट्स से किए जा रहे बल्क औषधियों का उत्पादन अलाभकारी क्यों है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) लघु क्षेत्री एककों के लिए बल्क औषधों का उत्पादन मूल अवस्था से करने की कोई अनिवार्यता नहीं है।

(ख) लघु क्षेत्रीय एकक प्रौद्योगिकी के आयात हेतु विदेशी सहयोग पर उदार की गई नीतियों का लाभ उठा सकते हैं।

दिल्ली में बिजली/ऊर्जा की नई दरें

4372. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
श्री सरफराज अहमद } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बिजली/ऊर्जा की नई दरें क्या हैं;

(ख) इन दरों को नई दिल्ली नगरपालिका/दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों में कब से लागू किया गया है;

(ग) नई दरों से पहले की दरें क्या थीं;

(घ) बिजली/ऊर्जा की दरें बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दरों में परिवर्तन से संबंधित संगत आदेशों/राजपत्र अधिसूचनाओं की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी;

(च) क्या गत एक माह के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान/नई दिल्ली नगर पालिका को उपभोक्ताओं से अनेक शिकायतें मिली हैं जैसा कि 13 अक्तूबर, 1985 के इण्डियन एक्सप्रेस में बताया गया है;

(छ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं; और

(ज) अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में ये दरें कितनी हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और नई दिल्ली नगर पालिका को बिजली के संशोधन पूर्व तथा संशोधित टैरिफ क्रमश: संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई है। विवरण-1 में दी गई टैरिफ दरों के अलावा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान 2 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली कर भी वसूल करता है। संशोधित दरें 9-4-1985 से लागू की गई हैं। विद्युत उत्पादन के निवेशों की लागत में वृद्धि होने के कारण तथा दिल्ली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य स्रोतों से विद्युत की खरीद की लागत में वृद्धि होने के कारण टैरिफ की दरों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था। दिल्ली नगर निगम क्षेत्र और नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में समानता बनाए रखने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा भी विद्युत दरों में वृद्धि करना आवश्यक था।

(ङ) चूंकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अधीन दिल्ली नगर निगम विद्युत की दरों में वृद्धि करने के लिए सक्षम है, नई दरों को प्राधिकृत करने से सम्बन्धित आदेशों को सभा पटल पर रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) अक्तूबर 1985 महीने के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को 3400 शिकायतें तथा नई दिल्ली नगर पालिका को 300 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा प्राप्त शिकायतें सामान्यत: गलत मीटर रीडिंग और कंप्यूटर प्रणाली के ठीक ढंग से कार्य न करने के बारे में थीं। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अधिकांशत शिकायतें दूर कर दी हैं तथा शेष की जांच की जा रही है। जहां तक नई दिल्ली नगर पालिका का संबंध है ये बिजली/विद्युत की टैरिफ में

वृद्धि किये जाने तथा द्विमासिक बिल बनाना शुरू किए जाने के कारण थीं। नई दिल्ली नगर पालिका ने द्विमासिक बिल बनाना नवम्बर, 1985 से बंद कर दिया है।

(ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-1

उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए पहले की/संशोधित दरों का विवरण

क्रम संख्या	श्रेणी	पहले की दर (पैसे प्रति यूनिट)	9-4-85 से संशोधित दर (पैसे प्रति यूनिट)
1	2	3	4
1.	घरेलू		
	(क) रोशनी, पंखे तथा विद्युत		
	पहले 100 यूनिट प्रति माह पर	27	27
	अगले 100 यूनिट प्रति माह पर	32	32
	200 यूनिट प्रति माह से अधिक खपत पर	37	75
2.	(ख) घरेलू विद्युत (जहां अलग मीटर के द्वारा दी जाती है)		
	समस्त खपत के लिए	37	75
3.	गैर घरेलू		
	(क) निम्न वोल्टता सप्लाई	48	89
	(ख) उच्च वोल्टता सप्लाई	42	89
4.	औद्योगिक		
	(क) लघु औद्योगिक विद्युत	35	75
	(ख) वृहत औद्योगिक विद्युत	70	100
5.	कृषि		
	समस्त खपत के लिए	20	20

1	2	3	4
6.	सड़क रोशनी		
	(ऊर्जा प्रभार)		
	समस्त खपत के लिए	22	60
7.	रात्रि भार ट्रैफिक		
	समस्त खपत के लिए	24	40
8.	रेलवे कर्षण		
	(66 के० वी० सप्लाई)		
	समस्त खपत के लिए	—	97

टिप्पणी :—उपर्युक्त दरें संशोधित टैरिफ 1985-86 के सम्बन्धित प्रावधानों के अध्ययधीन हैं।

विवरण-2

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में बिजली की सप्लाई के लिए संशोधन
से पूर्व की तथा संशोधित टैरिफ दरें

क्र०सं०	श्रेणी	प्रति यूनिट दर (पैसों में)	संशोधन से पूर्व	संशोधित 1985
1	2	3	4	5
1.	घरेलू			
	(लाइट, पंखा	(1) प्रथम 100 यूनिट प्रतिमास	29	29
	तथा पावर	(2) अगले 100 यूनिट प्रतिमास	34	34
		(3) 200 यूनिट प्रतिमास से अधिक	39	77

बिजली के बिल में दी गई समय सीमा में भुगतान न करने पर
अतिरिक्त 2 पैसे प्रति यूनिट।

न्यूनतम प्रभार निम्नलिखित हैं :—

(1) 5 किलोवाट से कम लोड के लिए 5 रुपये प्रति मास

1	2	3	4	5
	(2) 5 किलोवाट तथा इससे अधिक लोड पर 15 रुपये प्रतिमास प्रति किलोवाट और उसका भाग ।			
	(ख) घरेलू (अलग मीटर सहित)			
	(1) लाइट तथा पंखा	ऊपर 1 (क) के अनुसार		
	(2) पावर	ऊपर 1 (क) के अनुसार	77 पैसे प्रति यूनिट (कुल उपभोग पर)	
	ऊपर दिए गए 1 (क) के अन्तर्गत लागू अन्य सभी शर्तें लागू होंगी ।			
2.	वाणिज्यिक			
	100 किलोवाट तक		51	92
	बिजली के बिल में दी गई समय सीमा में भुगतान न करने पर 3 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त । न्यूनतम प्रभार प्रतिमास प्रति किलोवाट या इसके भाग पर 15 रु० होगा ।			
	(क) तथापि लघु उद्योग उपभोक्ता		36	78
	कुछ शर्तों के अधीन रियायती बिजली दर के पात्र होंगे		(कुल लोड पर न्यूनतम प्रभार प्रतिमास प्रति एच० पी० अथवा उसके भाग पर 15 रु० होंगे)	
	(ख) न० दि० न० पालिका द्वारा चलाई जा रही/से सहायता प्राप्त डिस्पेंसरियां तथा हस्पताल, सरकार/न० दि० न० पा० द्वारा चलाए जा		35	29
			29 पैसे/यूनिट (प्रथम 100 यूनिटों के लिए) 34 पैसे यूनिट	

1	2	3	4	5
	रहे/से सहायता प्राप्त स्कूल, धार्मिक स्थल, सरकार/न० दि० न० पा० द्वारा चलाए जा रहे पेशायर होम/अनाथालय/चैरिटेबल होम के लिए प्रभार इस प्रकार होंगे :—		(प्रतिमास 100 यूनिट से अधिक उपभोग पर)	
3.	वाणिज्यिक			
(100 किलोवाट से अधिक)	(1) प्रथम 50,000 यूनिटों के लिए प्रतिमास		51	90 } कुल उपभोग के लिए
	(2) सभी अनुवर्ती यूनिट के लिए		50 जमा 7.5 प्रतिशत	जमा 7.5 प्रतिशत } कुल उपभोग के लिए
	न० दि० न० पा० द्वारा चलाई जा रही/से सहायता प्राप्त सभी डिस्पेंसरियां तथा हस्पताल, धार्मिक स्थल, मान्यता प्राप्त पेशायर होम/अनाथालय/चेरिटेबल होम तथा सरकार/न० दि० न० पा० द्वारा चलाये जा रहे स्कूल		53 जमा 7.5 प्रतिशत	जमा 7.5 प्रतिशत
4.	एच० टी० 11 के० वी०			
	(1) प्रथम 50,000 यूनिटों के लिए प्रतिमास		51	90 } कुल उपभोग के लिए
	(2) सभी अनुवर्ती यूनिटों के लिए		50	} कुल उपभोग के लिए
	न० दि० न० पा० द्वारा चलाए जा रहे/से सहायता प्राप्त सभी डिस्पेंसरियां तथा हस्पताल, धार्मिक स्थल, मान्यता प्राप्त पेशायर होम/अनाथालय/चेरिटेबल होम तथा सरकार/न० दि० न० पा० द्वारा चलाए जा रहे स्कूल	—	53	—

प्रतिमास न्यूनतम प्रभार प्रति के० वी० ए० या इसके भाग पर 240 रु० होंगे

1	2	3	4	5
5.	सड़कों पर रोशनी			
	(नई दिल्ली नगर पालिका को शामिल करते हुए)		25	60
6.	अस्थाई सप्लाई			
	अन्य सभी शर्तें स्थायी सप्लाई के अनुरूप होंगी केवल टैरिफ सम्बन्धित टैरिफ से 50 प्रतिशत अधिक होगी।			

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को घाटा

4373. **डा० ए० के० पटेल**
श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के नाम क्या हैं जिन्हें दस वर्षों से लगातार घाटा हो रहा है और प्रत्येक को कुल कितना घाटा हुआ है;

(ख) उनके कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु समय-समय पर क्या कदम उठाये गए हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) प्रत्येक मामले में कार्य-निष्पादन का अद्यतन लक्ष्य क्या रखा गया है; और

(घ) प्रत्येक मामले में प्रारम्भ में कितनी पूंजी लगाई गई थी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क)और (घ) लोक उद्यम सर्वेक्षणों के अनुसार पिछले 10 वर्ष के दौरान लगातार घाटा उठाने वाले उद्यमों के नामों, 31-3-1984 को उनमें से प्रत्येक उद्यम द्वारा उठाए गए संचयी घाटे की रकम तथा 1974-75 के शुरू में और 1983-84 के अन्त में इन उद्यमों में चुकता पूंजी एवं ऋणों के रूप में किए गए पूंजी निवेश का विवरण संलग्न है।

(ख) इनके कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए किए गए सदुपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों एवं संतोलक उपस्कर की व्यवस्था करना, संयंत्र एवं उपस्कर का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन करना, प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाना एवं रुकावटों पर काबू पाने के लिए समाधान खोजने के उद्देश्य से गहन अध्ययन करना।

(ग) अपेक्षित ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

विवरण

लोक उद्यम सर्वेक्षणों के अनुसार पिछले दस वर्ष के दौरान लगातार घाटा उठाने वाले सरकारी उद्यमों, 31-3-1984 को प्रत्येक उद्यम द्वारा उठाए गये संचयी घाटे की रकम और 1974-75 के शुरू में और 1983-84 के अन्त में इनमें से प्रत्येक में चुकता पूंजी एवं ऋणों के रूप में किए गए पूंजी निवेश का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	उद्यम का नाम	31-3-1984 को संचयी हानि	31-3-1974 को पूंजीनिवेश (चुकता पूंजी एवं ऋण)	31-3-1984 को
1.	भारत एल्यूमिनियम कं० लि०	197.95	82.45	432.66
2.	भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि०	24.36	3.1[illegible]*	71.02
3.	भारतीय उर्वरक निगम लि०	559.88	437.05	1013.41
4.	बीको लारी एण्ड कं० लि०	12.60	0.33	13.07
5.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	90.82	11.70	82.95
6.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	51.69	4.88	40.82
7.	भारत आपथैल्मिक ग्लास लि०	19.43	8.03	21.35
8.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०	32.78	8.46	23.09
9.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो० लि०	35.11	4.67	39.67
10.	दिल्ली परिवहन निगम लि०	381.80	29.63	264.86

*31-3-1975 को पूंजी निवेश

विभिन्न कोयला कम्पनियों के पास कोयले के भंडारों की स्थिति

4374. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न कोयला कम्पनियों के पास अप्रैल, 1984; 31 दिसम्बर, 1984 और मार्च, 1985 को कोयले के

भंडारों का स्थिति क्या थी तथा इन तारीखों को इस कोयले को मूल्य कितना था ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : दिनांक 1-4-1984, 31-12-1984 और 31-3-1985 को विभिन्न कोयला कम्पनियों में कोयले के स्टाक की स्थिति और उसका मूल्य निम्नलिखित है :

कंपनी	1-4-1984		31-12-1984		31-3-1985	
	स्टाक (मिलियन टन)	मूल्य (रु० करोड़)	स्टाक (मिलियन टन)	मूल्य (रु० करोड़)	स्टाक (मिलियन टन)	मूल्य (रु० करोड़ अनु०)
से० को० लि०	10.00	173.35	10.34	179.24	12.46	211.90
ई० को० लि०	4 41	78.33	3.56	63.23	4.85	93.28
भा० को० को० लि०	3.15	67.52	2.96	58 17	4.56	88.82
वे० को० लि०	3.71	66.93	4.10	73.96	6.77	113.01
ना० ई० को०	0.12	4.85	0.11	4 45	0.14	3.72

विटामिनों का उत्पादन

4375. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारने विटामिनों के लक्ष्य से बहुत कम उत्पादन के बारे में छपी रिपोर्टों को देखा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कार्यनिष्पादन का प्रत्येक वर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विटामिनों के आयात तथा विदेशी मुद्रा में उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, विटामिन बी०2, बी०6 और बी०12 को छोड़कर अन्य विटामिनों के लिए देश की आवश्यकता अधिकांशत: समग्र रूप से स्वदेशी उत्पादन से पूरी की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) आयातों के ब्यौरे भारत की विदेशी व्यापार की मासिक सांख्यिकी भाग-11 में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

ऊर्जा के संरक्षण के लिए योजना

4376. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊर्जा संरक्षण के लिए उनके मन्त्रालय की कितनी योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं;

(ख) क्या ये योजनाएं विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित हो रही हैं;

(ग) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गए मार्ग निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) इस समय, ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित कोई स्कीम इस मंत्रालय द्वारा सीधे क्रियान्वित नहीं की जा रही है। तथापि ग्राम विद्युतीकरणी निगम के माध्यम से विद्युत विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संरक्षण का एक पायलट कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इसके अंतर्गत, छः राज्यों नामशः आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में कुल 23,750 कृषीय पम्पसैटों में सुधार हेतु प्रति पम्पसैट 1000 रुपये की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं और अब तक प्राप्त नतीजों से पता चलता है कि सुधार के पश्चात्, समान मात्रा के पानी के उत्थापन के लिए ऊर्जा के उपभोग में 20 प्रतिशत की कमी आई है। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा पम्पसैटों में सुधार हेतु इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री के सम्बन्ध में मानक और अन्य विवरण तैयार किए गए हैं, स्कीमों के निर्धारण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

पम्पसैटों की सुधार स्कीमों के अतिरिक्त, पायलट कार्यक्रम में, लाइन हानियों को कम करके ग्रामीण क्षेत्रों में प्रणाली नेटवर्क में ऊर्जा संरक्षण की स्कीमें भी शामिल हैं। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में इस प्रकार की चार स्कीमें ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई है, जिनके लिए कुल 50.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम विद्युतीकरण निगम ने लाइन हानियों में कमी लाने के लिए उपयोग किए जाने वाले गजट्स जैसे :—स्विच्ड कैपिसिटर्स, आटोमैटिक वोल्टेज बूस्टर्स तथा ट्रांसफार्मर डिस्कनैक्शन स्विचज आदि के सम्बन्ध में विवरण तैयार किए हैं और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्कीमों के निर्धारण हेतु मार्गदर्शी-सिद्धान्त जारी किए हैं।

उड़ीसा के शहरों को एस० टी० डी० से दिल्ली के साथ जोड़ना

4377. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली से उड़ीसा के कई महत्वपूर्ण शहरों के साथ एस० टी० डी० लाइनों द्वारा सम्पर्क स्थापित करने में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली/दिल्ली से उड़ीसा के शहरों के साथ एस० टी० डी० लाइनों पर सम्पर्क स्थापित करने में होने वाली कठिनाइयों के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली से कलकत्ता ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के जरिए भुवनेश्वर, कटक, और राउरकेला के लिए प्रदान की गई एस० टी० डी० सुविधा संतोषजनक है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एस० टी० डी० सेवा में आगे और सुधार लाने के उद्देश्य से सातवीं पंचवर्षीय योजना में कलकत्ता ट्रंक स्वचल एक्सजेंज से राउरकेला और कटक के लिए एक अतिरिक्त लाइन्स तथा कटक में डिजिटल ट्रंक स्वचल एक्सचेंज की योजना बनाई गई है।

पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायपीठ

4378. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पोर्ट ब्लेयर, अंदमान और निकोबार द्वीप में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय स्थायी न्यायपीठ के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक स्थाई न्यायपीठ की स्थापना के लिए एक अभ्यावेदन 1981 में प्राप्त हुआ था।

सरकार की प्रेरणा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय इस बात के लिए सहमत हो गया था कि द्वीप के लोगों की कठिनाइयों को हल करने की दृष्टि से इसकी सर्किट न्यायपीठ, पोर्ट ब्लेयर में लम्बी अवधि तक और जल्दी-जल्दी बैठेगी। उच्च न्यायालय ने 1982 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित रिट पिटीशनों को सर्किट न्यायपीठ, पोर्ट ब्लेयर को अंतरित करने के लिए और अंतरिम आदेशों के जारी करने से पहले, पूर्व सूचना देने का उपबन्ध करने के लिए अपने नियमों को भी संशोधित किया।

कार्यभार को ध्यान में रखते हुए, पोर्ट ब्लेयर में उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ को न्यायोचित नहीं समझा गया है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेल की खोज

4379. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल मिलने की संभावना का पता लगाने के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के तटवर्ती तथा तट दूर क्षेत्रों की खुदाई करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी खुदाई कितने स्थानों पर की गई है; और

(ग) कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और इसके तत्संबंधी परिणाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) सन् 1959 से अण्डमान और निकोबार बेसिन में हाइड्रोकार्बनों का खोज कार्य प्रगति पर है।

(ख) अब तक केवल अपतट क्षेत्र में सात कुएं खोदे गए हैं।

(ग) मार्च, 1985 के अन्त तक इस बेसिन में 21 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके थे।

एक संरचना में गैस की उपस्थित स्थापित की गई है।

उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में निवेश

4380. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों के औद्योगिकीकरण के लिए सरकारी क्षेत्र में निवेश का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है; और

(ग) यदि पिछड़े राज्यों में आर्थिक कारणों से सरकारी क्षेत्र में निवेश की सम्भावना नहीं है, तो क्या सरकार का राज्यों को केन्द्रीय सहायता के वितरण के फार्मूले की पुनरीक्षा करने तथा उड़ीसा जैसे अलाभप्रद स्थिति वाले राज्यों को विशेषकर उसकी प्राकृतिक स्थिति के कारण प्राथमिकता देने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84, खण्ड-1 जिसे 15 मार्च, 1985 को लोक सभा-पटल पर रखा गया था, के अनुसार 31-3-1984 को उड़ीसा स्थित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में कुल पूंजीनिवेश 2164.55 करोड़ रुपये का था।

(ख) इस पूंजीनिवेश के प्रत्यक्ष लाभ के अलावा, इस प्रकार लगी पूंजी से सहायक उद्योगों की

भी प्रोत्साहन मिलता है तथा द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों की स्थापना की जाती है। इससे राज्य को आय प्राप्त होती है तथा रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में पूंजी-निवेश से पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

(ग) सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता राशि संशोधित गाडगिल फार्मूला अर्थात् जनसंख्या 60 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से नीचे प्रति व्यक्ति आय 20 प्रतिशत, कर-उपलब्धि प्रति व्यक्ति 10 प्रतिशत और विशेष समस्यायें 10 प्रतिशत के अनुसार संवितरित की गई हैं। इस फार्मूले के अनुसार राज्यों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। 8 और 9 नवम्बर, 1985 को आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्यों को केन्द्रीय सहायता राशि के विनिधान सहित 7वीं योजना स्वीकृत की गई है।

[हिन्दी]

पेट्रोल/एल० पी० जी० एजेंसियों का आबंटन

4381. श्री जगन्नाथ प्रसाद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वर्गों के लिए पेट्रोल पम्प तथा खाना बनाने की गैस (एल० पी० जी०) डीलरशिप का कितना कोटा आरक्षित है;

(ख) क्या पेट्रोल पम्प और एल० पी० जी० एजेंसियां केवल आरक्षित वर्गों के व्यक्तियों को ही आबंटित की जाती हैं;

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन लोगों के लिए ऋण की भी व्यवस्था करती है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) निम्नलिखित आरक्षणों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए फुटकर (पेट्रोल/डीजल) डीलरों और एल० पी० जी० के वितरकों की नियुक्तियां की जाती हैं :—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एस०सी०/एस०टी०	25%
बेरोजगार स्नातक/बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातक (यू०जी०/यू०इ०जी०)	25%
रक्षा श्रेणी	$7\frac{1}{2}$%

शारीरिक रूप से अपंग (पी०एच०)	7½%
स्वतन्त्रता सेनानी (एफ०एफ०)	5%
अन्य (ओ)	30%

(ग) और (घ) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने जनवरी, 1984 से सामाजिक उद्देश्य श्रेणियों सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के अन्तर्गत चुने गये डीलरों को निधियों की आवश्यकता की 75% वित्तीय सहायता राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिए देने की योजना पहले से ही आरंभ की हुई है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश में कमी

4382. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1983-84 और 1985 में अब तक अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में पूंजीनिवेश करने में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो 1983-84 और 1984-85 के दौरान अनिवासी भारतीयों को कितने आशय पत्र जारी किए गए; और

(ग) अनिवासी भारतीयों को भारत में पूंजीनिवेश के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) नवम्बर, 1983 में विशेष स्वीकृति समिति (अनिवासी भारतीय) के गठन हो जाने के बाद, अनिवासी भारतीयों को जारी किए गए 115 आशय पत्रों/अनुमति पत्रों/औ० स्वी० सचिवालय पंजीकरणों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1983 —(नव० और दिस०)	—	6
1984	—	39
1985 (30-9 85 तक)	—	70

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अनिवासी भारतीय/भारतीय राष्ट्रीयता वाले/मूल अनिवासी भारतीय को उपलब्ध सुविधाएं

अनिवासी भारतीयों को निवासी भारतीयों के बराबर ही महत्व दिया जाता है। उनके विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों पर भी, यदि उनके द्वारा औद्योगिक एकक स्थापित किया जाना अपेक्षित है, निवासी भारतीयों पर लागू मानदण्डों के अनुसार ही विचार किया जाता है। किन्तु, औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए उनके द्वारा अपेक्षित पूंजीगत माल के आयात हेतु उन्हें वर्ष 1985-88 की आयात नीति के पैरा 166 से 171 के अन्तर्गत दिए गए ब्यौरे के अनुसार कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। पूंजीगत माल के आयात के लिए अनिवासी भारतीयों को दी जाने वाली विशेष सुविधाएं केवल उन लोगों तक ही सीमित हैं, जो स्थायी रूप से रहने के लिए वापस आ रहे हैं। इन विशेष सुविधाओं के अन्तर्गत, अनिवासी भारतीय उन पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सकते हैं, जो स्वदेशी रूप से उपलब्ध हैं बशर्ते कि अपनी निजी विदेशी मुद्रा से ही आयात के लिए पूर्णतया वित्तीयन करें और आयात की जाने वाली वस्तु को आयात पर आयात नीति के अनुसार प्रतिबंधित न हो।

2. अनिवासी भारतीय किसी के साथ/स्वामित्वाधीन फर्मों या लिमिटेड कम्पनियों (वास्तविक सम्पदा व्यवसाय में रत कम्पनियों को छोड़कर) में स्वदेश वापस न ले जाने की शर्त पर 100 प्रतिशत तक का पूंजी निवेश कर सकते हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मन्त्रालय द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमन के अनुसार पोर्टफोलियों निवेश भी कर सकते हैं।

3. स्वदेश से वापस जाने के आधार पर, अनिवासी भारतीय 40 प्रतिशत या 74 प्रतिशत की योजना के अन्तर्गत निवेश कर सकते हैं। 40 प्रतिशत योजना के अन्तर्गत अनिवासी भारतीय विद्यमान या नई कम्पनियों के नये निर्गमों में सार्वजनिक निर्गम, नये निर्गमों में 40 प्रतिशत तक, के जरिये पूंजी को बढ़ाकर विनियोजित पूंजी और उससे होने वाली आय को स्वदेश ले जाने के पूरे लाभों को उठाते हुए निवेश कर सकते हैं।

74 प्रतिशत की योजना के अन्तर्गत, अनिवासी भारतीय कम्पनी प्राथमिकता वाले किसी भी उद्योग और निर्यातोन्मुख उद्योग में विनियोजित पूंजी और उससे होने वाली आय को स्वदेश ले जाने का पूरे लाभ उठाते हुए कम्पनी की इक्विटी पूंजी का 74 प्रतिशत तक का निवेश कर सकते हैं। दूसरे उद्योगों में भी 74 प्रतिशत योजना के अन्तर्गत निवेश किया जा सकता है बशर्ते कि अनिवासी भारतीय निवेशकर्त्ता 60 प्रतिशत उत्पादन के निर्यात (लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के सम्बन्ध में 75 प्रतिशत) दायित्व की वचनबद्धता करे। औद्योगिक क्षेत्र के अलावा, अनिवासी भारतीय 74 प्रतिशत योजना के अन्तर्गत 3, 4 या 5 सितारा होटल परियोजनाओं, हस्पतालों तथा जटिल प्रकार के नैदानिक केन्द्रों में भी निवेश कर सकते हैं।

4. अनिवासी भारतीयों (अलग-अलग अनिवासी भारतीय निवेशकर्ताओं) को दिए जाने

वाले कुछ अन्य वित्तीय लाभ निम्नलिखित हैं :—

(1) कुछ विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों पर 20 प्रतिशत की समान दर पर आय कर;

(2) "विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों" पर 20 प्रतिशत की दर पर दीर्घावधिक पूंजीगत लाभ-कर;

(3) निवासी भारतीयों को उपलब्ध ब्याज की अपेक्षा बैंक जमा एन०आर०आई०/एफ०सी०एन०आर० लेखों और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों पर उसी परिपक्वता के बकाया पर अपेक्षाकृत ब्याज की अधिक दर;

(4) सम्पत्ति कर की छूट :— स्थायी तौर पर रहने के लिए भारत में वापिस आते समय भारत में लाई गयी स्वत: परिसमापनकारी परिसम्पत्तियों और विदेशी मुद्रा के मामले में बाद के सात वर्षों तक यह चलती रहती है।

(5) उपहार कर से छूट :— यदि उपहार भारत स्थित संबंधियों को भेजा गया हो;

(6) भारतीयों के स्वदेश लौटने की विदेशी मुद्रा संबंधी पात्रता योजना, विदेश से वापिस आने वाले भारतीय उनके विदेश प्रवास के दौरान विदेशों के दौरों के लिए, व्यक्तिगत प्रयोजनों और इलाज, आश्रित बच्चों व अभिभावों की विदेश में शिक्षा के लिए, विदेश में रह रहे निकट मित्रों के उपहार भेजने के लिए व्यावसायिक उपयोगों के लिए विशेष उपकरणों के लिए उनके द्वारा स्वदेश भेजी गई 25 प्रतिशत विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं;

(7) यदि वे भारत में आने के पांच वर्ष किसी अन्य देश में रहने के लिए भारत से बाहर जाना चाहते हैं, तो अनिवासी भारतीय आवास बदलने पर भारत में लाई गई समग्र मुद्रा (करेन्सी) वापिस ले जा सकते हैं।

टेलीफोन द्वारा ट्रंक कालों पर वरीयता

4383. **श्री अमल दत्त :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन विभाग द्वारा ट्रंक कालों पर किस तरह की कालों को वरीयता दी जाती है; और तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) वरीयता कालों के बारे में विद्यमान दिशा निदेश क्या हैं; और

(ग) क्या संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को वरीयता नहीं दी जाती, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ट्रंक कालों के लिए

निम्नलिखित प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं :—

1. लाइन खाली करें
2. अति तत्काल
3. अति तत्काल प्रचालन
4. तत्काल
5. महत्वपूर्ण
6. लाइटनिंग
7. तुरन्त
8. साधारण

(ख) "लाइन खाली करें" प्राथमिकता वाली कालें किसी भी कर्मचारी या सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा ऐसे समय में बुक कराई जा सकती हैं जब उक्त कालें सामूहिक दुर्घटना जैसे हवाई जहाज या रेल दुर्घटना, पोतभंग, बाढ़ दुर्घटना, भूकंप आदि से संबंधित हों।

(ग) संसद सदस्य तथा विधान सभा सदस्य साधारण कालों के अतिरिक्त "लाइटनिंग" एवं "तुरन्त" कालें बुक करा सकते हैं। क्रम संख्या 1 से 5 तक की प्राथमिकता कालें केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रयोग के लिए हैं। एक ही श्रेणी में कालों की प्राथमिकता उनके बुक कराने के समय के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

तारों की बुकिंग के लिए प्राथमिकता

4384. श्री अमल दत्त : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यक्तियों की श्रेणी के अनुसार तारों की बुकिंग के लिए प्राथमिकता देने की संबंधी कोई मार्गनिर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो मार्गनिर्देश क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों द्वारा बुक कराये जाने वाले तारों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो जन प्रतिनिधियों को इसमें प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(ख) तारों की प्राथमिकता उनकी विषय-वस्तु की किस्म और तत्कालिकता के आधार पर न कि तार के भेजने वाले के आधार पर निश्चित की जाती है। आम तौर पर यह प्राथमिकता तार के शीर्ष पर उपयुक्त श्रेणी के पूर्व शब्द लगाकर दिखाई जाती है।

इलेक्ट्रोनिक्स एक्सचेंजों का आयात

4385. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के जापान/फ्रांस से आयात करने की योजना है और इनका आयात 1985-86 के दौरान चरणबद्ध रूप से सुनिश्चित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आयात का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक एक्सचेंज की स्थापना कब तक हो जायेगी;

(ग) क्या इनमें से किसी को 30 नवम्बर, 1985 तक स्थापित किया गया है; और

(घ) क्या उन्हें ऐसे जिला मुख्यालयों में, जहां पर इन एक्सचेंजों की स्थापना के लिए भवन तैयार है, स्थापित करने को प्राथमिकता देने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 1-4-85 से 30-11-85 तक के निम्नलिखित स्थानीय इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए गए हैं :—

1. राजौरी गार्डन 10,000 लाइनें, दिल्ली टेलीफोन
2. नेहरू प्लेस-III 10,000 लाइनें, दिल्ली टेलीफोन
3. कोपरेज-IV का विस्तार 10,000 से 20,000 लाइनें, बम्बई टेलीफोन
4. करोल बाग-IV 10,000 लाइनें, दिल्ली टेलीफोन
5. रेलवे पुरा-IV 10,000 लाइनें, अहमदाबाद टेलीफोन
6. सैफाबाद-III 10,000 लाइनें, हैदराबाद टेलीफोन
7. पठानकोट-3,000 लाइनें
8. लाजपतनगर-5,000 लाइनें, कानपुर टेलीफोन
9. वर्ली-III 10,000 लाइनें, बम्बई टेलीफोन

(घ) जी, हां।

विवरण

जापान/फ्रांस से आयातित इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज जिनके 1985-86 के दौरान खोले जाने की संभावना है

क्र०सं०	एक्सचेंज	क्षमता	जहां से आयातित किया गया है	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	राजौरी गार्डन, दिल्ली	10,000 लाइनें	जापान	पहले से चालू है।
2.	नेहरू प्लेस-III, दिल्ली	10,000 लाइनें	जापान	वही
3.	करोल बाग-IV, दिल्ली	10,000 लाइनें	जापान	वही
4.	कोपरेज-IV (एक्सपेंशन) बम्बई	10,000 लाइनें और 20,000 लाइनें	जापान	वही
5.	वर्ली-III, बम्बई	10,000 लाइनें	फ्रांस	वही
6.	रेलवे पुरा-IV, अहमदाबाद	10,000 लाइनें	फ्रांस	वही
7.	सैफाबाद-III, हैदराबाद	10,000 लाइनें	फ्रांस	वही
8.	पठानकोट, पंजाब	3,000 लाइनें	फ्रांस	वही
9.	लाजपत नगर, कानपुर	5,000 लाइनें	फ्रांस	वही
10.	तीस हजारी-IV (एक्सपेंशन) दिल्ली	10,000 लाइनें 20,000 लाइनें	जापान	1985-86 के दौरान ही चालू किया जाना है।
11.	बांद्रा-I (एक्सपेंशन) बम्बई	10,000 लाइनें 20,000 लाइनें	जापान	-वही-
12.	प्रभादेवी II, बम्बई	10,000 लाइनें	जापान	वही
13.	घाटकोपर, बम्बई	5,000 लाइनें	फ्रांस	वही
14.	वाडेला-II, बम्बई	10,000 लाइनें	फ्रांस	वही
15.	फ्लोवर बाजार, मद्रास	10,000 लाइनें	फ्रांस	वही
16.	लाजपत नगर, कानपुर	5,000 लाइनें	फ्रांस	वही

1	2	3	4	5
17.	श्रीगंगानगर, राजस्थान	3,000 लाइनें	फ्रांस	पहले से चालू है।
18.	कलपत्ता, केरल	600 लाइनें	जापान	वही
19.	धार, मध्य प्रदेश	400 लाइनें	जापान	वही
20.	धेनकनाल, उड़ीसा	600 लाइनें	जापान	वही
21.	डुंगारपुर, राजस्थान	400 लाइनें	जापान	वही

डाकघरों में मार्स कोड पर आधारित तार कार्यालयों को मंजूरी

4386. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों में "मॉर्स कोड" पर आधारित तार कार्यालय तथा विभागीय तार कार्यालय मंजूर करने के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या कठिन भौगोलिक स्थिति बिखरी जनसंख्या और संचार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में इन मानदण्डों में कोई छूट दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या छूट दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) (i) डाकघर में मॉर्स कोड पर तार सुविधा तभी प्रदान की जाती है जबकि उसका तार परियात प्रति दिन 10 संदेश का हो जाता है।

(ii) जिन मुफसिल इलाकों में केन्द्रीय तारघर/विभागीय तारघर उपलब्ध नहीं हैं वहां संयुक्त तारघर की तार शाखा को, प्रतिदिन 500 या उससे अधिक तार संदेश प्रचलित करने पर विभागीय तारघर में परिवर्तित कर दिया जाता है।

(iii) जिन शहरों और कस्बों में केन्द्रीय तारघर/विभागीय तारघर पहले से ही कार्य कर रहे हैं, वहां के संयुक्त डाकतार घर की तार शाखा को प्रतिदिन 200 या उससे अधिक तार संदेश बुक या वितरित करने पर विभागीय तारघर में परिवर्तित कर दिया जाता है।

(iv) प्रतिदिन 500 या उससे अधिक संदेश वितरित करने पर मौजूदा केन्द्रीय तारघर/विभागीय तारघर का विभाजन कर दिया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में स्थित डाकघरों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा मानदंड में ढील देकर प्रदान की जाती है। इसके साथ-साथ लम्बी दूरी के टेलीफोन पर फोनोकम आधार पर तार सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस क्षेत्र की संचार आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

हिमाचल प्रदेश में नई पनबिजली परियोजनाएं

4387. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में बिजली उत्पादन की किन्हीं नई पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो दोनों श्रेणियों की परियोजनाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं तथा उनकी बिजली उत्पादन क्षमता क्या होगी और प्रत्येक का कितने समय में निर्माण पूरा होने का अनुमान है; और

(ग) क्या पन बिजली उत्पादन की अत्यधिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में परियोजनाओं को कोई प्राथमिकता दी गई है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) 5540.15 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता की जल विद्युत स्कीमें सातवीं योजना में चालू किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना में शामिल किए जाने के लिए 12 नई जल विद्युत स्कीमें 1-4-1985 के बाद स्वीकृत की गई हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) संबंधित राज्य की विद्युत क्षमता सहित प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर परियोजनाएं अनुमोदित की जाती हैं।

विवरण

क्र० सं०	स्कीम का नाम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	निर्माण की अवधि (वर्षों की संख्या)
1	2	3	4	5
1.	ककतिया नहर	आन्ध्र प्रदेश	3.05	3
2.	नागार्जुनसागर बायां तट नहर	आन्ध्र प्रदेश	30	3

1	2	3	4	5
3.	तीस्ता नहर प्रपात	पश्चिम बंगाल	67.5	5
4.	रोंगनीचू चरण-2	सिक्किम	2.5	3
5.	सूर्य	महाराष्ट्र	5	4
6.	मानिकडोह	महाराष्ट्र	6	5
7.	कनहेर	महाराष्ट्र	4	3
8.	ढोम	महाराष्ट्र	2	3
9.	रेंगाली चरण-दो	उड़ीसा	150	5
10.	मोराडि	मध्य प्रदेश	1	3
11.	मालमपुझा	केरल	2.5	3
12.	मदुपट्टी	केरल	2	3

बिजली की सप्लाई में पारेषण की हानि

4388. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, घरेलू उद्योग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की नियमित और विश्वसनीय सप्लाई में पारेषण हानि बिजली का बार-बार फेल होना और अन्य कमियों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में पारेषण हानि की प्रतिशतता क्या है और हानि को कम करने तथा उपभोक्ताओं को सन्तोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न बिजली बोर्डों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या इस बारे में सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष प्रयास करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उन प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई की समस्याओं की सरकार को जानकारी है।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों में पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विद्युत संबंधी हानि को कम करने और उपभोक्ताओं को संतोषजनक सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को सुझाए गए महत्वपूर्ण उपायों में ये शामिल हैं (1) उप-पारेषण और वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाना; (2) विद्युत संघटक में सुधार करने के लिए कैपेसिटर्स प्रतिष्ठापित करना; और (3) ऊर्जा की चोरी को कम करने और समाप्त करने के लिए सघन पर्यवेक्षण और बार-बार निरीक्षण करना।

(ग) और (घ) वितरण प्रणालियों के लिए विशेष रूप से प्रणाली सुधार कार्यों के लिए अपनी वार्षिक योजनाओं में पर्याप्त निधियों का आबंटन करने हेतु राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी गई है।

विवरण

1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों में पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता।

क्रम सं०	राज्य	* पारेषण और वितरण हानियो की प्रतिशतता
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	21.20
2.	असम	20.00
3.	बिहार	25.61
4.	गुजरात	21.00
5.	हरियाणा	21.81
6.	हिमाचल प्रदेश	21.04
7.	जम्मू और कश्मीर	39.00
8.	कर्नाटक	22.00
9.	केरल	15.00
10.	मध्य प्रदेश	19.15
11.	महाराष्ट्र	14.80
12.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं
13.	मेघालय	7.18
14.	नागालैण्ड	उपलब्ध नहीं

1	2	3
15.	उड़ीसा	18.00
16.	पंजाब	19.00
17.	राजस्थान	24.00
18.	सिक्किम •	उपलब्ध नहीं
19.	तमिलनाडु	18.75
20.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं
21.	उत्तर प्रदेश	19.00
22.	पश्चिम बंगाल	17.00

* टिप्पणी : अनन्तिम।

रुग्ण एककों को पुनः चालू करना

4389. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर }
श्री राधाकांत डिगाल } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में रुग्ण एककों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो देश में रुग्ण एककों की संख्या क्या है;

(ग) उनकी रुग्णता के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) उन उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसके द्वारा रुग्णता की स्वीकृत परिभाषा के अनुसार एकत्र किए जाते हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए नवीनतम आंकड़ों (अनन्तिम) के अनुसार दिसम्बर 1984 के अन्त तक रुग्ण एककों की संख्या 93,282 थी। लघु एकक 91,450, मझौले एकक 1287 और बड़े एकक 545 थे।

(ग) साथ-साथ चलने वाले आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के अनेक कारणों से

औद्योगिक रुग्णता पैदा होती है। दोषपूर्ण आयोजन, प्रबंध में कमियां, अकुशल वित्तीय नियन्त्रण संसाधनों को अन्यत्र लगाना, अनुसंधान एवं विकास पर पर्याप्त ध्यान न देना, प्रौद्योगिकी और मशीनरी का गलत प्रयोग होना, खराब औद्योगिक सम्बन्ध, मांग में कमी कच्चे माल और अन्य निविष्टियों की कमी तथा अवस्थापना सम्बन्धी अड़चनें आदि प्रमुख कारण हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने अक्तूबर, 1981 में रुग्ण एककों के लिए नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा की थी और इनकी मुख्य विशेषताएं लोक सभा में दिनांक 23-1-1985 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2[illegible]4 के उत्तर में दे दी गई हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, बैंक और वित्तीय संस्थाएं निदानपरक अध्ययनों के आधार पर पुनःस्थापन योजना तैयार करती हैं जिसके साथ-साथ पूंजी का पुनर्निर्माण, ब्याज संबंधी देयताओं का निधीयन, आसान शर्तों पर पूंजीगत और कार्यशील पूंजी ऋण, प्रबंध संबंधी सहायता, ऋण सेवाओं की देयताओं में राहत या इसके लिए समय-सूची पुनः बनाने आदि की भी व्यवस्था शामिल है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुनःस्थापन के लिए तैयार की गई योजना के अंग के रूप में, सरकार की सम्भाव्य और आवश्यक राहतें और रियायतें प्रदान करती हैं। इसके अलावा, स्वस्थ एककों द्वारा रुग्ण एककों को अपने साथ आमेलित करने के लिए उन्हें आयकर में रियायतें देकर प्रोत्साहित किया जाता है। गत प्रयोग संयंत्र और मशीनों के आधुनिकीकरण और उन्हें प्रति स्थापित करने के लिए पूंजीगत माल के आयात हेतु तकनीकी विकास निधि आयात नीति के अधीन सहायता भी उपलब्ध है।

इसके साथ ही एक बिल अर्थात "दि सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज (स्पेशल प्रोविजन्स) बिल, 1985 लोक सभा दिनांक 9 दिसम्बर, 1985 को पारित कर चुकी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण और सक्षम रुग्ण औद्योगिक एककों का समय पर पता लगाने तथा एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय जिसे औद्योगिक और पुनर्निर्माण बोर्ड के रूप में नामित किया जाना है, की स्थापना करने की भी व्यवस्था है इस निकाय को जीव्यक्षम रुग्ण औद्योगिक एककों के त्वरित पुनस्थापन के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपायों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त होगा।

हल्दिया पेट्रो रसायन परियोजना के उत्पाद मिक्स को बदलना

4390. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित हल्दिया पेट्रो रसायन परियोजना के उत्पाद मिक्स को बदलने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले पर निर्णय लिए जाने में कितना समय लगेगा ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि० ने प्रस्तावित हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना के उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के लिए केन्द्र सरकार से आवेदन किया है।

(ख) और (ग) अनुरोध की जांच की जा रही है।

प्रौद्योगिकी के लिए भारतीय कम्पनियों द्वारा जापानी फर्मों के साथ सहयोग

4391. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग द्वारा निर्मित कारों के लिए सिलेन्डरों के ब्लाकों का उत्पादन करने के लिए मशीनों का निर्माण करने के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, हैदराबाद को 30 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य ठेका नहीं दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भारत की जिन कम्पनियों ने प्रौद्योगिकी तथा समान भागीदारी के लिए जापानी फर्मों के साथ सहयोग किया था वे अब अपने स्वदेशीकरण कार्यक्रम को दीर्घकालीन पैमाने पर तैयार करने के लिए जापानी फर्मों के अधिक दबाव में हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें कौन-सी भारतीय कम्पनियां शामिल हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) निर्धारित अवधि के अन्दर कार को 95 प्रतिशत तक स्वदेशी बनाने की वचनबद्धता का ध्यान में रखते हुए मारुति उद्योग लिमिटेड इंजन ब्लाक और सिलेन्डर हेड मशीनिंग लाइनों के स्वदेशी विकास की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है और इस प्रकार लगभग 16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आयात किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाना

4392. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा "निर्यात के लिए लघु उद्योगों का आधुनिकीकरण" विषय पर हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में लघु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करने तथा आधुनिकीकरण के क्षेत्र में प्रयासों का समन्वय करने हेतु एक शीर्षस्थ एजेंसी बनाने सहित अनेक उपाय करने का आह्वान किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने 18 नवम्बर, 1985 को "मार्डनाइजेशन आफ स्माल इंडस्ट्रीज

फार एक्सपोर्ट्स" के सम्बन्ध में एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया था। इस विचार-गोष्ठी में वक्ताओं और सहभागियों ने निर्यात के लिए लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित अनेक विषयों को शामिल किया था। सिफारिशों के सारांश में आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए आवश्यक निवेशों को समेकित करने और उनकी व्यवस्था करने के लिए शीर्ष संगठन की स्थापना करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

ब्रांड नाम वाली औषधियों बनाम मूल नाम से बनाई जाने वाली औषधियों के विक्रय मूल्य

4393. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु क्षेत्र द्वारा मूल नाम से बनाई जाने वाली बल्क औषधियों और दवाइयों बनाम उसी कच्चे माल से बड़े एककों द्वारा ब्रान्ड नाम से बनाए जाने वाली औषधियों के तुलनात्मक बिक्री मूल्य क्या है; और

(ख) तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) और (ख) इन लघु एककों को जिनकी कुल बिक्री 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के पैराग्राफ 13 के संचालन से छूट प्राप्त है। मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत आने वाले निर्माता सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्यों तक अपने फार्मूलेशनों की बिक्री करने के लिए स्वतन्त्र हैं। जातिगत नामों से बेची गई दवाइयों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं होता जबकि विशेष रूप से शिनाख्त की गई दवाइयों को छोड़कर ब्रांड दवाईयों पर उत्पाद शुल्क है। इस प्रकार जातिगत और ब्रांड उत्पादों के मूल्यों का कोई तुलनात्मक अध्ययन करना सम्भव नहीं है।

6 ए०पी०ए० का स्वदेशी उत्पादन

4394. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आज तक स्वदेशी निर्माताओं द्वारा 6 ए०पी०ए० का महीने वार कितना उत्पाद किया गया है;

(ख) एमपीसीलीन ट्राइहाइड्रेट के उन वास्तविक प्रयोक्ताओं के क्या ब्यौरे हैं जिन्होंने अपने अधिकृत हिस्से से अधिक 6 ए०पी०ए० के स्वदेशी निर्माताओं से इसकी खेप प्राप्त की है; और

(ग) संबंधित पार्टियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) 6 ए०पी०ए० के माहवार उत्पादन पर इस मन्त्रालय द्वारा निगरानी रखी जाती है। उपलब्ध

सीमा तक स्वदेशी उत्पादन की सूचना निम्न प्रकार है :

	1983-84	1984-85
आई०डी०पी०एल०	i7.10	17.44
एच०ए०एल०	1.48	15·61
एलम्बिक	2.36	1.70
मेक्स इंडिया	शून्य	5.17

(ख) और (ग) राज्य व्यापार निगम, सरणीबद्ध अभिकरण, ने सूचित किया है कि किसी भी वास्तविक उपभोक्ता को स्वदेशी उत्पादकों के भण्डार से उनकी हकदारी से अधिक 6 ए०पी०ए० की मात्रा आबंटित नहीं की गई है। यह मंत्रालय इस बात से भी अवगत नहीं है कि किसी वास्तविक उपभोक्ता ने अपनी हकदारी से अधिक आपूर्ति प्राप्त की है।

औषध कम्पनियों द्वारा क्षय रोग रोधी औषधियों का अधिक मूल्य लिया जाना

4395. डा० गुलाम याजदानी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को यह जानकारी है कि औषध कंपनियों द्वारा क्षय रोग रोधी, रोगाणु रोधक (ऐंटिसेप्टिक) और विभिन्न अन्य आवश्यक औषधियों का अधिक मूल्य वसूल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय को ऐसे मामलों का पता चला है; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) कुछ कम्पनियों द्वारा बिना मूल्य अनुमोदन के सूत्रयोगों का विपणन करने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं :—

(ख) कम्पनियों के नाम तथा यथा उपलब्ध उत्पाद नीचे दिए गए हैं :—

क्रमांक	कम्पनी का नाम	श्रेणी	उत्पाद
1.	मै० वारनर हिन्दुस्तान लि०	एण्टी टी०बी०	इसोकिन तरल इसोकिन 300 मि० ग्रा० गोलियां
2.	मै० वारनर हिन्दुस्तान लि०	एण्टीसेप्टिक	लिस्टरिन

(ग) आइसोकिन लिक्विड तथा आइसोकिन 300 मि०ग्रा० गोलियों के संबंध में मै० वार्नर

हिन्दुस्तान एवं इसके निदेशकों को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत, वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग चलाने का प्रस्ताव था। कम्पनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने याचिका को वापिस लिए जाने के रूप में रद्द कर दिया तथा तत्पश्चात कम्पनी ने श्रेणीकरण सम्बन्धी सरकार के निदेश का अनुपालन कर लिया।

अन्य उत्पादो के सम्बन्ध में सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा कंपनियों ने उत्तर दिया। अनुवर्ती कार्यवाही जारी है।

1984-85 के दौरान डाकघर खोलना

4396. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1984-85 में राज्यवार गांवों में कितने डाकघर खोले गए ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जानकारी निम्न प्रकार है :

	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	बिहार	6
4.	गुजरात	1
5.	हरियाणा	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	6
7.	जम्मू व कश्मीर	3
8.	कर्नाटक	2
9.	केरल	1
10.	मध्य प्रदेश	6
11.	महाराष्ट्र	7
12.	मणिपुर	1
13.	मेघालय	1
14.	नागालैंड	1

15.	उड़ीसा	5
16.	पंजाब	शून्य
17.	राजस्थान	5
18.	सिक्किम	शून्य
19.	तमिलनाडु	1
20.	त्रिपुरा	शून्य
21.	उत्तर प्रदेश	8
22.	पश्चिम बंगाल	4
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	चन्डीगढ़	शून्य
4.	दादर एवं नगर हवेली	शून्य
5.	दिल्ली	शून्य
6.	गोवा दमन द्वीव	शून्य
7.	लक्ष द्वीप	शून्य
8.	मिजोरम	1
9.	पांडिचेरी	शून्य
	योग :	62

रियायती विद्युत सप्लाई के लिए दिशा निर्देश

4397. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लघु क्षेत्र के एककों की परिभाषा जैसी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है के भीतर आने वाले लघु क्षेत्र के एककों को रियायती दर पर बिजली सप्लाई के लिए कोई दिशा निर्देश बनाए हैं; और

(ख) लघु क्षेत्र के यूनिट की परिभाषा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड लागू करने के

बजाए बिजली बोर्डों द्वारा लोड फैक्टर के मापदंड को लागू करने के क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) टैरिफ के प्रयोजन हेतु लघु उद्योगों की परिभाषा राज्य बिजली बोर्डों की टैरिफ की अनुसूची में दी जाती है। इसमें भार अनुपात को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

छोटे औषध निर्माताओं को बल्क ड्रग्स के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन

4398. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से अब तक देश में बल्क ड्रग्स और ड्रग्स इंटरमीडिएट्स के उत्पादन में छोटे औषध निर्माताओं द्वारा कितना योगदान किया गया है;

(ख) इन एककों को क्या प्रोत्साहन और संरक्षण दिया गया है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जहां तक सूचना उपलब्ध है, लघु क्षेत्र द्वारा वर्ष 1981-82, 1982.83 और 1983-84 के दौरान किया गया बल्क औषधों का उत्पादन क्रमशः 30 करोड़ रुपये और 74 करोड़ रुपये का है।

(ख) और (ग) लघु क्षेत्र को आई० डी० आर० अधिनियम के औद्योगिक लाइसेंसिंग सम्बन्धी प्रावधानों से छूट प्राप्त है। कुछ बल्क औषधें पूर्णतः लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

औषधि तथा औषध इंटरमीडिएट्स का आयात

4399. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधि तथा औषध इन्टरमीडिएट्स के आयात के लिए सारिणीबद्ध एजेंसी को प्रभार में दी गई अनुमति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरणीबद्ध एजेंसियों द्वारा यह प्रभार खर्च किए बिना ही वसूल किया जा रहा है;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इन सारणीबद्ध

एजेन्सियों को इससे कितनी बचत हुई है; और

(घ) क्या सरकार ने यह राशि वसूल कर ली है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) :

(क) मुख्य आयात और निर्यात नियन्त्रक द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार सरणीबद्ध अभिकरण सर्विस तथा अन्य प्रभारों का हकदार हैं।

(ख) और (घ) मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक के फार्मूले के अनुसार निकाले गए आधिक्य और कमी तथा बैंक प्रभारों के सम्बन्ध में भी बचतों तथा अन्य अनुषंगियों को सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा औषध मूल्य समीकरण खाते में दे दिया जाता। सरणीबद्ध अभिकरण मुख्य आयात और निर्यात नियन्त्रक के फार्मूले के अनुसार स्वीकार्य प्रभारों को अपने पास रखता है।

कोल इंडिया लि० द्वारा बल्क औषध उद्योग का श्रेणीकरण

4400. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने कोयले के आबंटन के मामले में बल्क औषध उद्योग को निम्न प्राथमिकता वाली श्रेणी में रखा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्योग का पुन: श्रेणीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ङ) कोल इंडिया लि० ने उद्योगों को कोयले के आबंटन में कोई प्राथमिकता नहीं नियत की है। परन्तु रेलवे ने कोयले के परिवहन के लिए रेलवे वैगनों के आबंटन में प्राथमिकता नियत की है। रेलवे ने बड़े औषधि उद्योग को कोयला ले जाने के लिए वैगनों के आबंटन के मामले में कोई अलग से प्राथमिकता नहीं दी है। बड़े औषधि उद्योग को कोयले के संचलन के लिए सिफारिश निर्दिष्ट प्रायोजन प्राधिकारी "अन्य रसायन" वर्ग के अधीन करते हैं। इस वर्ग के लिए आबंटन उसी आधार पर किया जाता है जिस आधार पर अन्य ऐसे उच्च प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ता क्षेत्रों को किया जाता है जो "निर्यात", "लोको" और "रक्षा" क्षेत्रों से भिन्न होते हैं।

कुवैत और इराक में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड को हुए घाटों की जांच

4401. **श्री सुरेश कुरूप**
डा० सुधीर राय
} : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की दो परियोजनाओं अर्थात कुवैत में ए० बी० एच० पी० और इराक में सी० एम० बी० पी० जिनके बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 50वें प्रतिवेदन में विस्तृत ब्यौरा दिया गया था, की कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि अब तक कोई जांच नहीं की गई तो क्या वह अब की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकारी उपक्रमों की समिति ने अपनी 50वीं रिपोर्ट में इस विषय पर पहले ही विस्तृत रूप से जांच की है और समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई जैसे कि सरकार ने स्वीकार किया है, ई० वी० आई० के प्रबंधकों सरकार द्वारा की गई है।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संगम द्वारा की गई मांग

4402. **डा० ए० के० पटेल** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय न्यायाधीश संगम ने गत अगस्त में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें न्यायालय फीस और जुर्माने को राज्य-वार न्यायपालिका विकास निधि में जमा करने, न्यायालयों के प्रबंध का कंप्यूटरीकरण करने, न्यायालयों में रजिस्ट्री और टेलेक्स सुविधाओं की व्यवस्था करने, अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों को केंद्रीय सेवाओं के बराबर महंगाई भत्ता, दैनिक भत्ता और बेहतर वेतनमान देने, सवारी, पोशाक और पुस्तकों के लिए पर्याप्त भत्ते देने और प्रस्तावित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में सभी न्यायिक अधिकारियों को सम्मिलित करने की मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्रवाई करने का विचार है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) अखिल भारतीय न्यायाधीश संगम ने अधीनस्थ न्यायपालिका की सेवा की शर्तों में सुधार की मांग करते हुए सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा है। 31 अगस्त और 1 सितंबर, 1985 को हुए राज्यों के मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ-साथ, अधीनस्थ न्यायपालिका की सेवा की शर्तों पर विचार-विमर्श किया था और यह संकल्प पारित किया था कि सभी स्तरों पर अधीनस्थ न्यायपालिका में वेतन, परिलब्धियां और अन्य सेवा की शर्तों के संबंध में व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता है। चूंकि ये मदें मुख्य रूप से संबद्ध

राज्य सरकारों से संबंधित हैं, अतः, राज्य सरकारों से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है।

पंजाब में निर्वाचनों को प्रत्यादिष्ट किया जाना

4403. श्री चित्त महाता : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पंजाब विधान सभा के लिए कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन प्रत्यादिष्ट कर दिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्वाचनों को प्रत्यादिष्ट किया जाना पूर्व स्थापित पद्धति और प्रक्रिया के अनुरूप था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) 30-जलंधर उत्तर और 31-जलंधर केंद्रीय सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसरों ने 7 सितम्बर, 1985 को श्री गुरदयाल सिंह सैनी की, जो इन दोनों निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़ रहे थे, मृत्यु के कारण इन दोनों निर्वाचन-क्षेत्रों से मतदान प्रत्यादिष्ट कर दिए थे। मतदानों को प्रत्यादिष्ट किया जाना उस तारीख को यथा प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 के अनुसार था।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटर लागू करना

4404. डा० ए० के० पटेल : क्या विधि और न्याय मंत्री उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों और राज्य में कम्प्यूटर लागू करने के बारे में, 23.7.1985 के अतारांकित प्रश्न संख्यांक 169 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कार्यकरण में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी लागू करने तथा मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए एक इलैक्ट्रानिक केन्द्र स्थापित करने के बारे में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति लोढ़ा द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट पर विचार कर लिया है;

(ख) प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके प्रथम चरण पर प्राक्कलित लागत क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) न्यायमूर्ति श्री जी० एम० लोढ़ा ने कम्प्यूटर व्यवस्था के विषय में मोनोग्राफ की एक प्रति भेजी थी। यह यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की न्यायपालिका में कम्प्यूटर व्यवस्था के उनके द्वारा

किए गए अध्ययन पर आधारित था। इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटर व्यवस्था आरंभ करने की परिकल्पना की गई है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कंप्यूटर लगाने का प्रश्न सरकार के ध्यान में है।

[हिन्दी]

राज्यों में जिला उद्योग केन्द्रों के मार्गदर्शन के अन्तर्गत स्थापित उद्योग

4405. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला उद्योग केन्द्रों के मार्गदर्शन के अन्तर्गत राज्य-वार, कुल कितने नये उद्योग स्थापित किये गये हैं;

(ख) उनमे से कितने उद्योग बन्द पड़े हैं और उनमें कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ग) कितने उद्योगों को बन्द कर दिया गया है और कितने उद्योग रुग्ण पड़े हैं तथा उनके रुग्ण हो जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने कितने रुग्ण उद्योगों को कार्यसक्षम बनाने का प्रयास किया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) 1978-79 से 1983 84 तक जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के शुरू होने के स्थापित नए एककों (लघु उद्योग और कारीगर पर आधारित एकक) की कुल संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) देश में बंद पड़े औद्योगिक एकक और उसमें लगाई गई पूंजी के सम्बन्ध में सूचना इस मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार जून, 1984 के अंत तक अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले लघु उद्योग एककों की संख्या 8',647 थी। साथ-साथ या अकेले चलने वाले आंतरिक और बाह्य दोनों ही अनेक प्रकार के कारण औद्योगिक रुग्णता के प्रति उत्तरदायी हैं। दोषपूर्ण आयोजना, प्रबंध में कमियां, वित्तीय नियंत्रण में अदक्षता, स्रोतों को अन्यत्र लगाना, अनुसंधान और विकास पर अपर्याप्त ध्यान, प्रौद्योगिक और मशीनरी का गत प्रयोग होना खराब औद्योगिक संबंध, मांग में कमी, कच्चे माल, वित्त और अन्य निविष्टियों की कमी तथा अवस्थापना संबंधी अड़चनें आदि औद्योगिक रुग्णता के प्रमुख कारण हैं।

जून, 1984 के अंत तक 81,641 रुग्ण लघु उद्योग एककों में से लगभग 6000 एकक को पुनरुज्जीवित करने के लिए जीव्यक्षम माना गया।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1978-79 से 1983-84 तक स्थापित किए गए लघु उद्योग और कारीगर पर आधारित नए एककों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	145433
2.	असम	11469
3.	बिहार	135527
4.	गुजरात	118185
5.	हरियाणा	34210
6.	हिमाचल प्रदेश	21326
7.	जम्मू और कश्मीर	5328
8.	कर्नाटक	45260
9.	मध्य प्रदेश	89573
10.	केरल	58428
11.	महाराष्ट्र	136158
12.	मणिपुर	5864
13.	मेघालय	4130
14.	नागालैण्ड	3285
15.	उड़ीसा	318688
16.	पंजाब	55030
17.	राजस्थान	40258
18.	सिक्किम	24
19.	त्रिपुरा	3370
20.	उत्तर प्रदेश	216060

1	2	3
21.	पश्चिम बंगाल	28738
22.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	171
23.	तमिल नाडु	64633
24.	अरुणाचल प्रदेश	699
25.	चण्डीगढ़	584
26.	दादर और नगर हवेली	90
27.	गोआ, दमन और द्वीव	1984-85 से जिला उद्योग केन्द्र ने कार्य शुरू किया
28.	मिजोरम	1048
29.	पाण्डिचेरी	1240
	जोड़ :	1545032

[अनुवाद]

ग्लिबे-नकलेमाइड की अधिक कीमत वसूल करना

4406. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्लिबेनक्लेमाइड का देश में निर्माण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस औषधि का निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा इस औषध की क्या कीमत निर्धारित की गई है और कम्पनियों द्वारा अपनी निर्मित औषधियों की क्या कीमत वसूल की जा रही है; और

(घ) क्या यह सच है कि कम्पनियां अपनी निर्मित औषधियों की अधिक कीमत वसूल कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) संगठित क्षेत्र में मै० हैक्स्ट ग्लाइबेन्कलामाइड के एकमात्र निर्माता हैं।

(ग) से (ङ) ग्लाइबेन्कलामाइड के लिये औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अधीन प्रचलित 9800 रुपये प्रति कि० ग्रा० मूल्य में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अधीन 2458 रुपये प्रति कि० ग्राम तक कटौती की गई थी। इस औषध पर आधारित फार्मूलेशनों के लीडर मूल्यों में भी 5 मि० ग्रा०/गोली के 10 × 10 के पैक के लिए उत्पाद शुल्क सहित 17.35 रुपये से उत्पाद शुल्क के बिना 5.98 रुपये तक कटौती की गई थी। तथापि, कम्पनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने ग्लाइबेन्कलामाइड बल्क औषध और इस औषध पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्यों में संशोधन के सरकार के आदेशों को रद्द कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

अपनी औषधियों के मूल्य बढ़ाने का अनुरोध करने वाली कम्पनियां

4407. श्री विष्णु मोदी क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1984-85 और अप्रैल, 1985 से 31 अक्तूबर, 1985 तक की अवधि के दौरान औषधियों के मूल्य बढ़ाने हेतु आवेदन किया है तथा उनके उत्पादों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक उत्पाद के एक-एक पैक का पहले मूल्य क्या था और प्रत्येक मामले में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है; और

(ग) प्रत्येक मामले में मूल्य वृद्धि के आधार क्या हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) औसतन प्रत्येक सप्ताह फार्मूलेशनों के 15 से 20 पैकों के मूल्य संशोधित किये गये हैं उन फार्मूलेशनों की संख्या जिन फार्मूलेशनों के मूल्य प्रश्नाधीन अवधि के दौरान निर्धारित किये गये हैं, को ध्यान में रखते हुए पूछे गये ब्यौरों के एकत्रण में लगने वाले समय और प्रयासों की तुलना में प्राप्त होने वाले संभावित परिश्रम लाभप्रद नहीं होंगे।

अनिवासी भारतीयों को उद्योग स्थापित करने के लिए उपलब्ध रियायतें

4408. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों को उद्योग स्थापित करने के लिए क्या रियायतें दी गयी हैं; और

(ख) इस प्रकार राज्य-वार कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विवरण—1 संलग्न है।

(ख) नवम्बर, 1985 में विशेष स्वीकृति समिति का गठन हो जाने के बाद से अनिवासी भारतीयों को 115 आशय-पत्र/अनुमति पत्र/औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय (एस० आई० ए०) पंजीकरण जारी किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण—2 में दिया गया है। परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण—1

अनिवासी भारतीय/भारतीय राष्ट्रीयता वाले/मूल अनिवासी भारतीय को उपलब्ध सुविधाएं।

1. अनिवासी भारतीयों को निवासी भारतीयों के बराबर ही महत्व दिया जाता है। उनके विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों पर भी, यदि उनके द्वारा औद्योगिक एकक स्थापित किया जाना अपेक्षित है, निवासी भारतीयों पर लागू मानदण्डों के अनुसार ही विचार किया जाता है। किन्तु, औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए उनके द्वारा अपेक्षित पूंजीगत माल के आयात हेतु उन्हें वर्ष 1985-88 की आयात नीति के पैरा 166 से 171 के अन्तर्गत दिए गए ब्यौरे के अनुसार कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। पूंजीगत माल के आयात के लिए अनिवासी भारतीयों को दी जाने वाली विशेष सुविधाएं केवल उन लोगों तक ही समिति है, जो स्थायी रूप से रहने के लिए भारत वापिस आ रहे हैं। इन विशेष सुविधाओं के अंतर्गत, अनिवासी भारतीय उन पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सकते हैं, जो स्वदेशी रूप से उपलब्ध है बशर्ते कि अपनी निजी विदेशी मुद्रा से ही आयात के लिए पूर्णतया वित्तीयन करें और आयात की जाने वाली वस्तु को आयात पर नीति के अनुसार प्रतिबंधित न हो।

2. अनिवासा-भारतीय किसी के साथ/स्वामित्वाधीन फर्मों या लिमिटेड कम्पनियों (वास्तविक सम्पदा व्यवसाय में रत कम्पनियों को छोड़कर) में स्वदेश वापस न ले जाने की शर्त पर 100 प्रतिशत तक का पूंजी निवेश कर सकते हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमनों के अनुसार पोर्टफोलियो निवेश भी कर सकते हैं।

3. स्वदेश में वापस जाने के आधार पर, अनिवासी भारतीय 40 प्रतिशत या 74 प्रतिशत की योजना के अन्तर्गत निवेश कर सकते हैं। 40 प्रतिशत योजना के अन्तर्गत, अनिवासी भारतीय विद्यमान या नई कम्पनियों के नये निर्गमों में सार्वजनिक निर्गम, नये निर्गम में 40 प्रतिशत तक, के जरिये पूंजी को बढ़ाकर निवियोजित पूंजी और उससे होने वाली आय को स्वदेश ले जाने के पूरे लाभों को उठाते हुए निवेश कर सकते हैं।

74 प्रतिशत की योजना के अन्तर्गत, अनिवासी भारतीय कम्पनी प्राथमिकता वाले किसी भी उद्योग और निर्यातोन्मुख उद्योग में निवियोजित पूंजी और उससे होने वाली आय को स्वदेश ले जाने का पूरे लाभ उठाते हुए कम्पनी की इक्विटी पूंजी का 74 प्रतिशत तक का निवेश कर सकते हैं। दूसरे उद्योगों में भी 74 प्रतिशत योजना के अन्तर्गत निवेश किया जा सकता है बशर्ते कि अनिवासी भारतीय निवेशकर्ता 60 प्रतिशत उत्पादन के निर्यात (लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के सम्बन्ध में 75 प्रतिशत (दायित्व की वचनबद्धता करे। औद्योगिक क्षेत्र के अलावा, अनिवासी भारतीय 74 प्रतिशत योजना के अन्तर्गत 3, 4 या 5 सितारा होटल परियोजनाओं, हस्पतालों तथा जटिल प्रकार के नैदानिक केन्द्रों में भी निवेश कर सकते हैं।

विवरण—2

अनिवासी भारतीयों को जारी किये गये आशयपत्र/अनुमति पत्र/औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय (एस० आई० ए०) पंजीकरण।

राज्य	1983	1984	1985 (30-9-85 तक)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	—	7	11
दादर और नगर हवेली	—	—	2
दिल्ली	—	1	2
गुजरात	1	5	5
गोवा, दमन और द्विव	—	1	—
हरियाणा	—	5	7
हिमाचल प्रदेश	—	1	2
जम्मू और कश्मीर	—	1	—
कर्नाटक	—	3	5
महाराष्ट्र	1	7	9
मध्य प्रदेश	—	1	2
उड़ीसा	1	—	2
पंजाब	1	—	—

1	2	3	4
राजस्थान	—	—	4
तमिलनाडु	1	3	6
उत्तर प्रदेश	1	4	12
प० बंगाल	—	—	1
	6	39	70

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में विसंगतियां

4409. **डा० कृपा सिंधु भोई**
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी
श्री मोहम्मद महफूज अली खां
श्री कमला प्रसाद रावत
श्री अनन्त प्रसाद सेठी
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के चिकित्सा विभाग के कार्यकरण के बारे में 17 सितम्बर, 1985 के "टाइम्स आफ इन्डिया" में "एनामलीज इन डेसू मेडिकल सर्विसेज" शीर्षक से तथा 17 सितम्बर, 1985 के ही "जनसत्ता" में भी प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिना टेन्डर आमन्त्रित किए 2 लाख रुपये से भी अधिक की औषधियां स्थानीय बाजार से खरीदी गई हैं;

(ग) डेसू को क्षय रोग से ग्रस्त के लिए, जिनकी संख्या बहुत अधिक है, एक्स-रे की कोई व्यवस्था नहीं है;

(घ) पदोन्नति, स्टाफ कार की व्यवस्था तथा डेसू के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थानीय खरीद के अधिकार संबंधी अन्य अनियमितताओं और विसंगतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का डेसू में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां : (क) जी, हां।

(ख) सामान्यत:, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान एक नियमित प्रणाली के जरिये कोटेशन मंगाने के बाद तथा चिकित्सा बोर्ड और भण्डार क्रय समिति की सिफारिशों पर दवाइयां खरीदता है। अगस्त से अक्तूबर, 1985 तक की अवधि के दौरान आपात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पार्टियों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने

के बाद लगभग 1.25 लाख रुपये की मुख्य दवाइयां खरीदने के लिए आर्डर दिए थे। इनके अतिरिक्त, आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के बाद अगस्त 1985 से नवम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान सुपर बाजार से भी लगभग 6 लाख रुपये की राशि की दवाइयां खरीदी गई थीं।

(ग) वर्ष 1982 के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के लगभग 337 कर्मचारियों को जिनके बारे में क्षय रोग से ग्रस्त होने का संदेह था, जांच कराने और आवश्यक उपचार कराने की सलाह दी गई थी। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियो को बाजार में एक्स-रे कराने के लिए कहा जाता है। तथा अनुमोदित दरों पर उन्हें प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(घ) निरीक्षण करने और समुचित चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक दलील पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जुलाई, 1984 में स्टाफकार उपलब्ध कराई गई थी। आपात-कालिक स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 1000 रुपये तक की दवाइयां खरीदने का अधिकार है तथा यह राशि पूरे वित्तीय वर्ष में 10,000 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ङ) अपने कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डेसू द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

सातवीं योजना अवधि के दौरान बिजली बोर्डों को हानि

4410 **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के अनुमान के अनुसार, बिजली बोर्डों को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लगभग 11.757 करोड़ रुपये की हानि होगी; और

(ख) क्या सम्भावित हानि को रोकने के लिए टैरिफ दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सातवीं योजना दस्तावेज के अनुसार सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्य बिजली बोर्डों की वाणिज्यिक हानियां 1984-85 की दरों पर लगभग 11.757 करोड़ रुपये (आर्थिक सहायता के अतिरिक्त) और अधिक हो जाने का अनुमान है।

(ख) बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दरों को लागू करने तथा उनमें संशोधन करने का राज्य बिजली बोर्ड को अधिकार है। 1-4-1985 से प्रभावी, अधिनियम में एक संशोधन के अनुसार, एक राज्य बिजली बोर्ड को इस प्रकार से कार्य का संचालन करना होगा और अपनी दरों को समायोजित करना होगा कि अधिशेष, वर्ष के प्रारम्भ में बोर्ड की जमा पूंजी का 3 प्रतिशत से कम (अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उच्च प्रतिशत) न हो।

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों के अनुसंधान कार्य का फायदा

4411. डा० जी० एल० शैलेश
प्रो० रामकृष्ण मोरे
: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 10 नवम्बर, 1985 के "स्टेट्समैन" के नई दिल्ली में "हू बेनिफिट्स फ्राम एम० एन० सी० ड्रग फार्म्स शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत में बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों के पनपने के संबंध में कोई अध्ययन किया है जिनके द्वारा विदेशों में स्थित अपनी प्रमुख कम्पनियों का परोक्ष रूप से सहायता करने हेतु भारत में अनुसंधान कार्य पर 50 करोड़ रुपये खर्च करता है;

(ग) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या अनेक बहुराष्ट्रीय यूनिटों के संबंध में पैकिंग सामग्री सहित कच्चे माल के आयात पर विदेशी मुद्रा पर व्यय बढ़ता जा रहा है और यह वृद्धि 50 प्रतिशत से अधिक है;

(ङ) यदि नहीं, तो वे यूनिट कौन-कौन सी हैं; और

(च) सरकार का विचार उन यूनिटों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का है जो "कोर" क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी वाले औषधों के उत्पादन के नाम पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) आयात-निर्यात नीति के अनुसार कच्चे मालों के आयात की अनुमति है। कम्पनी-वार आयातों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड को कोयले और लिग्नाइट की सप्लाई

4412. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम माइनिंग एन्ड अलाइड मशीनरी कारपो-

रेशन लिमिटेड, दुर्गापुर को कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र की सप्लाई के मामले में इन क्षेत्रों का उपयुक्त समर्थन नहीं मिल रहा है, हालांकि उसे उच्चतम तकनीकी क्षमता प्राप्त है तथा इसके टेंडर की राशि सबसे कम होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1984 और 1985 के दौरान सरकारी क्षेत्र से विभिन्न अन्य उपक्रमों को मशीन और उपकरण सप्लाई करने के लिए दिए गये टेंडरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड को सहायता के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में वह अच्छा काम कर सकें?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) क्रयादेश देने के लिए निविदाओं के सम्बन्ध में निर्णय सम्बद्ध वाणिज्यिक और तकनीकी बातों पर आधारित होता है। किन्तु अन्य के साथ-साथ कोयला क्षेत्र से क्रयादेश देने के लिए एम० ए० एम० सी० को यथा-सम्भव समर्थन दिया गया है।

(ग) कुछ प्रमुख उपाय किये गये हैं जिनमें दीर्घावधि क्रयादेश प्राप्त करने के लिए सहायता देना; विद्यमान सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना; उत्पादकता में सुधार लाने की दृष्टि से प्रबन्ध को मजबूत बनाना; और संगत वित्तीय सहायता देना सम्मिलित है।

कोयले के मूल्य कम करने के लिए कदम उठाना

4413. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने कहा है कि भारत में कोयले के मूल्य भी पेट्रोल के मूल्य की तरह ऊंचे हैं, जैसा कि 14 नवम्बर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोयले के मूल्य कम करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) कोल इंडिया लिमिटेड का एक दशक पूरा होने के अवसर पर कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कम्पनियों के कर्मचारियों को एक अपील के रूप में संबोधित किया। इस अपील में उन्होंने कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने तथा कम्पनियों के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए कहा। इस अपील में उन्होंने कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए निर्धारित उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में उद्योग के वास्तविक निष्पादन की कुछ विशेष बातों का उल्लेख किया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर एक पत्रकार सम्मेलन को भी संबोधित किया। समाचार पत्रों ने इस पत्रकार सम्मेलन के

समाचार आदि विभिन्न प्रकार से प्रकाशित किये।

कोयले की खान-मुहाना कीमत मजदूरी बिल, भंडार-सामग्री, पेट्रोल, तेल और चिकनाई आदि जैसी उत्पादन सामग्री की लागत में वृद्धि पर विचार करके, लागत अध्ययन के बाद नियत की जाती है।

कोयला कम्पनियों को एक सुदृढ़ वित्तीय आधार प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें आगामी वर्षों में कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूर्णतया तैयार करने के विचार से उनमें उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। कोयला कम्पनियों में उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाये गए हैं जिनमें यह उपाय शामिल हैं : नई खानों में निवेश, पहले ही उपलब्ध खनन क्षमता का पूर्णतर उपयोग, उपकरणों का बेहतर इस्तेमाल तथा रखरखाव, सामग्री सूची पर अधिक कड़ा नियंत्रण और भंडार-सामग्री के उपयोग में किफायत, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण तथा अनुशासन लागू करके जनशक्ति का बेहतर इस्तेमाल और बेशी कामगारों का पता लगाकर उचित प्रशिक्षण के बाद उनका पुनर्नियोजन, विस्फोटक, इमारती लकड़ी आदि दुर्लभ उत्पादन-सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि, तीव्रतर संचलन तथा प्रणालीबद्ध वितरण द्वारा खान मुहाना स्टकों में कमी, नई परियोजनाएं शीघ्रता से एवं समय पर पूरी करना तथा कानून एवं व्यवस्था में सुधार और बिहार-बंगाल कोयला क्षेत्रों में माफिया गिरोहों के क्रियाकलाप पर नियंत्रण।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन की विशाखापत्तनम स्थित तेल शोधक कारखाने में हड़ताल

4414. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, विशाखापत्तनम स्थित तेल शोधक कारखाने के कर्मचारी हाल ही में लगभग 42 दिनों तक हड़ताल पर थे।

(ख) क्या हड़ताल करने वालों में कारपोरेशन के लिए कार्य कर रहा एक विदेशी भी शामिल था ;

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगों का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या इस बारे में कोई समझौता हुआ है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इन मांगों में सेवा से मुक्त कराए गए कर्मचारियों को काम पर लगाना, कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, सुविधाएं मुहैया करना और सुरक्षा के पूर्वोपाय करना आदि शामिल है।

(घ) जी, हां।

टी० पी० ए० आयात करने सम्बन्धी नीति में ढील के कारण उत्पन्न समस्याएं

4415. डा० चिन्ता मोहन
डा० जी० विजया रामाराव } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि टी० पी० ए० जो कि डी० एम० टी० की तुलना में श्रेष्ठ फाइबर है के आयात के लिए आयात नीति में ढील दिए जाने के कारण समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं; और

(ख) क्या सरकार ने डी० एम० टी० निर्माताओं को पुरानी मशीनें और प्रौद्योगिकी आयात करने की अनुमति देने के पूर्ववर्ती निर्णय की जांच की है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) टी० पी० ए० और डी० एम० टी० के लिए आयात नीति में झुकाव की प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि ये दोनों मदें आयात नीति की अनुसूची III के अधीन आती है। पोलिएस्टर फाइबर तथा यार्न के उत्पादन के लिए डी० एम० टी० तथा टी० पी० ए० दोनों वैकल्पिक कच्चे माल हैं।

(ख) जी, नहीं।

डी० एम० टी० और पी० टी० ए० का उत्पादन

4416. डा० ए० के० पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में डी० एम० टी० और पी० टी० ए० का विश्व में वर्षवार कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि डी० एम० टी० के नहीं बल्कि पी० टी० ए० के उत्पादन के लिए सुदूर पूर्व में अधिक नये संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि आई०आई०सी० की रिपोर्ट के अनुसार लागत की दृष्टि से पी०टी० ए० अधिक सस्ता कच्चा माल है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) वर्ष

1980-81 और 1982 के दौरान डी० एम० टी० और पी० टी० ए० का विश्व उत्पादन निम्न प्रकार सूचित किया गया है : –

	डी० एम० टी० (टन)	पी० टी० ए० (एम० टी० ए० सहित (टन)
1980	34,95,000	23,05,000
1981	38,35,000	25,10,000
1982	41,00,000	27,70,000

(ख) सरकार इससे अवगत नहीं है।

(ग) डी० एम० टी० और पी० टी० ए० पालिस्टर के निर्माण के लिए वैकल्पिक कच्चे माल हैं। यदि डी० एम० टी० और पी० टी० ए० दोनों के मूल्य बराबर हो, तो पी० टी० ए० अधिक लागत दक्ष कच्चा माल होगा।

वेस्पा एक्स० ई० स्कूटरों की कीमतों में वृद्धि

4417. श्री आनन्द सिंह
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या सरकार द्वारा दो पहिये स्कूटरों, मोटर साइकिलों और मोपेड्स के गैर-सरकारी निर्माता अपने वाहनों की कीमतों में मनमानी वृद्धि न करें उन पर कोई नियन्त्रण लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मैसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड ने, इच्छुक खरीदारों से बहुत अधिक संख्या में अग्रिम धन के रूप में राशि एकत्रित करने के बाद वेस्पा एक्स-ई-100 सी० सी० की कीमतों में मनमाने ढंग से काफी वृद्धि करके इसकी कीमत लगभग 9000 रु० कर दी है;

(घ) यदि हां, तो कीमतों में कितनी वृद्धि की गई है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने वेस्पा एक्स-ई-100 सी० सी० की लागत ढांचे का विस्तृत अध्ययन किया है अथवा करने का विचार है, यदि हां, तो किसके माध्यम से;

(च) क्या सरकार का विचार कीमतों में मनमाने ढंग से की गई वृद्धि को समाप्त कराने या इच्छुक खरीदारों से एकत्रित की गई अग्रिम राशि ब्याज समेत वापिस दिलवाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) मोटर गाड़ियों की कीमतों पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है।

(ग) और (घ) लोहिया मशीन्स लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लोहिया स्कूटर के कारखाने से निकलते समय के मूल्य (उत्पादन शुल्क को छोड़कर) के 9,600 रुपये से बढ़कर 11,355 रुपये होने के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) मुद्रा-दरों में घट-बढ़ के कारण स्कूटर में प्रयुक्त आयातित हिस्से-पुर्जों की लागत में वृद्धि; और

(2) इस्पात, अल्युमिनियम, अलौह धातुओं, टायरों, आदि जैसी अन्तर्वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) मैसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड ने बताया है कि 60 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के अन्दर आवेदकों को धनराशियां लौटाई जा रही हैं।

ऊर्जा के गैर-पारम्परिक साधनों सम्बन्धी कार्यकारी दल

4418. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊर्जा के गैर-पारम्परिक साधनों संबंधी कार्यकारी दल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सिफारिशें की हैं; और

(ख) उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सचिव, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की अध्यक्षता में अपारंपरिक ऊर्जा पर सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने इस कार्यक्रम के लिए इस क्षेत्र में 5574.07 करोड़ रुपये के खर्चे की सिफारिश की है। कार्यकारी दल की क्षेत्र-सम्बन्धी सिफारिशें संलग्न विवरण-1 में दर्शायी गई हैं। योजना आयोग ने 412 35 करोड़ रुपये का खर्चा अनुमोदित किया है। इस खर्चे से संबंधित क्षेत्रीय आवंटन संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों हेतु कार्यकारी दल द्वारा किए गए क्षेत्रीय आवंटन को दिखाने वाला विवरण

क्रम संख्या	क्षेत्र	सातवीं योजना (1985-90) में कुल
1	2	3
1.	पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र	525·00
2.	सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र	106.00
3.	बायोगैस में विकास एवं अनुसंधान	10.00
4.	सौर प्रकाश वोल्टीय	544.00
5.	सौर तापीय ऊर्जा	460.40
6.	ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां	115.00
7.	पवन ऊर्जा	101.68
8.	बायोमास	223[illegible].00
9.	उन्नत प्रकार के चूल्हों का राष्ट्रीय कार्यक्रम	85.00
10.	शहरी अपशिष्ट कार्यक्रम	522.00
11.	भारवाही पशु शक्ति	90.00
12.	बैटरी की शक्ति से चलने वाले वाहन	23.75
13.	मेग्नेटो हाइड्रो डायनामिक्स	80.00
14.	भू-तापीय ऊर्जा	40.00
15.	ऊर्जा के रासायनिक स्रोत	10.00
16.	महासागर ऊर्जा	42.00
17.	हाइड्रोजन ऊर्जा	65.00
18.	माइक्रो हाइडेल संयंत्र	506.20

1	2	3
19.	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय	6.12
20.	सूचना एवं प्रचार कार्यक्रम	5.92
	योग :	5574.07

विवरण-2

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग हेतु योजना आयोग द्वारा किए गए क्षेत्रीय आवंटन को दिखाने वाला विवरण

(रुपये करोड़ों में)

क्र० सं०	क्षेत्र	आवंटन
1	2	3
(i)	सौर तापीय ऊर्जा	32.00
(ii)	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम	27.00
(iii)	बायोगैस कार्यक्रम	200.00
	(क) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना	177.00
	(ख) सामुदायिक एवं संस्थागत बायोगैस संयंत्र	17.00
	(ग) अनुसंधान एवं विकास	6.00
(iv)	पवन ऊर्जा कार्यक्रम	20.00
(v)	बायोमास	25.00
(vi)	उन्नत प्रकार के चूल्हों की राष्ट्रीय परियोजना	40.00
(vii)	शहरी अपशिष्ट कार्यक्रम	14.00
(viii)	भारवाही पशु शक्ति	5.00

1	2	3
(ix)	ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोत	34.85
(x)	ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां	0.50
(xi)	सूचना एवं सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम	3.00
(xii)	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय	0.65
(xiii)	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रशिक्षण	0.35
(xiv)	नवीकरणीय ऊर्जा प्राधिकरण	10.00
	योग :	412.35

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पदोन्नति में आरक्षण

4419. श्री अनादि चरण दास : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हाल ही में समयबद्ध पदोन्नति नीति शुरू की गई है जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति हेतु बनाई गई रोस्टर प्रणाली समाप्त कर दी गई है;

(ख) क्या उक्त नीति से पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी सरकार के निदेशों का सीधा उल्लंघन होता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार और सरकारी उद्यम ब्यूरो (ब्यूरो आफ पब्लिक इण्टरप्राइसेज) की मंजूरी के बिना उक्त नीति लागू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस नीति को लागू करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और जितनी उपलब्ध होगी, उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

वैगन बनाने वाले यूनिटों द्वारा कम क्षमता का इस्तेमाल

4420. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वैगन बनाने वाले यूनिट अपनी अधिष्ठापित क्षमता का कम प्रतिशत उपयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो, प्रत्येक यूनिट का क्षमता उपयोग सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1984-85 में क्षमता का 45% उपयोग हुआ। एककवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्तमान वैगन निर्माण एककों की क्षमता का उपयोग

क्रमांक	एकक का नाम	क्षमता उपयोग का प्रतिशत 1984-85
1.	**भारत वैगन एण्ड इंजी० कम्पनी लि०**	
	मुजफ्फरपुर	49.0
	मोकामा	39.3
2.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता	43.0
3.	**बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड**	
	बर्नपुर	42.7
	हावड़ा	39.8
4.	जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	8.0
5.	सिमको लिमिटेड, भरतपुर (राजस्थान)	76.5
6.	हिन्दुस्तान जनरल इण्डस्ट्रीज, नागलोई, दिल्ली	35.0
7.	माडर्न इण्डस्ट्रीज, सहिबाबाद (गाजियाबाद)	26.9
8.	टैक्समेको लिमिटेड, कलकत्ता	86.5
	योग :	45.0

[हिन्दी]

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4422. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के विकास और राजस्थान के टोंक जिले में ऐसे नये उपक्रम स्थापित करने की कोई व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्योरा एकत्र किया जा रहा है और विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[**अनुवाद**]

राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में कार्यरत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति

4423. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के 31 उपक्रमों में कार्यरत 33 हजार व्यक्तियों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में जानकारी उप-क्रमवार एकत्र की जाती है और रखी जाती है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के छ: उपक्रमों के पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य में स्थित हैं। 1-1-1985 को इन छ: उपक्रमों मे सेवारत 16,283 में से 2285 व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा 2107 व्यक्ति अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित थे।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बिहार में उपभोक्ताओं से धनराशि वसूल करना

4424. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अक्तूबर, 1985 के "इण्डियन नेशनल" में छपे इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि कोल इण्डिया लिमिटेड ने 1973, से जून, 1985 में बिहार के उपभोक्ताओं से 56 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर सेवा प्रभारों के रूप में 7 करोड़ रुपये से अधिक वसूल किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कोल इण्डिया लिमिटेड ने सेवा प्रभार केवल बिहार में ही वसूल किए हैं और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे अन्य राज्यों में नहीं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पालियस्टर स्टैपल फाइबर और पालियस्टर फिलामेन्ट यार्न के बीच मूल्य समानता

4425. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 1 किलोग्राम, पालियस्टर स्टैपल फाइबर और 1 किलोग्राम पालियस्टर फिलामेंट यार्न के बीच क्या मूल्य समानता है;

(ख) भारत में इस सम्बन्ध में क्या मूल्य समानता है; और

(ग) घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इन दोनों में मूल्य समानता में भारी अन्तर के क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सूचना मिली है कि आयातित पोलिएस्टर फिलामेन्ट यार्न (पी० ओ० वाई० यार्न सहित) तथा पोलिएस्टर स्टैपल फाइबर का 1984-85 के दौरान सी० आई० एफ० मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

पोलियस्टर फिलामेन्ट यार्न (पी० ओ० वाई० यार्न सहित)	30 रुपये से 36 रुपये प्रति कि० ग्रा०
पोलियस्टर स्टैपल फाइबर	12 रुपये से 15 रुपये प्रति कि० ग्रा०

सूचना मिली है कि भारत में प्रथम दर्जे के पोलियस्टर फिलामेन्ट यार्न (बम्बई) का औसत बाजार मूल्य जनवरी-मार्च, 1985 के दौरान डेनियर के आधार पर 183.60 रुपये से 194.80 रु० के बीच रहा।

सूचना मिली है कि भारत में पोलियस्टर स्टैपल फाइबर (बम्बई) का औसत बाजार मूल्य जनवरी-मार्च, 985 के दौरान 91 रु० से 92 रु० प्रति कि० ग्रा० के बीच रहा।

अल्कोहल की कमी को दूर करने लिए रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल का उत्पादन

4426. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 नवम्बर, 1985 के बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे समाचार के अनुसार अल्कोहल की कमी के कारण देश में औषध कम्पनियां बन्द होने के लिए मजबूर हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या भारत में वैज्ञानिकों ने शीरे के अलावा अन्य नवीकरणीय साधनों से अल्कोहल तैयार करने का तरीका विकसित किया है और उसका प्रचार किया है और यदि हां, तो वह क्या है;

(घ) क्या अमरीका आदि की भांति रसायन प्रक्रिया से अल्कोहल का उत्पादन सम्भव है;

(ङ) यदि हां, तो क्या देश में इस प्रकार की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो उसके उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) देश में अल्कोहल के पर्याप्त उत्पादन के कारण औद्योगिक एककों औषध एककों सहित, को की गई आपूर्ति उनकी, पूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करने के पर्याप्त नहीं थी। अतः, सरकार ने वास्तविक उपभोक्ताओं (औद्योगिक) सीमा शुल्क मुक्त अल्कोहल (डिनेचर्ड) के आयात की अनुमति प्रदान की।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सैन्ट्रल क्राप्स रिसर्च इन्सटिट्यूट, त्रिवेन्द्रम में अल्कोहल के उत्पादन के लिए टैपियोका को प्रयोग करने की प्रक्रिया विकसित की है तथापि, इस प्रक्रिया का वाणिज्यिक उपयोग आरम्भ नहीं हुआ है।

(घ) से (च) अल्कोहल के उत्पादन में रसायन प्रक्रिया अन्तर्ग्रस्त है। तथापि, ऐसा लग रहा कि सदर्न सिंथेटिक अल्कोहल की ओर है, जिसका अमेरिका में बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। सिंथेटिक अल्कोहल का भारत में उत्पादन नहीं किया जा रहा है।

भारत वैगन एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी के मुख्यालय को बदलना

4427. **श्री कालो प्रसाद पाण्डेय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वैगन एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी के चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा मुख्यालय को मुजफ्फरपुर से बदल कर पटना ले जाया गया है जिसके फलस्वरूप इसका प्रतिष्ठान व्यय दस गुना बढ़ गया है; और

(ख) क्या सरकार इस मामले में कोई जांच करवा रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् पटना में मुख्यालय के होने के विशिष्ट लाभों के कारण निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार जिसे केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दे दी थी, भारत वैगन एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के मुख्यालय को अप्रैल, 1982 में मुजफ्फरपुर से पटना स्थानांतरित कर दिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में छिद्रण कार्य

4428. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री पी० मानिक रेड्डी } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रिगों की संख्या बढ़ाने के समुद्र में छिद्रण कार्य करने हेतु, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो रिगों की संख्या में कितनी वृद्धि किए जाने का लक्ष्य है;

(ग) वर्ष 1985-86 में कितने कुओं की खुदाई की जाएगी; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) ओ० एन० जी० सी० का 1985-86 के चालू वर्ष के दौरान कार्यशील रिगों की संख्या बढ़ाकर 5 तथा वर्ष 1986-87 के दौरान 6 तक करने का प्रस्ताव है जबकि इस समय कृष्णा-गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) तट पर 4 रिग कार्यशील हैं।

(ग) दस।

(घ) लगभग 57 करोड़ रुपये।

रुग्ण विद्युत संयंत्रों का अधिग्रहण

4429. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री मानिक सिंह रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव } क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में अनेक विद्युत संयंत्र रुग्ण पड़े हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे अनेक रुग्ण विद्युत संयंत्रों के नाम और उनकी संख्या क्या है;

(ग) उन रुग्ण विद्युत संयंत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार द्वारा अपने हाथों में लेने का विचार है; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) देश में अनेक ताप-विद्युत संयंत्र, संयंत्रों के पुराने होने, डिजाइन संबंधी कमियों, उपस्कर संबंधी कमियों, निम्न

गुणवत्ता वाले कोयले आदि जैसे अनेक कारणों से अपना निर्धारित विद्युत उत्पादन नही कर पा रहे हैं। तथापि, उन्हें रुग्ण ताप-विद्युत संयंत्रों की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वर्तमान ताप विद्युत संयंत्रों के विद्युत उत्पादन को बढ़ाने हेतु राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नवीकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीम क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत 32 ताप विद्युत केन्द्रों को अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए 1985-86 वर्ष के लिए 90.26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उड़ीसा के पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करना

4430. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में कितने उद्योग स्थापित किए गए;

(ख) उनकी जिलेवार क्या संख्या है तथा वे कहां पर स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या राज्य के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना में बहुत धीमी गति से प्रगति हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) किसी विशेष जिले/क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार बिभिन्न राजकोषीय रियायतों और केन्द्रीय निवेश राजसहायता, रियायती वित्त सहायता, ब्याज राजसहायता आदि जैसी राजसहायताओं द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में उनके प्रयत्नों में मदद करती है। सभी प्रोत्साहनों के ब्यौरे प्रेस टिप्पण सं० 14/2/83-डी०बी० ए०-1 दिनांक 9-4-85 के साथ पठित "पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए प्रोत्साहन" नामक पुस्तिका में दिए गए हैं; जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

वर्ष 1980 से 1985 (मार्च तक) के दौरान उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित आशय-पत्र, औद्योगिक लाइसेंस एवं तकनीकी विकास महानिदेशालय के पंजीकरण जारी किए गए थे :—

वर्ष	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	तकनीकी विकास महानिदेश में (पंजीकरण)
1980	7	5	6
1981	11	3	15
1982	25	2	12
1983	12	5	21
1984	7	5	14
1985 (मार्च तक)	7	1	6

एकक का नाम, स्थापना-स्थल विनिर्माण की वस्तु आदि जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उसके मन्थली न्यूजलैटर में प्रकाशित किए जाते हैं; जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को 6.17 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी। वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
1980-81	—
1981-82	—
1982-83	2.03
1983-84	1.56
1984-85	2.58

सातवीं योजनावधि के दौरान उड़ीसा में विद्युत उत्पादन

4431. श्री राधाकान्त डिगाल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विद्युत उत्पादन पर अधिक बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) उड़ीसा में उपरोक्त योजनावधि के दौरान कितनी मुख्य विद्युत परियोजनाएं शुरू करने का विचार है;

(घ) उड़ीसा में इस योजनावधि के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सातवीं योजनावधि के दौरान क्षमता में 22,245 मेगावाट की अभिवृद्धि किए जाने की परिकल्पना है।

(ख) सातवीं योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए लगभग 34,273 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है।

(ग) से (ङ) आवश्यक निवेशों और संसाधनों के उपलब्ध होने पर इन ताप विद्युत केन्द्र और तलचेर सुपर ताप विद्युत केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र) को हाथ में लिए जाने की संभावना है। उड़ीसा में अपर कोलाब, हीराकुंड चरण-तीन, रेंगाली, पोट्टेस और रेंगाली विस्तार परियोजनाओं से 483.5 मेगावाट के लाभ सातवीं योजनावधि के दौरान उपलब्ध हो जाने की परिकल्पना है।

[हिन्दी]

कानूनी अनुसंधान संस्थाओं को वित्तीय सहायता

4432. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कानूनी अनुसंधान कार्यरत गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो उन गैर-सरकारी संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें उनके मन्त्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता दी है, इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए और ऐसी प्रत्येक संस्था को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये संस्थाएं सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं, और क्या उनके लेखों की नियमित रूप से लेखापरीक्षा की जाती है; और

(घ) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके कार्य का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) विधि और न्याय मन्त्रालय ने विधिक अनुसंधान के क्षेत्र में लगे हुए कुछ संस्थाओं को

अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी है। इन संस्थानों के नाम और गत 3 वर्षों के दौरान उन्हें दी गई रकम निम्नलिखित है :—

(i) इंडियन ला इंस्टीट्यूट

1982-83	1983-84	1984-85
8,50,000	8,50,000	6,75,000

(ii) सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान

1982-83	1983-84	1984-85
6,00,000	6,75,000	6,00,000

(iii) इंटरनेशनल ला एसोसिएशन, प्रादेशिक शाखा (भारत)

1982-83	1983-84	1984-85
23,203.40	10,000	--

(iv) इंडियन एसोसिएशन आफ लायर्स

1982-83	1983-84	1984-85
—	21,948	—

ये अनुदान, इसलिए दिए जाते हैं कि जिससे संस्थान केवल विधिक अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य-कलापों पर व्यय की आंशिक रूप से पूर्ति कर सकें। उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 1984-85 के दौरान, इंडियन ला इंस्टीट्यूट के माध्यम से मार्च, 1985 में नई दिल्ली में आयोजित विधि और औषधि विषयक विश्व कांग्रेस के आयोजकों को 5 लाख रुपए की राशि दी गई। आयोजकों ने इस रकम का उपयोग नहीं किया और पूरी रकम वित्तीय वर्ष के दौरान ही वापस कर दी गई।

(ग) इंडियन ला इंस्टीट्यूट, सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान तथा इंडियन एसोसिएशन आफ लायर्स सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1960 का अधिनियम 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां हैं। इंटरनेशनल ला एसोसिएशन प्रादेशिक शाखा (भारत), इंग्लैंड में रजिस्ट्रीकृत इंटरनेशनल ला एसोसिएशन की एक शाखा है। 1873 में स्थापित इंटरनेशनल ला एसोसिएशन एक विश्व व्यापी संगठन है जिसकी प्रास्थिति राष्ट्र संघ में परामर्श देने की है। इन संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी वित्तीय वर्ष के अपने लेखाओं को किसी रजिस्ट्रीकृत लेखापाल या लेखा परीक्षकों के अन्य मान्यता प्राप्त निकाय से सम्यक्तः लेखापरीक्षा करवा कर भेजें। इन लेखाओं की महालेखापरीक्षक के विवेकानुसार परीक्षण जांच भी की जा सकती है और भारत सरकार को स्व-प्रेरणा पर लेखाओं की नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा कराने का अधिकार है।

(घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली की दरों में वृद्धि

4433. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संघ राज्य क्षेत्रों मे बिजली की दरों/प्रभारों में कितनी बार वृद्धि की गई और प्रत्येक मामले में ऐसा करने के क्या कारण थे;

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां मूल्यों में वृद्धि की गई है, प्रत्येक मामले में विद्युत उत्पादन के प्रत्येक चरण में एक यूनिट बिजली की उत्पादन लागत क्या थी;

(ग) क्या विद्युत उत्पादन और वितरण में कुप्रबन्ध कदाचार, श्रम समस्याओं के कारण भी दरों में, वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भाग (ग) में उल्लिखित कारणों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपचारात्मक अथवा निवारक उपाय किए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) :(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उद्योगों के लिए पुरानी मशीनरी का आयात

4434. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल कुछ ही वर्ष पहले केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न उद्योगों के लिए पुरानी मशीनरी का आयात करने की अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, तो (एक) आयात करने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं और आयात का वर्ष क्या है (दो) उसमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है (तीन) निर्यात करने वाले देशों के नाम क्या हैं; (चार) आयात करने वाली पार्टियों की संख्या क्या है और (पांच) आयात करने के क्या कारण हैं; और

(ग) पुरानी मशीनरी का आयात करने वाली पार्टियों में से कितनी पार्टियां आधुनिकीकरण के क्षेत्र में और मशीनरी का आयात कर रही हैं और कितनी पार्टियां रुग्ण एककों की सूची में हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। प्रयोग की हुई मशीनों के आयात के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित कुछ शर्तें पूरी होने पर कुछ वर्षों से इन मशीनों के आयात की अनुमति दी जा रही है।

(ख) और (ग) आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक ने सूचना दी है कि भारतीय व्यापार वर्गीकरण संशोधन-2 जिसके आधार पर विदेशी व्यापार के आंकड़े अभिलेखबद्ध/प्रकाशित किए जाते हैं, द्वारा पुरानी/नई मशीनों को भिन्न-भिन्न वर्गों में नहीं रखा जाता है तथा विदेशी व्यापार के आंकड़े समग्र देश के लिए रखे जाते हैं, न कि उद्योगवार/पार्टीवार अतः उन पार्टियों, जिन्होंने प्रयोग की हुई मशीनों का आयात किया है और जो पार्टियां आधुनिकीकरण में संलग्न हैं अथवा रुग्ण हो गई हैं, की संख्या केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

असम के कछार जिले में दूर-संचार व्यवस्था का विकास

4435. **श्री अजय विश्वास** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम के कछार जिले में दूर-संचार व्यवस्था के विकास हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ख) तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम के कछार जिले में स्थाई रूप से दूर-संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्विचन और संचारण नेटवर्क को आधुनिक बनाना और बढ़ाना।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान प्रस्तावित योजनाओं के ब्यौरे

1. हेलाकण्डी और करीमगंज एक्सचेंजों का स्वचलीकरण।
2. सिल्चर और ऐजवाल के बीच माइक्रोवेव सम्पर्क स्थापित करना।
3. हेलाकण्डी में ट्रंक एक्सचेंज (टी-43)।
4. कछार जिले में 14 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने की योजना है जिसमें से 7 मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली के अन्तर्गत और 7 ओपन लाइन वायर प्रणाली पर होंगे।

त्रिपुरा और मेघालय में ग्रामीण विद्युतीकरण

4436. **श्री अजय विश्वास** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा और मेघालय में क्रमशः कुल कितने गांव हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा तथा मेघालय के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार, त्रिपुरा तथा मेघालय में गांवों की कुल संख्या क्रमशः 4727 और 4583 है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्रिपुरा तथा मेघालय में ग्राम विद्युतीकरण के लिए क्रमशः 15 करोड़ रुपये तथा 24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त-पोषित ग्राम विद्युतीकरण (सामान्य) कार्यक्रम, 1984-85 वर्ष के लिए अनुमोदित प्रावधान में 10 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी के आधार पर राज्य योजना में तैयार किया गया है। राज्य योजना के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए प्रावधान राज्य के संसाधनों तथा विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण कार्यक्रम के प्रतिस्पर्धात्मक दावों पर निर्भर करते हुए किया जाता है।

बिजली की मांग और सप्लाई

4437. **श्री अजय विश्वास** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान बिजली की मांग और सप्लाई कितनी थी और तत्संबंधी (राज्यवार) ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में बिजली की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को कम करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) 1983-84 और 1984-85 के दौरान राज्यवार विद्युत की उपलब्धता और आवश्यकता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) देश में विद्युत की उपलब्धता में और वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं; वर्तमान क्षमता से इष्टतम विद्युत उत्पादन करना, निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करना, पारेषण और वितरण हानियों को कम करना, आदि।

विवरण

(विद्युत सप्लाई की वार्षिक स्थिति)

(निवल आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	1983-84	1984-85
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
हरियाणा		
आवश्यकता	4536	5571
उपलब्धता	4204	3963
कमी (%)	—332	— 1608
	(7.3)	(28.9)
बी० एस०एल० सहित हिमाचल प्रदेश		
आवश्यकता	521	614
उपलब्धता	536	650
अधिशेष (%)	+15	+36
	(2.9)	(5.8)
जम्मू तथा कश्मीर		
आवश्यकता	1510	1549
उपलब्धता	1214	1270
कमी (%)	—296	—279
	(19.6)	(18.0)
एन० एफ० एफ० सहित पंजाब		
आवश्यकता	86.44	9585
उपलब्धता	77.87	7741
कमी (%)	—857	—1844
	(9.9)	(19.2)

1	2	3
राजस्थान		
आवश्यकता	5996	6570
उपलब्धता	5617	5903
कमी (%)	—379	—667
	(6.3)	(10.2)
उत्तर प्रदेश		
आवश्यकता	15154	16352
उपलब्धता	13028	14193
कमी (%)	—2126	—2159
	(13.0)	(13.2)
दिल्ली		
आवश्यकता	3614	4175
उपलब्धता	3811	4448
अधिशेष (%)	+197	+273
	(5.4)	(6.5)
चंडीगढ़		
आवश्यकता	279	306
उपलब्धता	278	303
कमी (%)	—1	—3
	(0.4)	(1.0)
जोड़ उत्तरी क्षेत्र		
आवश्यकता	40254	44 22
उपलब्धता	36475	38471
कमी (%)	—3779	—6 51
	(9.4)	(14.0)

1	2	3
पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात		
आवश्यकता	11751	12565
उपलब्धता	11846	12784
अधिशेष (%)	+95	+219
	(0.8)	(1.7)
मध्य प्रदेश		
आवश्यकता	8602	9810
उपलब्धता	8701	10232
अधिशेष (%)	+99	+422
	(1.2)	(4.3)
महाराष्ट्र गोआ सहित		
आवश्यकता	24337	24055
उपलब्धता	20858	23102
कमी (%)	—3479	—953
	(14.3)	(4.0)
जोड़ पश्चिमी क्षेत्र		
आवश्यकता	44690	46430
उपलब्धता	41405	46118
कमी (%)	—3285	—312
	(7.4)	(0.7)
दक्षिणी क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश		
आवश्यकता	9899	11287
उपलब्धता	10045	12036
अधिशेष (%)	+146	+749
	(1.5)	(6.6)

1	2	3
कर्नाटक		
आवश्यकता	9610	10277
उपलब्धता	8299	9532
कमी (%)	—1311	—745
	(13.6)	(7.2)
केरल		
आवश्यकता	4466	4775
उपलब्धता	3704	4662
कमी (%)	—762	—113
	(17.1)	(2.4)
तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)		
आवश्यकता	13015	13390
उपलब्धता	10449	13580
अधिशेष/कमी (%)	—2566	+190
	(19.7)	(1.4)
जोड़ दक्षिणी क्षेत्र		
आवश्यकता	36990	39729
उपलब्धता	32497	39810
अधिशेष/कमी (%)	—4493	+81
	(12.1)	(0.2)
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार		
आवश्यकता	4389	4418
उपलब्धता	2635	2678
कमी (%)	—1754)	—1740
	(40.0)	(39.4)

1	2	3
पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)		
आवश्यकता	7172	6769
उपलब्धता	6109	6621
कमी (%)	—1063	—148
	(14.8)	(2.2)
दामोदर घाटी निगम		
आवश्यकता	5602	6576
उपलब्धता	5134	5344
कमी (%)	—468	—1232
	(8.3)	(18.7)
उड़ीसा		
आवश्यकता	4681	5194
उपलब्धता	3948	4339
कमी (%)	—733	—855
	(15.7)	(16.5)
जोड़ पूर्वी क्षेत्र		
आवश्यकता	21844	22957
उपलब्धता	17826	18982
कमी (%)	—4018	—3975
	(18.4)	(17.3)
उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
आवश्यकता	1506	1594
उपलब्धता	1490	1632
कमी (%)	—16	+38
	(1.1)	(2.4)

1	2	3
जोड़ अखिल भारत		
आवश्यकता	145284	155432
उपलब्धता	—129694	14 013
कमी (%)	—15591	—10419
	(10.7)	(6.1)

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में डाकघर और उप डाकघर खोलना

4438 **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में उपयुक्त पाये गये सभी स्थानों पर गत पांच वर्षों के दौरान शाखा डाकघर अथवा उप डाकघर खोले गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो आठ जिलों में जिलावार कितने स्थान डाकघर खोलने हेतु उपयुक्त पाये गये थे, किंतु उन स्थानों पर ये डाकघर नहीं खोले गये हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का इन सभी स्थानों पर इस वर्ष के अन्त तक शाखा डाकघर अथवा उप-डाकघर खोलने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध लगने तक उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में विभागीय मानदण्डों के अनुसार उपयुक्त पाये गये शाखा डाकघर एवं उप-डाकघर खोल दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) पदों के सृजन पर मौजूदा प्रतिबन्ध के कारण नए डाकघर खोलने सम्बन्धी किसी भी कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। फिर भी, 16-8-85 से शुरू की गई एक नई प्रणाली के अन्तर्गत उपयुक्त संस्थानों/व्यक्ति विशेष को अपनी कालोनियों/ग्रामों में कमीशन आधार पर कुछ निर्धारित डाक कार्य करने के लिए लाइसेंस दिये जा सकते हैं।

डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में विभागीय रिहायशी फ्लैटों का निर्माण

4439. **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत उनके मंत्रालय के कर्मचारियों को आवास की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर विभागीय रिहायशी फ्लैटों का निर्माण करने की कोई योजना बनाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में ही स्टाफ क्वार्टरों की कमी है। यहां निर्माण के लिए निधि की कमी तथा कुछ स्थानों पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही यह कमी है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में मार्ग-निर्देशन पहले से ही जारी किये गये हैं जिसके अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के किसी स्थान पर 60 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर निर्मित किये जा सकते हैं। फिर भी, स्टाफ क्वार्टर का निर्माण परिचालन आवश्यकताओं निधि और निर्माण के लिए स्थान की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए विश्व बैंक आदि से वित्तीय सहायता

4440. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए विश्व बैंक सहित कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों अथवा विभिन्न देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनका ब्योरा क्या है तथा इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी वित्त व्यवस्था करने के लिए समय-समय पर सुझाव दिये हैं। इन परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (4 × 50 मेगावाट) लोहा रिगपाला जल विद्युत परियोजना (3 × 94 मेगावाट) विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना (4 × 120 मेगावाट) और ऊंचाहार ताप विद्युत विस्तार परियोजना (2 × 210मेगावाट) जापान की सहायता से अनपारप "ख" ताप विद्युत परियोजना (2 × 500 मेगावाट) क्रियान्वित की जा रही है। द्विपक्षीय सहायता के लिए टिहरी और श्रीनगर परियोजनाओं का निर्धारण किया गया है।

दाहोद टेलीफोन एक्सचेंज (गुजरात) से की गई ट्रंक कालें

4441. श्री सोम जी भाई डामार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में दाहोद जिले में टेलीफोन एक्सचेंज से किये गये ट्रंक काल नहीं मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या प्रत्येक गांव में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोला गया है, परन्तु वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और जब कभी यह ठीक काम करते हैं, तो प्रत्येक टेलीफोन पर एक ही बातचीत सुनाई देती है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दाहोद जिले के प्रत्येक गांव में सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित नहीं किये गये हैं, क्योंकि अनेक गांवों में सार्वजनिक टेलीफोनघर से बहुत कम कालें की जाती हैं। कई सार्वजनिक टेलीफोनघर वायरों के एक ही पेयर पर दिये गये हैं जिन्हें टेंडम सार्वजनिक टेलीफोनघर कहते हैं, प्रत्येक सार्वजनिक टेलीफोनघर पोस्टमास्टर के चार्ज में होता है जिसे यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उस सार्वजनिक टेलीफोन घर से एक बार एक ही काल की जाती है। यदि कभी वह ऐसा न कर सके, तो एक दूसरे की बातें सुनने की स्थिति पैदा होगी जिससे उपभोक्ताओं को बचना चाहिए ।

गांवों में सार्वजनिक टेलीफोनघर लंबी ओवरहैड तारों पर प्रदान किये जाते हैं ये तारें अक्कड़ आने या पेड़ों के गिर जाने से या फिर भारी लदे हुए ठेलों और ट्रकों से टूट सकती हैं। इन्हें तुरन्त ठीक कर दिया जाता है।

गुजरात में दाहोद में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भूमि का अधिग्रहण

4442. श्री सोमजी भाई डामार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 6-7 वर्षों से गुजरात में दाहोद टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भूमि अधिग्रहण के कोई प्रयास नहीं किये गए हैं;

(ख) क्या इस टेलीफोन एक्सचेंज के अधिकारियों ने इस प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु केन्द्रीय सरकार को कभी आवेदन नहीं किया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भूमि अधिग्रहण के लिए वे अब आवेदन करेंगे और यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) सर्वेक्षण संख्या-99 वाले एक भू-खण्ड के बारे में गुजरात राज्य सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) लागू नहीं होता।

रोहतक रोड, दिल्ली क्षेत्र से एल० पी० जी० गोदामों को हटाना

4443. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाबी बाग, शकूरबस्ती, रोहतक रोड, दिल्ली में खाना पकाने की गैस के भण्डार में आग लगने की घटना के बाद सरकार का विचार इन गोदामों को घनी आबादी के क्षेत्र से बाहर ले जाने का है;

(ख) यदि हां, तो इन भण्डारों को उस क्षेत्र से हटाने के लिए अब कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) इस संयंत्र का पुर्नस्थापन किया जा रहा है तथा एक नया भरण संयत्र निर्माणाधीन है तथा इसके 1988 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के शकूरबस्ती भरण संयंत्र में 198? में हुई दुर्घटना के अनुसरण में एक समिति गठित की गई जिसमें भरण संयंत्रों में सुरक्षा आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सिफारिशें की। इन सिफारिशों के अनुसार आई० ओ० सी० तथा बी० पी० सी० एल० के शकूरबस्ती के संयंत्रों को दिल्ली के नजदीक क्रमश: टिकरीकलां तथा अमोली में पुर्नस्थापित किया जा रहा है। अब स्थापित किये जा रहे भरण संयंत्रों में समिति की सिफारिशों का अनुपालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय चमड़ा और जूता निगम लि० का राष्ट्रीयकरण समाप्त किया जाना

4444. श्री एस० एम० भट्टम
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या भारतीय चमड़ा और जूता निगम लि० के प्रबन्धग्रहण के लिए इच्छुक गैर सरकारी फर्मों को आमंत्रित कर इसका राष्ट्रीयकरण समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एच० एम० टी० घड़ियों के निर्माण में वृद्धि

444५. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने एच० एम० टी० कारखाने घड़ियों का निर्माण कर रहे हैं और ये कारखाने कहां-कहां हैं;

(ख) प्रत्येक कारखाने में प्रति वर्ष कितनी घड़ियों का निर्माण किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में तथा विदेशों में एच० एम० टी० घड़ियों की भारी मांग है; और

(घ) यदि हां, तो उन कारखानों में अधिक घड़ियों का निर्माण करने और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए कारखाने लगाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एच० एम० टी० के निम्नलिखित स्थानों पर घड़ी-कारखाने हैं :—

स्थान

घड़ी कारखाना, बंगलौर, कर्नाटक ।

घड़ी कारखाना, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर।

घड़ी कारखाना, तुमकुर, कर्नाटक।

घड़ी कारखाना, रानीबाग, उ०प्र०।

घड़ी संयोजन और क्वार्ट्ज एनालाग घड़ियां, बंगलौर, कर्नाटक।

(ख) वर्ष 1984-85 में इन कारखानों में निर्मित की गई घड़ियों की संख्या नीचे दी जाती है :

संख्या लाख में

एकक	1984-85
बंगलौर	8.09
श्रीनगर	5.12
तुमकुर	20.00
रानीबाग	0.03
घड़ी संयोजन और क्वार्ट्ज एनालाग घड़ियां, बंगलौर	10.85
योग :	44.09

(ग) देश में एच० एम० टी० घड़ियों की काफी मांग है और कुछ मांग उन देशों में है जिनमें प्रवासी भारतीयों की अधिक आबादी है।

(घ) घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) बंगलौर और श्रीनगर कारखानों का आधुनिकीकरण और विस्तार।

(2) रानीबाग में स्थापित नये घड़ी कारखाने में उत्पादन शुरू हो गया है।

अन्तर राज्य विद्युत टैरिफ में अन्तर

4446. श्री बी० वी० देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में राज्यों के बीच विद्युत टैरिफ में 100 प्रतिशत तक अन्तर है जिसके परिणामस्वरूप उद्योगों की लागत में बहुत अधिक अन्तर हो गया है;

(ख) क्या अध्ययन से पता चला है कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या गुजरात जैसे राज्यों के भीतर ही वास्तव में विद्युत टैरिफ में भारी अन्तर है;

(ग) क्या केरल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में बड़े औद्योगिक एककों से ली जाने वाली विद्युत दर गुजरात बिहार या पश्चिम बंगाल में ऐसे एककों से ली जाने वाली विद्युत दर की तुलना में आधे से भी कम है;

(घ) यदि हां, तो अध्ययन की रिपोर्ट में और क्या मुद्दे बताये गये हैं; और

(ङ) अन्तर राज्य विद्युत टैरिफ अन्तर के सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) यह स्पष्ट नहीं है कि किस अध्ययन का उल्लेख किया गया है तथापि देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में विद्युत की टैरिफ भिन्न-भिन्न है जिसके निम्नलिखित एक या अनेक कारण हो सकते हैं :—

(1) जल विद्युत-ताप विद्युत का मिश्रण

(2) पूंजीगत लागत और विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का पुराना होना और पारेषण और वितरण सुविधाएं;

(3) क्षमता समुपयोजन;

(4) केन्द्र की किस्म, व्यस्ततमकालीन या भार पर आधारित;

(5) प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी खर्चे; और;

(6) स्थापन लागतें आदि।

मितव्ययता के बारे में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की अध्ययन रिपोर्ट

4447. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किये गये अध्ययन में मितव्ययता और इसके कार्यचालन को कुशल बनाने के सम्बन्ध में व्यापक सिफारिशें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अपने संगठनात्मक ढांचे तथा प्रचालन प्रणाली की लगातार समीक्षा की जाती है तथा समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं। निगम के संगठनात्मक ढांचे का अध्ययन करने और इस संबंध में सुधारों के बारे में सुझाव देने हेतु राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम द्वारा 1984 में मैसर्स फाउन्डेशन फार ओरगेनाइजेशनल रिसर्च को अनुबंधित किया गया था; उन्होंने इस सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ-साथ ठेकों तथा इंजीनियरी कार्यों का केन्द्रीयकरण करने, क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यकारी निदेशकों की तैनाती करने और राजस्व एकत्र करने की सिफारिश की है। निगम द्वारा इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा चुका है।

कोल इण्डिया लिमिटेड का घाटा

4449. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष ने कोल इंडिया को हुए 1100 करोड़ रुपये के घाटे पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि या तो केन्द्रीय सरकार को कोयले की कीमतें बढ़ानी चाहिए अथवा सहायता प्रदान करनी चाहिए क्योंकि ऐसे किये बिना भारी घाटे को पूरा करना सम्भव नहीं है;

(ग) यदि हां, तो कोल इण्डिया को हुये भारी घाटे के क्या मुख्य कारण हैं; और

(घ) भावी घाटे की स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता देने पर राजी हो गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) कोल इण्डिया लिमिटेड का एक दशक पूरा होने के अवसर पर कोल इण्डिया लि० के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने कोल इण्डिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को एक अपील के रूप में संबोधित किया। इस अपील में उन्होंने कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने तथा कंपनियों के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए कहा। इस अपील में उन्होंने, कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए निर्धारित उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में, कोयला उद्योग के कार्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी को हुए रु० 1108 करोड़ के संचयी घाटे का उल्लेख शामिल है।

कोल इण्डिया लिमिटेड ने वर्ष 1985-86 के लिए, उत्पादन-सामग्रियों की लागत में वृद्धि, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता तथा बोनस आदि को ध्यान में रखकर, उत्पादन की अनुमानित लागत निर्दिष्ट की है। कोयले की कीमतों में संशोधन के बारे में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

घाटा होने के कुछ प्रमुख कारण हैं :— प्रबन्ध सम्बन्धी कमियां, भारत कोकिंग कोल लि०

और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० में जहां अधिकांश उत्पादन भूमिगत खानों से होता है जिनमें उत्पादन की लागत अधिक है—कठिन भौगोलिक और भूखनन स्थितियां तथा साथ में अनियमित बिजली सप्लाई की जन्मजात समस्या, अत्यधिक श्रमिक तथा कानून और व्यवस्था की समस्या आदि।

कोयला कंपनियों को एक सुदृढ़ वित्तीय आधार प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें आगामी वर्षों में कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पूर्णतया तैयार करने के विचार से उनमें उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। कोयला कंपनियों में उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाये गये हैं जिनमें यह उपाय शामिल हैं : नई खानों में निवेश पहले ही उपलब्ध खनन क्षमता का पूर्णतर उपयोग, उपकरणों का बेहतर इस्तेमाल तथा रखरखाव, सामग्री सूची पर अधिक कड़ा नियंत्रण और भंडार-सामग्री के उपयोग में किफायत, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण तथा अनुशासन लागू करके जनशक्ति का बेहतर इस्तेमाल और बेशी कामगारों का पता लगाकर उचित प्रशिक्षण के बाद उनका पुनर्नियोजन, विस्फोटक, इमारती लकड़ी आदि दुर्लभ उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि, तीव्रतर संचलन तथा प्रणालीबद्ध वितरण द्वारा खान मुहाना स्टाकों में कमी, नई परियोजनायें शीघ्रता से एवं समय पर पूरी करना तथा कानून एवं व्यवस्था में सुधार और बिहार-बंगाल कोयला क्षेत्रों में माफिया गिरोहों के क्रियाकलाप पर नियंत्रण।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में 'उद्योग रहित" जिले

4450. श्री विलास मुत्तमवार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन जिलों या क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें "उद्योग रहित" जिलों में शामिल करने के लिए गत दो वर्षों में उन्हें या मंत्रालय को सुझाव प्राप्त हुये हैं; और

(ख) इन सुझावों पर अब तक क्या कारंवाई की गई हैं और इन्हें कब तक "उद्योग रहित" घोषित किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली जिले को "उद्योग रहित जिलों" की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया था।"

(ख) 1-4-1985 से गढ़चिरौली जिले को "उद्योग रहित जिला" घोषित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

निर्वाचन विधि में संशोधन

4451. श्री रामविलास मुत्तमवार : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विधान सभा के लिए हाल में हुये निर्वाचनों में कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी बड़ी संख्या में होने के कारण निर्वाचन प्रतीक आबंटित करने तथा मतपत्र तैयार करने में कुछ कठिनाइयां आई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से सुसंगत निर्वाचन विधियों में संशोधन करने के लिए विधान लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) जी नहीं। पंजाब में हाल ही के निर्वाचनों के दौरान अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण आयोग ने प्रतीकों के आबंटन या मतपत्रों के मुद्रण में कोई कठिनाई महसूस नहीं की। किंतु आयोग ने कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों के पहले के निर्वाचनों में कुछ कठिनाइयां महसूस की थीं और उसने गैर-संजीदा अभ्यर्थियों की संख्या कम करने के लिए प्रस्ताव भेजे थे। इनके ब्यौरे तारीख 30-7-1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 1087 के उत्तर में दिये गये हैं।

मध्य प्रदेश में विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की मासिक आवश्यकता

4452. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री सुभाष यादव
} : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की मासिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) गत एक वर्ष में कितनी मात्रा में कोयला सप्लाई किया गया;

(ग) कोयले की कम सप्लाई करने के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में बिजली की कटौती रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मध्य प्रदेश में विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की औसत मासिक आवश्यकता लगभग 8.88 लाख टन है।

(ख) दिसम्बर, 1984 से नवम्बर, 1985 के दौरान मध्य प्रदेश के विद्युत केन्द्रों द्वारा प्राप्त की गई कोयले की मात्रा 101.31 लाख टन है।

(ग) मध्य प्रदेश के विद्युत केन्द्र पिट-हैडों के समीप स्थित हैं तथा कुल मिलाकर कोयले की ढुलाई के लिए उन्होंने अपना ही प्रबन्ध किया हुआ है। विद्युत केन्द्रों ने इनको लिंक किए गए कोयले की तुलना में कम कोयले की ढुलाई की है।

(घ) मध्य प्रदेश के पास फालतू ऊर्जा होती है और व्यस्ततम मांग के दौरान सीमान्त कमी

होती है। राज्य में विद्युत की उपलब्धता में अभिवृद्धि करने के लिए उठाये गये कदमों में ये शामिल हैं, वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार करना, कोरबा, अमरकंटक और सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करना और निर्माणाधीन परियोजनाओं का समयानुसार क्रियान्वयन करना।

हरियाणा में खाना पकाने की गैस एजेन्सियां

4453. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के कितने कस्बों में खाना पकाने की गैस एजेन्सियां हैं; और

(ख) हरियाणा में किन-किन कस्बों को अगले दो वर्षों के भीतर खाना पकाने की गैस की एजेन्सियां दिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इस समय हरियाणा के 28 नगरों में 40 एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें हैं।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटर शिपें स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं जिसमें आवेदनों का आमंत्रित किया जाना, चयन किया जाना, चालू किया जाना आदि शामिल हैं :—

भिवानी	रैनां
करनाल	सफीडोन
रोहतक	समालखा
लाड़वा	असंद
नूह	फतेहाबाद
जींद	अंबाला
तोशम	हांसी
कैथल	गुड़गांव
महेंद्रगढ़	गोहाना
नरवाना	पानीपत
मंडी देबवाली	बल्लभगढ़

चरखी दादरी	फरीदाबाद
बरवाला	हिसार
घरोंदा	यमुना नगर
रेवाड़ी	सोनीपत
होडल	गन्नौर

डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करने से पूर्व उठाये जाने वाले कदमों को ध्यान में रखकर यहां बताना व्यवहारिक नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा।

पश्चिम बंगाल में रुग्ण औद्योगिक एककों का आधुनिकीकरण

4454. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल के रुग्ण औद्योगिक एककों में आधुनिकीकरण, विविधिकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाओं को कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल की, विशेष कर हावड़ा जिले में स्थित, रुग्ण एककों संबंधी इस प्रकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) धन के वितरण/इस्तेमाल की कार्य प्रणाली क्या होगी;

(घ) 1985-86 के दौरान इस प्रकार की योजनाओं के लिए कितनी राशि के आवंटन का प्रस्ताव है और 1985-86 के पहले 6 मास के दौरान इस आवंटन का कितना भाग इस्तेमाल कर लिया गया है; और

(ङ) छठी योजना के दौरान इस प्रकार की योजनाओं का क्या लक्ष्य था और 1980-85 के दौरान यह लक्ष्य वास्तव में किस सीमा तक प्राप्त किया गया ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम (क) : और (ङ) पश्चिम बंगाल में रुग्ण औद्योगिक एककों के आधुनिकीकरण विविधिकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन का छठी योजना अवधि के दौरान कोई विशेष प्रावधान नहीं था, न ही सातवीं योजना अवधि के दौरान कोई विशेष प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अतिग्रस्त और पुराने केबिलों को बदलने के नए तरीके

4455. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े शहरों में क्षतिग्रस्त और पुराने केबिलों को बदलने में काफी समय लग जाता है;

(ख) क्या इसमें दबे हुए केबिलों को खोदकर निकालना आदि भी शामिल है;

(ग) यदि हां, तो क्या दूरसंचार सलाहकारों ने केबिलों को बदलने और डैकटिंग के लिए नए तरीके सुझाए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने सभी बड़े शहरों विशेष रूप से बंगलौर में नए तरीके अपनाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। भूमिगत डक्ट में सरल प्रणाली से केबिल बिछाने का सुझाव दिया गया है।

(घ) जी हां।

[हिन्दी]

उपभोक्ताओं को असली गैस सिलिंडरों की सप्लाई

4456. **श्री आर० एम० भोये** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस गम्भीर समस्या की ओर दिलाया गया है कि कई बार गैस एजेंसियों द्वारा नियुक्त डिलीवरी मैन अपनी कम्पनियों के गैस सिलिंडरों की सप्लाई करते हैं परन्तु उपभोक्ताओं को नए सिलिंडरों की सप्लाई के समय कम्पनी के उन सिलिंडरों को इस बहाने स्वीकार नहीं करते कि वे नकली हैं; और

(ख) यदि हां, तो असली गैस सिलिंडरों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल विपणन कम्पनियों के पास ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जहां एक के उपभोक्ताओं के पास अन्य कम्पनियों के एल० पी० जी० सिलिण्डर पाये गये हैं। ऐसे मामलों पर आमतौर पर उनके गुणाव-गुणों के आधार पर कार्रवाई की जाती है और सिलिंडरों का प्रतिस्थापन किया जाता है बशर्ते कि सिलिंडर नकली न हों। सभी एल० पी० जी० वितरकों के लिये उपभोक्ताओं को सिलिंडर की डिलीवरी करने से पहले जांच-पड़ताल करनी आवश्यक होती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सिलिंडर सही हैं और वे संबंधित तेल कम्पनी के ही हैं। उपभोक्ता भी इन्हीं आधारों पर सिलिंडर लेने से इंकार कर सकते हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में डीजल, पेट्रोल और गैस एजेंसियों का आवंटन

4457. श्री आर० एम० भोये : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डीजल और पेट्रोल पम्पों के लिए वितरकों और एजेन्टों की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गये हैं;

(ख) 1984 के दौरान तथा चालू वर्ष में महाराष्ट्र में कितने गैस वितरक और डीजल तथा पेट्रोल पम्पों के एजेंटों की नियुक्ति की गई है; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल विपणन करने वाली कम्पनियां खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों/एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्तियां सम्बन्धित तेल चयन बोर्ड से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर करती हैं। पात्र प्रत्याशियों में से चयन करते समय तेल चयन बोर्ड निम्नलिखित घटकों को ध्यान में रखते हैं :—

(i) व्यक्तित्व

(ii) व्यापारिक योग्यता/बिक्री कारिता

(iii) वित्त जुटाने की क्षमता तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने की योग्यता

(iv) डीलर के रूप में पूरे समय कार्य करने की तत्परता

(v) सामान्य मूल्यांकन तथा अन्य कार्यकलाप

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में वर्ष 1984 तथा वर्ष .985 (नवम्बर तक) में नियुक्त किए गये खुदरा बिक्री केंद्रों (पेट्रोल/डीजल) डीलरों तथा एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या तथा इसमें से कितनी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों को दिये गये, इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

खुदरा बिक्री केन्द्र	अनु० जाति	अनु० जनजाति	एल० पी० जी०	अनु० जाति	अनु० जनजाति
31	3	6	94	12	11

चूंकि डीलरों/ डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति में पिछड़े वर्गों के लिये कोई आरक्षण नहीं है इसलिये इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

स्ट्रोटोनेज इंजेक्शन की सप्लाई में कमी

4458. श्री सरफराज अहमद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषध कम्पनियों ने आवश्यक उत्पादों के उत्पादन में कमी कर दी है और अनावश्यक उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि "स्ट्रोनेज इंजेक्शन" स्ट्रप्टोपेंसिलीन इन्जेक्शन और "सोडियम पी० ए० एस० ग्रेन्यूल्स" की काफी कम सप्लाई है;

(ग) प्रत्येक कम्पनी की अनुमति प्राप्त क्षमता क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कम्पनियां प्रोटीनेक्स, प्रीनेक्स, बेकोनेक्स, बीकासूल और अन्य विभिन्न विटामिनों जैसे अनावश्यक उत्पादों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रही है और उनका अधिक मूल्य वसूल कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक कम्पनी की अनुमति प्राप्त क्षमता क्या है और प्रत्येक उत्पाद के लिये क्या मूल्य निर्धारित किये गये हैं, तथा वर्तमान उत्पादन क्या है और प्रत्येक को किस मूल्य पर बेचा जा रहा है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) किसी उत्पाद विशेष का उत्पादन बाजार मांग और कम्पनी की पूर्ण आयोजना पर निर्भर करता है।

(ख) स्ट्रैप्टोमाइसिन और पी० ए० एस० फार्मूलेशनों की कमी को कोई शिकायत इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) औद्योगिक अनुमोदनों में सामान्यतः प्रत्येक फार्मूलेशन और पैक की अलग-अलग क्षमताएं निर्दिष्ट नहीं होगी। अलग-अलग फार्मूलेशनों के उत्पादन पर निगरानी नहीं रखी जाती।

(घ) और (ङ) मूल्यों के ब्यौरे, उपलब्धि की सीमा तक, संलग्न विवरण में दिये गये हैं। बीकासूल्स कैप्सूलों के लिए कम्पनी द्वारा लिये जा रहे मूल्य बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप हैं। कम्पनी ने पोटीनैक्स के संबंध में डी० पी० सी० ओ० 1979 के अधीन एक अभ्यावेदन दिया है। अभ्यावेदन के निपटान हेतु कार्यवाही जारी है।

विवरण

क्रमांक	फार्मूलेशन का नाम	पैक आकार	डी० पी० सी० ओ० 1979 के अधीन सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य	कम्पनी द्वारा लिया जा रहा मूल्य
1.	बीकोसयूल्स कैप्सूल्स	20 का	6.13	8.85
		100 का	26.89	33.13
2.	प्रेटीनेक्स	115 ग्राम	10.56	13.37
		225 ग्राम	17.07	21.70

सातवीं पंचवर्षीय योजना में औषधियों की मांग

4459. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में औषधियों की मांग का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में औषधियों की मांग को किस प्रकार पूरा करेगी;

(घ) क्या सरकार औषधियों का आयात करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए औषधों और भेषजों पर कार्यकारी दल ने स्थिर मूल्यों पर वर्ष 1989-90 के दौरान क्रमश: 1033.4 करोड़ रुपये और 3775 करोड़ रुपये की बल्क औषधों और फार्मूलेशनों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

(ग) सरकार ने 94 बल्क औषधों, औषध मध्यवर्तियों और फार्मूलेशनों को लाइसेंसयुक्त किया

है। इसके अलावा विदेशी सहयोग की नीतियों को भी उदार बनाया गया है।

(घ) यह अनुमान लगाया गया है कि 1989-90 के दौरान आयात 225 करोड़ रुपये (सी० आई० एफ०) के होंगे। आयात अधिकांशत: गैर सरकारी पार्टियों द्वारा किये जायेंगे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कारों के उत्पादन में वृद्धि

4460. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश में वर्ष 1984-85 में कितनी कारें बनाई गई;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी कारें बनाये जाने की संभावना है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग छिहत्तर हजार।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने सातवीं योजनावधि के अन्त तक प्रतिवर्ष 130 हजार कारों का निर्माण करने की योजना बनाई है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु ऊर्जा एककों द्वारा ऊर्जा पैदा करना

4461. श्री के० कुन्जम्बु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पैदा की गई ऊर्जा में से परमाणु ऊर्जा एककों द्वारा कितनी प्रतिशत ऊर्जा पैदा की गई;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस प्रतिशतता में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) छठी योजना के अन्त में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में न्यूक्लियर विद्युत का भाग 2.58 प्रतिशत था।

(ख) और (ग) जी, हां। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में उपर्युक्त हिस्से को 2.78 प्रतिशत तक बढ़ाने हेतु सातवीं योजना में कलपक्कम के दूसरे यूनिट और नरोरा के दो यूनिटों को चालू करने की परिकल्पना की गई है।

केरल को सीमेन्ट की सप्लाई

4462. श्री के० कुन्जम्बु : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य की मासिक मांग क्या है और प्रत्येक राज्य को कितना सीमेंट सप्लाई किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि केरल में सीमेन्ट की कमी है जिसके परिणामस्वरूप बहुत सी महत्त्व-पूर्ण परियोजनाओं पर कार्य बन्द हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश में वर्ष 1984 और 1985 (जनवरी-नवम्बर, 1985) के दौरान सीमेन्ट का उत्पादन क्रमशः 296.72 लाख मी० टन और 289.90 लाख मी० टन था।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से मांग नियमित आधार पर प्राप्त नहीं होती। तथापि आवंटन में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की मांगों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। इस अवधि (जनवरी-सितम्बर, 1985) में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को किये गये राज्यवार आवंटनों और प्रेषणों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) केरल राज्य को लेवी सीमेंट की आवंटन से कम पूर्ति मुख्य रूप से तमिलनाडु में लेवी सीमेंट की आवंटन से कम पूर्ति मुख्य रूप से तमिलनाडु में सीमेंट कारखानों में जो केरल को पर्याप्त मात्रा में सीमेंट की पूर्ति करते हैं, बिजली की कटौती के कारण और केरल सरकार के एक उपक्रम मालाबार सीमेंट्स लिमिटेड में जिसका उत्पादन अभी पूर्णतया स्थिर नहीं हो पाया है, के सामने आई प्रारम्भिक कठिनाइयों के फलस्वरूप उत्पादन कम होने के कारण हुई है केरल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे सुनिश्चित करे कि मेसर्स मालाबार सीमेंट लिमिटेड, जिसके लेवी सीमेंट के प्रेषणों में काफी कमी आ गई है, इस कमी को दूर करे ताकि राज्य में सीमेट की पूर्ति में आई कमी को पूरा किया जा सके।

विवरण

वर्ष (जनवरी-सितम्बर, 1985) अनन्तिम के दौरान सीमेंट का राज्यवार आवंटन मूल और सिंचाई तथा विद्युत अलग से और सीमेंट के प्रेषण (सिंचाई और विद्युत सहित) दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े हजार में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मूल आवंटन 1985 (जन० सित०	सिंचाई और विद्युत आवंटन 1985 जन०-सित०)	कुल आवंटन (सिंचाई और विद्युत सहित) 1985 (जन०-सित०)	सीमेंट का प्रेषण (सिंचाई और विद्युत सहित) 1985 (जन०-सित०) अनंतिम	आवंटन के अनुसार प्रेषण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
उत्तर					
1. चंडीगढ़	58	10	68	30	44
2. दिल्ली	200	17	217	173	80
3. हरियाणा	175	116	291	211	73
4. हिमाचल प्रदेश	69	75	144	80	56
5. जम्मू व कश्मीर	100	206	306	223	73
6. पंजाब	258	298	556	270	49
7. राजस्थान	228	145	373	246	66
8. उत्तर प्रदेश	893	782	1575	867	52
योग	1981	1649	3630	2100	58

1	2	3	4	5	6
पूर्व					
9. असम	118	106	224	98	44
10. अरुणाचल प्रदेश	43	1	44	20	45
11. बिहार	470	301	771	397	51
12. मेघालय	59	81	67	47	70
13. मिजोरम	23	2	25	11	44
14. मणीपुर	37	23	60	40	67
15. नागालैंड	47	13	60	50	83
16. उड़ीसा	206	146	352	212	60
17. सिक्किम	39	7	46	21	46
18. त्रिपुरा	37	14	51	25	49
19. पश्चिम बंगाल	512	200	712	398	56
योग	1591	821	2412	1319	55
पश्चिम					
20. दादरा और नगर हवेली	15	—	15	8	53
21. गोवा दमन व दिव	66	17	83	36	43
22. गुजरात	428	321	749	708	95
23. मध्य प्रदेश	412	563	975	664	68
24. महाराष्ट्र	653	553	1206	1015	84
योग	1574	1454	3028	2431	80
दक्षिण					
25. अण्डमान और निकोबार	17	—	17	6	35

1	2	3	4	5	6
26. आन्ध्र प्रदेश	462	304	66	705	92
27. कर्नाटक	343	284	627	479	76.
28. केरल	230	88	318	207	65
29. लक्षद्वीप	4	—	4	4	100
30. पांडिचेरी	20	1	21	13	62
31. तमिलनाडु	527	190	717	477	67
योग	1603	867	2470	1892	77
कुल योग	6749	4791	11540	7742	67

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

4463. **श्री अजय मुशरान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) मध्य प्रदेश के जबलपुर मण्डल के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा और जबलपुर डिवीजन के बारे में अलग से आंकड़े क्या हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश में 3,698 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था।

(ख) 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर डिवीजन में 433 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश राज्य में 170,20 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। जिलेवार कार्य, संसाधनों की स्थिति, आनुषगिक सुविधाओं तथा विद्युत की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए वार्षिक आधार पर किए जाते हैं।

40 प्रतिशत से अधिक की विदेशी पूंजी वाली कम्पनियां

4464. श्री विष्णु मोदी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनमें वर्ष 1978 और 1981 में 40 प्रतिशत से अधिक की पूंजी लगी हुई थी तथा इनमें से प्रत्येक कम्पनी की इक्विटी धारिता का प्रतिशत क्या था;

(ख) 1978 और 1981 में आयातित और सरणीबद्ध बल्क औषधियों के आधार पर प्रत्येक कम्पनी द्वारा उत्पादित फार्मूलेशनों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक फार्मूलेशनों का संयोजन और बिक्री कारोबार कितना है;

(ग) क्या इनमें से किसी भी कम्पनी ने 1981 के बाद ऐसी बल्क औषधियों का उत्पादन किया जिसे वे पहले आयात कर रही थी अथवा सरणीबद्ध एजेंसी से प्राप्त कर रही थी;

(घ) यदि हां, तो उन औषधियों से सहित ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उक्त प्रत्येक कम्पनी द्वारा उक्त प्रत्येक औषध का कितना उत्पादन किया गया;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार राज्य व्यापार निगम द्वारा बल्क औषधियों का कुल कितना आयात और खरीद की गई;

(च) क्या उनके मंत्रालय द्वारा इन कम्पनियों पर इन बल्क औषधियों का प्राथमिक चरण से उत्पादन करने के लिए दबाव डालने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) मार्च, 1978 में 40 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी साम्यपूंजी वाली कम्पनियां औषध के क्षेत्र में कार्यरत थीं। 1981 के अन्त तक, इस प्रकार की कम्पनियों की संख्या 25 थी। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ख) इन कम्पनियों द्वारा उत्पादित किये जाने वाले फार्मूलेशनो के नाम तथा उनके सम्मिश्रण के विवरण एक निजी प्रकाशन भारतीय भेषज गाइड में प्रतिवर्ष प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकार के आंकड़े एकत्र करने में लगने वाला समय तथा प्रयास प्राप्त होने वाले संभावित परिणामो के अनुरूप नहीं होंगे। फार्मूलेशनों की बिक्री की निगरानी इस मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती।

(ग) से (च) उपलब्धि की सीमा तक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

31 कम्पनियों (मार्च, 1978 में 40 प्रतिशत औषध के क्षेत्र में से अधिक विदेशी साम्य पूंजी सहित कार्यरत) की स्थिति

क्रमांक	विदेशी कम्पनी का नाम	विदेशी साम्यता स्तर (प्रतिशत) 1978 में	31-12.1981 के अनुसार	टिप्पणी
1	2	3	4	
	मुख्य फार्मूलेटर			
1.	मै॰ एंगलो फ्रेंच ड्रग्स कं॰	60		
2.	मै॰ इंडियन शेयरिंग लि॰	88.6		
3.	मै॰ निकोलस आफ इण्डिया	100		
4.	मै॰ कारटर बेलेन्स लि॰	49.46		
5.	मै॰ सी॰ ई॰ फुलफोर्ड (आई॰) पी॰ लि॰	100	100	
6.	मै॰ अबोट लेब्स (आई) लि॰	100	100	
7.	मै॰ स्मिथ केलाइन एण्ड फ्रेंच (आई) लि॰ (विदेशी कंपनी की शाखा)		100 (शाखा)	
	अन्य			
8.	मै॰ सुधीर गेगी आफ इण्डिया	47.5		
9.	मै॰ ज्योफरी मेनर्स	45		
10.	मै॰ पार्क डेविस	88.33	88.33	
11.	मै॰ वारनर हिन्दुस्तान	50	50	
12.	मै॰ सीबा गेगी	65	65	
13.	मै॰ ओरगेनन लि॰ इण्डिया	49	49	
14.	मै॰ मे एण्ड बेकर (इण्डिया)	100	100	

1	2	3	4
15.	मै० ग्लेक्सो लेब्स	75.05	75.05
16.	मै० होचेस्ट फार्मास्युटिकल्स	50	·0
17.	मै० विफन्स इण्डिया लि०	50 + 1 शेयर	50 + 1 शेयर
18.	मै० डेयर (इंडिया) लि०	53	53
19.	मै० जोनसन एण्ड जोनसन लि०	75	75
20.	मै० सिनामिड इण्डिया लि०	65	55
21.	मै० एलकली कैमिकल्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया	60	—
22.	मै० फाइजर इण्डिया लि०	75	75
23.	मै० बूटस इण्डिया	58	53
24.	मै० मर्क शार्प एण्ड डोहमे आफ इण्डिया	60	60
25.	मै० सेन्डोज इण्डिया लि०	60.14	60.14
26.	मै० वेयथ लेब्स	74	74
27.	मै० बुरोज बेलकम	100	100
28.	मै० रोचे प्रोडक्ट्स	89	89
29.	मै० रिचर्डसन हिन्दुस्तान	55.97	55.97
30.	मै० ई० मर्क (आई) प्रा० लि०	60	60
31.	मै० यूनी सेन्क्यो लि०	49	49

कागज में आत्मनिर्भरता

4465. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज की ऐसी कौन-सी किस्में हैं जिनके मामले में भारत अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुआ है और जिनकी वर्तमान आवश्यकता आयात द्वारा पूरी की जाती है;

(ख) कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के कागज का आयात किया जाता है;

(ग) उक्त किस्म के कागज का देश में उत्पादन न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भारत में इस प्रकार के कागज का उत्पादन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश में कागज और गत्ते की मांग देशीय उत्पादन से पूरी की जाती है। तथापि, वैशिष्टतया वाले कागज जैसे फोटो के लिए कागज बैंक नोट/चैक के लिए कागज, स्टेंसिल के आधार वाला कागज क्रोम और आर्ट पेपर, टिशुपेपर, प्रैस पाम पेपर आदि का आयात किया जा रहा है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) आयात किए जा रहे विभिन्न प्रकार के कागज के अपर्याप्त उत्पादन के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) उत्पादन की क्वालिटी विशेष अनुप्रयोगों को पूरा करने में असमर्थ है।

(2) आवश्यकताओं के कम होने के कारण स्वतन्त्र उत्पादन एककों की स्थापना करने का औचित्य नहीं है।

(3) आवश्यक कच्चा माल देशीय रूप से उपलब्ध नहीं है।

(घ) इस प्रकार के कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय नीचे दिये गये हैं :—

(1) अनुसंधान और विकास के माध्यम से स्वदेशी कच्चे माल पर आधारित इन मदों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं।

(2) इस प्रकार के कागजों का निर्माण करने में समर्थ एककों को इन मदों का उत्पादन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(3) कागज उद्योग को विशेष औद्योगिक लाइसेंसों की आवश्यकता के बिना अपनी समग्र लाइसेंस में ही कागज/गत्ते किसी भी किस्म का उत्पादन करने की सुविधाओं की अनुमति दी जाती है।

(4) कच्चे माल, प्रौद्योगिकियों और उपस्करों के आयात के लिए एककों को सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

आयात किए जाने वाले कागज और गत्ते, उनकी मात्रा और मूल्य के संबंध में ब्यौरा

मात्रा—मी० टनों में

मूल्य—लाख रुपयों में

क्रम सं०	मदों का विवरण	1980-81		1981-82		1982-83 (फरवरी, 1983 तक)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	छपाई वाला कागज (अखबारी कागज को छोड़कर) और रोल अथवा सीटों में लिखाई का कागज।	81025	4796.96	42961	3310.32	10155	1009.56
2.	रोल और शीटों में क्राफ्ट पेपर और गत्ता।	616	73.47	833	67.52	949	106.78
3.	रोल और शीटों में कागज और गत्ते अन्यत्र कहीं निर्दिष्ट नहीं हैं।	4282	854.7(	6559	1009.09	5928	1022.75

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	लकड़ी अथवा अन्य वनस्पति माल का रेशा निर्माण बोर्ड प्राकृतिक या कृत्रिम रेसिन अथवा अन्य आर्गनिक संयोजन से अनुबद्ध अथा बिना अनुबद्ध है।	25	8.44	26	3.66	7	1.00
5.	कागज और गत्ता, रोल या शीटों में लहरियादार, क्रेप, वलित नक्काशी अथवा छेदित है।	58	7.30	307	24.66	62	13.22
6.	इमप्रेगेनिटिड, कोटिडसरफेस कलर्ड, रोल अथवा शीटों में सरफेस सुसज्जित अथवा मुद्रित कागज (छपाई और लिखने वाले कागज को छोड़कर) और गत्ता।	5445	894.88	8886	1752.68	5981	985.05
7.	परिवर्तित कागज और गत्ता अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं।	775	22.06	1355	45-45	729	60.47
8.	गत्ते की वस्तुएं, कार्यालयों, दुकानों आदि में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले अथवा कागज और गत्ते का बक्स, बोरी और अन्य पैक करने वाले डिब्बे बक्स फाइल, लैटर ट्रे और उसी प्रकार का कागज।	433	22.20	470	46.95	380	153-34

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	राइटिंग ब्लॉक, लिफाफे, लैटर पैड सादे पोस्टकार्ड, पत्राचार पोस्टकार्ड बक्स, पोऊचस, वालेटस और केवल कागज की स्टेशनरी रखने के लिए कागज अथवा गत्ते का लिखने वाला संग्रह।	73	7.15	25	5.72	281	9.01
10.	कागज अथवा गत्ते के रजिस्टर, अभ्यास पुस्तक, नोट बुक, ज्ञापन ब्लाक, आदेश पुस्तक, रसीदी बुक, डायरियां, ब्लाटिंग पैड फाइल कवर्स और अन्य स्टेशनरी/साम्पल और अन्य एलबम तथा कागज और गत्ते के बुक कवस आदि।	5	1.95	354	25.56	61	7.91
11.	आकार अथवा रूप में काटे गए कागज गत्ते अन्यत्र कहीं निर्दिष्ट नहीं है।	67	6.65	94	30.64	39	18.41
12.	कागज लुग्दी, कागज और गत्ते अथवा सेलुलोज वेडिंग की वस्तुएं अन्यत्र कहीं निर्दिष्ट नहीं।	599	106.17	342	89.81	2458	306.04

[हिन्दी]

बरेली में रबड़ फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से प्रभावित मजदूर

4466. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बरेली में एक रबड़ फैक्ट्री से जहरीली गैस (विनायल पेराडीन) के रिसाव से प्रभावित मजदूर बीमार पड़ गये थे और अभी भी खतरनाक रोगों से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंथेटिक और रसायन संयंत्रों का कार्यकरण असंतोषजनक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त रबड़ फैक्ट्री के प्रबंधकों/प्रशासन के विरुद्ध कोई कारंवाई की है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के अनुदेश दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की दूसरी विस्तार परियोजना के बारे में विशेष दल का प्रस्ताव

4467. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी तकनीकी सलाहकारों और/अथवा विशेषज्ञों ने, जिन्होंने नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, नैवेली, तमिलनाडु का दौरा किया था, नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की दूसरी खान विस्तार परियोजना के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो भ्रमणकारी विशेषज्ञ दल ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस बारे में आगे क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) पश्चिम जर्मनी के मैसर्स राइनब्राउन कंसल्टैंट्स ने विस्तार परियोजना के लिए अपेक्षित उपकरणों के विनिर्देशों तथा प्राप्त निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन पर नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। यह प्रतिवेदन कारपोरेशन के विचाराधीन है।

रामागुन्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र संयंत्र के सिंगरेनी कोयला खानों से कोयले की सप्लाई बन्द किया जाना

4468. श्री नारायण चौबे
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर
: क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोयला खानों के प्रबन्धकों द्वारा आंध्र प्रदेश में रामागुन्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र को सप्लाई को बन्द करने के निर्णय के फलस्वरूप, इस विद्युत केन्द्र की 200 मेगावाट क्षमता वाली तीन यूनिटें हाल ही में दो दिन के लिए बन्द कर दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ताप विद्युत संयंत्र के बन्द होने के कारण इसमें कितनी विद्युत उत्पादन की हानि हुई है; और

(घ) भविष्य में इस तरह संयंत्र को बन्द होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ख) सिंगरैनी कोयलिरीज कंपनी लि० द्वारा प्रतिष्ठापित इलैक्ट्रानिक भार मापक बैल्ट द्वारा रिकार्ड किए गए कोयले के भार में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने उन पर बनाए गए कोयले के बिलों में कटौती कर दी थी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के रामागुन्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की सप्लाई 17 और 18 नवम्बर, 1985 को बन्द कर दी गई थी और उस केन्द्र की तीन यूनिटें बन्द कर दी गई थीं।

सरकार ने कोयले की सप्लाई तत्काल पुनः चालू करने के निर्देश दिये थे और तीनों यूनिटें उत्तरोत्तर क्रमशः 20, 21 और 22 नवम्बर, 1985 को पुनः चालू कर दी गई थीं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अनुसार विद्युत उत्पादन में 42.29 मिलियन यूनिट की हानि हुई थी।

कोयले को तोलने से संबंधित मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि अगले पांच सप्ताह तक, भार मापक बैल्ट पर तौलों की, व्यासमापन के बाद, यांत्रिक भार मापक पर तोल के साथ तुलना की जानी चाहिए ताकि सही-सही विसंगति का हिसाब लगाया जा सके और उसे दूर किया जा सके।

उत्तरी और पश्चिम औद्योगिक क्षेत्रों की नदी से कोयले की ढुलाई

4469. श्री जी० एस० मिश्र : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों को नदी से कोयले की ढुलाई करने के लिए 'वाटर एण्ड पावर कनसल्टेन्सी सर्विसेज

(इंडिया) लिमिटेड" को अध्ययन करने के जो, आदेश दिए गए थे अथवा दिए जाने वाले थे, के क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : रानीगंज और राजमहल कोयला क्षेत्रों से गंगा नदी के जरिए कोयले के नदी-परिवहन की संभावना के अध्ययन के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव था। परन्तु, उसी बीच, गंगा नदी के फरक्का-इलाहाबाद अनुभाग में "अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवाएं" पर एक विस्तृत साध्यता अध्ययन प्राप्त हो गया था। यह अध्ययन तत्कालीन जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय ने किया था। इस साध्यता अध्ययन की जांच के बाद, पहले से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मामले पर विचार किया गया था और इस उद्देश्य के लिए अलग से किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं समझी गई थी।

नहाने के साबुन में भार और चर्बी की मात्रा का कम किया जाना

4470. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइफबाय, सनलाइट आदि जैसे साबुन निर्माताओं ने इन साबुनों के भार को एक से अधिक बार कम किया जबकि उनके मूल्यों में कमी नहीं की गई है;

(ख) क्या इन साबुनों में चर्बी की मात्रा को भी कम किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के लिए ऐसी हानिकारक और निर्माताओं को अधिक लाभ देने वाली प्रवृत्तियों को समाप्त करने हेतु उपयुक्त कदम उठाने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) तोल और माप (बन्द वस्तु) नियमावली, 1977 के मानकों के उपबंधों के अनुसार, नहाने के साबुन के वजन में ज्यादा से ज्यादा गलती या खामी 3 प्रतिशत होती है। नियमों में नहाने के साबुन के टी०एफ०एम० भार के संबंध में कोई भी अनुज्ञेय अधिकतम गलती निश्चित नहीं हुई है। नियमों में यह भी प्रावधान है कि ऐसी वस्तुओं के संबंध में जिनके वजन या माप में पर्यावरणीय या अन्य स्थितियों के कारण विशेष अन्तर आ जाने की संभावना है, मात्रा की घोषणा में "जब बन्द किया गया" शब्द लिखा जाएगा। नहाने के साबुन को वस्तुओं की सूची में शामिल हो गया है, अतः जिसके मामले में शुद्ध भार ग्राह्य होना चाहिए। इसके अलावा, यदि नहाने के साबुन के मामले में शुद्ध भार की पात्रता के लिए "जब बन्द किया गया" शब्द का उपयोग किया जाता है तो उत्पादक से उपभोक्ता की जानकारी के लिए टी० एफ० एम० भार की घोषणा करने की अपेक्षा की गई है।

राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा तोल और माप अधिनियम, 1976 (1976 का 60) के मानकों तथा तोल और माप (बन्द वस्तु) नियमावली, 1977 को प्रशासित किया जाता है। किन्तु उपलब्ध सूचना के अनुसार, नहाने के साबुन के वजन या टी० एफ० एम० भार कम हो जाने की कोई घटना भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

मोदी रबड़ और पिककप संयुक्त उद्यम के विरुद्ध जांच

4471. श्री के० राममूर्ति : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार के अन्तर्गत आने वाली कम्पनी, मोदी रबड़, और उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, पिककप के प्रस्तावित संयुक्त क्षेत्र के उद्यम के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार द्वारा जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग ने मोदी रबड़ द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करने के बारे में पहले भी रिपोर्ट की है;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या मोदी रबड़ के पास ओपन के जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की गई सिन्थेटिक रबड़ का बहुत भारी भण्डार है;

(च) क्या मोदी रबड़ ने मैसर्स सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स की बहुत अधिक बकाया राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया है; और

(छ) यदि हां, तो प्रस्तावित संयुक्त उद्यम, जो मोदी रबड़ के लिए लाभकारी नहीं है, में बहुत अधिक सार्वजनिक निवेश की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में स्टेरीन बुटाडाइन रबड़ (एस०बी०आर०) के विनिर्माण के लिए मैसर्स पिककप के साथ संयुक्त उद्यम परियोजना के स्थापनार्थ मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर, उक्त अधिनियम की धारा 29 के निबन्धनों में 4-12-1985 को सुनवाई सम्पन्न की गई थी। उपर्युक्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के किसी उल्लंघन की सूचना नहीं दी है। तथापि, कतिपय अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों के सम्बन्ध में पिछले तीन सालों की अवधि में आयोग द्वारा चार जांचें संस्थापित की गई थीं और इनमें से दो को बन्द कर दिया गया है और अन्य दो अभी तक अनिर्णीत हैं।

(ङ) आयात और निर्यात मुख्य नियन्त्रक ने सूचित किया है कि ओ०जी०एल० के अन्तर्गत आयातित सिंथेटिक रबड़ के ब्यौरे विशेष कम्पनियों के निबन्धनों के अन्तर्गत नहीं दिये जाते हैं।

(च) मैसर्स सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड को मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड द्वारा अगर कोई बकाया राशि नहीं दी गई है तो सरकार उससे संबंधित नहीं है।

(छ) एस०बी०आर० के विनिर्माण के लिए पिककप के साथ संयुक्त उद्यम के लिए मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड के प्रस्ताव पर संयुक्त क्षेत्र उद्यमों के लिए मार्गदर्शिका के अनुसरण और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अनुसार सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी समिति महासंघ द्वारा भुगतान रोकना

4472. **श्री भोला राउत** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड ने चमड़ा सहकारी समितियों की विभिन्न प्राथमिक यूनिटों द्वारा सप्लाई किये गये माल की अदायगियां एक दशक से अधिक समय से रोकी हुई हैं;

(ख) क्या सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने अपनी रिपोर्ट दी है और चमड़ा शिल्प औद्योगिक सहकारी समिति करोल बाग नई दिल्ली जो कि राष्ट्रीय महासंघ को भी चमड़े के माल की सप्लाई करता है को देय 55,053.65 रुपये की बकाया अदायगी का अनुमान लगाया है;

(ग) क्या उद्योग मन्त्रालय से 47 लाख रुपये प्राप्त करने के बावजूद भी राष्ट्रीय महासंघ विभिन्न यूनिटों की अदायगी रोक रहा है;

(घ) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय महासंघ सरकारी यूनिटों जिन्होंने अपने माल की सप्लाई की थी, की अदायगी न करने के लिये गैर-सरकारी एजेंसियों से सप्लाई ले रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (ख) के अनुसार राष्ट्रीय महासंघ चमड़ा शिल्प औद्योगिक सहकारी समिति को कब तक अदायगी कर देगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) चमड़ा वस्तुओं के निर्यात हेतु राज्य व्यापार निगम से प्राप्त आदेशों (क्रयादेशों) के आधार पर इन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए नेशनल फैडरेशन आफ इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव्ज लि० ने दिल्ली की चमड़ा सहकारी समितियों के एक समूह के साथ एक संविदा की थी। तदनुसार, 1967-68 से 1976-77 तक दिल्ली की चमड़ा सहकारी समितियों ने नैफिक (नेशनल फैडरेशन आफ इण्डस्ट्रियल को-ओपरेटिव्स लि०) को निर्यात के लिए चमड़ा वस्तुओं की आपूर्ति की थी। जैसा कि इस प्रकार की संविदाओं में होता है, कुछ विवादपूर्ण दावों के मामले दिल्ली चमड़ा सहकारी समितियों द्वारा उठाए गए थे। जब यह मामला सहकारी समितियों के पंजीकार की जानकारी में लाया गया तब टेस्ट केस के रूप में इन समितियों में से एक अर्थात् लेदर क्राफ्ट्स इण्डस्ट्रियल कोपरेटिव सोसाइटी के दावों की जांच के लिए उनके द्वारा अपना एक सहायक पंजीकार को भेजा गया था। दावों की जांच करने के बाद सहकारी

समितियों के सहायक पंजीकार, दिल्ली ने अन्तिम रूप से यह सिफारिश की थी कि नेशनल फैडरेशन द्वारा लेदर क्राफ्ट्स सोसाइटी के खाते में 55,053.62 रुपये की रकम जमा की जा सकती है। फैडरेशन द्वारा सहायक पंजीकार की सिफारिशों की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि कुछ दावे अमान्य थे। दूसरी ओर फैडरेशन के पास लेदर क्राफ्ट्स सोसाइटी के मामले सहित कुछ ऐसे मामले थे जिनका निपटान लेदर कोपरेटिव सोसाइटीज, दिल्ली द्वारा किया जाना था।

(ग) भारत सरकार इस फैडरेशन की प्रमुख शेयरधारक (शेयर होल्डर) है और अब तक सरकार द्वारा इस फैडरेशन की अंश पूंजी में कुल 48 लाख की राशि लगाई जा चुकी है। यह कहना ठीक नहीं है कि यह फैडरेशन विभिन्न एककों का भुगतान रोके हुए है। कुछ समितियों के दावे के निपटान में विलम्ब ऐसे कारणों से हुआ है जो इस फैडरेशन के नियन्त्रण से बाहर हैं क्योंकि इस प्रकार के दावों के विषय में उन्हें अपनी संतुष्टि करनी होती है और साथ ही लेखा परीक्षा के लिए भी विवरणीय (एकाउंटेबल) होते हैं।

(घ) सामान्यतया यह फैडरेशन अपनी आपूर्तियां सदस्य औद्योगिक सहकारी समितियों से प्राप्त करता है किन्तु कभी-कभी असामान्य स्थिति में जब कुछ विशेष दायित्व सदस्य समितियां पूरे नहीं कर पातीं केवल तभी कुछ वस्तुएं निजी क्षेत्र से खरीदने के विकल्प का इसे सहारा लेना पड़ सकता है।

(ङ) लेदर क्राफ्ट्स इण्डस्ट्रियल कापरेटिव सोसाइटीज को देय भुगतान के बारे में विवाद, यदि कोई हो तो उसका निपटान केवल तभी हो सकता है जब कि फैडरेशन द्वारा उनके दावों का संतोषजनक रूप से सत्यापन कर लिया जाए।

पश्चिम बंगाल में उद्योग के लिए वित्त संबंधी अध्ययन

4473. श्री आनन्द पाठक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में उद्योग के लिये वित्त संबंधी अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त अध्ययन के निष्कर्षों से सहमत है; और

(घ) यदि नहीं तो सरकार का किन मुद्दों पर मतभेद है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल के अनुसार, उन्होंने अभी हाल में पश्चिम बंगाल में उद्योगों के लिए वित्त सम्बन्धी कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 में संशोधन करना

4474. श्री शान्ति धारीवाल : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर यान अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत किसी मोटर दुर्घटना में मृत व्यक्ति के निकट रिश्तेदार को मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के समक्ष मुआवजे का दावा पेश करने के लिए दस रुपए न्यायालय शुल्क जमा करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मोटर यान से भिन्न बैलगाड़ी आदि जैसे अन्य किसी वाहन से हुई दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के निकट रिश्तेदार को भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश के समक्ष मुआवजा दावा पेश करने हेतु अधिक न्यायालय शुल्क देना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 में दस रुपए न्यायालय शुल्क निर्धारित करने और एक घातक दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गठित करने के लिए भी उसमें संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा, 11क के अधीन, राज्य सरकारों को अधिनियम के अधीन दावों के लिए आवेदनों की बाबत संदेय फीस विहित करनी होती है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ राज्यों में (अर्थात् हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, नागालैंड, गोआ, दमन और दीव) फीस 10 रुपये नियत की गई है, भले ही रकम कितनी ही हो। असम में यह फीस 11 रु०, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 15 रु० है। पंजाब और चंडीगढ़ में नियत फीस केवल 1.25 रु० है। किन्तु आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में संदेय फीस मूल्यानुसार है। विभिन्न राज्यों द्वारा विहित की गई मूल्यानुसार दरें बहुत कम हैं और स्लैब के आधार पर हैं। महाराष्ट्र में, जहां दावा 5 हजार रु० से अधिक का नहीं है, वहां फीस 10 रु० है और जहां दावा 5001 रु० से 50,000 रु० के बीच में है, वहां रकम का एक चौथाई (0.25) प्रतिशत फीस है और जहां दावा 50,001 रु० से 10,00,000 रु० के बीच में है, वहां फीस रकम का आधा प्रतिशत है और जहां 1 लाख रु० से अधिक का दावा है, वहां फीस रकम का एक प्रतिशत है।

"उच्चतम न्यायालय के सिवाए सभी न्यायालयों में संदेय फीस" संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 3 के अधीन आती है। घातक दुर्घटना दावा अधिकरण के गठन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है और यह अनुभव किया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप अनुयोज्य दोषों या अपकृत्यों से उद्भूत प्रतिकर के दावों की बाबत अधिकारिता मामूली न्यायालयों के पास

ही बनी रहनी चाहिए, जैसा कि इस समय है और जैसा कि अन्य अनुयोज्य दोषों या अपकृत्यों के मामले में है।

[अनुवाद]

ताजमहल के आस पास प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना

4475. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए उसके आस-पास उद्योगों की स्थापना करने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गये थे;

(ख) यदि हां, तो प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा कितने किलोमीटर में है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदूषण पैदा न करने वाले कुछ अन्य किस्म के उद्योग स्थापित करने के लिये कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आगरा-मथुरा क्षेत्र में ताज के चारों ओर एक भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण किया गया है जहां प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं है। निर्धारित क्षेत्र लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर है। तथापि, इस क्षेत्र में प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले उद्योग स्थापित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

कालपोंग बांध

4476. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी अण्डमान में कालपोंग परियोजना के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जाएगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कालपोंग परियोजना के प्रस्ताव पर केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के परामर्श से जांच की जा रही है।

(ख) परियोजना पर कार्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही प्रारम्भ किया जा सकता है।

———

तारों के बुक करने के समय में परिवर्तन के बारे में दिनांक 10 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3333 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

(हिन्दी में यह शुद्धि लागू नहीं होती)

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, सभा में कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होनी चाहिए और उनमें से एक मसला यह है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम सदा महत्वपूर्ण मसलों पर ही चर्चा करते हैं। मैं इसे विशेष तरहीज दे रहा हूं। मैं इसे पहले ही स्वीकार कर चुका हूं और इस पर अब विचार किया जाने वाला है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, इस पर कब विचार किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे विशेष तरहीज दी है।

श्री वसुदेव आचार्य : आपने मेरी बात नहीं सुनी है।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। यह प्रश्न-काल नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, भारतीयों के एकदल को दक्षिण अफ्रीका जाने की अनुमति दी गई है, जो इस बात के लिए प्रतिकूल है कि···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जानकारी मगवाने के लिए कह चुका हूं। कल इन माननीय सदस्या ने यह प्रश्न उठाया था। मैंने उन्हीं के प्रश्न को जानकारी मंगवाने के लिए भेजा है कि यह सब क्या है। मैं यह काम पहले ही कर चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कपास के बारे में हाफ-एन-आवर डिस्कशन का नोटिस दिया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कल और परसों उठा चुका हूं। मैंने इस पर चर्चा की अनुमति दे दी है और सभा में इस पर चर्चा होने वाली है। इससे अधिक और मैं क्या कर सकता हूं ?

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : किसानों के लिए कोई भी मदद नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : जंगा रेड्डी जी बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं वास्तव में इस बारे में चिंतित हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार इस बारे में क्या करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इस बात का पता लगाऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपने मेरी बात सुनी नहीं है। अनुच्छेद 311(2) को निर्वचन के बारे में···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आपने ही स्वयं निर्णय लिया था कि मामले पर चर्चा की जाएगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा पहले ही कर चुका हूं। श्री आचार्य, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ? मैं प्रो० मधु दंडवते के विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान कर चुका हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह कब प्रस्तुत किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि यह कब प्रस्तुत किया जाएगा। मैं इसके लिए विशेष अनुमति प्रदान कर चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : अध्यक्ष महोदय, गन्ने के दाम में कमी होने के कारण यू० पी० में 6 मिलें बन्द हो चुकी है तथा और भी बन्द होने जा रही हैं। मैंने आपके पास दरखास्त रखी है कि सरकार जल्द से जल्द गन्ने का दाम तय करे ताकि मिलें चालू हो जाएं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइए।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, 14 दिसम्बर को···(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, आग लगने की दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, एक न्यू मार्केट, कलकत्ता में दूसरी हावड़ा मार्केट में··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दो महिलाओं के बीच में मैं नहीं आने वाला हूं।

[अनुवाद]

कम से कम मैं दो महिलाओं के बीच दीवार नहीं बनूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मेरी दो मांगें हैं। पहली मांग तो यह है कि कलकत्ता और हावड़ा में घटित आग की इन दो घटनाओं की सी० बी० आई० द्वारा जांच की जानी चाहिए। मुझे आपकी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि यह एक षडयन्त्र है और ये पूर्णतः राजनीति से प्रेरित घटनाएं हैं। पांच हजार से भी अधिक मजदूर बेघरबार होकर अब सड़कों पर हैं। मैं प्रधान मन्त्री के राहत-कोष से वित्तीय सहायता की भी मांग करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : शान्त हो जाइये। आपका क्रोध तो आग से भी अधिक प्रचण्ड है।

कुमारी ममता बनर्जी : इस मामले में सी० बी० आई० की जांच होनी चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : अमल जी, आप ऐसा कीजिए !

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम पता करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, 14 दिसम्बर को 'ट्रिब्यून' में एक समाचार चण्डीगढ़ से निकला है कि आर्मी डेजर्टर्स को ग्रान्ट दी जा रही है। यह क्या हो रहा है पंजाब में ? आर्मी छोड़कर जो भागे हैं, उन्हें अनुशासनहीनता और देशद्रोहिता के लिए यह इनाम दिया जा रहा है। मैं जानना चाहती हूं, कानून क्या कहता है। क्या मन्त्री महोदय इस बारे में वक्तव्य देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : पूछेंगे।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, 15 दिसम्बर को एक और समाचार निकला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दें। मैं पता करूंगा।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : आर० ई० सी० द्वारा आन्ध्र प्रदेश में 47% से भी अधिक बिजली की कटौती की जा रही है···

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : त्रिवेन्द्रम में, पुलिस हिरासत में कुछ मौतें हुई हैं। जनता ने विरोध प्रकट किया है···(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। उसकी अनुमति नहीं है। अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री साठे। (**व्यवधान**)*

12.06 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[**अनुवाद**]

कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : मैं कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1985, जो 30 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1118 में प्रकाशित हुई थी।

(2) आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1985, को 30 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1119 में प्रकाशित हुई थी।

(3) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1985, जो 30 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या स० का० नि० 1120 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1636/85]

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आयल इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1984-85, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1984-85, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1984-85, इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1984-85, बोंगेगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1984-85, कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के वर्ष 1984-85, के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) आयल इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० — 1637/85]

(2) (एक) भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रणक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1638/85]

(3) (एक) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1984-8 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रणक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1639/85]

(4) (एक) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी० -- 1640/85]

(5) (एक) बोंगेगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बोंगेगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1941-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० -- 1641/85]

(6) (एक) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखपरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० — 1642/85]

(7) (एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० — 1643/85]

राष्ट्रीय जलविद्युत निगम सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

ऊर्जा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

(2) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम सीमित का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1644/85]

विधान परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (मद्रास) संशोधन आदेश, 1985, इण्डियन लॉ इंस्टीट्यूट का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन और संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (मद्रास) संशोधन आदेश, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 17 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 661 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1645/85]

(2) इण्डियन लॉ इंस्टीट्यूट के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1646-85]

(4) संविधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1647/85]

बाजार ऋण जारी किए जाने के बारे में अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं बाजार ऋण जारी किये जाने के बारे में 16 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या एफ० 4(5)—डब्ल्यू० एण्ड एम०/85 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1648/85]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) दूसरा संशोधन अधिनियम, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें आदि

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 9 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 662 (अ) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 9 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें ट्रैक्टरों पर उपकर लगाने संबंधी आदेश दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1649/85]

(2) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 19 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 977 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1650/85]

(3) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धाराओं 18क/18कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) का० आ० 618 (अ), जो 22 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स ग्रेटफार्म इलैक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 690 (अ), जो 25 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स महादेव टैक्सटाइल मिल्स, हुबली (कर्नाटक)

[श्री एम० अरुणाचलम]

के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 712(अ), जो 30 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स श्रीराम शूगर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बोबिली के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(चार) का० आ० 714(अ), जो 30 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स श्री राम शूगर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, सीतानगरम, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 716 (अ), जो 30 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मोतीपुर शूगर फैक्टरी, लिमिटेड, मोतीपुर, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(छह) का० आ० 717(अ), 30 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो मैसर्स प्लाई बोर्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, पाम्पोर के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(सात) का० आ० 718(अ), जो 30 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स एसोसिएटिड इण्डस्ट्रीज (असम) सीमित के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(आठ) का० आ० 730(अ), जो 8 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स डा० पाल लोहमनर (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(नौ) का० आ० 746 (अ), जो 11 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स श्री दुर्गा काटन स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोन्नागर के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दस) का० आ० 796 (अ), जो 30 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर, पांडिचेरी, मारजी मऊनाथ भजन, ऊदयपुर और राय बरेली के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(ग्यारह) का० आ० 837(अ), 19 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स इण्डिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों मे आगे बढ़ाने के बारे में है।

(बारह) का० आ० 843(अ), जो 25 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स ब्रेंटफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तेरह) का० आ० 866 (अ), जो 29 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स एसोसिएटिड इण्डस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, चन्द्रपुर, के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों के आगे बढ़ाने के बारे में है।

(चौदह) का० आ० 867(अ), जो 29 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो मैसर्स बंगाल पोटरीज लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(पन्द्रह) का० आ० 878(अ), जो 3 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1651/85]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष, 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम, का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1652/85]

(ख) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

[श्री एम० अरुणाचलम]

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड नैनी इलाहाबाद का वर्ष, 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० —1653/85]

(ग) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० —1654/85]

(घ) (एक) इन्स्ट्रूमैन्टेशन लिमिटेड, कोटा, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इन्स्ट्रूमैंटेशन लिमिटेड, कोटा, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1655/85]

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों का 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1656/85]

(च) (एक) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1657/85]

(छ) (एक) चण्डीगढ़ इण्डस्ट्रियल एण्ड जनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड चण्डीगढ़ के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) चण्डीगढ़ इण्डस्ट्रियल एण्ड जनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड चण्डीगढ़ का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1658/85]

(ज) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम सीमित, नई दिल्ली, का वर्ष 1984 85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (1) की मद (छ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1659/85]

(6) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का वर्ष 1984-85 का संघ सरकार (वाणिज्यिक)—भाग-चार-भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1660/85]

(7) पेटेण्ट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत पेटेण्ट, डिजाइन तथा ट्रेड मार्क महानियंत्रक के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1661/85]

(8) (एक) कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, कॉयर बोर्ड, कोचीन, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) कॉयर बोर्ड, कोचीन, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत

[श्री एम० अरुणाचलम]

कॉयर बोर्ड, कोचीन, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) कॉयर बोर्ड, कोचीन, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1662/85]

(9) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखें।

(दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1663/85]

(10) (एक) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टीच्यूट देहरादून का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टीच्यूट, देहरादून, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1664/85]

(11) (एक) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन-निर्माण सामग्री परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1665/85]

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के वर्ष 1984-85, इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1666/85]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स का० लिमिटेड, पिम्परी वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1667/85]

(ग) (एक) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1668/85]

(घ) (एक) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1982-83

[श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह]

का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1669/85]

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1670/85]

(2) (एक) सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टूल्स के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टूल्स के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1671/85]

(3) (एक) सेंट्रल इन्स्टीच्यूट आफ प्लास्टिक्स इन्जीनियरिंग एण्ड टूल्स के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इन्स्टीच्यूट आफ प्लास्टिक्स इन्जीनियरिंग एण्ड टूल्स के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1671/85]

———

12·07 म०प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

'राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 16 दिसम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 9 दिसम्बर, 1985 को पारित किए गए रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1985 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

————

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अध्ययन दौरे दल 1 और 2 के प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दल एक और दो के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) सितम्बर 1985 के दौरान बम्बई, मंगलूर, त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी की यात्रा के सम्बन्ध में समिति के अध्ययन दल—एक के अध्ययन दौरे से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

(दो) सितम्बर, 1985 के दौरान बंगलूर, कलकत्ता और ईटानगर की यात्रा के सम्बन्ध में समिति के अध्ययन दल—दो के अध्ययन दौरे से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

————

कार्य मंत्रणा समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

"कि यह सभा 16 दिसम्बर, 1985 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 16 दिसम्बर, 1985 को सभा में प्रस्तुत कार्य मन्त्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

12.08 म० प०

विधेयक

(एक) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह विधेयक प्रस्तुत करें।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, निक्षेप बीमा निगम (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1978, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी

* दिनांक 17-12-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग—2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

निगम अधिनियम, 1961, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण), अधिनि 1970, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, निक्षेप बीमा निगम (संशोधन और प्र उपबंध) अधिनियम 1978, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) नियम, 1980, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

———

(दो) सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी — पद संख्या 13 प्रस्तुत करें।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : महोदय, यह विधेयक हमें पिछली रात ही परिचालित किया गया है। इसका भार एक किलोग्राम है। आप ने इसे देख लिया है या नहीं और क्या इस सत्र के दौरान इस पर विचार और चर्चा की जा रही है, इस बारे में मुझे नहीं मालूम। हमें इसे पढ़ने के लिए भी समय चाहिए। हमें इसे जल्दबाजी में पारित नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी काम कर लिया करो हैं, तो आप रोकते हैं।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है :

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

* दिनांक 17-12-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

"कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

12.09 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) धौंड-मनमाड-पूना संपर्क लाइन को दोहरी रेल लाइन में बदलने की मांग

श्री बाला साहेब विखे पाटिल (कोपर गांव) : धौंड मनमाड-पूना रेल लाइन का निर्माण प्रारम्भ में माल ढुलाई के लिए किया गया था। किन्तु कुछ समय के पश्चात रेल लाइन के इस खंड का उत्तरोत्तर प्रयोग यात्री यातायात के लिए भी किया गया है। माल के यातायात में भी कई गुना वृद्धि हो गई है। अतः मौजूदा यात्री तथा माल यातायात को संभालने के लिए इकहरी रेल लाइन बहुत ही अनुपयुक्त है। इस रेल लाइन के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र चीनी, शीरा, अल्कोहल आदि जैसे उद्योगों की दृष्टि से सघन है। अतः, यह सर्वाधिक आवश्यक है कि यहां इकहरी रेल लाइन के स्थान पर दोहरी रेल लाइन शीघ्र ही बिछाई जाए ताकि यात्री तथा माल दोनों ही यातायातों की आवश्यकता पूरी की जा सके। बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए कोपर गांव बेलापुर तथा अहमद नगर के रेलवे स्टेशनों का भी नवीकरण और विस्तार किया जाना चाहिए।

सेलम एक्सप्रेस जो कि पूना से चलती है और इस खंड से गुजरती है, इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। इसके परिचालन समय को कम किए जाने की आवश्यकता है और इसे अपने चलने के समय का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। इसके लेट चलने को रोका जाना चाहिए। इस गाड़ी की क्षमता को भी बढ़ाया जाना चाहिए और इसके सवारी डिब्बों को बेहतर शौच सुविधाओं की स्थापना और बिजली फिटिंग करके नया रूप दिया जाना चाहिए।

(दो) उड़ीसा के फूलबनी जिले में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर की बजाय पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री राधाकान्त डिगाल (फूलबनी) : भारत सरकार ने सातवीं योजना के दौरान कम शक्ति

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए अनेक स्थानों का पता लगाया है। उड़ीसा में फूलबनी को भी ऐसे ही एक स्थान के रूप में चुना गया है किन्तु उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

फूलबनी दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए एक आदर्श स्थल है। इस जिले में कालुंगा घाटी नामक एक स्थान समुद्र तल से 4000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। फूलबनी में ऐसे बहुत से स्थान हैं जिन्हें उपयुक्त स्थल माना जा सकता है। यदि इनमें से किसी भी स्थान में दूरदर्शन केन्द्र हो तो उससे गंजम, कोरापुट और बालानगिर जिले के एक भाग में प्रसारण किया जा सकेगा। ये सभी जिले जन-जातिबहुल क्षेत्र हैं।

इस स्थिति को देखते हुए मेरा माननीय सूचना और प्रसारण मन्त्री से अनुरोध है कि वे फूलबनी में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करें।

(तीन) गोवा में रंगीन दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने की मांग

श्री शांताराम नायक (पणजी) : गोवा देश के अनेक सुविख्यात कलाकारों की मातृभूमि है। प्रकृति ने भी इस स्थान को बहुत सुन्दर बनाया है।

हाल ही में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में माननीय राज्य मन्त्री, श्री विट्ठल राव गाडगिल ने लोक सभा में यह घोषणा की है कि सरकार ने सभी राज्यों की राजधानियों में रंगीन दूरदर्शन स्टुडियो स्थापित करने का निर्णय लिया है।

सरकार का यह निर्णय और श्री गाडगिल द्वारा इस दिशा में की गई पहल वास्तव में प्रशंसनीय है। थोड़े ही समय में देश भर में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए सरकार के प्रयासों की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई है।

तथापि, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि गोवा जैसे सुन्दर क्षेत्र में रंगीन दूरदर्शन स्टूडियो की आवश्यकता समयोचित है। राज्यों की तुलना में संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

आशा है कि हमारे मंत्री श्री विट्ठलराव गाडगिल सुन्दर गोवा प्रदेश के लिए एक रंगीन स्टुडियो स्वीकृत करने की घोषणा शीघ्र करेंगे।

[हिन्दी]

(चार) राजस्थान में वनों की कटाई पर रोक लगाने की मांग

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तोड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वनों पर मनुष्य का प्रहार यदि नहीं रोका गया तो सारा प्रदेश भयंकर रेगिस्तान में बदल जायेगा। वन, जिसे लोगों ने "हरा सोना" समझा, उसको काट-काटकर वनों की चिता पर अभी भी अपनी रोटी सेक रहे

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

हैं । कोटा जिले के पहाड़ी स्थल तथा चित्तौड़ जिले में रावतभाटा, भैसररोड़ गढ़ में कुछ जंगल बचा हुआ है, जो नया गांव बोराबास डोलिया गांवो के आस-पास इलाके को रिजर्व फोरेस्ट कहलाता है। वन खंड आंवली रोजड़ी दरा गैप्स सेन्चूरी भी कहलाता है। वहां आये दिन लोग हजारों की तादाद में झुंड बना कर डाकुओं की तरह वन पर डाका डालने आते हैं। बेरहमी से वे बड़े-बड़े वृक्षों को काट कर दिन दहाड़े अधिकारियों की उपस्थिति में ट्रक भर कर ले जाते हैं। मोटर साइकिल के पीछे बड़े-बड़े लट्ठे और कुछ साइकिलों पर भी इन बड़े लट्ठों को रखकर टिड्डी दल की तरह वनों से खुले-आम निकलते हैं, जिन्हें कोई नहीं रोक पा रहा है। इससे धीरे-धीरे राजस्थान का वह रिजर्व फोरेस्ट वनों का मरघट बन जायेगा। इस रिजर्व फोरेस्ट को कटने से कब रोका जायेगा ? नये वृक्षारोपण पर करोड़ों रुपये हम व्यय कर रहे हैं, इस आशा से कि हमारे वन पुन: पनपेंगे पर उसकी तुलना में वृक्ष अधिक कट रहे हैं। इन लोगों ने वन-विभाग की मिली-भगत, से पेड़ काटना अपना व्यवसाय बना लिया है। इन 'हरे सोने के' डाकुओं को बिना फोर्स (पुलिस, आर्मी) के नहीं रोका जा सकता है। स्थानीय व्यक्ति भयभीत हैं। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगी कि अरावली के इस क्रन्दन को आप सुनें तथा राजस्थान की भूमि का वनों का कब्रिस्तान बनाने से रोकें ।

[अनुवाद]

(पांच) गुंटाकल और हैदराबाद के बीच की मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता

श्री बी० कृष्णराव (चिकबल्लापुर) : हजारों यात्री रोज बंगलोर से हैदराबाद के बीच सफर करते हैं। दुर्भाग्यवश, इस गाड़ी का मार्ग घुमावदार और मीटरगेज का है। इन दो शहरों के बीच की यात्रा यात्रियों के लिए बहुत कष्टप्रद है। यह रास्ता बहुत समय लेने वाला और कष्टकर है। वस्तुत:, ब्रिटिश शासन काल के दौरान इस मार्ग को रद्द कर दिया गया था किन्तु अभी भी इस अलोकप्रिय मार्ग का प्रयोग किया जा रहा है।

यदि गुंटाकल और हैदराबाद के बीच की इस लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाए तो यह बंगलोर और हैदराबाद के बीच सबसे छोटा और सीधा मार्ग होगा। इससे दूरी में 100 किलोमीटर से भी अधिक की कमी हो जाएगी और दिल्ली तथा बंगलोर के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस की यात्रा भी कम हो जाएगी। वस्तुत:, यह नया मार्ग कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के लोगों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा।

अत: माननीय रेल मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले पर गंभीरता से विचार करें और गुंटाकल और हैदराबाद के बीच की मीटरगेज लाइन को तत्काल बड़ी लाइन में परिवर्तित कराने की कृपा करें।

[हिन्दी]

(छह) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना "बावनथारी सिंचाई परियोजना" को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर स्वीकृति देने और पूरा करने की आवश्यकता

श्री केशव राव पारधी (भंडारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय को सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

बावनथड़ी सिंचाई योजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार की संयुक्त सिंचाई योजना है। इस योजना का कार्य 1974 में शुरू किया गया। इस योजना की नहरों के काफी काम हो चुके हैं, लेकिन बांध बांधने का काम केन्द्रीय सरकार की तथा जंगल विभाग की मंजूरी के वास्ते अभी तक रुका है। जब यह योजना 1974 में मंजूर की गई तब इसकी लागत 23 करोड़ थी। 1979 में इसकी योजना का अनुमान 37 करोड़ हो गया और अब इस योजना पर करीब 127 करोड़ खर्च होगा। जितनी देरी इसमें होगी उतना ही खर्च बढ़ेगा। इस योजना से इस विभाग के सूखाग्रस्त एरिया की सिंचाई होने वाली है। वर्षा की कमी से यहां के किसान सूखे से त्रस्त रहते हैं, उनकी करीब एक लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होने वाली है जो कि ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र है और इस योजना का कार्य फारेस्ट अमेंडमेंट अध्यादेश आने के पहले ही शुरू हो चुका था। फिर भी बांध का काम अभी तक रुका हुआ है।

भण्डारा जिले में तथा संपूर्ण महाराष्ट्र में कई जिलों में जंगल विभाग की मंजूरी वास्ते सिंचाई के बहुत से काम रुके हुए हैं। सिंचाई के काम बंद रहने की वजह से किसानों में बहुत असंतोष है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से नम्र निवेदन है कि बावनथड़ी सिंचाई योजना को तुरन्त मंजूरी देवें तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देवें कि यह सिंचाई योजना का काम उच्चतम प्राथमिकता देकर जल्द पूरा करें।

12.25 म० प०

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक
तथा
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक
(—जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 14 और 15 को लेते हैं और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर

विधेयक पर चर्चा करेंगे। श्री बाला साहेब विखे पाटिल अपना वक्तव्य जारी रखें।

कृपया अपनी बात संक्षिप्त और सटीक रूप में करें।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा।

[हिन्दी]

डिप्टी स्पीकर साहब, कल मैंने इसके बारे में सरकार से आग्रह किया था कि वह सैस हटा दे। बाकी इंडस्ट्रीज को जब कैश इंसेंटिव और सबसिडी दे रहे हैं तो यह एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए बड़ा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एस०टी०सी० एक्सपोर्ट कर रहा है, कुछ ओ० जी० एल० के अंतर्गत एक्सपोर्ट-इंपोर्ट होता है और कुछ आइटम केनालाइज होते हैं और कुछ डीकेनालाइज होते हैं। इसलिए इस अथारिटी को भी अधिकार होना चाहिए कि कौन-कौन से आइटम अथारिटी से बाहर रखे जा सकते हैं और कौन-कौन से आइटम इसके अन्दर रखे जा सकते हैं। शेड्यूल में बिल में सैक्शन 2 के अधीन सरकार ने यह अधिकार लिया है कि शेड्यूल में आइटम कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। जब उन्होंने सेक्शन 19 में अधिकार लिया है कि सरकार आयात-निर्यात पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है, नियंत्रण भी कर सकती है तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जब इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट के लिए जितना आयात-निर्यात है, उसके सभी कामों में यह अथारिटी पूरा योगदान दे तो इससे ठीक काम होगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एस० टी० सी० चीनी निर्यात करता है और यह केनालाइज आइटम है और इसके लिए एस० टी० सी० ने एक्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया को एजेंसी के तौर पर रखा है और उसके कर्मचारियों को एस० टी० सी० पैसा देती है, लेकिन जब चीनी को यह अथारिटी एक्सपोर्ट करेगी तो एक्सपोर्ट कारपोरेशन के जो कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, 30-30 साल काम करने के बाद भी वे बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बारे में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। अगर सरकार इस बारे में नहीं सोचेगी तो सब लोग बेरोजगार बन जाएंगे।

दूसरी बात यह है कि शेड्यूल में जो कुछ लिखा है ऊनी और शुगर को इकट्ठा कर दिया है, मेरी समझ में यह नहीं आया कि ऊन और चीनी एक ग्रुप में कैसे आ सकता है। इसका क्या औचित्य है, लेकिन जो सेक्शन 2 में प्रावधान है कि इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से इस ग्रुप के बारे में भी सोचना जरूरी है। दूसरी अथारिटीज में अभी जो कई एजेंसियां अलग-अलग जगह से काम कर रही हैं एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के बारे में, जहां तक एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स का सवाल है, मैं चाहता हूं कि सब एजेंसियां बंद होनी चाहिए। और पूरी तरह से इस अथारिटी के नियंत्रण में अथारिटी खुद ही काम कर ले। एक्सपोर्ट अथारिटी का फायदा किसान को न हो और एक्सप्लायट एजेंसी बनती चली जाए तो फिर हमारे इस बिल का कुछ महत्व नहीं होगा। यह नीति के खिलाफ होगा और किसानों में काफी असंतोष बढ़ जायेगा। नयी टैक्नोलाजी के बारे में एम्स एंड आबजेक्ट्स

में लिखा है कि हमारी जो टैक्नोलाजी है, वह आउट-डेटेड हो गई है।

[अनुवाद]

पैरा 4 में लिखा गया है कि निर्यात किए जाने वाले सभी सूचीबद्ध उत्पादों पर सीमा शुल्क के उपकर की वसूली के लिए प्रावधान किया गया है।

उसमें यह भी लिखा गया है कि लघु उद्योग क्षेत्र में प्रसंस्करण और पैक बंदी की प्रौद्योगिकी पुरानी हो चुकी है।

[हिन्दी]

हम बड़ा सैक्टर इसमें लाना चाहते हैं और स्माल सैक्टर को निकालना चाहते हैं। जिन स्माल सैक्टर के पास यह टैक्नोलाजी है और आउट-डेटेड हुई है, उनको फाइनेंशियल असिसटेंस देनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। उनकी टैक्नोलाजी इम्पोर्ट करके कैसे अप-टू-डेट करेंगे, यह बहुत जरूरी है। अखबारों में हम एक साल से पढ़ रहे हैं कि कारपोरेट सैक्टर की यह मांग है कि एक फार्म बिठा दें जो पूरा सौ प्रतिशत एक्सपोर्ट कर सके। मेरे ख्याल से यह लैण्ड रिफार्म के कानून के खिलाफ है। जो बड़े उद्योग-पति हैं, इनकी एक बैक-डोर एन्टरी होगी और वे लैण्ड-रिफार्म कानून के खिलाफ काम करेंगे क्योंकि नयी टैक्नोलाजी लाना, टैक्नोलाजी अप-टू-डेट करना, इसके लिए हमारा जो फारेन ट्रेड डेफिसिट है, इसको मिटाना आसान है। कारपोरेट सैक्टर और फिक्की की तरफ से यह मांग है कि सौ प्रतिशत एक्सपोर्ट फार्म के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से यह नीति के खिलाफ होगा। किसान ही इसमें लैण्ड रिफार्म्स के लिए रहेंगे और कारपोरेट सैक्टर बाहर चला जायेगा और जो हमारे कानून का मसाला है, वह इसके खिलाफ होगा। इसकी वजह से भी किसानों में काफी असंतोष हो सकता है। इसलिए, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा और एक्सपोर्ट के नाम पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। इसमें किसान सीधे एक्सपोर्ट कर सकता है। वह सहकारी आन्दोलन और सहकारी समिति के माध्यम से कर सकता है। इसके लिए यह जरूरी हो कि डिसीज-फ्री जोन बना दिया जाए जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हों। मेरे ख्याल से इस तरह का जोन बनने से अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं और इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिल सकता है। इसके लिए जो टैक्नोलाजी आवश्यक है चाहे वह एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स के बारे में हो या किसी और चीज के बारे में हो, इम्पोर्ट करना जरूरी है, हम थर्ड-वर्ल्ड के लिए हम काफी फायदा कर सकते है। मैं चाहता हूं कि थर्ड-वर्ल्ड के लिए पूरी काम्प्रीहेन्सिव स्कीम बनायी जाए। जब यह स्कीम बनेगी, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, तब दीर्घकालीन नीति के कारण कापिंग पैटर्न किसान के लिए आसान रहेगा और थर्ड वर्ल्ड के लिए भी हम काफी हद तक निर्यात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से नाफेड में निर्यात का कोई खास काम नहीं होता है। जब यह अथारिटी काम में लगेगी तो मेरा आग्रह है कि मार्किटींग फैडरेशन जो नेशनल लेवल पर है, उस पर ध्यान देना जरूरी है जिससे ज्यादा

[श्री बाला साहेब विखे पाटिल]

से ज्यादा अच्छा माल निर्यात हो सके। मुझे यह भी पता लगा है कि फिक्की, सहकारी उद्योग की राष्ट्रीय संस्था है, तथा और भी संस्थाएं हैं जिनको आप लोग महत्व नहीं देते हैं, केवल फिक्की को महत्व देते हैं। मेरी यह मांग है कि एक्सपोर्ट के बारे में और नयी टैक्नोलाजी के इम्पोर्ट के बारे में सोचते हैं तो जितनी सहकारी उद्योग की राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनको भी विश्वास में लेना जरूरी है। सोशल जस्टिस के लिए मेरे ख्याल से सहकारी आन्दोलन के सिवाय और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो नेशनल को-आपरेटिव यूनियन है, उसमें कोई खास काम लोग नहीं करते हैं। सिर्फ विदेशों में घूमते हैं। सरकार उनको ग्रान्ट देती है लेकिन उससे हमारे किसान का काम बनता नहीं है। नयी टैक्नोलाजी के बारे में मैंने देखा है कि दस पन्द्रह साल पहले हमारे नासिक में प्याज का पाउडर बनाने का एक कारखाना लगा था वह नहीं चल सका क्योंकि टैक्नोलाजी आउट-डेटेड हो गई। अभी नागपुर में संतरे के जूस के लिए कारखाना लग रहा है, उसके लिए भी टैक्नोलाजी चाहते हैं। मैं यह मांग करूंगा कि इस तरह की टैक्नोलाजी इम्पोर्ट करने के लिए जो संस्था काम कर रही है, उसको प्राथमिकता देना जरूरी है। उसको प्राथमिकता देंगे तो कुछ काम आगे बढ़ेगा नहीं तो जिनकी मोनोपली बनी हुई है, वे मोनोपली वाले ही काम करेंगे और दूसरे लोग एक्सप्लायट करेंगे। और जो पुराने लोग हैं वे वैसे ही रह जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी जो नीति है कि हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचायें, और इसके लिए हमने प्रावधान भी रखा है, उसमें हमें सफलता प्राप्त होनी चाहिये। अब मैं अथारिटी के बारे में एक-दो बातें कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

मैं चाहूंगा कि अथारिटी के गठन में आप किसानों के प्रतिनिधियों को भी समुचित स्थान दें। आपने इसमें वैसे तो कई कैटेगरीज के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया है। मगर किसानों के प्रतिनिधियों को और सम्मिलित करने की आवश्यकता है, इसके अलावा आपने रेलवे का भी कोई प्रतिनिधि नहीं रखा है, मैं समझता हूं कि रेलवे का प्रतिनिधि भी रखना बहुत जरूरी है। बाकी सैक्शन 5 और 6 में जो प्रावधान किये गये हैं, वे ठीक हैं परन्तु सैक्शन 4 में सिर्फ एक कमी मुझे प्रतीत होती है, क्योंकि जब तक किसानों के प्रतिनिधियों को इस अथारिटी के गठन में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक यह अथारिटी मात्र अधिकारियों की बाड़ी के रूप में ही बनकर रह जाएगी और उससे किसानों के हित की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसमें काफी एक्सपर्ट्स तो आ जाएंगे, लेकिन किसानों के असली प्रतिनिधि नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि किसानों का नुकसान होता रहेगा और हम किसानों को सीधे फायदा पहुंचाने की अपनी नीति में सफल नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से सहकारी समितियों में किसानों का सीधा संबंध होता है, उससे किसानों को सीधे फायदा मिलता है, इसी तरह सहकारी उद्योग के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करने से किसानों को ज्यादा मजबूती से फायदा हो सकेगा। अन्यथा इस बिल के पास हो जाने से किसानों में असन्तोष आयेगा। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए, सरकार से सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा और मैंने अपने अमेंडमेंट में जो कुछ मूव किया है, कल वाली अपनी बात को मैं फिर से दोहराना चाहता हूं :

[अनुवाद]

यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्यात वायदों के अनुसार किया जाए तथा घरेलू खपत के कारण उसमें कमी नहीं आयेगी।

[हिन्दी]

जब हमारे किसी चीज के दाम बढ़ जाते हैं तो हम उसका एक्सपोर्ट बन्द कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये बल्कि इसमें प्लानिंग अवश्य होनी चाहिये। प्लानिंग न करने के कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

जहां तक फोरेन ट्रेड डेफिसिट का ताल्लुक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब यह अथारिटी ठीक से काम करना शुरू कर देगी और एग्रीकल्चरल एण्ड फ्रूट प्रोड्यूस का हम ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो इस विषय में हमें किसी तरह की शिकायत नहीं रहेगी और काफी हद तक डेफिसिट कम करेंगे। अन्त में मैं मीट-मटन के एक्सपोर्ट के बारे में एक बात कहकर समाप्त करता हूं।

हमने देखा है कि इस काम को करने वाले लोग जानवरों को बड़े सस्ते में खरीद लेते हैं और उस पर कई गुना नफा एक्सपोर्ट करने में कमाते हैं। कई को-आपरेटिव्ज इस काम में जुट जाती हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि जानवरों की मार्केटिंग को थोड़ा नियन्त्रित किया जाए। जहां तक उसकी क्वालिटी या देखभाल का प्रश्न है, किसान या जो भी जानवर पालने वाला इन्सान है, उसको अच्छे दाम मिलने चाहिये। आप ब्रुकबांड कम्पनी का उदाहरण देख लीजिए, कितने सस्ते में वे रा-मैटीरियल खरीदते हैं, और अपना उत्पादन 10 गुने दाम पर बेचते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जानवरों की मार्केटिंग को नियन्त्रित किया जाना बहुत जरूरी है और लोगों को जानवरों के लिए अच्छे दाम मिलने चाहिये।

क्वालिटी के बारे में आपने जो राय दी है, उससे हम सहमत हैं और यही दो प्रमुख बातें कह-कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछली पटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत खुश हूं कि अब इस बात को समझा जाने लगा है कि चूंकि समग्रतः हमारा देश मुख्यतया कृषि पर आधारित देश है, इसलिए कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की जानी होगी। हमें स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी का धन्यवाद करना होगा जिन्होंने सर्वप्रथम देश को आत्म-निर्भर, विशेष रूप से खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया था। इस प्राधिकरण की आज और भी अधिक आवश्यकता है क्योंकि न्यूनाधिक रूप से यह महसूस किया जाता है कि देश में खपत के लिए कृषि उत्पाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि आज खाद्यान्नों की निर्यात की अधिक आवश्यकता है। किंतु ऐसा करने से पहले मैं चाहता हूं कि मंत्रालय यह मालूम करे कि ऐसे कौन से उत्पाद हैं जिनका उत्पादन कम है और

[श्री के० एस० राव]

जिनके आयात पर काफी अधिक विदेशी मुद्रा व्यय की जा रही है, जैसे, उन्नत किस्मों पर काफी विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ रही है उन्नत किस्मों की फसलें उगाने में किसान समुदाय के कार्य-कौशल और ज्ञानवर्द्धन के लिए व्यापक सर्वेक्षण कर प्रौद्योगिकी का आयात किया जा सकता है ताकि प्रति एकड़ उपज और आमदनी में वृद्धि हो सके। इससे किसानों को बहुत सहायता मिलेगी और किसानों की इस निरन्तर मांग की समस्या कि उन्हें अपने उत्पादन से पर्याप्त आय नहीं हो रही है, भी हल हो जायेगी। ऐसा सम्भवतः इसलिए है क्योंकि उन्हें इस बात का इतना ज्ञान नहीं होता किस उत्पाद की कमी है और किस उत्पाद की बहुतायत है।

चूंकि सरकार पहले ही इस प्राधिकरण की स्थापना का निर्णय कर चुकी है, इसलिए मेरे विचार से अब इस उपकर को लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस समय जब आप उन्हें केवल निर्यात का अवसर प्रदान कर रहे हैं, उपकर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन निर्यातों की मांग और मात्रा को देखने के बाद ही उपकर लगाने पर विचार किया जाना चाहिए।

मेरे विचार से निर्यात की इस जानकारी को दिल्ली अथवा राज्यों के मुख्यालयों में अधिकारियों और व्यापारियों तक ही सीमित रखने की बजाय, इस प्राधिकरण और इसके कार्यों का व्यापक प्रचार किया जाये ताकि किसानों और उत्पादकों को निर्यात की सम्भावनाओं का पता लग सके जिससे कि वे वस्तुतः अपने निर्यात को बढ़ा सकते हैं और बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्थानों पर जहां प्रचुर मात्रा में कृषि उत्पादन होता है, वहां स्थानीय शाखायें भी खोली जा सकती हैं ताकि किसानों का शोषण न हो और वे निर्यात की संभावनाओं से अवगत हो सकें और वे यह भी जान सकें कि इससे वस्तुतः उन्हें कितनी आय हो सकती है। अनेक बार हम देखते हैं कि व्यापारी उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं। व्यापारियों को बहुत अधिक लाभ होता है क्योंकि वह किसानों को तो बहुत कम दाम देता है, जबकि वस्तुतः वह स्वयं अपने निर्यात व्यापार से बहुत अधिक मूल्य प्राप्त करता है।

जिन स्थानों पर प्रचुर मात्रा में कृषि उत्पादन होता है, वहां प्रशीतन भण्डारों और ऐसी ही अन्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये। इससे उत्पादकों को बहुत सहायता मिलेगी। इससे उत्पादक को अपने उत्पादों को ऐसे समय में बेचने में सहायता मिलेगी जबकि उसे उचित मूल्य प्राप्त हो सकते हैं। यह देखा गया है कि किसानों को अपने ऋण उतारने अथवा कुछ अपनी कुछ समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा धन की अत्यन्त आवश्यकता होती है। इसलिए वह फसल तैयार होते ही इसे बेचने की जल्दी में होता है। ऐसे समय में सरकार को सही और उचित मूल्यों पर उसके उत्पाद खरीद कर उसकी सहायता करनी चाहिये। यदि इन व्यापारियों द्वारा पर्याप्त मूल्य नहीं दिया जाता है तो सरकार को खेती से ही उत्पादों की खरीद करनी चाहिये ताकि बाद में यदि व्यापारी किसानों के पास जाएं भी तो किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। इसलिए सरकार का यही कह देना काफी नहीं है कि वे उनके उत्पाद खरीद रहे हैं, बल्कि खरीद करने के समय काफी

बहुत महत्व है। किसानों और उनकी समितियों को अवश्य ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये। उन्हें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिये कि उनके किन उत्पादों को निर्यात करने के बेहतर अवसर हैं। यदि किसानों और उत्पादकों की समितियां बना दी जायें तो उनमें बेहतर समझ और सहकारिता की भावना पैदा होगी और वे निर्यात के लिए सही किस्म के उत्पाद पैदा करने में निश्चित रूप से व्यापारियों की तुलना में बेहतर रहेंगे।

चूंकि हम तैयार उत्पादों के निर्यात को वरीयता देते हैं। इसलिए हमें कृषि आधारित उद्योग ऐसे स्थानों पर लगाने चाहिए जहां कच्चा माल प्रचुर मात्रा में है। ऐसे उद्योग शुरू करने के लिए किसान समितियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिये। इन उत्पादों के निर्यात में लगे बेरोजगार कृषि स्नातकों को तैयार उत्पादों का निर्माण करने के लिए उद्योग शुरू करने में व्यापारियों की तुलना में वरीयता दी जानी चाहिये।

यद्यपि इन प्राधिकरणों को शुरू करने के सम्बन्ध में सरकार की मंशा हमेशा अच्छी होती है, किंतु इनके उद्देश्य प्राप्त करने में अनुवर्ती कार्यवाही और कार्यान्वियन काफी सीमा तक सहायक होते हैं। अतः सरकार को यह अवश्य सोचना चाहिये कि इस प्राधिकरण का शुरू कर देने से ही उसका काम समाप्त नहीं हो, जाता उसे यह भी देखना होगा कि यह प्राधिकरण ठीक से कार्य करे और यह उत्पादकों की पहुंच के भीतर हो। किसानों को प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जा सकता है और उन्हें बेहतर जानकारी दी जा सकती है, हमारे देश में बहुत से नौजवान और प्रगतिशील किसान गहन खेती और कृषि की प्रगतिशील पद्धतियां जानते हैं। इन लोगों को इन्हें कुछ चुनींदा स्थानों पर प्रशिक्षण देकर कृषि की आयातित प्रौद्योगिकी अथवा आधुनिक पद्धतियों की जानकारी दी जा सकती है। इससे वे अपने उत्पादन को बढ़ाकर अधिक आय अर्जित कर सकेंगे। आन्ध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और अन्य स्थानों में, जहां फलों, सब्जियों, दालों तथा चनों का अत्यधिक उत्पादन होता है, भण्डारण की समुचित सुविधा होनी चाहिए, उपयुक्त प्रशिक्षण और निर्यात प्रणालियों के सम्बन्ध में जानकारी दी जानी चाहिए। इन क्षेत्रों मे स्थानीय शाखायें अवश्य खोली जानी चाहिये। इन समितियों में केवल अधिकारियो को न रखकर काफी संख्या में किसानों को भी अवश्य शामिल किया जाना चाहिये। किसान कृषि समस्याओं की बारीकियों को जानते हैं; वे यह भी जानते हैं कि निर्यात की क्या समस्यायें हैं और कहां हेराफेरी होती है। इस प्रकार वे कृषि समुदाय को बता सकते हैं कि निर्यात व्यापार की क्या पेचीदगियां और समस्यायें हैं और इस विषय में सरकार की क्या सीमायें हैं इस प्रकार उनकी शिकायतें काफी हद तक दूर की जा सकती हैं। मेरा यह भी अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए जिससे किसान समितियां और किसान संगठन काफी बातो को जान सकें ताकि वे निर्यात की संभावनाओं वाले उत्पादों के उत्पादन पर अपनी शक्ति को लगा सकें। इसी प्रकार बेरोजगार कृषि स्नातकों को भी व्यापारियों की अपेक्षा वरीयता दी जानी चाहिये तथा उन्हें काफी मात्रा में और समय पर वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। इस प्राधिकरण के उपयुक्त कार्यकरण से तथा समुचित कार्यान्वयन से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। इन शब्दों के साथ मै अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद उपकर विधेयक देश के एवं प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात को सुव्यवस्थित तथा प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है, इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करता हूं।

महोदय, इस देश से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्यों के निर्यात की बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं। किंतु दुर्भाग्यवश हम इसका उपयोग नहीं कर सके हैं।

मेरे विचार से यह विधेयक भविष्य में हमारे कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। इसी विचार से यह विधेयक कृषि उत्पादन और प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात को बढ़ाने के लिए लाया गया है। इस देश में विभिन्न प्रकार की जलवायु है और देश के विभिन्न भागों में विभिन्न किस्म के फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। किंतु निर्यात के लिए हम इसके बहुत कम प्रतिशत का उपयोग करते हैं। हम निर्यात के लिए अपने .03 प्रतिशत उत्पाद का ही उपयोग करते हैं और आप यह सुनकर हैरान होंगे कि फलों और सब्जियों की फसल की कटाई से पहले उत्पादन की 22 से 30 प्रतिशत, अर्थात् 10,000 करोड़ रुपये तक की हानि होती है। यदि आप निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस पहलू पर विचार करना होगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात को बढ़ाने के लिए इस प्राधिकरण की स्थापना कर देना ही काफी नहीं है। किसानों को फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। आप जानते हैं कि दुबई, कुवैत और अन्य देशों को मांस तथा मांस के उत्पादों का निर्यात करने में एक कठिनाई है, वे आस्ट्रेलिया और अन्य देशों से मांस का आयात करते हैं किंतु हम दुबई, कुवैत और अन्य देशों को मांस और मांस के उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं। इस निर्यात में एक कठिनाई है और इसे केवल कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जैसे प्राधिकरण की स्थापना करके ही दूर नहीं किया जा सकता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए और यदि आप पशुओं के स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देंगे तो मांस का उत्पादन तथा मांस उत्पादों का निर्यात बढ़ाया नहीं जा सकता।

कुछ कृषि उत्पाद हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। आप जानते हैं कि हम भारी मात्रा में आलू का उत्पादन करते हैं और जब इसकी कटाई होती है तो इस सब्जी का मूल्य इतना घट जाता है कि किसानों को घाटा उठाना पड़ता है। पिछले वर्ष जब आलुओं की कटाई की गई थी, तब उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक था और इसकी कीमतें घटकर ऐसे स्तर तक आ गई कि किसान मुसीबत में पड़ गये और इसीलिए आलू निर्यात के संवर्धन के लिए मन्त्रालय और प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना चाहिये। आप जानते हैं कि आलू से स्टार्च पैदा किया जा सकता है तथा अलकोहल भी तैयार किया जा सकता है। यदि हम ऐसे स्थान में कृषि पर आधारित उद्योग लगा सकें, जहां किसानों द्वारा भारी मात्रा में आलू का उत्पादन किया जाता है, तो इससे किसानों को आलुओं से उत्पादित स्टार्च और अलकोहल तैयार करने में बहुत सहायता मिलेगी। हम अपने देश में आम के उत्पादन का केवल

0.3 प्रतिशत उपयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं आम के गूदे का विकसित देशों द्वारा बहुत आयात किया जाता है। ब्रिटेन और संघीय समाजवादी सोवियत रूस आम के गूदे का भारी मात्रा में आयात करते हैं। वस्तुतः हमारे देश में आम का बहुत अधिक उत्पादन होता है, किंतु हम अपने देश से आम के गूदे का निर्यात नहीं कर पाते।

सन्तरा सान्द्रण के निर्यात की बहुत व्यापक संभावनाएं हैं। दार्जिलिंग में सन्तरों का बहुत अधिक उत्पादन होता है। किंतु इस विशाल उत्पादन का उपयोग करने के लिए कृषि पर आधारित उद्योग नहीं हैं। अतः मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे इन सभी मामलों पर विचार करें। निर्यात संवर्धन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना कर देना ही काफी नहीं है। कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित किये जाने चाहिये जिनमें बेरोजगार युवकों को नौकरियां दिए जाने की विपुल सम्भावनाएं हैं।

इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ ऐसे खण्डों की ओर दिलाना चाहूंगा जिनमें संशोधन किया जाना चाहिए। वस्तुतः ये संशोधन स्वयं मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तावित किये जाने चाहिये।

सर्वप्रथम, मैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक 1985 के पृष्ठ दो पर 41वीं पंक्ति का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें सरकार संसद के तीन सदस्यों को प्राधिकरण के लिए नामित करना चाहती है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस देश के विस्तृत भू-भाग और सभा में विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर संसद सदस्यों की संख्या तीन से बढ़ाकर कम से कम छः कर देनी चाहिए जिसमें 4 सदस्य इस सभा के और दो सदस्य राज्य सभा के हों।

अब मैं विधेयक के पृष्ठ 4 में पंक्ति 33 का जिक्र करता हूं जिसमें सचिव को शक्तियां प्रदान की गई हैं। सरकार प्राधिकरण के चेयरमैन को शक्तियां प्रदान करना चाहती है इसके साथ ही साथ सरकार प्राधिकरण के सचिव को भी शक्तियां देना चाहती है। इससे प्राधिकरण के कार्यों में दुहरा नियंत्रण की व्यवस्था हो जाती है। वस्तुतः शक्तियां चेयरमैन को प्रत्यायोजित की जानी चाहिये और चेयरमैन द्वारा शक्तियां सचिव को प्रत्यायोजित की जानी चाहिए। किंतु विधेयक के खण्ड 7 (I) में सरकार शक्तियां सचिव को भी प्रत्यायोजित कर रही है और चेयरमैन को भी।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सरकार ने शक्तियां चेयरमैन को प्रत्यायोजित की हैं;

श्री अनिल बसु : सरकार सचिव को भी शक्तियां प्रत्यायोजित कर रही है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : चेयरमैन सचिव को शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा।

श्री अनिल बसु : आप खण्ड 5 और 6 का जिक्र कर रहे हैं। किंतु खण्ड 7 (I) में इस आशय

[श्री अनिल बसु]

की एक अन्य पंक्ति है कि सरकार सचिव को भी शक्तियां प्रत्यायोजित कर रही हैं।

खण्ड 20, 29, 30, 31 और 32 में केन्द्रीय सरकार अपेक्षित जान पड़ने पर प्राधिकरण से सभी शक्तियां अपने पास ले सकती है। इसलिए सचिव को शक्तियां प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे प्राधिकरण के कार्यों पर दोहरा नियंत्रण हो जायेगा।

महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे मछली और मछली उत्पादों को निर्यात की अनुसूचित मदों में शामिल करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एग्रीकल्चरल ऍंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एथारिटी बिल, 1985 और ऐग्रीकल्चरल ऍंड प्रोसेस्ड फूड प्राडक्ट्स एक्सपोर्ट सेस बिल, 1985 दोनों का समर्थन करता हूं। यह बहुत ही खुशी की बात है कि काफी दिनों के बाद इस एथारिटी के बारे में इस माननीय सदन में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले यह एक कौंसिल के रूप में काम किया करती थी। इसमें जो एथारिटी को कई तरह के पावर्स डेलीगेट किये गये हैं यह एक अच्छी बात है।

मुझे रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में दो शब्द कहना है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में इस अगस्त हाउस में हम सब ने मिल कर किसानों को रेम्युनरेटिव प्राइस न मिलने के कारण जो स्थिति उन की हो रही है उस पर बहुत सारे विचार व्यक्त किए थे। मैं यह मानता हूं कि इस एथारिटी के आ जाने से हमारे उन किसान भाइयों को जो अनाज में, हार्टीकल्चर में और वेजीटेबल में अपने आपको लगाये रखते हैं, उनको रेम्युनरेटिव प्राइसेज मिला करेंगी। यह एक बहुत ही आवश्यक चीज आज के समय में है क्योंकि समाज परिवर्तनशील है और आज हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं इस परिवर्तनशील समाज के अनुकूल बनती जा रही हैं। आज से पहले भोजन एक ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें पूरा का पूरा समय एक इंसान का भोजन बनाने में और बाकी इंसानों को उसे खाने में लग जाया करता था। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उन जगहों से आते हैं जहां आपने देखा होगा कि हमारे यहां भोजन बनाने में कितना समय लगता है और उसे खाने में कितना समय लगता है। ये दोनों ही चीजें कालांतर से चली आ रही हैं। लेकिन आज के जमाने में इंस्टेंट फूड की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। समाज परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील समाज में समय का अभाव है। काम बहुत ज्यादा हैं और समय बहुत कम है। इसलिए हर चीज को समय के अनुसार ही तौला जाएगा। इसीलिए हमें आज इंस्टेंट फूड बना कर तैयार रखना होगा और इस तरह की आवश्यकताएं जो बाहर के मुल्कों में अधिक होती हैं और जिसकी खपत वहां अधिक हुआ करती है वह सामान बनाकर उसे पैक कर वहां

भेजना हमारे लिए एक अच्छी चीज होगी। इससे हमारे देश में फारेन एक्सचेंज के रूप में एक बहुत बड़ी राशि उपलब्ध होने की आशा है। दरहकीकत हम करीब 25 प्रतिशत फारेन एक्सचेन्ज इसके पहले भी इससे अर्न किया करते थे। तो आज हमारी यह आवश्यकता बढ़ रही है और विदेशों में इस तरह के सामान की खपत भी बढ़ी है, तो हम ऐसे सामानों का उत्पादन अपने यहां करें जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा विदेशों की खपत के अनुकूल अपने को ढाल सकें। इसमें हमारे किसान भाइयो का बहुत बड़ा योगदान होगा।

आप जानते हैं कि हमारे किसान भाइयों ने पिछले तीस सालों में बहुत बड़ी प्रगति की है और इसके लिए भारत सरकार और हमारे किसान भाई दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं, आज इस अथारिटी का बनाया जाना उसके अनुरूप ही है। इस अथारिटी से हम यह अपेक्षा करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों में हमारे किसान भाई एक्सपोर्ट करने के खयाल से जो पैदावार करें उनको वह पैदावार करने में इन्सेंटिव मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे कि केनिंग इण्डस्ट्री है—आप सभी जानते हैं कि केनिंग इण्डस्ट्री ज्यादातर स्माल स्केल सेक्टर में है और प्राइवेट सेक्टर में है। इस इण्डस्ट्री में अभी बहुत सारी कमियां हैं। पहली तो यह है कि हम जो टेक्नालाजी इस्तेमाल करते हैं वह बहुत पुरानी है इसलिए हमें इसमें नई टेक्नालाजी लेनी चाहिए। अभी हमारी पैकिंग की जो व्यवस्था है वह भी अनुकूल नहीं है। यदि हम आकर्षक पैकिंग में यहां से अच्छे से अच्छा माल बाहर भेज सकें तो वह विदेशी मार्केट में हमारे माल की खपत को बढ़ायेगा और अधिक मात्रा में फारेन एक्सचेंज हमको मिल सकेगा। इसलिए पैकिंग का भी बहुत बड़ा महत्व है। आज हमारी जो केनिंग इण्डस्ट्री है उसमें पैकिंग का बड़ा अभाव है जिसको सुधारना बड़ा आवश्यक है। इसके लिए हमें नई टेक्नालाजी की व्यवस्था करनी होगी।

दूसरी बात यह है कि अभी हमने इसमें जो शेड्यूल बनाया है उसको और भी ब्राड-बेस्ड बनाने की जरूरत है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं जिनकी विदेशों में आवश्यकता होती है, मैं आपको बताता हूं कि हर प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ न कुछ स्पेशेलटीज ऐसी हैं जिनको यदि हम एक्सपोर्ट करें तो मेरा अनुमान है कि काफी बड़ी राशि फारेन एक्सचेंज के रूप में हमको उपलब्ध हो सकती है। हर प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी वहां की खासियत है उसको भी एक्सप्लायट करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मैं बिहार और यू० पी० की बात करता हूं वहां पर चने का काफी प्रयोग किया जाता है, वहां पर चने को पीस कर उसका सत्तू बनाया जाता है जिसमें प्रोटीन बहुत अधिक होता है इसलिए उसकी न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत होती है। यहां पर बिहार के एमपीज बैठे हुए हैं और यू० पी० के लोग भी जानते होंगे, मध्य प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि सत्तू का बड़ा महत्व है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : पहले सब को खिलाकर दिखाइये।

श्री मनोज पांडे : आप आइये, खिलायेंगे।

[श्री मनोज पांडे]

कहने का मतलब यह है कि हर प्रदेश में ऐसी स्पेशेलटीज हैं जिनका सीधा एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। विभिन्न प्रदेशों की जो खासियत हैं उनके सम्बन्ध में बाहर विदेशों में मूल्यांकन कराया जा सकता है। आप यह भी जानते हैं कि विदेशों में भारतीय मूल के निवासी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और उनके खाने-पीने का जो तौर-तरीका है उसको बाहर के लोग भी काफी पसन्द करने लगे हैं। आपको तो बाहर जाने का मौका मिला है, मुझे भी मिला है और मैंने वहां पर देखा है कि भारतीय भोजन की जो परम्परा है उसको वहां पर बड़ा अच्छा माना जाता है लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जोकि शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं हैं। मैं सिफारिश करूंगा कि शेड्यूल में ऐसी चीजों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनका बड़ा महत्व है। हर प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर में भोजन के रूप में जो खासियत हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन यह भी है कि यह जो एथारिटी होगी उसमें किसानों की भी भूमिका मुख्य रूप से होनी चाहिये अन्यथा जो ट्रेडीशनल इण्डस्ट्रियलिस्ट्स होगे उनका महत्व बढ़ जायेगा। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा है कोआपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा मिलना चाहिये और इसमें उन किसानों को रखें जो कि वास्तव में एक्सपोर्ट करने लायक चीजें पैदा किया करते हैं। मेरी आपसे यह भी सिफारिश है कि इस अथोरिटी में जो प्रोवीजन्स किये गये हैं, उसमें को-ओपरेटिव सैक्टर के किसी व्यक्ति का भी नामांकन होना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे यहां मशरूम्स और एलची प्रोड्यूस होते हैं, तो इनको भी शैड्यूल में आ ना जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

[अनुवाद]

श्री तम्पन-थामस (मवेलिकरा) : महोदय, यह इस विधेयक का उद्देश्य कृषि उत्पादों का निर्यात बढाना है। यदि यह विधेयक प्रस्तुत करने का यही कारण है तो बहुत अच्छा है। परन्तु साथ ही इस प्रश्न का अध्ययन भी विस्तार से किया जाना चाहिये कि उपकर लगाये जाने पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया होगी। दूसरे, इस विधेयक में निर्यातकों के पंजीकरण का भी उपबन्ध किया जा रहा है। मुझे यह डर है कि उन लोगों का जिनका न तो कृषि से सम्बन्ध है न उद्योग से अपने प्रभाव से क्या एक नया वर्ग उभर कर सामने आयेगा जिससे कृषि उत्पादन तथा निर्यात दोनों पर हानिकारक असर पड़ेगा। मैं इस विधेयक के खिलाफ नहीं हूं परन्तु मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जो व्यक्ति कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हैं, जो निर्माता हैं तथा संसाधन कार्य कर रहे हैं तथा जो इन्हीं गतिविधियों में लगे हुए हैं, केवल उन्हीं का पंजीकरण हो इसके लिये सुरक्षोपाय किये जाने चाहिये। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति बैंक या सरकार से या राजनैतिक नेताओं से प्रभाव डलवा सकता है वह इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्यातक के रूप में अपना पंजीकरण करवा लेगा तथा इस प्रकार उभरने वाला नया वर्ग इस क्षेत्र में

केवल अपने भविष्य या अपने वित्तीय लाभ के बारे में ही सोचेगा। इससे न तो कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा न निर्यात को। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा : पंजीकरण की नीति बनाते समय नियम बनाये जाने होंगे तथा उन नियमों में पर्याप्त सुरक्षोपाय बनाए जाने चाहिए ताकि केवल उन्हीं व्यक्तियों का निर्यातक के रूप में पंजीकरण किया जाये जो इन गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि सहकारिता को भी यहां वरीयता दी जानी चाहिये। कृषि क्षेत्र में सहकारी गतिविधियों को बढ़ावा देकर ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस प्राधिकरण में राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ का केवल प्रतिनिधि शामिल किये जाने का प्रावधान किया जा रहा है। सहकारिता आन्दोलन में कृषि सहकारिता केवल एक क्षेत्र है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण कृषि सहकारिता आन्दोलन है जिसे उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन कहा जाता है जहां पर अधिकतम कृषि तथा औद्योगिक संसाधन किया जाता है। उपभोक्ता सम्बन्धी गतिविधियों में संलग्न निकाय का भी एक प्रतिनिधि सम्मिलित किया जाना होगा। सहकारिता का एक अन्य भाग है जिसे औद्योगिक सहकारी समितियां कहा जाता है कृषि पर आधारित कृषि सहकारी समितियां भी हैं। यह कृषि विपणन सहकारी संस्थाओं से सम्बद्ध नही हैं। इसलिये, कृषि प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व जितना सोचा गया है उससे अधिक होना चाहिये। मेरे से पूर्व जो माननीय संसद सदस्य बोल रहे थे उन्होंने दो प्रतिनिधियों का सुझाव दिया था, मेरा यह सुझाव है कि यह चार या पांच तक होना चाहिये। देश में कृषि क्षेत्र का उत्पादन केवल जनता को शामिल करके ही बढ़ाया जा सकता है तथा सहकारिता को बढ़ावा देकर जनता को इसमें शामिल किया जा सकता है।

एक अन्य पहलू की ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन मदों को कैसे बढ़ावा दिया जाये जिन्हें विदेशों में भेजा जाता है। इन सभी मदों के सम्बन्ध में प्रभावी रूप से प्रचार किया जाना होगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित प्राधिकरण को क्या वह शक्तियां दी गई हैं अथवा क्या सरकार इस पर विचार कर रही है, यह मालूम नहीं है। विदेश में अपनी मदों का प्रचार करने में हम असफल रहे हैं। यदि हम प्रभावी रूप से विदेशों में मदों का प्रचार करें तो हम स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। निर्यात के लिये शामिल की गई मदों की संख्या भी काफी कम है; कई अन्य मदें भी अनुसूची में शामिल की जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, नारियल भी शामिल किया जा सकता है। नारियल की समस्या भी काफी बड़ी है। मूल्य गिर रहे हैं। यदि नारियल से कृषि पर आधारित उद्योगों का प्रयोग करके नारियल से कुछ सामान बनाया जा सकता है तो उसका निर्यात किया जा सकता है।

1.00 म० प०

भारत के 'करी पाउडर' की विदेशों में काफी सराहना की जाती है सभी जानते हैं कि करी पाउडर ऐसी मद है जिसका बहुत बड़ा बाजार है। परन्तु वह उसे निर्यात की जाने वाली मदों में शामिल नहीं किया गया है। हमारे देश के दक्षिणी भाग में लौंग का भी उत्पादन होता है। इसका भी निर्यात किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री तम्पन थामस : क्या मैं दोपहर बाद अपना भाषण जारी रख सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री तम्पन थामस : महोदय, अब मैं केवल एक मिनट ही लूंगा। मैं केवल एक मुद्दा उठाना चाहूंगा।

इसमें काजू भी शामिल नहीं किया गया है। एक काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एजेंसियां एक दूसरे के आड़े न आए इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, तथा यदि ऐसा हुआ तो क्या किसानों के हितों की रक्षा हो सकेगी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि विभिन्न एजेंसियां बन जाने से कृषि उत्पादों के मूल्य तथा उन पर लगने वाले उपकर का भार अन्ततः किसानों पर ही पड़ेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन सब का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जहां पर निर्यात संवर्द्धन की अन्य एजेंसियां हैं जैसे काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद आदि उनकी गतिविधियों का···

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : किसानों के लिये तो अच्छा है अधिक एजेन्सियां हों।

श्री तम्पन थामस : परन्तु एक सी दो एजेन्सियां भी तो नहीं होनी चाहिये। इससे मध्यस्थ पार्टियां भी तो नहीं बननी चाहिये जिसका मुझे डर है। कानून में इस प्रकार का उपबन्ध होने से जिन व्यक्तियों के पास काम नहीं है केवल राजनैतिक प्रभाव है वह निर्यातक बन जाएंगे। आप उन्हें बढ़ावा देना चाहेंगे या कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे। मैं यह इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे इस बात का डर है।

यदि आप वित्तीय सहकारिता तथा कृषकों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उनकी समस्याओं के बारे में एक आधारभूत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये जिसकी कानून में कमी है। महोदय, मुझे बस यही निवेदन करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.06 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.06 म० प० पर पुन: समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक (—जारी)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डवलपमेंट अथारिटी बिल और एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट सैस बिल-85 का मैं समर्थन करता हूं। यह बिल जिसके जरिये से यह अथारिटी बनाई जा रही है, यह नितान्त आवश्यक है और सरकार ने सही समय पर, सही कदम उठाकर के एग्रीकल्चर के जरिये से जो फूड प्रोसेस्ड किया जाता है, उसको एक्सपोर्ट करने का काम इस अथारिटी के जरिये से किया जा रहा है, उससे निश्चित तरीके से बहुत बड़ा लाभ सरकार को होगा। इससे फारेन एक्सचेंज भी आयेगा और उसके साथ-साथ इन इण्डस्ट्रीज को बढ़ने का भी मौका मिलेगा। इससे ज्यादा लोगों को एम्पलायमेंट मिल सकेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इनमें ऐसे आइटम्स हैं जिनके सम्बन्ध में अब तक सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। जो हमारे हार्टिकल्चर के अन्दर फ्रूट्स और वैजिटेबल्स तैयार किये जाते हैं, उनका जितना एक्सपोर्ट होना चाहिये उतना आज नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसी संस्थाएं आर्गेनाइज नहीं की गई जिसकी वजह से ये सारी चीजें एक्सपोर्ट की जा सकें और उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा इस देश में लोगों को मिल सके। इसलिये ऐसी संस्थाएं आर्गेनाइज की जानी चाहियें चाहे वह को-आपरेटिव सैक्टर में हों। उसकी व्यवस्था निश्चित तरीके से की जानी चाहिये। जितने भी फ्रूट्स हैं, उनका जूस निकालने के लिये यहां पर छोटी-छोटी काटेज इण्डस्ट्रीज या अन्य प्रकार की इण्डस्ट्रीज स्थापित होनी चाहिये जिससे विदेशों में जो मांग है, उसकी पूर्ति हो सके और हमारे देश को भी लाभ मिल सके। खासतौर से मैंगो, आरेन्ज और एप्पल या अन्य इस तरह की चीजें जिनके जरिये से हम ज्यादा से ज्यादा जूस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिये आर्थिक मदद का प्रावधान ऐसी संस्थाओं के लिये आपने किया है, उससे निश्चित तरीके से ऐसी संस्थाएं खड़ी होंगी जिनके जरिये से ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। हिन्दुस्तान की जो मिठाई है, वह भी इसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के जरिये से बनती है। वह चाहे मिल्क, बेसन या अन्य एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हों। उनको भी हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, निश्चित तरीके से उससे बहुत बड़ा लाभ देश को मिलेगा।···(व्यवधान) डागा साहब तो इस चीज के बहुत शौकीन हैं। हिन्दुस्तान में अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग किस्म की मिठाइयां बनती हैं। जैसे—बंगाल का रसोगुल्ला बहुत मशहूर है। वह बाहर जाता है लेकिन बड़े पैमाने पर जाना चाहिये। इसी प्रकार

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

राजस्थान में मावे की और रसमजाई आदि किस्म की मिठाइयां बनती है। इस प्रकार की मिठाइयों का बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसके सम्बन्ध में विशेष कदम उठाए जाएं। इससे निश्चित तरीके से बहुत बड़ा लाभ यहां के लोगों को भी मिलेगा और विदेशों में हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे और उससे अधिक से अधिक फारेन एक्सचेंज कमा सकेंगे। (व्यवधान)…हां, डायबिटीज वाले भी मिठाई खाते हैं क्योंकि यह ऐसी चीज है जिसको हर आदमी पसन्द करता है, यदि वह बीमार भी होगा तो भी अगर उसके सामने आ जाये तो उसको वह छोड़ने वाला नहीं है। इसलिये इस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाये जाने की आवश्यकता है और हमें इस ओर समुचित ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा हमारे यहां ऐसी संस्थाएं भी स्थापित की जानी चाहिये जिनके जरिए से फ्रूट प्रोडक्ट्स तैयार करने वाले तथा प्रोसेस्ड करने वाले लोगों को फाइनेंशियल मदद मिले। आपने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक, 1985 में जो सैस लगाये जाने का प्रस्ताव किया है, जिसकी दर 0.5 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत तक होगी और उसके जरिये से जो पैसा इकट्ठा होगा, क्या उस पैसे से आप मात्र अथारिटी को ही चलायेंगे और उसके कर्मचारियों/पदाधिकारियों को तनख्वाहें आदि ही देने का काम करेंगे या उस पैसे के जरिए से लोगों को फाइनेंशियल मदद देकर नई-नई इंस्टीट्यूशन्स खड़ी करने में सहायता पहुंचायेंगे और उनके जरिये से एक्सपोर्ट को और ज्यादा बढ़ाने की कार्यवाही करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी निश्चित तरीके से विशेष प्रावधान होना चाहिये।

आपने इस बिल में कहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इस अथारिटी को मदद मिलेगी जिससे कि यह दूसरे लोगों को फाइनेंशियल मदद देकर उनके फ्रूट प्रोडक्ट्स को, प्रोसेस्ड करके, एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था करेगी। मैं चाहता हूं कि यह कार्य बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिये क्योंकि इस तरह हम कौटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात करेंगे। इसके जरिये से जितना ज्यादा पैसा लोगों को मिलेगा, वे उतनी ही बढ़िया क्वालिटी का माल तैयार करके विदेशों को एक्सपोर्ट कर सकेंगे जिससे हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा मिलेगी और उसके साथ-साथ लोगों को एम्पलायमेंट भी मिलेगा। आप जानते हैं कि हमारे यहां हर गांव और कस्बे में इस प्रकार की व्यवस्थाएं मौजूद हैं जिनके जरिये से वे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करके, बहुत सी चीजें और मैटीरियल तैयार कर सकते हैं। अभी यहां एक माननीय सदस्य पोटैटो के बारे में बोल रहे थे। उनका कहना था कि हमारे यहां पोटैटो बड़ी मात्रा में पैदा होता है लेकिन वह तो दूसरी कंट्रीज में भी होता है। मगर हम पोटैटो का उपयोग चिप्स बनाने में करें, या दूसरे सामान तैयार करने में करें और फिर उनका एक्सपोर्ट किया जाये तो उससे हमें काफी लाभ मिल सकता है। उसी तरह से, एप्पल के भी चिप्स तैयार किये जा सकते हैं और उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। उससे भी हमें काफी लाभ मिलने की आशा है। ऐसी चीजों में खराब होने की गुंजाइश कम रहती है क्योंकि कच्चा-माल तो जल्दी खराब हो जाता है और उसको जल्दी से जल्दी पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ती है परन्तु चिप्स आदि चीजों को काफी दिनों तक प्रिजर्व किया जा सकता है।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन स्थानों पर हमारे देश में फ्रूट्स या वैजिटेबल्स ज्यादा मात्रा में पैदा होती हैं, वहां हमें उनके लिये कोल्ड-स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि उन फ्रूट्स या वैजिटेबल्स को हम काफी दिनों तक सुरक्षित रख सकें और बाद में उनको प्रोसैस्ड करके एक्सपोर्ट कर सकें। जब तक इस व्यवस्था को माकूल बनाये जाने की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जायेगा, हमारी कोई योजना सफल नहीं हो सकती। जैसा अभी हमारे यहां पर सुल्तानपुरी जी ने कहा, हिमाचल प्रदेश में सेबों के लिए कोल्ड-स्टोरेज बनाये जाने चाहिये। मैं समझता हूं उससे किसानों को और उनको ज्यादा पैसा मिल सकेगा। हम इस बात से अवगत हैं कि जहां जो चीज ज्यादा मात्रा में पैदा होती है उस स्टेट में किसानों को उसका ज्यादा पैसा नहीं मिलता। यदि हम उस चीज को कोल्ड स्टोरेज में ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकें तो मैं समझता हूं कि उससे किसानों को भी ज्यादा लाभ मिल सकता है और उसके साथ-साथ एग्रीकल्चर या हौर्टिकल्चर प्रोड्यूस या प्रोसैस करने वालों को भी लाभ मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि जो सैस आप लगाने जा रहे हैं, उसके पैसे से इन सारी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। हिन्दुस्तान, दुनिया के कई देशों की तुलना में, इस मामले में अग्रणी है कि यहां फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत बड़े पैमाने पर पैदा होते हैं लेकिन उसके साथ-साथ उनका लाभ भी किसानों को मिलना चाहिये और इस कार्य के लिए जो भी आवश्यक सामग्री चाहिये, उसको उपलब्ध कराने का फर्ज इस अथारिटी का बन जाता है। इसलिये यह अथारिटी जब तक इन सारी व्यवस्थाओं को करने की ओर ध्यान नहीं देती, तब तक हमारे लोगों की आमदनी बढ़ नहीं पाएगी।

उसी तरह से सामान की पैकिंग का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी चीज की पैकिंग अच्छी होती है, सुन्दर तरीके से की होती है तो उसके दाम हमें ज्यादा मिलते हैं। यदि उसकी पैकिंग बेहूदा तरीके से की होती है तो उसके दाम हमें कम मिलते हैं। इसलिये हमारे देश में पैकिंग के लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिये तभी हमारी सारी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चल पायेंगी। इस अथारिटी का कर्तव्य बन जाता है कि वह सैस के जरिये से मिलने वाले पैसे का उपयोग इन सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित बनाने पर विचार करे तभी जिस उद्देश्य को लेकर हम यह बिल इस सदन में लाये हैं, उसमें हमें सफलता मिल सकेगी।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन व्यवस्थाओं को निश्चित तरीके से कीजिये, तो इनसे किसानों का फायदा होगा।

इसके साथ-साथ कई माननीय सदस्यों ने आपको सुझाव दिये हैं कि इन संस्थाओं में किसानों के प्रतिनिधि हों, को-आपरेटिव्स के प्रतिनिधि हों, तो निश्चित रूप से किसानों की देखभाल हो सकेगी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो किसानों का इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिये आपको इन संस्थाओं में किसानों और सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिये।

हमारे भारतवर्ष में लाइव-स्टाक भी बहुत बड़ी तादाद में है, किन्तु उसकी कीमत भी किसानों को ठीक प्रकार से नहीं मिलती है। इसलिये इसकी कीमत किसानों को ठीक प्रकार से मिले, इसके लिये

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

भी माकूल तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिये, ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों बिलों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, लेकिन जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिये जो मैंने सुझाव दिये हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स के जरिये से किसानों और कोआपरेटिव के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए फायदा दिलाने की बात है और पैकिंग एण्ड ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की बात है, अगर इन व्यवस्थाओं को ये अथारिटीज माकूल तरीके से कर लेंगी, तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए एक सांविधिक प्राधिकरण का उपबन्ध किया जा रहा है। जहां तक विधेयक के उद्देश्य का संबंध है, मुझे प्रत्यक्षतः तो इससे कोई विरोध नहीं है, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से मैं कुछ विरोध प्रगट करना चाहूंगी।

महोदय, सबसे पहले तो कृषि तथा प्रसंस्कृत वस्तुओं का निर्यात निहायत जरूरी है। सबसे पहले तो यह गारंटी होनी चाहिए कि यह उत्पाद उपभोक्ताओं तक सही दाम पर पहुंचेंगे अर्थात यह उत्पाद उनकी क्रय क्षमता के भीतर होंगे। किसी भी मामले में निर्यात को बढ़ावा देते समय किसी तरह भी इस पहलू की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

जहां तक निर्यात का संबंध है, उद्देश्य तथा कारणों को कथन में बताया गया है :—

> "यद्यपि संसाधित खाद्य उत्पादों के निर्यात की सम्भावनाएं काफी अच्छी हैं परन्तु इसके विकास में काफी बाधाएं हैं। खाद्य संसाधन करने वाले उद्योग मुख्यतः छोटे क्षेत्र में हैं जोकि संसाधन तथा पैकेजिंग के लिए पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं।"

इस स्पष्टीकरण से हमें यही डर है कि तथाकथित नई प्रौद्योगिकी, जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है जिसकी आजकल लहर-सी आई है, की यहां बाढ़-सी आई हुई है। इसलिए सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि जहां तक प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग का संबंध है, यह अच्छा ही है कि लघु क्षेत्र मौजूद है। लघु क्षेत्र को अच्छी तरह मदद दी जानी चाहिए क्योंकि मेरा विश्वास है कि हमारे देश में अपेक्षित अनुसंधान तथा विकास का अभाव नहीं होगा। लघु उद्योग शायद पर्याप्त वित्त, प्रशिक्षण तथा सहायता न मिलने के कारण प्रतियोगिता नहीं कर पाया। वैसे भी प्रतियोगिता करना काफी कठिन है क्योंकि नई अर्थव्यवस्था जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, अभी बहुत दूर है। इसलिए मैं यहां यह कहना चाहूंगी कि बोर्ड में जो भी व्यक्ति हों, सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि सबसे पहले लघु उद्योग

क्षेत्र को ही वरीयता दी जाएगी। तथा इसके सुधार के लिए सरकार को पर्याप्त सहायता प्रदान करनी चाहिए। यदि कहीं कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकसित प्रौद्योगिकी की शुरुआत की जानी है तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि विकसित प्रौद्योगिकी के लिए इतनी अधिक विदेशी मुद्रा व्यय की जाये जो कि निर्यात से भी पूरी न पड़े। हमें पहले भी ऐसा अनुभव हो चुका है तथा तीसरी दुनिया के अनेक देशों का भी यही अनुभव है। इसलिए एक सीमा तक निर्यात को बढ़ावा देना तो प्रशंसनीय है परन्तु यह अन्य पहलू भी हमारी आज की अर्थव्यवस्था के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हैं।

अत: मैं चाहूंगी कि मन्त्री जी इस विषय में अपने विचार व्यक्त करें।

मैं एक अन्य मामले में भी कुछ कहना चाहूंगी। मेरे से पहले कई वक्ताओं ने आलू तथा अन्य प्रचलित कृषिजन्य उत्पादों की चर्चा की है। स्वाभाविक रूप से मैं उनका समर्थन करती हूं, किन्तु मैं उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहती। मैं एक ऐसे कृषिजन्य उत्पाद का नाम लेना चाहती हूं— जिससे मन्त्री जी हंसेंगे किन्तु यह हमारे लिए काफी महत्त्वपूर्ण है।

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : क्योंकि आप हंस रही हैं अतः मैं भी अपनी हंसी रोक नहीं सकता।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं हंसने के लिए तैयार हूं और सब मुझ पर हंसें, इसके लिए भी तैयार हूं। यह विशेष कृषिजन्य उत्पाद है पान का पत्ता। यदि आप समझते हैं कि पान के पत्ते में निर्यात किये जाने जैसी कोई सम्भावना नहीं है···

श्री खुर्शीद आलम खां : इसे पाकिस्तान जैसे देश को निर्यात करने की काफी सम्भावनाएं हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : किन्तु मैं ऐसा सोचती हूं कि पान के पत्ते को निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता अभी नहीं लगाया गया है। मुझे विश्वास है कि कुछ देश इसके आस्वादन के आदी हैं। इसका उत्पादन किया जा सकता है। यह आवश्यक है।

अपने ही अनुभव से मैं यह कहती हूं। मैं पान के पत्ते वाले क्षेत्र से सम्बन्धित हूं। यह मेरा कार्य क्षेत्र है। पिछले दो वर्षों में इसके मूल्य में काफी कमी आई है। समझ नहीं आता, क्यों। पान की दुकान से पान लेने वालों को अधिकाधिक मूल्य देने पड़ते हैं, किन्तु जहां तक उत्पादकों का सम्बन्ध है उन्हें कम से कम मिल रहा है। मैंने सुना है कि ऐसा उत्पादन की मात्रा अधिक होने के कारण है। हो सकता है, किन्तु मैं नहीं जानती। किन्तु उत्पादकों से उपभोक्ता तक पहुंचने के इसके मार्ग में कुछ तो समस्या होगी ही। इसका पता लगाया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में गम्भीर प्रयत्न किये जाने चाहिए ताकि इसे संसाधित तथा निर्यात किया जा सके। इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। वास्तव में पान के पत्ते का निर्यात करने के समर्थन के लिए ही मैं इस विधेयक पर बोलने के लिए उठी हूं। मन्त्री जी को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखना होगा कि

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

विभिन्न बहुदेशीयों के शामिल हो जाने से सारा मामला सफेद हाथी न हो जाये। बल्कि इसके अनुसंधान और विकास का सुधार किया जाना चाहिये तथा लघु उद्योग क्षेत्रों को उचित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

*श्री जी० एस० बसवराजू (टुमकुर) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक, 1985 का समर्थन करता हूं। अब तक मेरे बहुत से विद्वान् सहयोगी इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं—वास्तव में इस विधेयक को 10-15 वर्ष पहले ही सभा के समक्ष लाया जाना चाहिए था। तथापि, मैं प्रसन्न हूं कि इस विधेयक को अब पुरः-स्थापित कर दिया गया है और मैं आशा करता हूं कि इससे हमारे देश भर के कृषकों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं तो यह कहता हूं कि यह विधेयक हमारे देश के कृषकों के लिए एक वरदान है।

आज कृषकों को अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। बाजार भाव का सिर्फ 10% ही कृषक तक पहुंचता है। शेष 90% व्यापारियों को ही जाता है। यह स्थिति, हमारे कृषकों के लिए उचित बाजार सुविधा न होने के कारण है। इस प्रक्रिया में बिचौलिये धन संचय कर रहे हैं। करोड़ों रुपये व्यापारियों की जेब में चले जाते हैं और कृषकों को कोई लाभ नहीं होता।

सभापति की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। इस सांविधिक प्राधिकरण पर विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन आये हैं। किन्तु आश्चर्य है कि कृषक समुदाय से कोई अभ्यावेदन नहीं आया है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि कम से कम 25% सदस्य कृषक समुदाय में से लिए जाएं। इस संबंध में मैं मन्त्री जी से सकारात्मक उत्तर की उपेक्षा करता हूं।

सूची में कई मदों को सम्मिलित किया गया है। पहली मद में फल, सब्जियां और उनके उत्पाद शामिल हैं। हमारे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक फल बहुतायन में उगाये जाते हैं। कर्नाटक में आम, चीकू तथा अन्य फलों का उत्पादन होता है। किन्तु कृषकों को क्या मिल रहा है? यह बाजार का मात्र 10 प्रतिशत ही है। फूलों के मामले में भी यही स्थिति है। उत्पादक को मामूली राशि मिलती है और व्यापारी को मूल्यों का अधिकांश इस प्राधिकरण को चाहिए कि वे कृषकों को उनके माल के विपणन में सहायता पहुंचाने के लिए सहकारी सोसायटियां खोलें। मन्त्री जी से मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि कृषकों को भण्डारण सुविधाएं भी प्रदान की जाएं। प्रत्येक जिला मुख्यालय में शीत भंडार सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिएं।

पैकेजिंग तथा प्रसंस्कृत करने का कार्य वैज्ञानिक रीति के अनुसार किया जाना चाहिए। इसके लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए। आम, टमाटर इत्यादि जैसे फलों के उचित

*कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मूल्य नहीं मिलते, यदि उन्हें उचित ढंग से परिरक्षित नहीं किया जाए। ये फल काफी उपयोगी हैं। इन फलों से केचप बनाई जाती है। कर्नाटक में हमारी किसान प्रोडक्ट्स-फैक्टरी है। किन्तु इन सभी उत्पादों में सिर्फ मध्यस्थ लोगों को ही लाभ होता है। बहुत से फल उत्पादकों को व्यापारी लूट रहे हैं। ये व्यापारी फलों के उत्पादों का निर्यात करके करोड़ों रुपये प्राप्त कर रहे हैं।

सूखे के दिनों में पूरे देश में हजारों गायों को वध-शालाओं में भेजा जाता है। समूचे देश में गायों के वध को रोका जाना चाहिए। भेड़, बकरी, सूअर इत्यादि, के मांस तथा मांस से बने हुए उत्पादों को वैज्ञानिक विधि से तैयार किया जाना चाहिए। मांस उत्पादों को तैयार करते समय स्वास्थ्यकारी विधियां अपनायी जानी चाहिए। अंडों के लिए भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए। अंडों की खरीददारी तथा बिक्री भी सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से होनी चाहिए। अंडे के बाजार मूल्य 60 पैसे से भी अधिक है। किन्तु मुर्गीपालन केन्द्र के स्वामी को उसमें से सिर्फ 25 पैसे ही मिलते हैं। इसी प्रकार उत्पादों का विपणन भी सहकारी सोसायटियों के माध्यम से ही होना चाहिए। कर्नाटक तथा गुजरात डेयरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध हैं। डेयरी उत्पादों के विपणन के सम्बन्ध में कृषकों को सहायता पहुंचाने के लिए डेयरी विकास निगम को कार्य करना चाहिए। डेयरी उत्पादों का गुणवत्ता नियन्त्रण भी आवश्यक है। वर्षा काल के दौरान डेयरी उत्पादो में एक आकस्मिक वृद्धि होती है। कई बार तो खरीदने वाला कोई भी नहीं होता। ऐसी स्थिति नहीं बनने देनी चाहिए।

कन्फेक्शनरी, बिस्कुट तथा बेकरी उत्पादों को भी सम्मिलित किया गया है। मैं इस बात से प्रसन्न हूं, किन्तु दुर्भाग्य से नारियल और पान का पत्ता इत्यादि सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन्हें भी शामिल किया जाये। रूस में भारत के नारियल उत्पादों की काफी मांग है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि इन उत्पादों के उत्पादन में अच्छे स्तर को बनाया जाये। कर्नाटक में और देश के अन्य भागों में शहद का काफी मात्रा में उत्पादन होता है। किन्तु उसके लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के उत्पादों की बहुत मांग है। हमारे देश में सहकारी सोसायटियों को देश में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत कुछ करना है।

हमारे देश में जड़ी-बूटियां भी काफी मात्रा में पैदा होती हैं। मेरे क्षेत्र में एक बूटी है, जिसका स्थानीय नाम 'कोसी कनिगल' है। इस बूटी की पश्चिम जर्मनी में काफी मांग है। इसका प्रयोग कैंसर की रोकथाम के लिए औषधि बनाने के लिए किया जाता है। कृषकों को इससे अवगत कराया जाना चाहिए और उन्हें ऐसी बूटियों से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए घरेलू उद्योग को भी लाभकारी मूल्य देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

शुल्क के संबंध में मैं माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे कम करके कृषकों को प्रोत्साहित किया जाये। मैं मन्त्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि निर्यात शुल्क को भी हटा दिया जाये।

[श्री वी० एस० बसवराजू]

यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक का स्वागत करता हूं जिसे सरकार द्वारा पेश किया गया है।

महोदय, यह अच्छी बात है कि सरकार ने ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करना उचित समझा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुभव यह रहा कि तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों के कारण निर्यात लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। और सातवीं योजना में सरकार काफी हद तक चाय, काफी, तम्बाकू, काजू की गिरी, प्रसंस्कृत खाद्य, मसाले इत्यादि के निर्यात में काफी वृद्धि करने के लिए विचार कर रही थी। वास्तव में, वर्तमान निर्यात स्तर लगभग 217 करोड़ रुपये है। सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1334 करोड रुपये के निर्यात की आशा कर रही है। अन्य कृषि सम्बन्धी संसाधित खाद्य उत्पादों के मामले में भी ऐसा ही है। यह स्वाभाविक ही है कि सरकार इन उत्पादों के अधिक निर्यात के लिए विचार कर रही है क्योंकि हमारा देश अन्य देशों की तुलना में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक विकास में काफी पीछे है। हम मशीनरी, विशेषतया आधुनिक मशीनों के निर्यात की उपेक्षा नहीं कर सकते। किन्तु देश मुख्यतः कृषि पर आधारित है। साथ ही रोपण योग्य भूमि, उर्वरक भूमि तथा सिंचाई योग्य जल तथा कठिन श्रमशील किसानों के होने से काफी सम्भावनाएं भी हैं, अतः कृषि संबंधी तथा अन्य उत्पादों में वृद्धि की काफी सम्भावना है। औद्योगिक क्षेत्र में कई करोड़ रुपये की पूंजी लगाकर, इसे प्रोत्साहित करने के बावजूद मशीनरी और परिवहन उपस्करों के निर्यात से मुश्किल से 500 करोड़ रुपये अर्जित हुए, जबकि 1983-84 के लिए हमारा कुल निर्यात 9867 करोड़ रुपये का था। इसका मतलब यह है कि यह कुल निर्यात का 10 प्रतिशत भी नहीं है। अतः सर्वोत्तम तरीका है कि सभी पूर्वोपाय करके कृषि संबंधी तथा संसाधित खाद्य उत्पादों, काजू की गिरी तथा मसालों के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाये। विदेशों में, विशेषतया, अमेरिका, नीदरलैंड, आस्ट्रेलिया, जापान तथा अन्य देशों में काफी उत्साहवर्धक बाजार हैं। तम्बाकू के संबंध में मैं यह कहूंगा कि इसे निजी व्यापार पर न छोड़कर, यदि सरकार तम्बाकू के निर्यात का कार्य हाथ में लेती है तो हमारा लाभ काफी बढ़ेगा। क्योंकि इन कम्पनियों जिनमें से कुछ विदेशाधृत हैं यद्यपि उनकी ईक्विटी को बाद में खत्म कर दिया गया था, के द्वारा मूल्यों में काफी कमी की जा रही है; चावल के मामले में भी ऐसा ही है। चावल के सम्बन्ध में सरकार बासमती तथा गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दे रही थी किन्तु कुछ समय पहले, सरकार ने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिए हैं और अब सिर्फ बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी जा रही है। वास्तव में हमारे देश में खाद्यान्न का काफी फालतू भंडार है और इसकी उपलब्धता के बारे में जरा भी संशय नहीं है। वास्तव में गोदाम पूरे भरे पड़े हैं। सरकार खरीदे गये धान, चावल तथा गेहूं जैसे खाद्यान्नों को सुरक्षित रख पाने में स्वयं को असमर्थ पा रही है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह

गम्भीरतापूर्वक इस बारे में विचार करे तथा चावल की 'फाइन' तथा 'सुपरफाइन' किस्म के निर्यात की अनुमति भी प्रदान करे। वस्तुत: इससे गेहूं से अधिक विदेशी मुद्रा मिल सकती है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के मुकाबले चावल का मूल्य अधिक मिल रहा है। अभी कुछ समय पूर्व कृषि उत्पादन आयुक्तों तथा सचिव (वाणिज्य) के बीच एक बैठक हुई थी जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि ऐसी व्यवस्था अपनायी जानी चाहिए जिससे कि बासमती चावल की खेती, जो अभी तक केवल जम्मू-कश्मीर तक ही सीमित थी, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में भी शुरू की जा सके।

जहां तक मांस तथा मांस के उत्पादों का सम्बन्ध है इसके निर्यात को संभावनाएं काफी अधिक है। अंडा उत्पादन में पंजाब के बाद आंध्र प्रदेश का नम्बर है। हैदराबाद से एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू होने से इन मदों के निर्यात की स्थिति अच्छी हो जाएगी। हमारा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इन उत्पादों के लिए वातानुकूलित भंडारण सुविधा प्रदान करें ताकि हम इन उत्पादों का निर्यात कर सकें।

निर्यात बढ़ाने के अलावा, प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य विदेशों से सम्बद्ध आंकड़े एकत्रित करना होना चाहिए। इसके पास सक्षम प्रशासनिक विपणन तथा अनुसंधान स्कंध होना चाहिये जो कि वर्तमान मांगों तथा भविष्य की परियोजनाओं के बारे में भी सलाह द सके। सम्बद्ध राज्य सरकारों के माध्यम से यह सूचना देश के सभी भागों की जनता को उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि यह देखा जा सके जिन मदों का सरकार निर्यात करके बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहती है उन मदो के उत्पादन के मामले में राज्य सरकारों द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा सके।

जहां तक प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने का सम्बन्ध है यह सही है कि इसकी बहुत ही आवश्यकता है परन्तु मैं यही सुझाव दूंगा कि सरकार को इसे इस तरह से आधुनिक बनाना चाहिए कि वह बहुराष्ट्रीय अथवा एकाधिकार वाली बड़ी कंपनियों के हाथों में न जाने पाये। देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ही प्रौद्योगिकी होनी चाहिए तथा जहां तक संभव हो यह लघु उद्योग तथा मध्यम उद्योग क्षेत्रों की पहुंच के भीतर होनी चाहिए ताकि एकाधिकार वाली कम्पनियां उस क्षेत्र पर एकाधिकार जमा कर कृषकों का शोषण न कर सकें।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से यह पता चलता है कि और कई क्षेत्रों के व्यक्ति तो इस प्राधिकरणमें रखे जायेंगे परंतु मुझे यह कहते हुए खेद है कि किसानों का इसमें कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है जो कि खाद्य फसलों या खाद्य उत्पादों को बढ़ाने के लिए मूलत: जिम्मेदार हैं तथा जिनके लिए ये सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं मुझे मालूम नहीं कि सरकार ने उनकी उपेक्षा क्यों की है मैंने यह संशोधन भी रखा था कि देश के विभिन्न क्षेत्रों क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में निर्यात की कोई न कोई मद तो होगी ही का इस प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि किसानों के प्रति न्याय किया जा सके। इन मदों के निर्यात से होने वाला लाभ तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा केवल उद्योगपतियों-मध्यस्थों अथवा व्यापारियों

[श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव]

तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि लाभ का हिस्सा किसानों को भी मिलना चाहिए जिनके प्रयत्न से ऐसा सम्भव हो पाया है। वास्तव में, सरकार भारी मात्रा में चीनी का निर्यात कर सकती थी, परन्तु सरकार की अदूरदर्शी नीतियों तथा गन्ने का लाभकर मूल्य निर्धारित न करने के कारण, हमें हाल ही में विदेशों से चीनी का आयात करना पड़ा। ऐसा भविष्य मे नहीं होना चाहिए।

जैसा कि मैंने अपने संशोधन में भी प्रस्ताव किया है कि प्राधिकरण में कुछ समितियां होनी चाहिए — जैसे कार्यभार संभालने के लिए कार्यकारी समिति-उत्पादन आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए उत्पादन समिति, बाजार की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए विपणन समिति होनी चाहिए जो यह भी देख सकें कि हर इकाई का अधिकाधिक मूल्य कैसे वसूल किया जा सकता है ताकि विश्व के विभिन्न भागों से हमारे उत्पादों का अधिकतम मूल्य मिल सके।

निर्यात-उत्पादों की किस्म की पूरी तरह जांच की जानी चाहिए अन्यथा हमारे देश का नाम बदनाम होता है। जब चीन को तम्बाकू का निर्यात किया गया था तब ऐसा ही हुआ था। उस माल को वापस भेज दिया गया था तथा इस वर्ष वह अब फिर से आर्डर भेज रहे हैं। इसलिए ऐसी बातें दोबारा नहीं होनी चाहिए जिससे कि देश का नाम बदनाम न हो तथा हमारे निर्यात में रुकावट न आने पाये। इन सुझावों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

डा० के० जी० अदियोडी (कालीकट) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा इसका समर्थन करता हूं। मेरे विचार से हमारे देश का आयात तो बढ़ रहा है लेकिन निर्यात एक स्तर पर ही रुका हुआ है। हमारे निर्यात के मुख्य उत्पाद कृषि पर आधारित उत्पाद हैं; तथा जिसके लिए बहुत संसाधन की, पर्याप्त विपणन की तथा मानकीकरण की आवश्यकता है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक विश्व के बाजार में हमारा माल नहीं खरीदा जा सकता। खासतौर पर जबकि हमारी सातवीं योजना हमारे राष्ट्रीय संसाधनों पर आधारित है, केवल एक ही क्षेत्र ऐसा है जहां हम अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं तथा आयात कम कर सकते हैं तथा व्यापार—संतुलन तथा वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के सभी अन्य तरीके सही रास्ते पर लाये जा सकते हैं विधेयक के अनुसार यह स्पष्टतः बताया गया है कि संसाधन के सभी तरीके चाहे वह सुखाना हो, डिब्बा बन्द करना हो, छीलना हो या किसी और प्रकार का संसाधन हो जो कृषि उत्पादों से सम्बन्धित हो उससे कृषि उत्पाद संसाधित खाद्य उत्पाद बन जाता है। इसलिए जब नियम बनाये जाएं तथा जब तक कार्यालय को निश्चित रूप से सूचना न भेजी जाए, तब सभी कृषि उत्पाद निर्यात के समय संसाधित माने जाएंगे।

दूसरी बात - जैसा कि विपक्ष के मेरे माननीय मित्र ने बताया है कि हमारे उत्पादों को इसलिए वापस कर दिया जाता है क्योंकि उसकी किस्म मानक किस्म नहीं होती। इलायची, काफी, चाय के सम्बन्ध में भी प्रति वर्ष यह रिपोर्ट प्राप्त होती है कि उन्हें वापस कर दिया जाता है। इसे दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन की आधुनिक व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके अलावा जब

कृषि उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है—चाहे वह फल, अनाज, धान या कोई भी अन्य खाद्य उत्पाद हो—तो हमारे किसानों के पास भंडारण, गोदामों, विपणन तथा संसाधन की उपयुक्त सुविधाएं नहीं मिल पातीं और यदि ऐसी सुविधाएं उपलब्ध भी होती हैं तो वह सही किस्म की नहीं होती। इसलिए गरीब किसान जो अधिक उत्पादन करता है उसे हानि उठानी पड़ती है। इसे दूर करने के लिए हम माननीय मंत्री से यह अनुरोध करते हैं कि एक ऐसी उपयुक्त पद्धति होनी चाहिये जिसमें मझोले तथा सीमांत किसानों को संसाधन भंडारण तथा और भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

जहां तक नारियल की खेती का सम्बन्ध है, केरल की स्थिति अच्छी नहीं है। राज्य सरकारों तथा संसद सदस्यों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न अनुरोधों के बावजूद कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया गया है इस क्षेत्र के सारे किसानों का जीवनयापन नारियल की खेती पर निर्भर करता है। प्रत्येक परिवार चाहे उसके पास तीन या चार या दस या पन्द्रह नारियल के पेड़ हों—दुखी है। पर्याप्त उपज के अभाव में, दक्षिणी क्षेत्रों विशेषकर कर्नाटक—केरल तथा तमिलनाडु के मझोले किसानों की आर्थिक हालत बिगड़ गई है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह यह बताएं कि सरकार कौन-कौन से ठोस कदम उठाने जा रही है जिससे उन गरीब किसानों को जो पिछले कई महीनों से आन्दोलन कर रहे हैं, क्या क्या लाभ पहुंचेगा। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान नारियल के तेल का मूल्य 3, 00 रु० था। अब यह 1,500 रु० से भी कम है। चूंकि उस क्षेत्र के किसानों को बहुत गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह मूल्य के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से यह बताएं कि किसानों को क्या मूल्य दिया जायेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर तहेदिल से विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो इस बिल का स्वागत करना ही पड़ेगा।

हम यह चाहते हैं कि किसानों की भलाई को दृष्टि में रखते हुए, जो एक्चुअल किसान होता है, उसको बोर्ड में जाना चाहिए। जिस समय हम बोर्ड के मैम्बरों पर निगाह डालते हैं, तो यह पाते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव में और विधान सभा के चुनाव में जो हारे हुए लोग होते हैं, उनको उसमें रख दिया जाता है। पालीटीकल रिहैबीलीटेशन के लिए बोर्ड नहीं बनना चाहिए। चाहे टोबाको बोर्ड हो और चाहे काटन बोर्ड हो, सब में ऐसे ही लोग हैं चाहे ये सत्तारूढ़ पार्टी के हों या विरोधी पार्टी के हों। मेरा कहना यह है कि जो एक्चुअल ग्रोवर्स होते हैं, उनको इन बोर्डों में लेना चाहिए। जो खेती की उपज होती है, जो किसान पैदा करता है, उस किसान के लाभ के लिए ये बोर्ड बनने चाहिए। हम इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं। कई बोर्ड हैं, टोबेको बोर्ड है, काटन कारपोरेशन है और कई बोर्ड ऐसे हैं, लेकिन किसानों की भलाई के बारे में कोई नहीं सोचता, ये लोग सिर्फ कर्मशियल बेसिस पर सोचते हैं। इस तरह का यह बोर्ड नहीं होना चाहिए। इसमें हमको बताया गया है कि कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

एक्सपोर्ट करने के लिए बोर्ड बनाना है, अभी प्राइवेट लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फल और फलों का रस, इसके बारे में आप देखिए कि मई और जून में आंध्र प्रदेश में आम का भाव एक रुपया किलो होता है और दिल्ली में तीन रुपये किलो होता है। इस तरह प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में बहुत अन्तर आ जाता है, इनके बीच में तालमेल होना चाहिए। आज आलू पैदा करने वाले किसान उत्तर-प्रदेश और नागपुर के पास तथा अन्य जगहों में भूखों मर रहे हैं। नागपुर के पास टमाटर 75 पैसे किलो मिल रहा है, कभी-कभी तो किसान सोचता है कि शहर ले जाकर मुफ्त में बांट दे, कभी-कभी वह अपने मवेशियों को खिला देता है। इस बोर्ड के तहत एक्सपोर्ट करने के लिए टमाटर की चटनी बनाइए, अचार बनाइए, सास बनाइए। हम जानते हैं कि सास की एक शीशी की कीमत 7 रुपए होती है और उसमें एक रुपये का भी टमाटर नहीं होता, यह बाकी 6 रुपया कहां जा रहा है। शीशी का दाम 50 पैसा होगा। हम जानते हैं कि आलू का चिप्स, कभी लेते हैं तो थोड़ा सा चिप्स दो रुपये का मिलता है, उसमें 10 पैसे का भी आलू नहीं होगा। इसका क्या कारण है। इस तरह की स्थिति कई चीजों में है। किसान उन चीजों को पैदा करता है और आगे जाकर उन चीजों में बीस गुना और 50 गुना अन्तर उनकी कीमत में हो जाता है। किसान को मक्का बोने से फायदा होता है या नहीं इस चीज का पता नहीं, लेकिन दुकानदार पापकार्न की मशीन लगाकर एक किलो किलो मक्की के 100 रुपये बना लेता है। हिन्दी में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, तेलगू में इसको पैलालु बोलते हैं, पापकार्न, इसका क्या कारण है। जो उत्पादन करता है उसका शोषण होता है, उसको शोषण से बचाने के लिए ही बोर्ड बनाया जा रहा है, इसलिए इसका हम स्वागत करते हैं। विदेशों में हमारे यहां की चीजें बहुत मंहगी बिकती हैं। हमारे वारंगल की प्रियापच्चड़ी दिल्ली में बहुत मशहूर है, दिल्ली में ही नहीं विदेशों में भी बहुत मशहूर है। ऐसी चीजों को इसके अन्तर्गत लेना चाहिए। हम जानते हैं कि पानी कम होता जा रहा है, कम पानी से आम का फल और समोटा फल की पैदावार होती है, इसका जितना भी स्टोरेज हो सके वह हमको करना चाहिए और जब ये चीजें बहुतायत से मिलती हैं उस वक्त आलू, टमाटर सन्तरा, आम, इन सब चीजों को इस बोर्ड के अन्तर्गत लाकर इनका पल्प बनाना चाहिए, रस बनाना चाहिए और विदेशों में एक्सपोर्ट करना चाहिए। आज अगर किसी को एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस मिलता है तो थोड़े समय में ही वह लखपति बन जाता है, लेकिन जो किसान इसका उत्पादन करता है वह दो एकड़ से एक एकड़ और एक एकड़ से आधा एकड़ और अन्त में शहर में आकर रिक्शा चलाने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए जो एक्सपोर्ट बोर्ड बना रहे हैं उससे बीच के लोगों को हटाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए यह कदम बहुत अच्छा है।

टमाटर जल्दी खराब होता है, खेत से निकालने के बाद दूसरे दिन खराब हो जाता है। इसके लिए मार्केटिंग कमेटी में पैसा लेकर किराए पर स्टोरेज की व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आलू एक-दो महीने रह सकता है। इसलिए जो पेरिशेबल गुड्स होती है उनको रखने के लिए, शीतलीकरण के लिए कोल्डस्टोरेज का इन्तजाम होना चाहिए, प्रबन्ध होना चाहिए, ताकि जिस वक्त दाम ज्यादा हो, उस वक्त वह बेचा जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में पोल्ट्रीफार्म का बहुत बड़ा व्यापार होता है, किसान लोग भी इसको चला रहे हैं, लेकिन आज वे भी नुकसान में जा रहे हैं। दिल्ली में भी वहां से अंडे आते हैं, दुबई और अरब कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन बम्बई के व्यापारी ने अगर अंडे का दाम 30 पैसे बोल दिया तो पोल्ट्री फार्म वाले डूब जाते हैं, उनको इससे बहुत नुकसान होता है। विदेशों में एक्सपोर्ट करने वाले बम्बई में जो व्यापारी होते हैं, उनके ऊपर उनको निर्भर रहना होता है।

आप एक्सपोर्ट बोर्ड बना रहे हैं इसलिए उन सारे अंडों को आपको खरीद लेना चाहिए। उसका पाउडर बना सकते हैं। हमने विदेशों में देखा है कि एक मिनट के अन्दर आमलेट तैयार हो जाता है। ऐग की बजाय पाउडर से ही तैयार कर लेते हैं। आंध्र का अन्डा, उत्तर प्रदेश का आलू और पंजाब का बासमती चावल मशहूर है। इनकी ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। पैडी का दाम और कपास का दाम तो गिर गया लेकिन कपड़े का दाम नहीं गिरा। इसकी वजह यह है कि जो मिडिल-मैन हैं वे किसान को शोषित कर रहे हैं। इस बोर्ड के द्वारा आप यह शोषण रोक सकते हैं, अगर ईमानदारी से यह बोर्ड काम करे। हमारे मित्र ने बताया कि क्यों नहीं विजय मसूरी और खिचड़ी की तरफ ध्यान देते। हमारे हैदराबाद में बिरयानी और खिचड़ी मशहूर है। अगर आप चावल देख लेंगे तो उससे ही पेट भर जायेगा। विदेशों के लिए अनुमति इसके लिए नहीं दी जाती है क्योंकि यह लोकल कंजम्पशन है। आप लोग हैदराबाद आयेंगे तो आपको बिरयानी अवश्य खिलायेंगे। मन्त्री जी को मालूम है क्योंकि मंत्री जी का हमारे हैदराबाद से संबंध है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम जरूर आएंगे। आप जब हमें बुलाएंगे तो हम वहां अवश्य आएंगे।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप सबको अपनी बच्ची की शादी में बुलायेंगे और बिरयानी खिलायेंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : हैदराबाद में बगारे बगान मिलता है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप ठीक कह रहे हैं। हैदराबाद में नॉन-वेज फूड भी काफी अच्छा बनता है। पिग्स का भी एक्सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि उसका मांस काफी प्रयोग में आता है। पिग फार्म भी आप बना सकते हैं। पानी कम होने से मांस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अन्डा, मुर्गी और पिग का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को देखते हुए

[श्री हरीश रावत]

और जितना घाटा हमारे विदेश व्यापार में है, मैं समझता हूं इससे इस बिल का उद्देश्य और भी अधिक व्यापक तथा आवश्यक हो जाता है। आप एक निश्चित उद्देश्य को लेकर इस अथारिटी का निर्माण कर रहे हैं। उससे किसी को कोई एतराज नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल का टारगेट ओरियेन्टेड न होने के कारण, जितना एचीवमेंट होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया है।

2.59 म०प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए।)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको टारगेट ओरियेन्टेड बनाने की जरूरत है। हमें इसमें निर्यात के लिए नए-नए क्षेत्रों को ढूंढना पड़ेगा। अभी तक जो हमारे एरियाज हैं या जो कंट्रीज हैं उन्हीं को सप्लाई करते हैं। जो गल्फ कन्ट्रीज हैं, वेस्टर्न यूरोप की कन्ट्रीज हैं, उनमें बहुत अधिक पोटेन्शियल है। वहां पर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें तो और भी अधिक व्यापक क्षेत्र मिल सकता है। इस ओर धीरे-धीरे काफी कम्पीटीटर्स आते जा रहे हैं। इसलिए क्वालिटी को कांस्टेंटली मेन्टेन करना होगा और उस पर नियन्त्रण रखना होगा। आपने प्रावधान तो किया है, लेकिन उसमें इस तरह का क्लाज नहीं है। जिसके कारण आप यह समझ सकें कि इसकी क्वालिटी को मेन्टेन रखा जा सकेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विषय में भी आपको विचार करना चाहिए। साथ-साथ कुछ नये आइटम्स को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि जो हमारे परम्परागत आइटम्स हैं, उस फील्ड में और लोग भी एन्टर करना चाहें। अगर हम नये-नये आइटम्स को नहीं खोजेंगे तो हमें दिक्कत होगी।

3.00 म०प०

हमारे यहां सेव काफी मात्रा में हर साल बर्बाद हो जाता है, यू०पी० में जिस वक्त आम की फसल होती है तो उस वक्त कच्चा-आम भारी मात्रा में बर्बाद हो जाता है। वही हाल आलू का भी है। इन सबकी ओर भी देखने की आवश्यकता है।

आपने फ्रूट्स एण्ड वैजिटेबल्स प्रोअर्स को इसके बोर्ड में शामिल करने की बात कही है। हमारे देश में कोकोनट तथा दूसरे कई ऐसे आइटम्स हैं जिनकी लौबी बहुत प्रबल है और उनके हल्ला-गुल्ला करने के कारण ही उनके ग्रोअर्स इस प्रकार के बोर्ड्स इत्यादि में आ पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि हर एरिया और हर आइटम को रिप्रेजैन्ट करने वाले लोग उसके बोर्ड में आयें ताकि वे अपने इंटरैस्ट को सेफ कर सकें।

महोदय, मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि हमारे यहां नई टैक्नोलोजी आनी चाहिए लेकिन

नई टैक्नोलोजी या ज्वाइंट वेन्चर के नाम पर कहीं ऐसा न हो कि बड़े लोग इसमें आ जायं। यह इन्डस्ट्री स्माल सैक्टर में होने के कारण, हजारों लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है। मेरी जानकारी के अनुसार बहुत से बड़े लोग इसमें एन्टर करना चाहते हैं और मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि नई टैक्नोलोजी और ज्वाइन्ट वेन्चर के नाम पर बड़े लोग इसमें न एन्टर कर जाएं और सारा फायदा उठा लें क्योंकि आपके बिल में इस तरह की सम्भावनाओं को नकारने सम्बन्धी कोई प्रावधान मुझे दिखाई नहीं देता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस बात को सुनिश्चित करें और जो लोग स्माल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके इंटरैस्ट पर इससे कोई चोट न आये। इसके अलावा, बिल में आपने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसका नैट-वर्क क्या होगा, जिसके जरिए से आप लोगों को सबसिडी इत्यादि देंगे, ग्रोअर्स आदि को प्रोमोट करने की कोशिश करेंगे तथा मैन्यूफैक्चरर्स को किस माध्यम से मदद देंगे, इन सबके विषय में ज्यादा विस्तार से नहीं कहा गया है।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैंने जिन बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कराया है, आप अपनी रिप्लाई में उनको स्पष्ट करेंगे, उन पर ध्यान देंगे और इन्हीं शब्दों के साथ, इस बिल के पीछे जो भावना छिपी हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री प्रकाश वी० पाटिल (सांगली) : सभापति महोदय, मैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक, 1985 और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक, 1985 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी यहां पर कई माननीय सदस्यों ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के भाव पर काफी चर्चा की और उसके साथ-साथ प्रोडक्शन के बारे में भी चर्चा हुई। यदि देखा जाए तो कृषि उत्पादों के भाव अच्छे न मिलने के कारण प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाता। यदि किसी साल किसी चीज का उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो उसके सामने मार्केटिंग की समस्या आ खड़ी होती है और सेलिंग की सुविधा समय पर न मिलने के कारण उसके दाम और ज्यादा गिर जाते हैं। इसलिए खाद्य उत्पाद-निर्यात के सम्बन्ध में जो बिल इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

यहां पर मैं सबसे पहले आपका ध्यान बटर की ओर दिलाना चाहता हूं जो एक मिल्क प्रोडेक्ट है। पिछले साल महाराष्ट्र राज्य में लगभग 3 हजार टन बटर स्टोरेज किया गया और इस साल भी लगभग 4 हजार टन बटर स्टोरेज होने की आशा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास कुल 7 हजार टन बटर उपलब्ध है, जो हमने स्टोरेज किया हुआ है और उसका मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपये बैठता है। दूसरी ओर हम लगभग 1600 करोड़ रुपयों का खाद्य तेल विदेशों से आयात कर रहे हैं जबकि हमारे यहां जो खाने का अच्छा घी बनता है, उसकी मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह व्हीटब्रान पर अमेरिका में रिसर्च-कार्य हुआ है और उसके परिणामस्वरूप बढ़ी व्हीटब्रान से हम 15 से 20 परसेंट तक एडीबिल ऑयल प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि व्हीटब्रान को प्रोसैस करने के लिए हमारे यहां भी कोई इन्डस्ट्री स्थापित की जानी चाहिए और इसके जरिए से हम डैवलपिंग कंट्रीज में लगभग 7 लाख टन प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकते हैं।

[श्री प्रकाश वी० पाटिल]

हमारे महाराष्ट्र में गन्ना बहुत ज्यादा हो जाता है और इस साल सरकार ने लगभग 800 करोड़ रुपये से ज्यादा शुगर इम्पोर्ट की है। चूंकि वहां पर गन्ने की ज्यादा पैदावार होती है इसलिए ज्यादा शुगर मिल्स खोलने की आवश्यकता है। हमने वहां पर 52 शुगर मिल्स खोलने के लिए परमीशन मांगी है, किन्तु सरकार ने अभी तक परमीशन नहीं दी है और न पॉलिसी रिलैक्स की है। अतः मेरा निवेदन है कि इन मिलों को खोलने की परमीशन दी जाये।

सभापति महोदय, इसी के मुताबिक व्हीट में भी हमारे यहां प्रोडक्शन-स्टोरेज बढ़ा हुआ है और 32 मिलियन टन्स से ज्यादा स्टोरेज हुआ है। इसलिए इस क्षेत्र में भी फ्लोर मिल्स ज्यादा से ज्यादा डालने की परमीशन सरकार को देनी चाहिये।

मुझे विश्वास है कि ये जो बिल आप लाये हैं इसके जरिये से ये बातें पूरी होंगी और इस बिल से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और इन्टरनल कंजम्पशन के लिये भी अच्छी पॉलिसी हो जाएगी। लोन के क्षेत्र में भी ये कार्पोरेशन अच्छी मदद कर रही है। हमारे महाराष्ट्र में कोआपरेटिव बैंक्स का अच्छा काम चला है और 981 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। इसके जरिये हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डालना चाहते हैं, लेकिन सरकार की परमीशन नहीं मिली है। इसके लिए परमीशन देनी चाहिए जिससे हम जो फूड इंडस्ट्री की प्रोब्लम है, उसको हम दूर कर सकें।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर दें।

इहसे पपले हम अपने उत्पादों का निर्यात शुरू करें सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत की जनता को सबसे पहले अच्छा भोजन मिले क्योंकि हमारे देश में जनता को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है तथा सरकार जानती है कि हमारे देश की 51 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीचे रह रही है। इसका यह मतलब है कि उन्हें जरीजन चाहिये वह नहीं मिलता है तथा हमारी योजना ऐसी होनी चाहिए कि देश में जिस भी चीज की आवश्यकता हो उसे निर्यात से पहले यहां के लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए अन्यथा हमारी जनता को ही परेशानी उठानी पड़ेगी अब हम यह सोच रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है, जिसका हम निर्यात भी कर सकते हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि हमारी जनता को भोजन भी नहीं मिल रहा है। स्वयं दिल्ली में ही, कई आवश्यक वस्तुओं तथा खाद्यानों की कमी है तथा इनके मूल्य दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी जनता को भोजन मिले और वह भोजन अच्छा भी हो। निर्यात से पहले इस बात को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अच्छी किस्म की मछली, मांस या अंडे उपलब्ध ही नहीं हैं तथा लगभग 70 प्रतिशत जनता को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है क्यों-

कि वह अच्छे किस्म का भोजन खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिये सरकार को यह नहीं कहना चाहिए कि अमुक-अमुक मदों का निर्यात किया गया है जबकि हमारी जनता यहां भूखी मर रही है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : किन्तु हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में फल और खाद्य पदार्थ हैं जो खराब हो जाते हैं। इन्हें संसाधित करके निर्यात किया जाना चाहिये।

श्री पीयूष तिरकी : ऐसा कभी-कभी ही होता है। हमें देखना है कि चीनी का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो सरकार कम कीमत पर चीनी का निर्यात करती है और हमें अपने ही देश में चीनी खरीदने के लिए इसके निर्यात मूल्य से अधिक पैसा देना पड़ रहा है। हमें अपनी खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता ही नहीं है और हम खाद्यान्न का निर्यात करते जा रहे हैं। सबसे पहले सरकार यह सुनिश्चित करे कि हमारी जनता की आवश्यकताएं पूरी हों। सरकार को यह पता होना चाहिये कि हमारी जनता को प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता है और भारत में प्रति व्यक्ति इसकी कितनी खपत है। सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, यदि हम अपना खाद्यान्न विदेशों को निर्यात करते रहे और हम यहां भूखे मरते रहें तो हमें हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात का पूरा ब्यौरा दें कि आवश्यक भोजन और अच्छे भोजन की कितनी आवश्यकता है। हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही उनके निर्यात के विषय में सोचना चाहिए। मेरा विचार है कि सरकार अपनी ही असफलता के कारण कठिनाई में है और वह किसी भी तरह से धन प्राप्त करना चाहती है। वे विदेशी धन पर निर्भर है और इसी लिए देश का खाद्यान्न बाहर भेजा जाता है। किसानों के लिए तो यह प्रोत्साहन का विषय हो सकता है लेकिन सम्पूर्ण देश के लिए तो नहीं क्योंकि असंख्य लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं जिन्हें भोजन चाहिए और उनकी यह आवश्यकता हर हालत में पूरी होनी चाहिए। सरकार को यह गारन्टी देनी चाहिए कि सभी भारत वासियों को भोजन मिलेगा। इसके पश्चात ही वे हमारे खाद्यान्न को निर्यात करने के बारे में सोचें।

*श्री बी० कृष्ण राव (चिकबल्लापुर) : सभापति महोदय, मैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक, 1985 का स्वागत करता हूं। हमारे देश के किसानों को उत्साहित करने वाला यह एक अच्छा विधेयक है। अत: इसका समर्थन करते हुए मुझे प्रसन्नता है। विधेयक के विषय में बात करते समय मैं सरकार के विचारार्थ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव रखना चाहता हूं।

एक समय हमारे देश में खाद्यान की कमी थी। किन्तु हमारी दिवंगत नेता श्रीमती गांधी के निष्ठापूर्ण प्रयासों और कठिन श्रम से हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त हम विभिन्न देशों को खाद्यान निर्यात भी कर रहे हैं।

दुर्भाग्यवश इस समय हमारे देश के किसान प्रसन्न नहीं हैं। उन्हें अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हमारे देश में 70 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। यह विधेयक कृषि

*कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री बी० कृष्ण राव]

और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के सम्वर्धन को एक नई दिशा देने वाला है।

यह विधेयक एक सुनियोजित विधेयक है। इस सम्माननीय सदन में ऐसा बढ़िया विधेयक पेश करने के लिए मैं मन्त्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं। किन्तु हमें किसानों की सहायता के लिए उन्हें पारश्रमिक मूल्य दिलाने का उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। किसान ही अपना पसीना बहाकर कृषि उत्पाद पैदा करते हैं उपभोक्ता इन उत्पादों को खरीदते हैं। आज न तो किसान को और न ही उपभोक्ता को कोई लाभ हो रहा है इन दोनों का ही शोषण बीच के व्यक्ति कर रहे हैं। व्यापारी और दूसरे बीच के व्यक्ति इसका लाभ उठा रहे हैं। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए।

महोदय, मैं इस प्राधिकरण के गठन को देखकर हैरान हूं। योजना आयोग का इसमें प्रतिनिधित्व है। संसद सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। किन्तु दुर्भाग्यवश कुठाराघात किसान पर ही हुआ है। इस प्राधिकरण में किसानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि इस अधिकरण में किसानों को भी शामिल किया जाए।

यदि हम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को संवर्धित करना चाहते हैं तो ईमानदारी और उच्चस्तर के गुणवत्ता नियन्त्रण को बनाये रखना बहुत जरूरी है। संसाधन और पैकेजिंग आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुसार होना चाहिए। गुणवत्ता नियन्त्रण और उत्पादों की वर्तमान निरीक्षण पद्धति में एकरूपता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विधेयक में गुणवत्ता नियन्त्रण के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। इसके साथ ही, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पादों के बारे में आकर्षण विज्ञापन दिये जाने चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पादों की मांग तभी बढ़ेगी जब कि हम गुणवत्ता को बनाये रखेंगे।

मैं एक किसान हूं। मैं किसानों की समस्याओं को जानता हूं। मैं भी कृषि उत्पाद पैदा करता हूं। किसानों को दी जाने वाली कम कीमत का मुझे भी बड़ा कटु अनुभव है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिलवाने में सहायता करने के लिए, पूरे देश में सहकारी संस्थाएं गठित की जायें। इन संस्थाओं के होने से मध्यस्थ स्वयं ही अलग हो जायेंगे।

संकर किस्म के उत्पादन के लिए कृषक को हर प्रकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तभी वे अधिक अन्न पैदा कर सकते हैं। किसानों को संकर खेती के मदों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराना चाहिए। हमारी सरकार को इसका उत्तरदायित्व लेना चाहिए। और सभी किसानों को संकर बीज सप्लाई करने चाहिए।

मैं अनाज शुल्क लगाने का विरोधी नहीं हूं, मैं माननीय मन्त्री महोदय से साग्रह अनुरोध करता हूं कि यह वसूली कम से कम होनी चाहिए तभी किसान उत्साहित हो सकते हैं। वास्तव से हमारी

सरकार की नीति देश के गरीब किसानों की मदद करना है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी अनाज वसूली घटाने के बारे में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए मुझे समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में बहुत ही रोचक और उपयोगी योगदान दिया है। बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए गये हैं और सरकार इन पर अवश्य विचार करेगी।

किन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि यह प्राधिकरण पहली बार गठित हुआ है। यह प्राधिकरण न केवल निर्यात की सहायता के लिए बल्कि देश में अधिक उत्पादन करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्थापित किया गया है और साथ ही हम इस प्रकार से निर्यात करेंगे कि हमें और अधिक अतिरिक्त मूल्य प्राप्त हो, अब तक हमें अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा था। हम थोक में निर्यात करते हैं और आयातक देश उन्हें पैक करके बेचते हैं और लाभ कमाते हैं, जबकि वह लाभ निर्यातक देशों को मिलना चाहिये।

महोदय आरम्भ में इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय मैंने कहा था कि कृषि उत्पादों का निर्यात हमारे कुल आयात का लगभग 25 प्रतिशत है। इन निर्यातों को बढ़ाने के लिये हमारे पास काफी अवसर हैं और विशेषकर अतिरिक्त बढ़े हुए मूल्य पर निर्यात करें ताकि हम अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें और बदले में अपने लोगों को भी अधिक लाभ उपलब्ध करा सकें। स्वाभाविक है कि अतिरिक्त निर्यात मूल्य से जब प्राप्त होने वाला मूल्य अधिक होगा तो उन लोगों के लिए भी अधिक समृद्धि के द्वार खुल जायेंगे जो इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं।

उद्यान उत्पाद, मांस-मांस से बने पदार्थ, मुर्गी पालन, मुर्गी-उत्पाद प्रसंस्कृत खाद्य, पशुधन उत्पाद और सब्जियों के शीघ्र विकास की काफी गुंजाइश है। किन्तु यहां मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्यों ने गुणवत्ता नियन्त्रण का उल्लेख जरूर किया है। निश्चित रूप से यह बहुत ही आवश्यक है कि हम गुणवत्ता नियन्त्रण पर अधिक ध्यान दें और इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य गुणवत्ता नियन्त्रण को सुनिश्चित करना ही है और साथ ही अतिरिक्त मूल्य के रूप में लगातार निर्यात को सुनिश्चित करना भी है।

मैं इस बात को बिलकुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह प्राधिकरण निर्यात को अतिरिक्त मूल्य के रूप में सुनिश्चित करने वाली एक एजेंसी है। वास्तव में कृषि उत्पादों के लिए विभिन्न बोर्ड हैं, विभिन्न समितियां हैं और उन्हें ही इस समस्या को देखना चाहिए।

हमें उत्पादों की किस्म में सुधार लाना होगा। हमें सब्जियों की किस्म में भी सुधार करना होगा। फलों की किस्म में भी सुधार लाना होगा। मांस और मांस से बने पदार्थ में भी सुधार लाना होगा। क्योंकि जब तक हम गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरेंगे आयातक देश उन उत्पादों को स्वीकार नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए मांस निर्यात के बारे में अभी हाल ही में क्या हुआ? मध्य ऐशिया के कुछ देशों

[श्री खुर्शीद आलम खां]

ने हमारे द्वारा भेजे गये मांस का आयात उस वजह से बन्द कर दिया है कि वह अच्छी किस्म का नहीं है। क्योंकि जिन स्वास्थ्यकर प्रक्रिया में वह मीट प्रसंस्कृत किया जाता है वह उनके स्तर का नहीं है। अतः इस कारण हमें नुक्सान उठाना पड़ा। मुझे विश्वास है कि यह प्राधिकरण इस प्रकार की शिकायतों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाएगा ताकि हमारा निर्यात आयातक देशों को स्वीकार्य हो।

गुणवत्ता नियंत्रण के विषय में जैसा कि मैंने कहा है, हम इसके प्रति बहुत ही सतर्क हैं कि गुणवत्ता नियन्त्रण ही मूल आधार होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने सभी निर्यातों और निर्यात उत्पादों और मदों में गुणवत्ता नियन्त्रण लागू नहीं करते तब तक चाहे अतिरिक्त निर्यात मूल्य वाले ही क्यों न हों, आयातक देशों को स्वीकार्य नहीं होंगे क्योंकि उनके देश में सफाई-व्यवस्थाएं उच्च स्तर की हैं और वे उसी रूप में अपने देश में आने वाली वस्तुओं को स्वीकार करना चाहते हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि ताजे फलों के मामले में विश्व व्यापार लगभग 20 मिलियन टन तक का है जबकि भारत केवल 16.50 टन का निर्यात करता है जो कि केवल 0.1 प्रतिशत बैठता है। लेकिन हम तो देश में ही फल का उत्पादन इतना ज्यादा करते हैं। उदाहरण के लिए माननीय सदस्य ने सेवों के बारे में बताया है। हमारे देश में बहुत अच्छे किस्म के सेवों का उत्पादन होता है। हमारे इस देश में बहुत अच्छी किस्म के आमों का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश के मेरे माननीय मित्र वहां गये थे। केवल बढ़िया किस्म के ही नहीं वरन् पेड्डारसालू किस्म के आमों का भी निर्यात होता है। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि संसार में लगभग 135 लाख टन मांस का निर्यात होता है, किंतु भारत से केवल 55,000 टन का ही निर्यात होता है, जो कि कुल निर्यात का 0.4 प्रतिशत ही है अतः स्थिति यह है और केवल यही सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण स्थापित किया जा रहा है कि निर्यात में वृद्धि हो और वृद्धि इस रूप में हो, जिससे कि निर्यातित वस्तुएं आयातकर्ता देशों को स्वीकार्य हो सकें।

पिछले कुछ दशकों के दौरान हमारे कृषि उत्पादों का निर्यात भारी मात्रा में हुआ है और जैसा कि मैंने बताया है यदि हम भारी मात्रा में यूं ही निर्यात करते हैं तो उसे संसाधित कर उसकी कीमत बढ़ाने से जो लाभ हो सकता है, वह नहीं हो पाता है, चाहे वह चाय हो या काफी, फल या मांस ही क्यों न हों और जब तक संसाधनों द्वारा उसका मूल्य बढ़ा नहीं पाएंगे तब तक वे न तो ये वस्तुएं स्वीकार्य हो पाएंगी और न ही उनसे और अधिक लाभ मिल पाएगा। आज हर आदमी चाहता है कि हर वस्तु डिब्बा बन्द मिले और इस रूप में हो कि डिब्बा खोलते ही उसे वे खाने की मेज पर परोस सकें। इस प्रकार वस्तु की कीमत बढ़ाने से निर्यात में ही वृद्धि नहीं होगी, वरन् 30 से 40 प्रतिशत अधिक लाभ की वसूली भी सम्भव होगी, जिससे कुल निर्यात में अत्यधिक भारी रकम की आमदनी हो पायेगी और इससे हमारी विदेशी मुद्रा की आय में और वृद्धि होगी। इसी प्रकार जैसाकि मैंने बताया इस प्राधिकरण का एक लक्ष्य यह भी है कि डिब्बाबन्दी और संसाधन आदि से वस्तुओं की कीमत बढ़ायी जाये।

अनेक माननीय सदस्यों में निर्यात मदों की अनुसूची में और अधिक मदें शामिल करने के बारे में भी कहा है। यह अनुसूची अन्तिम नहीं है। इसमें अन्य मदें शामिल की जा सकती हैं या अन्य देशों की मांग पर निर्यात की जाने वाली मद की मात्रा में भी वृद्धि की जा सकती है और यहां तक कि इस प्रयोजन से संसद आना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि इस अनुसूची की मदों में किसी भी समय परिवर्तन या वृद्धि की जा सकती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने विपणन सर्वेक्षण पर विशेष बल दिया है और मेरी राय है कि यह अत्यन्त आवश्यक है अतः भारतीय विदेश व्यापार संस्थान तथा व्यापार विकास प्राधिकरण नामक उन दो अभिकरणों के सहयोग से प्राधिकरण को ऐसा करना ही होगा, जो कि पहले से ही केवल इस देश के लिए ही नहीं वरन् कुछ अन्य देशों के लिए भी ऐसा काम कर रहे हैं और उनके पास विशेषज्ञता भी है। अतः यह प्राधिकरण निश्चयतः उनकी सहकारिता और सहायता का लाभ उठायेगा और फिर लक्ष्य बाजार तय करना सम्भव होगा, तथा यह पता लगाना भी संभव होगा कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमरीका के विभिन्न बाजारों में किन किस्मों, स्वरूपों के मदों की जरूरत है और तदनुरूप हम वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निर्यात के लिए योजना बनाएंगे।

मैं उन माननीय सदस्य की राय से सहमत नहीं हूं जिन्होंने यह संदेह व्यक्त किया है कि कृषकों को इससे नुकसान होगा और मध्यस्थों को फायदा होगा। मेरा विचार है कि जब उन्हें अधिक मूल्य मिलेगा और निश्चयतः निर्यात में वृद्धि होगी तो कृषकों की आय बढ़ेगी और वे इस समय प्राप्त दर की अपेक्षा अधिक दर पर अपनी उपज बेच पाएंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : इससे रोजगार भी बढ़ेंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : निश्चित हो इससे देश की अर्थ-व्यवस्था बेहतर होगी और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। मैं अपने विरोधी पक्ष को माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पान या सुपारी के निर्यात में वृद्धि करना सम्भव है या नहीं यह मैं नहीं जानता फिर भी 'पान मसाला' का निश्चयतः निर्यात किया जा सकता है। 'पान मसाला' सब जगह काफी लोकप्रिय होता जा रहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आपकी जानकारी के लिये मैं बता दूं कि आपके पक्ष की एक महिला सदस्य ने अभी-अभी बताया है कि फ्रांस में उन्हें पान की इच्छा हुई थी।

श्री खुर्शीद आलम खां : श्री व्यास जी ने बताया था कि इससे निश्चयतः आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैं उन्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि आज कल जो भी सामग्री यथा चाय, काफी, काजू, मसाले, मूंगफली उष्ण कटि बंधीय फल और अल्कोहल युक्त पेय जो निर्यात किये जाते हैं यदि उन्हें अधिक मूल्य युक्त बनाया जाये और डिब्बा बन्द रूप में उनका निर्यात किया जाये तो इससे देश को ज्यादा धन मिलेगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : और मिठाइयों के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मेरा ख्याल है वे भी आपकी तरह ही बहुत मीठी हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ देशों में भारतीय मिठाइयां बहुत ज्यादा मीठी होने के बावजूद पसन्द की जाती हैं लेकिन रसगुल्ला का निर्यात तो किया जाता ही रहेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने उपकर का उल्लेख किया था। निस्संदेह इस उपकर का इस विधेयक में उल्लेख किया गया है। उपकर आधे प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। किन्तु यह निर्णय नहीं लिया गया है यह सभी पर लागू होगा। वह वस्तु के बदले प्राप्त होने वाली कीमत पर ज्यादा निर्भर करता है और निश्चयत: जब उसे लागू किया जाना होगा, तब सभी बातों पर विचार करते हुए ही इसे लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक हो सकता है कि नकद क्षतिपूर्ति सहायता दी जाए, जो उपलब्ध भी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि निर्यात में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह प्राधिकरण निर्यात के लिए स्थापित किया गया है। इससे निर्यात में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आनी चाहिए।

काजू को इस अनुसूची में शामिल किया गया है, किन्तु बल्क रूप में इसका निर्यात काजू निगम द्वारा ही किया जाता रहेगा। प्राधिकरण की जिम्मेदारी केवल उसे पैक रूप में पेश करना ही होगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह जानना चाहा कि यह खर्च कैसे पूरा किया जाएगा। योजना आयोग आरम्भ में 40 लाख रुपए का सहायता अनुदान देने के लिए सहमत हो गया है, जिससे कि आरम्भिक खर्च पूरे किये जाएंगे। बाद में उपकर की राशि वसूल होनी शुरू हो जाएगी। उपकर संबंधी क्रिया के बारे में अनुमान यह है कि पहले पांच वर्षों में अर्थात् 1985-1990 तक 798.29 लाख रुपए की धनराशि खर्च होगी और 616.0 लाख रुपए की आय होगी। इस प्रकार 182.16 लाख रु० की कमी पड़ेगी, जिसे सरकार सहायता-अनुदान देकर पूरा करेगी और छठे साल से यह प्राधिकरण खर्च के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएगा। मैं यह आश्वासन जरूर देना चाहूंगा कि यह प्राधिकरण किसी भी क्षेत्र के वस्तु-उत्पादक के हित की अवहेलना नहीं करेगा और वे निश्चयत: इस बात पर ध्यान देंगे कि सभी वस्तु उत्पादक अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य पा सकें। निस्संदेह यह उद्योग लघु उद्योग क्षेत्र में है। किन्तु हम यह भी आशा करते हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा परिष्कृत प्रौद्योगिकी का आयात नहीं करना होगा। किन्तु कुछ हद तक यह जरूरी भी है। इस संबंध में, मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूं। अब रस के छोटे टिन-डिब्बों को ही लीजिए। हम रस के जिन छोटे टिन-डिब्बों का निर्यात करते हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। रस के इन छोटे टिन-डिब्बों को खोलने के लिए हम टिन-कटर का प्रयोग करते हैं। विदेशों में कोई रस के इन डिब्बों को 'कटर' से खोलना नहीं चाहता। उन छोटे-छोटे डिब्बों के ढक्कन पर उसे खोलने की सुविधा के लिए उपाय किए होते हैं और वे 'कटर' की सहायता के बिना ही उन्हें खोल लेते हैं। इसीलिए आयातक देशों के लिए स्वीकार्य बनाने हेतु हमें इसकी व्यवस्था करनी होगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या आप काफी के परिष्कृत संसाधन के लिए विदेशी पूंजी आमंत्रित करने पर विचार कर रहे हैं ? मन्त्री महोदय से प्राप्त पत्र से मुझे ऐसा ही लगा था।

श्री खुर्शीद आलम खां : आप किस मन्त्री की बात कर रही हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं आपके पूर्ववर्ती मन्त्री की बात कर रही हूं।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं उस पत्र को देखूंगा। मेरा ख्याल है, मेरे परवर्ती उस पर ध्यान देंगे। मुझे काम का बोझ बढ़ जाने की वजह से, सम्भवतः इसका कार्य-भार किन्हीं को सौंप देना होगा। महोदय मैं रस के बारे में पहले ही जिक्र कर चुका हूं।

महोदय, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अनुसंधान और विकास काफी महत्वपूर्ण पहलू है और यह प्राधिकरण इस पर जरूर खास ध्यान देगा और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि केवल यह प्राधिकरण ही नहीं, वरन् हम भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान तथा व्यापार विकास प्राधिकरण की विशेषज्ञता और अनुभव से फायदा उठाएंगे। किन्तु यह सही है कि इस प्राधिकरण की लम्बे अरसे से जरूरत थी और कुछ समय बाद इससे जो लाभ प्राप्त होने वाले हैं, उन्हें वही माननीय सदस्य समझ पाएंगे जिन्होंने काफी उपयोगी योगदान किए हैं। यह सही है कि कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों के बीच ताल-मेल नहीं रहा है और ऐसा पूरे संसार में ही हो रहा है। इस समय तो हमारी चीनी, गेहूं तथा अन्य वस्तुओं के दाम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के वर्तमान मूल्य से काफी ज्यादा हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : कृषि उत्पादों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते।

श्री खुर्शीद आलम खां : हमारे गेहूं का मूल्य भी ज्यादा है। मसलन एक माननीय सदस्य ने नारियलों के बारे में बताया था। सबसे पहली बात तो यह है कि नारियल का निर्यात नहीं किया गया। इस समय देश में नारियल का मूल्य अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है।

महोदय यह प्राधिकरण विनियामक संगठन के रूप में काम करेगा, निर्यातक संगठन के रूप में नहीं। क्योंकि यह इस बात को विनियमित और सुनिश्चित करेगा जो निर्यात किए जाएं, वे इस रूप में हों कि किस्म-नियंत्रण सुनिश्चित हो, निर्यात लगातार होता रहे तथा उचित वस्तु का ही निर्यात हो। हम यह नहीं चाहते कि आयातकर्ता देश पहली खेप प्राप्त करते ही कहने लगे कि हम दूसरी खेप नहीं लेंगे क्योंकि खेप उनकी निर्धारित विशिष्टियों या मानकों के अनुरूप नहीं है।

महोदय, क्या यह सही है कि हमारे व्यापार संतुलन में कुल प्रतिकूल रुख दिखाई दिया है। किन्तु समस्या यह है कि पेट्रोलियम तेल स्नेहक, खाद्य तेल, चीनी, उर्वरक आदि हमारे आयात की मुख्य मदें हैं और हमारे आयात में इनका भाग 50 प्रतिशत से अधिक है। हमारे कुल आयात का 10 प्रतिशत सामान्य व्यापार और टैरिफ समझौते के अन्तर्गत किया जाता है। इस प्रकार हमारे द्वारा अपने लिए एक तिहाई आयात ही नियंत्रित किया जाता है और उसमें भी उन पूंजीगत वस्तुओं का अधिक

[श्री खुर्शीद आलम खां]

भाग होता है जिन्हें जिनका कुछ समय के लिए ही आयात किया जा रहा है।

मैं माननीय सदस्य से इस बात पर पूर्णतः सहमत हूं कि सर्वप्रथम हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी जनता को खाने के लिए आवश्यक मात्रा में भोजन मिले और यही कारण है कि जब कभी हम किसी निर्यात योजना सम्बन्धी निर्णय लेते हैं, तो कृषि मन्त्रालय और नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय के साथ परामर्श करते हैं और इन दोनों मन्त्रालयों द्वारा यह घोषित कर दिये जाने पर ही कि ये मदें बेशी मात्रा में उपलब्ध हैं, हम निर्यात करते हैं। उदाहरण के लिए बासमती चावल एक ऐसी मद है जिसका हमारी जनता सामान्यतः उपभोग नहीं करती है। यह मद खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आती है और कोई भी इसका निर्यात कर सकता है। जहां तक चावल की अन्य किस्मों का सम्बन्ध है, कृषि मन्त्रालय और नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय द्वारा यह बता दिये जाने पर ही कि निर्यात के लिये इनका स्टाक उपलब्ध है, इसका निर्यात हो सकेगा, अन्यथा नहीं।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह (पीलीभीत) : आपने बासमती राइस की बात कही। पिछली दफा जब इसका एक्सपोर्ट हुआ था, तो इसकी क्वालिटी ठीक न होने के कारण वह रिजेक्ट हो गया था और सारे के सारे शिप्स वापस आ गये थे। तो उसकी क्वालिटी कन्ट्रोल के लिए आप ऐसी योजना बनाएं, जिससे हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, वे रिजेक्ट न हों। पिछली बार बासमती राइस रिजेक्ट हो गया था और इस वजह से हमें बासमती चावल की कीमत बहुत कम मिल रही है।

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं समझता हूं कि शुरू से ही मैं किस्म नियंत्रण पर जोर देता रहा हूं और यह केवल बासमती चावल पर ही नहीं बल्कि निर्यात की सभी मदों पर लागू होता है। जब तक हम किस्म नियंत्रण लागू नहीं करेंगे, हमारे लिये निर्यात करना अथवा अन्य देशों को हमारी निर्यातित मदों को स्वीकार करने के लिए सहमत करना सम्भव नहीं होगा।

अधिकांश माननीय सदस्यों का यह कहना है कि कतिपय कृषि उत्पादों के उत्पादकों को प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। किन्तु वस्तुतः इन्हें वस्तु बोर्डों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। वस्तु बोर्ड ही वस्तुतः उनके प्रचालन, उत्पादन और हर मामले पर नियंत्रण रखते हैं और इसलिये यदि वे एक बार इस पर नियंत्रण रख कर इसे निर्यात के लिये प्राधिकरण को अन्तरित कर दें, तब ही प्राधिकरण द्वारा निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : इस प्राधिकरण का व्यापारियों तथा उद्योगपतियों द्वारा अपने स्वार्थ साधन के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं आपसे पूर्णत: सहमत हूं। इस पर किसी का एकाधिकार नहीं होने दिया जाना चाहिये और इसे एक बहुत ही संतुलित प्राधिकरण होना चाहिये। हम इस प्राधिकरण को ऐसा ही बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें कुछ समय तक कोशिश करनी चाहिये और यह देखना चाहिये कि यह प्राधिकरण कैसे कार्य करेगा। यह पहली बार स्थापित किया जा रहा है और यदि कोई जरूरत महसूस की गई तो इसमें कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता अनुभव की जाएगी तो मुझे विश्वास है कि उस समय सम्बन्धित मन्त्री निश्चित रूप से इसमें आवश्यक परिवर्तन करेंगे।

महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्वदेशी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के बाद तथा कृषि मन्त्रालय और नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय से परामर्श करने के बाद ही निर्यात किया जायेगा।

ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं स्पष्ट कर चुका हूं, यदि कोई और विशेष प्रश्न हो तो मुझे इसका उत्तर देने में बहुत प्रसन्नता होगी।

डा० के० जी० अदियोड़ी : नारियल के मूल्य के बारे में हमें सुस्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है हालांकि यह केवल वाणिज्य से ही नहीं कृषि से भी सम्बन्धित है।

श्री खुर्शीद आलम खां : यह आज विधेयक की सूची में नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के विकास और संवर्द्धन तथा उससे सम्बद्ध मामलों के लिये प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार शुरू करेंगे। प्रश्न यह है : —

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 4 (प्राधिकरण की स्थापना और गठन)

श्री एस० जी० घोलप (थाणे) :

[श्री एस० जी० घोलप]

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 1 के पश्चात :

"(पांच) सब्जी उत्पादक, प्रन्ततःस्थापित किया जाये। (1)

पृष्ठ 4, पंक्ति 3 —

"उप खण्ड (चार)" के पश्चात

"और उपखण्ड (5) में विनिर्दिष्ट सब्जी उत्पादक' प्रन्ततःस्थापित किया जाये। (2)

सभापति महोदय : श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल यहां उपस्थित नहीं हैं; श्री अय्यप्पु रेड्डी यहां नहीं हैं; श्री शोभनाद्रीश्वर राव उपस्थित नहीं हैं; श्री बाला साहेब विखे पाटिल यहां नहीं हैं, इसी प्रकार श्री अनूपचन्द शाह भी यहां नहीं हैं। श्री घोलप क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री एस० जी० घोलप : इस विधेयक का उद्देश्य कृषकों को कुछ सहायता देना है। उन्हें उचित मूल्य मिलने चाहिए। जहां तक प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, लगभग समस्त प्रतिनिधित्व यूनिटों अर्थात लघु उद्योगों को दिया गया है। इसमें किसानों का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिये मैंने इस संशोधन का प्रस्ताव किया है कि सब्जी उत्पादकों में से कम से कम दो व्यक्तियों को इस प्राधिकरण में लिया जाना चाहिए। जब तक इसमें उनका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा, वे इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसलिये मेरा अनुरोध है कि कृषकों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाये। अभी इसमें उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मन्त्री महोदय ने जो कहा है, मै उसके समर्थन में यह कहना चाहूंगा कि सरकार और इस विधान को तैयार करने के लिए जिम्मेदार लोगों की यह बड़ी भारी गलती है कि जब भी इस प्रकार का विधान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, हर बार ऐसा ही होता है। उन्हें इस बात की सावधानी बरतनी चाहिये कि किसानों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाये। इस प्रकार के प्राधिकरण से सम्बद्ध होने वाले अन्य विभिन्न संगठनों से किसानों को संयोगवश जो प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है, उसके अतिरिक्त उन्हें राज्य सरकारों के माध्यम से तथा सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। हमें यह बताया जाना ही काफी नहीं है कि आगामी वर्षों में अनुभव को देखते हुए यदि उनका प्रतिनिधित्व आवश्यक जान पड़ेगा तो इसकी व्यवस्था कर दी जायेगी। ऐसे में होगा यह कि सभा के समक्ष अन्य विधेयक रखने में 6, 7 अथवा 12 वर्ष लग जायेंगे। तभी ऐसा करना सम्भव हो सकेगा। यह कहना कि तत्कालीन मन्त्री किसानों के हितों का ध्यान रखेंगे, इस प्रकार की समस्या के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है।

मैं केवल वर्तमान मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए ही नहीं, अपितु समस्त प्रशासन की जानकारी के लिए यह टिप्पणी कर रहा हूं। यह एक निरन्तर समस्या है। आमतौर से हर अधिकारी किसान अथवा कृषक समर्थक नहीं होता। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार मेरी इस बात (प्रबोधन को) गहराई से विचार करे।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैंने इन वरिष्ठ माननीय सदस्य के विचारों को नोट कर लिया है। निस्सन्देह उनकी सलाह हमारे लिये सदैव महत्वपूर्ण होगी।

सभापति महोदय : श्री घोलप क्या आप अपने संशोधनों पर जोर दे रहे हैं ?

श्री एस० जी० घोलप : मैं उन पर जोर नहीं दे रहा हूं।

सभापति महोदय : क्या श्री घोपल को अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है?

संशोधन संख्या 1 और 2 सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खण्ड 5 से 8 तक के लिए कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 5 से 8 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : अब खण्ड 9 को लिया जाएगा। श्री शोभनाद्रीश्वर राव यहां नहीं हैं।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब खण्ड 10 लिया जाएगा। श्री यशवंतराव गडाख पाटिल; यहां नहीं है श्री शोभनाद्रीश्वर उपस्थित नहीं हैं; श्री बाला साहेब विखे पाटिल भी यहां नहीं हैं।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खण्ड 11 श्री अनूपचन्द शाह—अनुपस्थित हैं।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब खण्ड 12 को लिया जाए। श्री अनूपचन्द शाह—अनुपस्थित हैं।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खण्ड 13 से 15 तक के लिए कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 13 से 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 13 से 15 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : खंड 16 श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी -- उपस्थित नहीं हैं । प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खंड 17 और 18 इनके लिए कोई संशोधन नहीं दिये गये हैं । प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 और 18 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 17 और 18 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : अब खंड 19 श्री यशवंत राव गडाख पाटिल—उपस्थित नहीं हैं ।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी —उपस्थित नहीं हैं । प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खंड 20 के लिए कोई संशोधन नहीं दिये गये हैं । प्रश्न यह है :

"खंड 20 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खंड 21, श्री अनूपचन्द शाह—उपस्थित नहीं हैं । प्रश्न यह है :

"कि खंड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड 22, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—उपस्थित नहीं हैं।

श्री यशवंत राव गडाख पाटिल—उपस्थित नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 22 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड 23, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड 24, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 24 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड 25 से 34 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 25 से 34 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। माननीय मन्त्री महोदय ने सभा के समक्ष जो बहुत ही रचनात्मक प्रस्ताव रखा है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं वे हमारे विधान के इतिहास में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के जनक के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। मुझे हर्ष है कि अब इस प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है।

किन्तु खेद का विषय है कि योजना आयोग को इस सम्बन्ध में सही जानकारी नहीं है। सम्भवतः उसने यह अपनी इच्छा के विरुद्ध किया है। यही कारण है कि इसने इसके व्यय के लिए केवल थोड़ी सी धनराशि रखी है। हमारे किसानों को फलों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देने का यह उचित समय है और फल-वृक्ष, बाढ़ तथा सूखे का प्रतिरोध करने में सहायक होते हैं। आम तथा अन्य किस्म के फलों के उत्पादन का अधिकाधिक रूप से विकास किया जाना चाहिए और इनका उन क्षेत्रों में विकास किया जा सकता है जो भू-पृष्ठ जल पर बहुत अधिक निर्भर नहीं हैं। वे भूमि के नीचे से पानी ले सकते हैं क्योंकि उनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाने वाली होती हैं तथा बलगारिया जैसा छोटा देश गुलाब और गुलाबजल का निर्यात करके भारी लाभ कमाता है। प्राचीन काल में हमारे मुगल बादशाहों ने भी इस गुलाब की खेती का विकास किया था और विभिन्न प्रकार के इत्र तैयार किये जाते थे। यदि हम अपने देश में इस उद्यान कृषि का विकास करें तो इन सभी का विकास किया जा सकता है। एक बार इनका विकास हो जाने पर हमें किस्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और यह

[प्रो० एन० जी० रंगा]

प्राधिकरण हमारे किसानों को बेहतर कीमतें दिलाने तथा उनको खेती से अधिक आय प्राप्त कराने में सहायक होगा तथा जैसा कि मेरे माननीय मित्र—मन्त्री महोदय, पहले ही कह चुके हैं कि इससे हमारी जनता को भारी संख्या में रोजगार मिलेगा और कृषि उत्पादन को बाजार के उपयुक्त बनाने के विभिन्न उपायों में लगे लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होगी। अतः मैं हार्दिक रूप से यह आशा करता हूं कि इसके बारे में योजना आयोग द्वारा जो परिकल्पना की गई है उसके मुकाबले सरकार इस पर बहुत अधिक ध्यान देगी। और यह प्राधिकरण हमारे किसानों तथा रोजगार की तलाश करने वाले युवा लोगों के लिए एक यथासम्भव सुदृढ़ आधार प्रदान करने में सहायक होगा। धन्यवाद !

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसका हमारे लिए बहुत महत्त्व है और उन्होंने जो कहा है सरकार उसे अवश्य ही ध्यान में रखेगी तथा ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह और विचार बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं और इसीलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है और जो विचार प्रकट किये हैं उन्हें मैंने आदर और पूर्ण विनम्रता के साथ नोट कर लिया है और सरकार वे अवश्य ही उपयोगी होंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कुछ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात संवर्धन के लिए, उनके निर्यात पर सीमा शुल्क का उपकर के रूप में उद्ग्रहण और संग्रहण करने और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है : --

"कि खंड 2, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : खंड 3 संशोधन संख्या 1, श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

खंड 4 के लिए संशोधन 2 भी उन्होंने ही प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 3, 4, 1 अधिनियम सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, 4, 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

4.00 म० प०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम श्री एम० सुब्बा रेड्डी द्वारा 13 दिसम्बर, 1985 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्तुत विचार के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा करेंगे।

***श्री एम० सुब्बा रेड्डी** (नन्दयाल) : सभापति महोदय, वर्तमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पिछले 30 वर्षों से लागू है और स्थिति में कोई सुधार दिखाई नहीं देता है। अब

*तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एम० सुब्बा रेड्डी]

इस विधेयक में चेयरमैन और वाईस-चेयरमैन के पदों के कार्यकाल को बढ़ाने और विनियमित करने के बारे में विचार करने का प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इन अधिकारियों के पद के कार्यकाल को बढ़ाने से कोई सुधार हो सकेगा। इस उपाय से हमारे कैम्पसों में चल रही स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। दूसरी ओर हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा क्या सहयोग कर सकते हैं, ताकि हमारी शिक्षा-संस्थाएं और बेहतर कार्य कर सकें। वर्तमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पिछले 30 वर्षों से प्रभावी है, लेकिन यह कारगर होने में असफल रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कारगर ढंग से कार्यकरण के लिए इसे चार शाखाओं में विभाजित कर दिया जाना चाहिए तथा दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में ये शाखाएं स्थापित की जानी चाहिए। इस समय यह केवल एक स्थान से काम कर रहा है। अधिकांश राशि प्रशासनिक कार्यों पर व्यर्थ की जा रही है। एक स्थान पर एक या दो लोग बैठकर देश की अनेक शिक्षा-संस्थाओं के भविष्य के बारे में फैसला नहीं ले सकते। अतः इस आयोग को चार भागों में बांट देना और इन भागों को देश के चार क्षेत्रों में स्थापित करना बेहतर होगा।

एक अन्य मुद्दा, जिस पर मैं बल देना चाहता हूं, वह यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। इसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए अपितु माध्यमिक शिक्षा को भी अपने कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहिए।

महोदय, यदि शिक्षा को वास्तविक रूप से सार्थक बनाना है, तो छात्रों को सप्ताह में कम से कम 40 घण्टे इसके लिए देने होंगे। इस बात के उपाय किये जाने चाहिए कि छात्र कम से कम 40 घण्टे प्रति सप्ताह अध्ययन करें।

महोदय, इस समय कोई एकसमान पाठ्यक्रम नहीं है। इससे होता यह है कि एक संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र को किसी दूसरी संस्था में प्रवेश नहीं मिल पाता, चूंकि वहां पाठ्यक्रम भिन्न होता है। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि आजादी मिलने के 40 वर्ष बाद भी हम समूचे देश के लिए कोई समान पाठ्यक्रम तय नहीं कर पाए हैं। हमें इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और यथाशीघ्र सामान्य पाठ्यक्रम तय करना चाहिए। पूरे देश में शिक्षा की एकल और समान पद्धति होनी चाहिए।

महोदय, त्रिभाषीय फार्मूले की बजाय द्विभाषीय फार्मूला बेहतर रहेगा। त्रिभाषीय फार्मूला छात्रों पर भार सिद्ध हुआ है। छात्रों के लिए अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी पढ़ना ही अनिवार्य होना चाहिए। इतना ही काफी है। इस समय सरकार अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद करने पर भारी धनराशि खर्च कर रही है। मैं पूछता हूं कि क्या क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना जरूरी नहीं है। सरकार को इस विषय में गम्भीरता से चिन्तन करना चाहिए। इस सभा में क्षेत्रीय भाषाओं में दिये गये भाषणों का शीघ्र अनुवाद नहीं किया जाता और उन्हें समाचारपत्रों को नहीं भेजा जाता, क्योंकि इसके लिए कोई पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किये गये हैं। मेरा ख्याल है कि जैसे ही भाषान्तरकार हमारे भाषणों का

अनुवाद करता है, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि रिपोर्टरों द्वारा उसी समय उसे नोट कर लिया जाना चाहिए। ऐसा करने से क्षेत्रीय भाषान्तरकारों के कार्यभार को काफी हद तक घटाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति के कन्धों पर पूरा भार डालना उचित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप अनुवाद में विलम्ब होता है और समाचारपत्रों में यह प्रकाशित नहीं हो पाता है। अत: क्षेत्रीय भाषाओं में बोलने वाले सदस्यों को उतनी ही सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो अन्य सदस्यों को उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की बहुत आवश्यकता है। क्षेत्रीय भाषाओं से अनुवाद करने का एक वैसी ही पृथक् व्यवस्था होनी चाहिए, जैसी कि हिन्दी अनुवाद के मामले में विद्यमान है।

महोदय, आबादी के बढ़ने के साथ-साथ स्कूल और कालेज जाने वाले छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। हालांकि हमारी शिक्षा-संस्थाओं में जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है, लेकिन शिक्षा के स्तर में कोई प्रगति नहीं हुई है और देखा जाए तो वस्तुत: इसमें गिरावट ही आई है। हाल के वर्षों में शिक्षा का स्तर रसातल तक पहुंच गया है। पुराने समय का एक मैट्रीकुलेट आधुनिक ग्रेजुएट से अधिक ज्ञान और वाक्पटुता रखता है। ब्रिटिश शासकों का उद्देश्य हमें उनकी सेवा करने के लिए 'सफेद-कालर' वाले श्रमिक बनाना था। हालांकि आज हम स्वतन्त्र हैं, लेकिन अभी हम उसी नीति पर चल रहे हैं। वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी शिक्षा पद्धति में महत्वपूर्ण सुधार करने हेतु अभी तक कुछ अधिक नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए केवल एक घंटे का समय आवंटित किया गया है। इसलिए कृपया अपनी बात शीघ्र समाप्त करें।

श्री एम० सुब्बा रेड्डी : महोदय, मुझे पांच मिनट का समय और दें हमारे कालेज, वास्तव में ग्रेजुएटों का निर्माण कर रहे हैं। शिक्षा का कोई स्तर नहीं रह गया है। न ही उनके लिए, उस समय कोई रोजगार उपलब्ध होता है, जब वे पढ़-लिखकर कालेजों से बाहर आते हैं। कालेजों का केवल इतना सम्बन्ध है कि छात्र अपनी बी० ए० अथवा बी० काम० डिग्री प्राप्त कर लें। हमारी शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारे छात्रों को शिक्षा देने वाले ये कालेज इस स्थिति में अवश्य होने चाहिए कि वे छात्रों को अपने पांवों पर खड़ा होने लायक बना दें। रोजगार की तलाश में ये छात्र सड़क पर भटकने के लिए नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। खेद की बात है कि आजादी मिलने के 40 वर्ष बाद भी हम अपनी शिक्षा-पद्धति का पुनरोद्धार नहीं कर सके हैं और इसे अधिक सार्थक तथा व्यवसायोन्मुख नहीं बना पाये हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने अन्दर झांक कर देखें और अपनी शिक्षा-पद्धति के के दोषों का पता लगाएं। तकनीकी शिक्षा पर अधिक जोर होना चाहिये। हमारी शिक्षा पद्धति में इसे गौरवपूर्ण स्थान मिलना चाहिये। शिक्षा पर भारी धनराशि खर्च करना तब तक व्यर्थ है, जब तक कि इसका हमें कोई वास्तविक लाभ न हो। यदि इसी धनराशि को हम परियोजनाओं पर खर्च करें, तो हम अनेक परियोजनाओं का निर्माण कर सकते हैं और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें यह देखना चाहिए कि क्या जो धनराशि हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, उसका उचित उपयोग भी हो रहा है अथवा नहीं। महोदय, समूची शिक्षा पद्धति में तेजी से परिवर्तन की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विभाजन किया जाना चाहिए और इसकी शाखाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में स्थापित की जानी चाहिये, ताकि यह कारगर

[श्री एम० सुब्बा रेड्डी]

ढंग से उद्देश्य की पूर्ति कर सके। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात पर विचार करें। इस समय आयोग के सभी सदस्य सरकारी अधिकारी हैं। इसे नौकरशाही द्वारा चलाया जा रहा है। मैं यह सुझाव देता हूं कि कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य गैर-सरकारी होने चाहिये। अंग्रेजों के समय में, अधिकारी वर्ग ही देश पर शासन करता था, अब हमारा देश स्वतंत्र है। अधिकारियों के स्थान पर जनता के प्रतिनिधि सामने आने चाहिएं। चूंकि जनता के प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, वे इन बातों को नौकरशाही से बेहतर समझते हैं। इसलिए नौकरशाही पर निर्भरता कम की जानी चाहिए और इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य गैर-सरकारी होने चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे।

महोदय, आपने मुझे बोलने का जो अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, इस विधेयक का प्रयोजन बहुत सीमित है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसमें चेयरमैन और वाईस-चेयरमैन की 65 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्ति का प्रस्ताव किया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में वाईस चेयरमैन की सेवा-निवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और इसलिए यह एक उपयुक्त उपाय है। दूसरी बात यह है कि दो सत्रों से अधिक के लिए, यह आयु केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के मामले में लागू नहीं होगी। यह भी एक उपयुक्त उपाय है, क्योंकि यदि केन्द्रीय सरकार का कोई नामित सदस्य पद पर बना रहता है, और चूंकि यह एक पदेन नियुक्ति होती है, तो पदेन हैसियत से ही उसे सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्य करते रहना होगा। अतः यह केवल एक विनियामक विधेयक है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम वर्ष 1956 में पारित किया गया था और इन 30 वर्षों के दौरान इसमें कई बार संशोधन किया गया है। वर्ष 1984 में भी इसमें संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा देश में शुल्क-ढांचे को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे तथा कुछ विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त की गई थी और समन्वय के लिए तथा सामान्य सुविधाओं, कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के लिए कुछ संस्थाएं स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। मैं मन्त्री जी से यह बात आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के विस्तृत पुनरीक्षण की आवश्यकता है, यदि इसका पुनरीक्षण नहीं किया जाता है, तो इन तीन दशकों के बीतने के बाद, अब यह न्याय नहीं कर सकेगा, क्योंकि संसद के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्टों पर चर्चा करने का समय नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पता लगाने का अनुरोध करता हूं कि इस पर पिछली बार कब चर्चा हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट पर काफी पहले चर्चा हुई थी। अतः मेरा यह कहना है कि संसद को उन वार्षिक रिपोर्टों पर चर्चा करने का कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए, जो

सभा को प्रस्तुत की जाती हैं। वे चर्चा के लिए ही होती हैं, अन्यथा इस सभा को ये रिपोर्टें प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

वर्ष 1982-83 से सम्बन्धित इसकी एक रिपोर्ट में यह सूचित किया गया था कि इस देश के 120 विश्वविद्यालयों में से 14 विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उपयुक्त नहीं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 10 प्रतिशत या 10 प्रतिशत से भी अधिक विश्वविद्यालय इस सहायता को प्राप्त करने के उपयुक्त नहीं थे। मैं नहीं जानता, कि बाद में क्या हुआ, लेकिन इससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में तथा उसके कार्यकरण के बारे में अनेक बातों का पता चल जाता है। दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कामकाज के पुनरीक्षण सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसे सभी कोणों से सभी शिक्षा-विदों द्वारा, यहां तक कि विभिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। हमारे एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी इस रिपोर्ट की भर्त्सना की और कहा कि देश में कोई समान नीति लागू नहीं है। इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षक संगठनों के साथ सक्रिय सम्पर्क बनाए रखना चाहिए और उनकी दिन-प्रतिदिन की मांगों पर विचार करते रहना चाहिए। इस समय जब हम इस संशोधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक हड़ताल पर हैं। उनकी मांगे सही हैं और सरकार को इस मामले में कारगर ढंग से हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि शिक्षक इस हड़ताल को आगे जारी न रखें। इस विश्वविद्यालय में पुन: पढ़ाई शुरू कराने के लिए कुछ प्रभावी उपाय किए जाने चाहिये, ताकि शिक्षक कक्षाओं में अपने काम पर लौट सकें। इनकी कुछ मांगें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विचाराधीन है। इस हड़ताल के दौरान एक विवाद था, जो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कुछ फैसले देने पर समाप्त हो गया था। यह वर्ष 1983 की बात है, जब 109 दिन पुरानी हड़ताल समाप्त हुई थी।

उन मांगों की जांच की जाये और उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके तत्काल कारगर उपाय किये जाएं क्योंकि देश में सभी जगह शिक्षकों के मन में असन्तोष व्याप्त है। परिसर में शान्ति नहीं है। यह देखकर दु:ख होता है कि जब एक नई शिक्षा नीति बनाई जा रही है, उस समय शिक्षक हरियाणा तथा देश के अन्य भागों में हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं। उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए तथा नई शिक्षा नीति के निर्माण की प्रक्रिया में उन्हें भागीदार बनाया जाना चाहिये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षिक संस्थाओं का एक प्रमुख अंग है तथा यह शैक्षिक समुदाय एवं सरकार के बीच एक सम्पर्क-सूत्र भी है। आयोग को इसमें रुचि लेनी चाहिए और समस्याओं के समाधान के उपायों पर विचार न करके उसे शक्तियों और विनियमों के मनन में लगकर हाथी के दांत की तरह केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिये।

नये मन्त्री महोदय के मन में शैक्षिक समुदाय के प्रति अधिक सहानुभूति की भावना है मुझे उसकी जानकारी है। किंतु साथ ही यह भी आवश्यक है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और दस सदस्य होते हैं, शिक्षकों के साथ एक जीवंत सम्पर्क-सूत्र का काम करे। उन्हें आयोग द्वारा पारित विनियमों के आधार पर अथवा वर्षों पूर्व इस सदन द्वारा पारित कानूनों के आधार पर पृथक रहकर कार्य नहीं करना चाहिए। उन्हें शिक्षा प्रणाली में नवीनता और गतिशीलता लानी चाहिये। नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

को एक जीवंत सम्पर्क-सूत्र का कार्य करना चाहिए तथा देश के भविष्य के लिए इसे एक अच्छी संस्था बन जानी चाहिए।

विश्वविद्यालय के प्रशासन में शिक्षकों की भागीदारी से संबंधित अनेक विचारों का मैं समर्थन करना चाहूंगा। उदाहरणार्थ, केलिफार्निया विश्वविद्यालय के घोषणा-पत्र में कहा गया है : शिक्षकों के व्यावसायिक उत्तरदायित्व के लिए यह आवश्यक है कि वे विश्वविद्यालयों के प्रशासन में भागीदार हों। तब आप पाएंगे कि इस देश में शैक्षिक क्रिया-कलापों के संवर्द्धन के लिए ये परिसर एक उपयोगी कार्य क्षेत्र अथवा मंच बन गए हैं।

वर्तमान विधेयक अपने सीमित उद्देश्य के साथ काफी प्रभावी हो सकता है, किन्तु मैं अपनी इस मांग को दोहराता हूं कि पूरे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की विस्तृत समीक्षा की जानी चाहिये जो तीस वर्ष पुराना हो चुका है ताकि इसकी सभी खामियों एवं कमजोरियों को दूर किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की मांगों पर ध्यान दें।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपने कार्य-क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए तथा विश्वविद्यालयों में कला, संस्कृति, इतिहास को प्रोत्साहन देने एवं विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन के लिए सहायता देनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि चूंकि कवि सम्राट उपेन्द्र भंजा सम्पूर्ण उड़ीसा में सुविख्यात हैं और यह सुझाव दिया गया है कि कवि सम्राट उपेन्द्र भंजा की विभिन्न भाषाओं में अप्रकाशित रचनाओं का अनुवाद करने के लिए तथा उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में अनुसंधान.कार्य करने के लिए बरहामपुर विश्व-विद्यालय में एक पीठ स्थापित की जानी चाहिये, इसलिए इस कार्य को अविलम्ब किया जाना चाहिये। उनकी लिखित रचनाओं एवं अप्रकाशित पुस्तकों को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित भी किया जाना चाहिये। यदि ऐसा कर दिया जाता है, तो वे भी एक प्रकृति के कवि के रूप में सम्मानित किये जाने लगेंगे जैसाकि हम वर्डसवर्थ की रचनाओं को लेकर उन्हें सम्मानित करते हैं।

मेरा यह भी प्रस्ताव है कि महिला अध्ययन केन्द्र को महिलाओं के विकास के बारे में अनुसंधान अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। मुझे मालूम हुआ है कि उड़ीसा के बरहामपुर विश्वविद्यालय ने वहां पर एक महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। इस संबंध में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शीघ्र निर्णय लेना चाहिये।

विश्व भारती में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर एकीकरण केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव एक स्वागत योग्य कदम है। मेरा सुझाव है कि ऐसे एकीकरण केन्द्र सभी राज्यों में स्थापित किये जाने चाहिए तथा विशिष्ट विश्वविद्यालयों के साथ इन्हें सम्बद्ध किया जाना चाहिए। विश्व-

विद्यालय अनुदान आयोग को इन अध्ययन केन्द्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आना चाहिये।

पुर: स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को पर्यावरण-संबंधी जागरूकता के प्रसार की पद्धति को प्रतिबिम्बित करना चाहिये। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सही ही पर्यावरण की महत्ता पर जोर दिया है। इसलिए पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन को विभिन्न विश्वविद्यालयों में शुरू किया जाना चाहिये तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह देखने के लिए आगे आना चाहिये कि इन अध्ययनों का संचालन सभी विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है।

नई शिक्षा नीति एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इसने विद्यमान प्रणाली की कमजोरियों का पता लगाया है तथा एक निर्मित नीति को सूत्रबद्ध किया है। यह ठीक ही कहा जा रहा है कि यह नीति देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए शिक्षा को एक कारगर हथियार बनायेगी।

इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मामले की पूरी जांच करनी चाहिये तथा इस बारे में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ चर्चा करनी चाहिये एवं उसे क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहियें। मेरा विचार है कि खुला विश्वविद्यालय देश के सभी राज्यों में खोले जाएं ताकि खुला विश्वविद्यालय प्रणाली को अधिक व्यापक तथा अधिक कारगर बनाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : महोदय, जबकि मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में संशोधनों का समर्थन करता हूं, मैं 1956 के अधिनियम के उद्देश्य का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता। जैसाकि सर्वविदित है, यह 1948-49 के राधाकृष्णन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के फलस्वरूप अस्तित्व में आया था। आयोग ने विश्वविद्यालय के कार्यों को देखने के लिए, विशेषतया केन्द्रीय अनुदानों के वितरण के सम्बन्ध में, एक स्वायत्त केन्द्रीय निकाय के बारे में सोचा था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख लक्ष्य विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन एवं समन्वय तथा विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरों को बनाये रखना है।

4.13 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

लक्ष्यों को पूरा करने का दायित्व आयोग को सौंपा गया है जिसका प्रधान अध्यक्ष होता है। वर्तमान संशोधन में केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेवावधि को बढ़ाने पर विचार किया गया है।

इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेवावधि बढ़ाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्पूर्ण ढांचे में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

[श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन]

अब, यदि हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विगत कार्य-निष्पादन पर दृष्टिपात करें तो कोई भी कह सकता है कि हम आयोग की उपलब्धि पर गर्व नहीं कर सकते। इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में बाह्य परिवर्तन कर देने से ही उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ढांचे में तथा कार्यात्मक क्रिया-कलापों में सम्पूर्ण परिवर्तन किया जाये। इस सम्बन्ध में, मैं अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहूंगा। मेरा विनम्र सुझाव है कि बहुश्रुत विद्वानों को ही, जो पक्षपात रहित दृष्टिकोण तथा प्रगतिशील विचारों के कारण विख्यात हैं, आयोग में नियुक्ति किया जाये। इसके अतिरिक्त, आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और सदस्यों को नई शताब्दी की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिये जिसकी ओर हमारा देश अग्रसर है।

आयोग के कार्य-निष्पादन के बारे में अनेक शिकायतें हैं। पूरब, पश्चिम और दक्षिण, सभी जगह लोगों के मन में एक गलत धारणा घर कर गई है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। इसलिए मेरा विनम्र सुझाव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य-निष्पादन का विकेन्द्रीकरण किया जाये तथा दक्षिण, पूरब और पश्चिम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जाएं।

वस्तुतः, मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विगत में की गई महान सेवाओं की प्रशंसा एवं सराहना भी करता हूं। छठी पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग ने लगभग 97 विश्वविद्यालयों और 3524 महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। राशि वितरित किये जाने का लक्ष्य यह रखा गया था कि महाविद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाये तथा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाएं। इसका लक्ष्य अध्यापन और परीक्षा तथा अनुसंधान-कार्यों की गुणवत्ता तथा उसका स्तर भी बढ़ाना था।

इस विषय पर गहराई से विचार करने के पश्चात् यह पता चलता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बहुत-कुछ किया जाना अपेक्षित है। जैसाकि इसके नाम से ही विदित होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य-निष्पादन को विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान-राशि देने तक सीमित कर दिया गया है। इसे इस देश में शैक्षिक उन्नति को विकसित करने के लिए एक केन्द्रीय धुरी के रूप में कार्य करना चाहिये। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। इस कारण, यदि शिक्षा के क्षेत्र में कोई परिवर्तन लाया जाता है, तो इससे समाज पर एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मन्त्री महोदय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, जिसने अपनी छवि बिगाड़ ली है, नवीनता प्रदान करने के लिए एक नया विधान बनाना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बिगड़ी हुई छवि को फिर से नवीनता प्रदान करने के लिए तत्काल कुछ उपाय किये जाने चाहियें।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : सभापति महोदय, इस विधेयक के उपबन्धों के बारे में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। सभापति के कार्यकाल को बढ़ाये जाने के बारे में ही मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। सभापति के कार्यकाल को दो बार बढ़ाया जा चुका है। मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है। सभापति के कार्यकाल को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग का सभापति की नियुक्ति एक अवधि के लिए ही की जाती है ऐसा ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए भी होना चाहिए। मेरा यही मत है।

इस विधेयक के माध्यम से सभा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण पर चर्चा की जा सकती है। मुझे इस बारे में कुछ कहना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य काम — जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है - देश के विश्वविद्यालयों के लिए धनराशि की व्यवस्था करना है। महोदय, आवंटित निधियों के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालयों पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न कर रहा है। वह यह शर्त रखता है कि यदि आपको धनराशि चाहिए तो हमारी शर्तों को मानना होगा। केरल में एक नया गांधी जी विश्वविद्यालय खुला है। इस विश्वविद्यालय से 100 कालेज सम्बद्ध हैं परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मुख्य शर्त यह है कि यदि इस देश में किसी विश्वविद्यालय को निधियां चाहिएं तो उन्हें आयोग की शर्तों का पालन करना होगा। केरल विधान सभा द्वारा गांधी जी विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया गया है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कह रहा है कि अधिनियम के कुछ उपबन्ध उन्हें बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं हैं। इसीलिए उसने अभी तक भी विश्वविद्यालय को मान्यता नहीं दी है। वह कह रहा है कि कोई निर्वाचित निकाय नहीं होना चाहिए। वह कहते हैं कि यदि कोई निर्वाचित सीनेट या निर्वाचित सिंडीकेट होगा तो हम निधियां प्रदान नहीं करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। शिक्षा मन्त्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह शक्तियां किसने प्रदान की हैं।

क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य विधानमंडलों से अपनी शर्तें मनवा सकता है? क्या वह इसकी आशा कर सकता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों को अचानक यह पता चला है कि हमारे कैम्पस तथा विश्वविद्यालयों में सारी बुराइयों का कारण है वहां कार्यरत निर्वाचित निकाय इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। इसलिए आपके द्वारा मेरा शिक्षा मन्त्री से यह अनुरोध है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का रवैया बदलना चाहिए तथा गांधी जी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। (व्यवधान) हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय होने चाहिएं।

दूसरी बात मैं अध्यापकों तथा छात्रों के लोकतांत्रिक रूप से किये जा रहे आन्दोलन के प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रवैये के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारी इस आन्दोलन के खिलाफ है। आप जानते ही हैं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट पूर्णतया कैम्पस में छात्रों व अध्यापकों के आन्दोलन के सम्बन्ध में है। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने क्या सिफारिश की है। यदि कोई अध्यापक किसी पत्रिका में लेख लिखना चाहे तो उसे विभागाध्यक्ष अथवा सम्बद्ध अधिकारियों की इजाजत लेनी होगी। अन्यथा वह पत्रिका में लेख

[श्री सुरेश कुरूप]

नहीं लिख सकता। इस प्रकार हमारे विश्वविद्यालयों का शिखरतम निकाय ऐसे उपबन्ध लगाकर शैक्षणिक जगत की आवश्यकता पूरा कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुलिस आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने का आग्रह कर रहा है वह भी रिपोर्ट के उस भाग की जिसमें पुलिस और छात्रों की चर्चा है। सात केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने 1983 में बैठक की तथा इस पर चर्चा की। इसकी व्यापक रूप से जांच करने के लिए उन्होंने तीन सदस्यों की एक उप समिति नियुक्त की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने विचार सबको बता दिए हैं। वह कह रहा है कि औद्योगिक सुरक्षा बल की तरह एक विश्वविद्यालय सुरक्षा बल होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी कैम्पस में पुलिस बल नियुक्त कर रहे हैं अथवा नहीं। यह बल केवल छात्र आन्दोलन से निपटने के लिए है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : यह उपद्रवी छात्रों से निपटने के लिए है।

श्री सुरेश कुरूप : मैं केवल दो या तीन मिनट और लूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वर्तमान हड़ताल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मनमानी किए जाने के कारण ही हुई है। यह समझौता 1983 में हुआ था जिसमें कक्षोन्नति की स्कीम के सम्बन्ध में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने 109 दिन तक हड़ताल की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह अर्थ निकाला है कि यह समझौता केवल छठी योजनावधि के लिए ही था। जब अगली योजनावधि शुरू होगी तो कक्षोन्नति की इस स्कीम को लागू नहीं किया जाएगा। इसीलिए यह हड़ताल जारी है। वह कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए हड़ताल चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मन्त्री इसमें हस्तक्षेप करेंगे अथवा नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में कालेज पिछले डेढ़ हफ्ते से बन्द हैं। विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के रवैये के कारण ही हड़ताल हुई है।

मैं अपने सहयोगी श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन से पूर्णतया सहमत हूं। उन्होंने यह मांग की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय केन्द्र शुरू किए जाएं। इसे भारत के दक्षिणी भाग पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में शुरू किया जाना चाहिए। काफी पहले से यह मांग चली आ रही है। विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय केन्द्रों को पर्याप्त निधियां प्रदान की जानी चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं अपने माननीय मित्र श्री सुरेश कुरूप से यह पूछना चाहूंगा कि जब छात्र छुरे आदि लेकर परीक्षा देने आएं तो सरकार तथा विश्वविद्यालय के अधिकारी क्या करें।

श्री सुरेश कुरूप । क्या मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं।

श्री पी० जे० कुरियन : जी हां, आप कैम्पस में गड़बड़ी के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं। कैम्पस में गड़बड़ी मत फैलाइए; आप छात्र नेता हैं।

श्री सुरेश कुरूप : क्या पुलिस कार्यवाहियों का हम समर्थन करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जी नहीं, मैं पुलिस कार्यवाही का समर्थन करने के लिए नहीं कह रहा हूं परन्तु मैं यह कह रहा हूं कि आप छात्र नेता हैं आपको निश्चित रूप से……

सभापति महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु मेरा विचार है कि मंत्री महोदय एक व्यापक विधेयक लाएंगे क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बनने के बाद काफी परिवर्तन हो चुके हैं। विश्वविद्यालयों तथा कालिजों की संख्या काफी बढ़ चुकी है तथा समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि इस पूरी समस्या पर दोबारा विचार किया जाए। वस्तुत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विश्वविद्यालयो अथवा कालेजों पर कोई नियंत्रण नहीं है। श्री सुरेश कुरूप कह रहे थे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उनपर नियंत्रण कर रहा है। परन्तु सच्चाई क्या है ? ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शैक्षणिक मामलों तथा प्रवेश पर कोई नियंत्रण नहीं है। न ही उनका नियंत्रण···

श्री सुरेश कुरूप : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नियंत्रण होना चाहिए ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : नहीं मैं यह नहीं कह रहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नियंत्रण होना चाहिए। प्रशासनीय अथवा शैक्षणिक मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नाममात्र का नियंत्रण है। यदि कोई राज्य सरकार नए विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहे तब भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ नहीं कह सकता। विश्वविद्यालय बनने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान जारी करना पड़ता है। परन्तु राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति के बिना विश्वविद्यालय स्थापित कर सकती है। आज यह स्थिति है। मैं केवल यही सुझाव दूंगा कि यह जो नई समस्याएं उठी हैं उनके परिप्रेक्ष्य में पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान कार्यकरण के संबंध में यह शिकायत है कि कालेजों तथा विश्वविद्यालयों को अनुदान स्वीकृत करने में काफी विलम्ब हो रहा है। हो सकता है ऐसा कर्मचारियों की कमी या अन्य समस्याओं के कारण हो या कालेज समय पर सारी औपचारिकताएं पूरी नहीं करते हों चाहे जो भी हो, आज भी कई कालेजों को छठी योजना में मिलने वाली सहायता नहीं मिल पाई है।

अभी कुछ दिन पूर्व राज्य सभा में दिये गये एक उत्तर में बताया गया है कि देश 5,246 कालेजों में से छठी योजना के दौरान केवल 3,524 कालेजों को सहायता मिली है तथा इन्हें भी पूरी सहायता नहीं मिली है केवल आंशिक सहायता ही मिली है। बाकी के कालेज तथा बाकी के अनुदान का क्या हुआ ? इसका यह मतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की जांच की जानी चाहिए तथा अनुदान तथा सहायता को शीघ्रता से दिए जाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। प्रबंध की आधुनिक तकनीक अपनाई जानी चाहिए। अधिक संख्या में आवेदन लम्बित नहीं पड़े रहने चाहिए।

एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में ऐसे नौ विश्वविद्यालय हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है तथा न ही उन्हें कोई सहायता दी जा रही है। आप

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

चाहें मान्यता प्रदान करें या नहीं परन्तु इन विश्वविद्यालयों को सहायता क्यों नहीं दी जा रही है ? मेरे माननीय मित्र श्री सुरेश कुरूप ने कहा है कि केरल विधानसभा में कानून बनाये जाने के बाद गांधीजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। गांधीजी के नाम के एकमात्र विश्वविद्यालय को मान्यता तथा सहायता नहीं दी जा रही है। क्या यह हैरानी की बात नहीं है। (व्यवधान) यदि विश्वविद्यालयों को मान्यता नहीं दी जाती है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देखना चाहिए कि उन्हें स्थापित ही न किया जाए। परन्तु स्थापना के बाद भी यदि आप सहायता नहीं देते हैं तो आप छात्रों को दण्ड दे रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान देता है। क्या इस पर निगरानी रखने या इसका निरीक्षण करने के लिए कोई तंत्र है ? क्या आप यह मालूम कर सकते हैं कि जो अनुदान जिस उद्देश्य के लिये दिया जा रहा है उसका उसी उद्देश्य के लिये प्रयोग हो रहा है अथवा नहीं। मेरे विचार से ऐसा कोई तंत्र नहीं है।

यह अच्छा नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक निगरानी तन्त्र होना चाहिये। महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली में केन्द्रित है। दक्षिण के और अन्य स्थानों के कालेजों के प्रतिनिधियों, प्रधानाचार्यों और अध्यापकों को अपने कालेजों के लिये अनुदान जारी करवाने के लिये काफी धन खर्च करके दिल्ली तक की यात्रा करनी होगी। इसलिये मैं इस मांग से सहमत हूं—और मेरा भी यही अनुरोध है—कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय केन्द्र खोले जायें—एक दक्षिणी क्षेत्र में, एक पूर्वी क्षेत्र में और एक पश्चिमी क्षेत्र में। इन क्षेत्रीय केन्द्रों को अनुदान जारी करना चाहिये और उन्हें कालेजों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी भी करनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में मुझे एक और बात कहनी है। मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन कालेजों का सर्वेक्षण करे, जिनमें न्यूनतम सुविधायें भी नहीं हैं। जिन कालेजों में न्यूनतम सुविधायें भी नहीं हैं, उन्हें विशेष सहायता दी जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत से कालेज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के ये कालेज उपयुक्त मात्रा में अनुदान की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और इसलिये उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जा रही सहायता भी प्राप्त नहीं हो पाती। अतः आपको ग्रामीण क्षेत्रों के कालेजों को, ऐसे कालेजों को जहां अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी अधिक हैं तथा ऐसे कालेजों को जहां हरिजन विद्यार्थी हैं, विशेष सहायता देनी चाहिये और आपको उनपर उपयुक्त मात्रा में अनुदान जुटाने के लिये जोर नहीं देना चाहिये। अन्यथा आप उच्चतर शिक्षा का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा सकते।

सभापति महोदय : कृपया अपने भाषण को समाप्त कीजिये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : एक और मिनट श्रीमान। मेरे पास और भी कई मुद्दे हैं, किन्तु समय के अभाव के कारण मैं उन सभी का जिक्र नहीं कर सकता। किन्तु मैं कैम्पस में व्याप्त अत्यधिक राज-

नीति के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि श्री सुरेश कुरूप ने इस मुद्दे को उठाया है। हमें इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये। विश्वविद्यालयों में आम चुनाव होते हैं। हम अप्रत्यक्ष चुनाव कराने की क्यों नहीं सोच सकते। विश्वविद्यालय आयोग को इस पर विचार करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि कैम्पस में राजनीति की अधिकता पर नियंत्रण रखने के लिये क्या किया जा सकता है। कुछ न कुछ करना होगा। मैं यह नहीं कहता कि लोकतांत्रिक अधिकारों में कमी की जाये। इस मामले को विभिन्न प्रकार से देखा जा सकता है। आप अप्रत्यक्ष चुनाव करा सकते हैं अथवा इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं भावी पीढ़ी की ओर से ही यह अनुरोध कर रहा हूं। कैंम्पस में राजनीति की अधिकता इस देश के भविष्य के लिये बहुत हानिकारक है। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और माननीय मन्त्री जी को इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये। उन्हें एक व्यापक विधान बनाना चाहिये जिससे की इस समस्त कठिनाई को दूर किया जा सके।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय जहां तक इस विधेयक के प्रावधानों का सम्बन्ध है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मैं इस अवसर पर कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जिस प्रकार गठित किया गया है, उससे वे प्रयोजन सिद्ध नहीं होते, जिनके लिये इसे गठित किया गया था। लोकतन्त्र में एक स्वायत्त निकाय में कम से कम लोकतान्त्रिक तत्व तो होना ही चाहिये। मुझे सदस्यों की सूची से पता चला है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा दस सदस्य सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं जिनमें, जैसा कि मुझे बताया गया है, चार अध्यापक होते हैं। किन्तु ये अध्यापक देश में लोकतांत्रिक शिक्षक आंदोलन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। विश्वविद्यालयों के मामलों में अध्यापकों को ही महत्व दिया जाना चाहिये, क्योंकि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का ही बाहुल्य है। इसलिये मेरा यह आग्रह है कि इसमें लोकतांत्रिक शिक्षक आंदोलन को स्थान दिया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि सभी सदस्य निर्वाचित किये जाने चाहिये, किन्तु उनका इस निकाय में प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

सभापति महोदय : कृपया अपने भाषण समाप्त करें।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं भी अनेक माननीय सदस्यों, विशेषकर दक्षिण के सदस्यों की इस मांग का समर्थन करता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय होने चाहिये। दिल्ली में वातानुकूलित भवन में बैठकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 150 विश्वविद्यालयों और 5,000 कालेजों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण नहीं कर सकता। पिछले दिनों माननीय मंत्री श्री नरसिंह राव ने कहा था कि दक्षिण क्षेत्र अधिक अनुदान प्राप्त कर रहा है। अनुदान प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक महत्व इस बात का है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को प्रेरणा प्रदान करे, विश्वविद्यालयों को नेतृत्व प्रदान करे, वह यह देखे कि विश्वविद्यालय सुविकसित हों और शिक्षा के मानदण्डों में सुधार हो जिससे कि विशेषकर छात्रों को प्रेरणा मिले। हम देश में विद्यार्थियों के असंतोष की बात कर रहे हैं। यह असंतोष क्यों है? क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली उद्देश्यहीन है। इसीलिये चारों ओर असंतोष रहा है। इसका समाधान पुलिस द्वारा नहीं किया जा सकता। बेशक, वह एक अलग मसला है, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा।

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

जहां तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों का सम्बन्ध है, इसे अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिये और अधिक से अधिक सामग्री प्रकाशित करनी चाहिये।

अन्ततः महोदय, जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, मैंने एक दिन पहले भी यह बात कही थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की शैली में परिवर्तन अवश्य होना चाहिये। गुलबर्गा और मंगलौर में दो विश्वविद्यालय पांच वर्ष पहले शुरू किये गये थे। इन पांच वर्षों से कर्नाटक सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध करती रही है। मन्त्री-गण स्वयं यहां आये हैं और वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध करते रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन में इतनी भी शिष्टता नहीं है कि वे पहले ही से मुलाकात के लिये समय निर्धारित कर दें। उन्होंने हमारे एक शिक्षा मन्त्री से मुलाकात को भी रद्द कर दिया।

कर्नाटक सरकार अब तक इन विश्वविद्यालयों पर 16 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। किन्तु आज इन्हें कोई अनुदान राशि जारी नहीं की गई। प्रो० कुरियन गांधी जी विश्वविद्यालय के बारे में कह रहे हैं। कर्नाटक के ये दो विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पांच वर्ष पूर्व ही पूरा कर चुके हैं। उन्होंने सरकार को एक बार संशोधन करने के लिए कहा था और वे संशोधन कर दिये गये थे। उन्होंने पुनः इसके लिये कहा। वे सरकार को और अधिक संशोधन करने के लिए कहते रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : महोदय, ये सब असमानतायें क्यों हैं ?

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मेरा यह आग्रह है कि शिक्षा नीति और केन्द्रीय पुनरीक्षण समिति के बारे में चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखकर माननीय मन्त्री जी एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें। महोदय, धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : कर्नाटक में प्रावेशिक शुल्क के बारे में क्या स्थिति है ?

सभापति महोदय : कृपया इसकी चर्चा न करें। मैं पहले ही दूसरे सदस्य का नाम पुकार चुका हूं।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : महोदय, माननीय मन्त्री जी ने, जो यह आरम्भिक-कार्य किया है, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। आज सभा में भाग लेने का मेरा यह पहला अवसर है। हालांकि मुझे यहां व्यवस्थित होने में उसी प्रकार और दो महीने का समय लग जाता जैसे कि भारतीय वायुसेना में नये विमान को चलाने में लग जाता है, किन्तु मेरे मित्रों, वरिष्ठ सदस्यों और शुभचिन्तकों के द्वारा मुझे अत्यधिक प्रोत्साहित किये जाने के बाद ही ऐसा हो सका है।

तथापि मैंने इस विषय को इसलिये चुना है क्योंकि मैं डी० ए० वी० कालेज, होशियारपुर की प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष हूं। मैं लगभग तेरह संस्थाओं का प्रधान हूं।

मेरे अधीन लगभग दस हजार विद्यार्थी, शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी हैं, जो कि स्वयं में एक छोटा सा विश्वविद्यालय है।

मैं हाल ही में होशियारपुर से आया हूं। पिछले से पिछले सप्ताह हमने पंजाब विश्वविद्यालय युवा समारोह आयोजित किया था। मेरा माननीय सदस्यों, प्रो० कुरियन, प्रो० पराशर, माननीय मंत्री जी अथवा किसी भी अन्य सदस्य से अनुरोध है कि वे इस संस्था को देखें। पिछले 20 वर्ष से अधिक समय से हमारे यहां कोई हड़ताल नहीं हुई है। इस संस्थान में सेना जैसा अनुशासन है। मेरे पिताजी 1962 से इस संस्था के प्रधान थे।

मैंने दस मिनट के लिये एक भाषण तैयार किया था। दुर्भाग्यवश घंटी बजने की आवाज सुनने के बाद मैंने स्वयं ही बोलने का निर्णय किया है। ·· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह उनका प्रथम भाषण है। हमें उनके भाषण में व्यवधान नहीं डालना चाहिये।

श्री कमल चौधरी : इन हड़तालों को और उन सभी समस्याओं को, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, मुख्यतः इसलिये प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि हम विद्यार्थियों को राजनीति में शामिल करना चाहते हैं। हम उनका लाभ उठाना चाहते हैं। हालांकि मेरे पिताजी पिछले पचास वर्षों तक राजनीति में रहे, किन्तु उन्होंने कभी भी अपनी छवि बनाने, अथवा उसे उभारने के लिये इन विद्यार्थियों का उपयोग नहीं किया। प्रो० कुरियन और प्रो० पराशर हड़तालों के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जब तक हम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित न करें, ये हड़तालें कभी नहीं हो सकतीं।

मैं केवल एक और बात कहना चाहता हूं। आंकड़ों के अनुसार 95 प्रतिशत जनता एक प्राथमिक विद्यालय के एक मील के दायरे में है और 80 प्रतिशत जनता एक माध्यमिक स्कूल के तीन किलोमीटर के दायरे में है। इस प्रकार यह एक अत्यन्त दुखद एवं शर्मनाक स्थिति है कि हमारे यहां अशिक्षित जनता की प्रतिशतता बहुत अधिक है। जब तक हम समस्त समुदाय को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा न दे दें, हम विश्व को यह आश्वासन नहीं दे सकते कि हम सभी को समान अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये मेरा यह सुझाव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षण अनुदान आयोग की स्थापना करे और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाये। नागरिक को बाल्यावस्था से शिक्षा देकर ही हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यदि हमारी युवा और आकर्षक शिक्षा मन्त्री महोदया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अपेक्षाकृत युवा वर्ग को शामिल करने को तरजीह देती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्वाभाविक है कि मैं उनका समर्थन करूंगी। किन्तु इस सम्बन्ध में मैं जल्दी से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण के बारे में दो मुद्दे उठाऊंगी। मैं विश्वविद्यालय अनु-

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

दान आयोग के कार्यकरण के बारे में विस्तार से बताना नहीं चाहती वरन् मैं सरकार के रवैये के बारे में बताना चाहती हूं। 'चैलेंज आफ एजुकेशन' नामक पुस्तक के पृष्ठ 60 पर ऐसा निर्देश दिया गया है मानो केन्द्रीय योजना निकाय की असफलताएं एवं कमियां यही हैं कि मैं उन शब्दों को उद्धृत करती हूं—क्योंकि आयोजना के लिये वस्तुतः हल करने का दायित्व राज्य सरकारों के हाथ में है। सभी समस्याओं की जड़ यही बात प्रतीत होती है। इस पुस्तक में यही मत व्यक्त किया गया है और सरकार की भी यही राय है। मेरा झगड़ा यही है क्योंकि मेरे खयाल से स्थिति ऐसी नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकारिया आयोग राज्य-केन्द्र सम्बन्धों के प्रजातांत्रिक ढंग से पुनर्निर्धारण का प्रयास कर रहा है। शिक्षा भी उसी में शामिल है और उस स्थिति में एक दिन मन्त्री महोदया ने राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए इन विश्वविद्यालयों के केन्द्रीकरण के बारे में कुछ कहा था, और यह स्वाभाविक ही है और ऐसा प्रतीत होता है इसके माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मन्त्री महोदया से मेरा अनुरोध है कि ऐसी जल्दबाजी न करें जिससे इस समय राज्य विधान मंडलों के अधिकारों का अतिक्रमण हो। हालांकि मूल पाठ्यक्रम के प्रश्न पर निश्चित रूप से बातचीत की जा सकती है किन्तु राज्य विधान मंडलों पर किसी उच्चतर निकाय को आरोपित करने के बारे में स्वीकृति नहीं दी जा सकती।

एक अन्य मुद्दा शिक्षकों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी है। मैं इस मामले में प्रो० पराशर को पूरा समर्थन देती हूं। मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि इस समय शिक्षकों का एक मात्र संगठन आल इंडिया यूनिवर्सिटी एण्ड कालिज टीचर्स आरगनाइजेशन है। चूंकि वह ऐसा संगठन है, जिसमें सभी राजनैतिक दल काम कर रहे हैं। इसलिए मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में उनके प्रतिनिधित्व के बारे में विचार करने के लिए मन्त्री महोदया से आग्रह अनुरोध करती हूं।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालयों की हड़ताल का निपटारा किया जाये। मैं मन्त्री महोदया से अनुरोध करती हूं कि वे प्रभावशाली ढंग से हस्तक्षेप करें क्योंकि यह वस्तुतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये वचन को सम्मान देना और उसका पालन करना है।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति जी, मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985 का समर्थन करती हूं। इसमें जो संशोधन किये जाने हेतु यह बिल प्रस्तुत हुआ है, उनके सम्बन्ध में, मैं कुछ थोड़े-से प्वाइंट्स पर ही अपने विचार प्रकट करूंगी। चूंकि आपने बहुत कम समय दिया है। इसलिए सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि स्वतंत्रता के बाद, जब हमारे देश में, 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई, उसके पीछे देश में विश्वविद्यालयीन शिक्षा का विस्तार करना ही एकमात्र उद्देश्य था। यदि संख्या की दृष्टि से देखा जाये तो निस्संदेह शिक्षा का हमारे यहां अवश्य विस्तार हुआ है, आज देश में 140 यूनि-वर्सिटीज और 5000 कालेजेज हैं परन्तु इस सबके बावजूद यू० जी० सी० केवल-मात्र अनुदान देने वाली संस्था ही बनकर रह गई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में

भविष्य में उचित ढंग से कोई बिल लाया जाये जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों का पुनरावलोकन हो और इसमें सुधार की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाये। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के विस्तार को देखते हुए, यू० जी० सी० को और ज्यादा सशक्त बनाया जाये। इसकी मीटिंग्स महीने में एक बार होती है और इसमें, चेयरमैन और वाइ-चेयरमैन के अतिरिक्त जितने सदस्य हैं, वे एक तरह से अवैतनिक ही हैं और उस मीटिंग में इतना लम्बा-चौड़ा एजेंडा होता है कि मेन प्वाइंट्स डिस्कशन से रह जाते हैं।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यू० जी० सी० में कुछ विशेष प्रकार के सैल बनाने की आवश्यकता है। वे सैल इस प्रकार के होने चाहिएं, जो यह स्टडी करें, अध्ययन करें कि हमारा एजूकेशन का पैटर्न क्या हो, किस प्रकार से हमारी शिक्षा में सुधार हो सकता है तथा टीचर्स की क्या आवश्यकताएं हैं।

सभापति महोदय, एक मेरा सुझाव यह है कि यू० जी० सी० में जिस प्रकार से आप शिक्षा-शास्त्रियों का नामिनेशन करते हैं, उसी प्रकार से मान्यवर टीचर्स आर्गेनाइजेशन के व्यक्तियों का भी नामिनेशन होना चाहिए, ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें।

महोदय, आज हमारा उद्देश्य है कि देश में नेशनल इंटिग्रेशन हो, लेकिन हमारा यू० जी० सी० इस यूनिवर्सल एजूकेशन की आवश्यकता के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसमें एक सैल ऐसा हो, जो कि रिसर्च एवं सर्वे का काम करे और यह देखे कि किस प्रकार के प्रोफेशन्स के लिए किस प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकता है, और जिस प्रकार के विद्यार्थियों की आज आवश्यकता है, जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र की बात है, उसी प्रकार से विद्यार्थियो को शिक्षा देने की प्लानिंग बनानी चाहिए।

सभापति महोदय, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। मैं कुछ सुझाव देकर अपना स्थान ग्रहण करूंगी।

सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन यह है कि आज हमारे देश में हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज में बहुत अनरेस्ट है। इसका मुख्य कारण केवल मात्र यह है कि विद्यार्थियों में भविष्य के प्रति निश्चितता का अभाव है। उनके दिमाग में यह आशंका है कि हम पढ़-लिखकर क्या करेंगे। इसलिए मैं समझती हूं कि यदि आपका ये सैल काम करने लग जायेगा, तो हम विद्यार्थियों के दिमाग की इस अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त कर सकेंगे और विद्यार्थियों में जो दिशा-हीनता की प्रवृत्ति पाई जाती है उसके लिये विशेष प्रावधान करने की जरूरत है।

मान्यवर, मेरा एक सुझाव यह भी है कि कई स्थानों पर आज हमारी यूनिवर्सिटीज राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही हैं और कई यूनिवर्सिटीज तो शिक्षा की दुकानें हो गई हैं। उनमें कैपीटेशन फीस ली जाती है। इस स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए। दूर गांवों में बैठे हुए लोगों में शिक्षा प्रसार हो, इसके लिए आप जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बिल लाये हैं, उसका मैं स्वागत करती हूं। साथ ही निवेदन करना चाहती हूं कि यदि आप दूर गांवों में बैठे हुए व्यक्तियों को वाकई शिक्षा देना

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

चाहते हैं, तो आपको दूर-संचार की व्यवस्था को सशक्त करना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा किया, तो दूर गांवों में बैठे हुए लोगों को फायदा हो सकता है अन्यथा नहीं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस गरिमामय सभा के उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूं जिन्होंने इस सामान्य से विधेयक पर हुई बहस में भाग लिया और बहुत अच्छे सुझाव दिए। उनके द्वारा उठाये गये अनेक मुद्दों में विस्तार में जाने का अभी पर्याप्त समय नहीं है। मेरा ख्याल है कि जिस दिन "चैलेंज आफ एजुकेशन" पर सभा में बहस की गई थी, उस दिन इन सब पर विचार किया गया था।

मैं महसूस करती हूं कि बहुत से प्रश्न हैं और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देती हूं कि जब शिक्षा नीति जो इस समय समीक्षाधीन है पर विचार किया जायेगा तो इन सभी प्रश्नों को लिया जायेगा और सम्भव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की पुनरीक्षा किया जाना भी आवश्यक हो। यहां तक कि स्वयं अधिनियम की पुनरीक्षा भी की जा सकती है। किन्तु मैं इसके बारे में वचन नहीं दे सकती। माननीय सदस्यों ने जो प्रबल भावनाएं व्यक्त की हैं उन पर शिक्षा नीति को ठोस रूप देते समय विचार किया जायेगा।

मैं तीन आधारभूत मुद्दों की चर्चा करना चाहती हूं। सबसे पहले इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं? मेरे विचार से प्रत्येक माननीय सदस्य इसके बारे में जानते हैं और मेरे लिए उनकी चर्चा करना जरूरी नहीं है। वे हैं—विश्वविद्यालयों के स्तर का निर्धारण कर उनका समन्वय एवं अनुरक्षण करना। माननीय सदस्य यह महसूस कर सकते हैं कि विश्वविद्यालय का स्तर गिर गया है। कुल मिलाकर जनता भी यही महसूस करती है कि स्तर गिर गया है। इसी वजह से इन सभी बातों पर बहस की जा रही है। मेरा ख्याल है कि जो भी सुझाव दिये गये हैं उनसे हमें फायदा होगा।

अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह कर्तव्य है कि वह अनुदान प्रदान करे। यह खैरात देना नहीं है। वह कोई दान नहीं दे रहा है। वह अनुदान देकर अपने कर्तव्य निभा रहा है और उन्हीं संस्थानों को अनुदान प्रदान कर रहा है जो अनुदान प्राप्त करने के योग्य पाये गये हैं और यह अत्यन्त आवश्यक है कि उन्हें अनुदान प्राप्त करने के योग्य बनने से पहले कुछ निश्चित विनियमों और शर्तों को पूरा करना पड़ता है। यह भी एक शर्त हो सकती है कि गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों में दिये गये सुझाव के अनुसार उन्हें एक मंच की स्थापना करनी हो या यह भी सम्भव है कि वे कर्मचारियों या भवनों या ऐसी किसी व्यवस्था के रूप में दो करोड़ रुपये मूल्य की सुविधाओं से युक्त हों। अतः हम देखते हैं कि इनमें से 40 विश्वविद्यालयों की स्थापना 1972 से की गई है जिनमें से 14 विश्वविद्यालयों को अभी तक सहायता प्राप्त करने के योग्य घोषित नहीं किया गया। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे मान्यता प्राप्त नहीं हैं। सच तो यह है कि उन्होंने कुछ

मानकों को पूरा नहीं किया। इन मानदंडों पर खरा उतरने के बाद ही वे सहायता प्राप्त करने के हकदार होने चाहिएं। मैं विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे इस मामले के बारे में अपनी-अपनी राज्य सरकारों से चर्चा करें और यह सुनिश्चित करें कि इन शर्तों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उससे संतुष्ट हो और तभी यह सम्भव है कि जिस वित्तीय सहायता की वे अपेक्षा कर रहे हैं वह उन्हें दी जायेगी।

डा० वी० वेंकटेश : आपने कर्नाटक के लिए क्या किया है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जरा धीरज रखिए। मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। दूसरी बात यह है महोदय, कि माननीय सदस्यों ने प्रजातांत्रिक स्वरूप के बारे में जिक्र किया था। मेरे विचार से इस बात में काफी वजन है। किन्तु जैसी कि आजकल स्थिति है वर्तमान विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि किसी समय विशेष पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से चार सदस्यों तक का ही चुनाव किया जाएगा। इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कम से कम चार सेवारत शिक्षक हमेंशा रहेंगे। यदि हमें निर्वाचन कराना हो तो माननीय सदस्य का यह राय है कि किसी एक यूनियन को प्रतिनिधित्व दिया जाये। शायद और माननीय सदस्य सोचें कि किसी और यूनियन को प्रतिनिधित्व सौंपा जाये। किन्तु इससे विवाद उठ सकता है। मेरा ख्याल है कि किसी तरह के विवाद में पड़ना जरूरी नहीं है। जहां तक शिक्षक समुदाय का सम्बन्ध है, वे सदा रहेंगे और हमें शिक्षक माध्यम से हमें शिक्षा नीति को अभी ही नहीं वरन् 21वीं शदी के लिये भी लागू करना होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने कैपिटेशन फीस का जिक्र किया है। मेरा ख्याल है कि कैपिटेशन फीस के बारे में हमारी राय और सरकार की राय बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने जो कुछ कहना था वह सब कह दिया है। किन्तु अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कैपिटेशन फीस के बारे में विनियमों को अन्तिम रूप दे रहा है। यह केवल सदस्यों की जानकारी के लिए ही बताया गया है। सदस्यों ने कर्नाटक के गुलबर्गा और मंगलौर विश्वविद्यालयों के साथ-साथ केरल के गांधी विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है। ये विश्वविद्यालय उन 14 विश्वविद्यालयों में से हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त करने के लिए अभी तक योग्य घोषित नहीं किया गया और मैंने इससे पहले कहा था कि उन्होंने निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया है। उन्हें इनको पूरा करना होगा और यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह मालूम होगा कि उन्होंने आवश्यक दायित्वों को पूरा कर लिया है तभी वे सहायता के पात्र होंगे। (**व्यवधान**) इसके अतिरिक्त मुझे यह भी मालूम हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन सभी कालेजों को पुस्तकों, उपकरणों और संकाय में सुधार के लिए मूल सहायता प्रदान करता है जिनमें स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 150 या उससे ज्यादा छात्र हों। जिन कालेजों में 400 से ज्यादा छात्र होते हैं उनके लिए विकास अनुदान की व्यवस्था है। यदि, कालेज ग्रामीण क्षेत्र में हों या महिलाओं के लिए हों तो 300 छात्रों तक के लिए भी यह रियायत दी जाती है। ऐसे अनेक कालेज हैं जिन्होंने यह मानदंड पूरे नहीं किये हैं खास तौर से भर्ती की शर्तें पूरी नहीं होती और अक्षम कालेजों को सामान्यतया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता नहीं मिल रही है। किन्तु मेरा विचार है कि माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

यह मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि यह बात सही नहीं है कि सरकार विश्वविद्यालयों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहती है। किसी विश्वविद्यालय के नियंत्रण को अपने हाथ में लेने पर विचार नहीं किया जा रहा है। मेरी राय में इन बातों पर यहां-वहां और सभी जगह विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया है। किन्तु विश्वविद्यालयों के नियंत्रण को अपने हाथ में लेने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सरकार ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया है।

अब मैं विश्वविद्यालयों के कार्यकरण के बारे में बताती हूं।

विश्वविद्यालयों के कार्यकरण का जहां तक सम्बन्ध है, इसमें अनुसंधान कार्यों को बेहतर बनाने और गुणात्मक सुधार लाने की कार्यवाही की जा रही है। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कार्य बेहतर होना चाहिए और इसमें सुधार की गुंजाइश भी है। उदाहरण के लिए, हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों के विकास के सम्बन्ध में प्रभावी आयोजन, निगरानी और मूल्यांकन में तथा उनके कार्य-निष्पादन, अन्य गतिविधियों, अनुसंधान और विकास के लिये कार्यप्रणाली के विकास में, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षण की जांच कार्य के सम्बन्ध में और अधिक ठोस भूमिका निभा सकता है। ये सभी कार्य शुरू किये जा सकते हैं और मेरा ख्याल है कि प्रत्येक भारतीय सदस्य इस बात को महसूस करेगा कि जिस तरीके से हम शिक्षण क्षेत्र की चुनौतियों को इस सदन के सामने लाये हैं और इस पर चर्चा की है, केवल अत्यन्त समर्पित एवं निष्ठावान सरकार ही वैसा कर सकती है और इतने निष्पक्ष एवं सही ढंग से इन तथ्यों को व्यक्त कर सकती है। इससे यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि हम स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वयं ही ऐसी स्थितियां पैदा करने का सुझाव दे रहा है जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के कार्यकरण में कुल मिलाकर सुधार किया जा सके। इनमें से कुछ उपाय सातवीं योजना में दिये गये हैं। कुछ कदम तो उठाये भी जा रहे हैं और इन नई योजनाओं में से कुछ योजनाएं तो कई कालेजों में लागू भी हो गई हैं। मेरे पास इनके आंकड़े हैं। आप देख सकते हैं कि छठी योजना में, केवल 280 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था। परन्तु उस महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निभा सकता है और उसे निभानी चाहिए, हमने सातवीं योजना में इसके लिए 370 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह अलग बात है कि ये राशि पर्याप्त है अथवा नहीं। परन्तु इससे यह सिद्ध होता है कि हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बहुत महत्व देते हैं, हम मानकों को बनाये रखने और जनता को मानक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उसकी भूमिका को भी बहुत महत्व देते हैं।

अब मैं यहां दो बातें बताना चाहती हूं। पहली बात क्षेत्रीय भेदभाव अथवा देश के विभिन्न भागों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को चार प्रभागों में विभाजित करके अलग-अलग केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता के बारे में है। इसके बारे में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं परन्तु मैं यह नहीं समझ पाती कि यह मसला सदस्यों के सामने क्यों आ पड़ा है और वे इसके बारे में इतने चिंतित क्यों हैं। मेरा ख्याल है कि एक माननीय सदस्य ने, शिक्षा विषय पर पहले की चर्चा में भी इस प्रश्न विशेष का

उल्लेख किया था। लेकिन मैं फिर यह बताना चाहती हूं कि कुछ समय पहले एक बैठक में, दक्षिणी क्षेत्र के शिक्षा मन्त्रियों ने यह सुझाव दिया था कि राज्यों के विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान उपलब्ध कराने में शीघ्रता बरतने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। यदि यह प्रश्न केवल अनुदानों की उपलब्धता में शीघ्रता बरतने से ही सम्बन्धित है तो इसे निश्चय ही स्वीकार किया जा सकता है। जहां तक धनराशि उपलब्ध कराने में भेदभाव बरतने और ऐसे ही अन्य आरोपों का सम्बन्ध है, मैं कुछ आंकड़ों का उल्लेख करना चाहती हूं। आज जो स्थिति है वह इस प्रकार है। दक्षिणी क्षेत्र में 21 विश्वविद्यालयों के लिए 35,74.55 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है, 827 कालेजों के लिए 1572.56 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है; उत्तरी क्षेत्र में, 28 विश्वविद्यालयों के लिए 3448.91 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये गये हैं, और 877 कालेजों के लिए, 1641.79 लाख रुपये। पूर्वी क्षेत्र में, 22 विश्वविद्यालयों के लिए 2434.96 लाख रुपये और 821 कालेजों के लिए 963.22 लाख रुपये और पश्चिमी क्षेत्र के 26 विश्वविद्यालयों के लिए 3074.73 लाख रुपये तथा 999 कालेजों के लिए 1369.67 लाख रुपये दिये गये हैं। इसलिए, धनराधि उपलब्ध कराने और इस प्रक्रिया में शीघ्रता बरतने के बारे में मेरा विचार है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस मामले में देखभाल करनी चाहिए और यह उन सभी बातों की भी जांच करेगा जो माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई हैं।

अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की हड़ताल के प्रश्न की चर्चा करूंगी। मेरा विचार यहां दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की हड़ताल की विस्तार से चर्चा करने का नहीं है, परन्तु चूंकि अनेकों सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है इसलिए, मैं उन्हें केवल यह आश्वासन ही दे सकती हूं कि पिछले सप्ताह मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मैंने स्वयं उनसे कुछ घंटे बातचीत की थी और मैं यह कह सकती हूं कि हम सभी की सहानुभूति शिक्षक वर्ग के साथ है। मैं स्वयं भी एक शिक्षका रह चुकी हूं और यदि मैं शिक्षका न भी होती तो भी मैं यह कहती हूं कि यह शिक्षक समाज ही है जो देश को उस प्रगति के मार्ग की दिशा दे सकता है जिसे हम तलाश रहे हैं। लेकिन जहां तक मांगों का सम्बन्ध है, मेरा यह ख्याल है कि यह कहीं बेहतर होगा कि माननीय सदस्यगण उन लोगों से पूछें जो हमें मिल चुके हैं और जो कुछ उन्होंने हमसे बातचीत की है, उन्होंने किस बात पर चर्चा नही की है और ऐसी कौन-सी बातें हैं जिनकी वजह से वह वापस चले गये। मैं तो सिर्फ इस बात को ही दोहराती हूं कि कोई भी आश्वासन जो सरकार द्वारा दिया जायेगा, उसका पालन किया जायेगा और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। इसके अलावा, मुझे और कुछ नहीं कहना है। मुझे अभी भी बहुत आशा है; जिस तरह से वह वापस चले गये थे और जिस तरह से हमने अपनी वार्ता चलाई थी; यह सभी बातें बहुत ही आशावादी वातावरण में हुई हैं। इन शब्दों के साथ, मैं अपने संशोधनों का समर्थन करने के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूं और इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री सुरेश कुरूप : गांधी जी विश्वविद्यालय के बारे में, मैंने कहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह जोर दे रहा है कि उसमें कोई चुना हुआ···नहीं होना चाहिए··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया दोहराइये मत। वह इसका उत्तर दे चुकी हैं।

श्री सुरेश कुरूप : उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या विश्व-

[श्री सुरेश कुरूप]

विद्यालय अनुदान आयोग को कोई अधिकार है या नहीं।

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइये।

श्री सुरेश कुरूप : परन्तु मन्त्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया है वह मेरा प्रश्न था।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमारा यह कहना नहीं है कि पूर्व, दक्षिण अथवा पश्चिम क्षेत्र के कालेजों को पर्याप्त मात्रा में अनुदान नहीं मिल रहा है; हमारा तो यह कहना है कि इन अनुदानों को प्राप्त करने के लिए इन क्षेत्रों के कालेजों को बहुत समय और पैसा बरबाद करना पड़ता है। इसलिए हमारे इस सुझाव के प्रति क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिये, आपका क्या उत्तर है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रश्न ही नहीं है बल्कि यदि अनुदान देने में विलम्ब के विषय में उन्हें कोई शिकायत है तो इसकी हर समय जांच की जा सकती है। क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा द्वारा विधेयक पर खण्डवार विचार किया जायेगा। अब

खंड 2 :

श्री मूलचन्द डागा यहां नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

5.00 म० प०

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खन्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

सभापति महोदय : अब मन्त्री महोदय।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : —

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.02 म० प०

अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम दूसरी मद लेते हैं अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक।

श्री जगदीश टाइटलर।

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक, पर राज्य सभा द्वारा यथापारित रूप में विचार किया जाये।"

महोदय मेरा निवेदन है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण का गठन 1 फरवरी, 1972 को किया गया था। इसके प्रथम चेयर मैन और पूर्ण-कालिक सदस्य 1972 में नियुक्त किये गए थे। प्राधिकरण के चेयर मैन और पूर्ण कालिक सदस्य की सेवा शर्तें 1971 के अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 36 के अनुसार बनाये गए नियमो द्वारा शासित होती हैं। ये नियम नवम्बर 1973 में बनाये और अधिसूचित किये गए थे। इसलिए, इन्हें पिछली तारीख से लागू किए जाने की आवश्यकता है। पांचवी लोक सभा को अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने, जिसने इन नियमों की जांच की थी, बताया था कि धारा 36 भूत लक्षी प्रभाव देने वाले नियम बनाने की अनुमति नहीं देती है और इसलिए इस मामले को विनियमित करने के लिए इस धारा को संसोधित किया जाना चाहिए। 1973 के नियमों में सेवाशर्तों का केवल प्रमुख बातों को ही शामिल किया

[श्री जगदीश टाइटलर]

गया था। इन नियमों के नियम के अनुसार अन्य भत्ते और शर्तें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयर मैन और सदस्यों की नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार द्वारा तय की जायेगी। उसी समिति ने जिसने इन नियमों की जांच की थी, यह भी बताया था कि 1973 के नियमों का नियम अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 36 के पूरी तरह से अनुरूप नहीं था। कथित नियम में संशोधित करने के लिए अलग कार्यवाही की जायेगी।

इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन पांचवीं लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के अनुसार रखे गए हैं। ये संशोधन सेवा की शर्तों सम्बन्धी नियम तथा विनियमों को भूत लक्षी प्रभाव से लागू करने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान करेंगे। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि संशोधन करते समय भूतलक्षी प्रभाव से ऐसा कोई नियम या विनियम नहीं बनाया जायेगा, जो ऐसे नियम या विनियम से अधिशासित किसी व्यक्ति के हितों के विरुद्ध हो। अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत सरकार को अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

5.04 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1971 के अधिनियम की धारा 37 में संसोधन कर सरकार को इस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिन पर ये नियम लागू होंगे के हितों को हानि पहुंचाए बिना भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

इस अधिनियम की धारा 37 में इस बात का उपबन्ध नहीं किया गया कि इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाये। इस विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया हैं कि धारा 37 को इस ढंग से संशोधित किया जाये कि धारा 37 के अन्तर्गत बनाया गया कोई नियम या विनियम संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाये। धारा 36 (3) में भी आवश्यक संसोधन किए जा रहे हैं। इससे पांचवीं लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के नियमों को संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखने से सम्बन्धित सिफारिश भी पूरी हो जायेगी।

इस विधेयक में यह प्रस्ताव भी किया गया है की इस अधीनियम की धारा 36 में वर्तमान संशोधन करने से पहले उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों को तथा 1973 के नियमों के नियम 7 के अन्तर्गत सभी आदेशों को विधिमान्य बनाया जाए।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है, 1971 के अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तम प्राधिकरण अधिनियम की धारा 36 और 37 में संशोधन पांचवीं लोक सभा की अधीनस्थ विधाम संबंधि समिति की सिफारिशों को पूरा करने के लक्ष्य से किए जा रहे हैं। अत: मैं सिफारिश करता हूं कि विधेयक को सभा के समक्ष विचारार्थ रखा जाए।

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : संभवत: यह एक असाधारण संयोग है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण अधिनियम में संशोधित करने वाला यह विधेयक अब पुर: स्थापित किया जा रहा है जबकि पिछले ही माह दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन के निर्माण के संबंध में एक बहुत बड़ा कांड हो चुका है इसे श्रीमती इन्दिरा गांधी की जन्म तिथि के दिन ही वायुयानों के लिए खोला जाना था किन्तु ऐसा नहीं किया जा सका; और एक-दो दिन पहले तक भी कोई भी नहीं जान सका कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सका।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण के भूतपूर्व चेयर मैन सहित कई अन्य व्यक्ति इस कांड की लपेट में आ गए। अब एक विधेयक हमारे समक्ष लाया गया है जिसके माध्यम से 1973 में किए गए कार्य में संशोधन किया जा रहा है। 1973 में उन्होंने एक नियम बनाया था और वह नियम अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के चेयर मैन तथा सदस्यों की सेवा की शर्तों के संबंध में भूतलक्षी प्रभाव से लाभ हुआ, और उस पर पांचवी लोक सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने टिप्पण भी किए। ये सब बहुत पहले की बात है कि अब जल्दी में, ये विधेयक जिसे राज्य सभा में 14 दिसम्बर 1985 को पुर:स्थापित किया गया था कुछ दिनों में पारित किया जाना है। अब यह उतना असाधारण संयोग नहीं है। संभवत: अब उन नियमों को लागू करने के बाद उन्हें पूर्व प्रभारी बनाने का विचार है। चूंकि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने इस अधोनियम के अन्तर्गत लागू नियमों को पूर्व प्रभावी बनाने में मूल अधिनियम की अक्षमता पर टिप्पण किए तो इन कमियों को इसलिए पूरा किया जा रहा है कि भूतलक्षी प्रभाव से बनाए जाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयोजन सिद्ध किया जा सके। अत: अब यह कार्य किया जा रहा है। अत: कम से कम मैं यह आशा करता हूं कि मंत्री जी अब सीधे यह कहेंगे कि हमें कुछ और नियमों को लागू करना है और उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से बनाना है अत: इसलिए शीघ्रता की जा रही है किन्तु उद्देश्यों और कारणों को बताने वाले अपने कथन में जो कुछ उन्होंने कहा है उससे यह नहीं लगता कि इस विधेयक जो 1973 में किए गए किसी कार्य को कानूनी बनाने के लिए है, को पारित करने में शीघ्रता की आवश्यकता है। सत्तारूढ़ दल उस प्रकार से गुप्तरूप से कार्य करती है और इसके बाद वे कुछ कार्यवाही करेंगे जो संसद के स्थगित होने के बाद होगी, जो कि 4 दिन के बाद हो ही रही है, और इस तरह यह संशोधन सभा के सामने आया है। किन्तु इससे हमें नागरिक विमानन मंत्रालय के सामान्य कार्य करण के बारे में कुछ बोलने का अवसर मिला है।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमानपत्तनों का निर्माण कर रहा था। एक बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है तथा दूसरा दिल्ली का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है जो इस बात के उदाहरण हैं कि हवाई पट्टी तथा धावन पथों दोनों का कितना खराब निर्माण हुआ है तथा अप्रैल में प्राधिकरण इस सम्बन्ध में कितना लापरवाह है उनमें काफी चौड़ी दरारें पड़ गई थी। मैंने समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में पढ़ा कि इन दरारों को अब एरल्डाईट डालकर सुधारा जायेगा जिससे सिर्फ जहां तक निरीक्षण का सम्बन्ध है इनका अन्तर भर जायेगा किन्तु इससे उसमें कोई संरचनागत मजबूती नहीं आयेगी। अब, यह सब कैसे हुआ? स्पष्ट है कि यह सब पर्यवेक्षण की कमी के कारण तथा इसके निर्माण के लिए उपयोग की गई घटिया किस्म की सामग्री के कारण हुआ और इसका निर्माण निर्धारित की गई विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं हुआ। यदि वे निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप ही बने हैं तो

[श्री अमल दत्त]

विशिष्टताओं का निर्धारण करने के लिए नियुक्त किए गए इंजीनियर उतने योग्य नहीं हैं। वे इस विषय में क्या करने जा रहे हैं ? क्या वे इस मामले की जड़ तक जाने के लिए जांच करवाने जा रहे हैं ? इस प्राधिकरण ने करोड़ों रुपयों का व्यय तथा अपव्यय किया है।

समाचारपत्रों से हमें प्राप्त हुई खबरों के अनुसार उपरोक्त कांड में कुछ ही व्यक्ति उपरोक्त कांड की लपेट में आये हैं। मैं समझता हूं कि इस बुराई की जड़ें काफी गहरी हैं। दिल्ली तथा बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण करोड़ों रुपयों का व्यय कर रहा है जबकि कलकत्ता विमानपत्तन, जो दिल्ली तथा बम्बई के पत्तनों से भी पहले बना की, फिर पिछले 6 वर्षों से, उसका उपयोग ही नहीं किया गया अथवा उसका कम उपयोग किया गया है। यह स्थिति अचानक एक ही दिन में पैदा नहीं हुई। भारत में कलकत्ता से होकर जाने वाली अनेक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं ने भारत सरकार के प्रोत्साहन से 1969 से ही कलकत्ता से होकर जाना छोड़ दिया। आंकड़े बताते हैं कि 1950 में कलकत्ता भारत का सर्वाधिक व्यस्त अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। प्रति चार मिनट बाद एक विमान वहां उतरता था अथवा उड़ान भरता था किन्तु 1982 में स्थिति ऐसी आ गई कि सिर्फ 10 लाख अन्तर्राष्ट्रीय यात्री इसका प्रयोग कर रहे थे जबकि बम्बई में 25 लाख तथा दिल्ली में 35 लाख यात्री हवाई अड्डे का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा सरकार के द्वारा जानबूझ कर अपनाई गई नीति के कारण हुआ क्योंकि कलकत्ता से जाने वाले यात्री 10 लाख से भी अधिक हैं। यह सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने वाली संख्या से कहीं अधिक है क्योंकि अब यहां से जाने वाले यात्रियों को किसी अन्य हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए जाना पड़ता है और मुझे विश्वास है कि मन्त्री जी वह आंकड़े नहीं दे पायेंगे अथवा मेरे वक्तव्य को चुनौती नहीं दे पायेंगे।

दिल्ली से कलकत्ता के लिए ली जाने वाली उड़ानों में प्रायः मैंने देखा है कि पश्चिमी यूरोप या अमरीका या इंग्लैंड से आने वाले अनेक यात्री सवेरे की उड़ान से आकर सारा दिन प्रतीक्षा करते हैं और मध्य रात्रि में जाकर कलकत्ता पहुंचते हैं। इस प्रकार की परेशानियां यात्रियों को झेलनी पड़ती हैं। हमने इस बात की ओर उनका ध्यान बार-बार दिलाया है किन्तु कुछ भी नहीं किया गया। यह केवल लोगों को कलकत्ता जाने के प्रति निरुत्साहित करने के लिए है ताकि इस प्रकार कलकत्ता में व्यापार उस तरह से नहीं हो पाये जिस तरह अब हो रहा है तथा वहां पर लोगों का नुकसान हो। यह केन्द्र सरकार की सुविचारित नीति है।

इसके अतिरिक्त नागरिक विमानन मन्त्रालय अन्य कई बातों के लिए भी दोषी है। अब कनिष्क की दुर्घटना की जांच हो रही है। मजेदार बात यह है कि कनिष्क विमान का चालक ही है जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, लन्दन से दिल्ली के मार्ग में भी विमान चालक था। वास्तव में वह उस क्षेत्र में चला गया था जो असैनिक विमानों को उड़ाने के लिए वर्जित था। हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा उसे चेतावनी दी जानी चाहिए थी। ऐसा इसलिए हुआ कि वह एअर इंडिया के किसी कर्मचारी से बात करने में व्यस्त था और वह दूर चला गया और हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने उसे सूचित किया कि वह किस क्षेत्र में पहुंच गया था। उसे दण्डित नहीं किया गया था। वह वहीं रहा,

जहां वह था और कनिष्क दुर्घटना का यह भी एक कारण हो सकता है।

एक अन्य विमान चालक का भी एक मामला है जिसे नियमों एवं मानदण्डों के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए था क्योंकि जब उसने मान्ट्रियल में विमान उतारा तो उसमें पेट्रोल उतना ही बचा था जिससे कुछ ही मिनट की और उड़ान भरी जा सकती थी। इस तरह की बातें होती हैं और वे कुछ नहीं करते। वे उनको दंडित नहीं करते। कोई जांच नहीं करवाई जाती। बस वे इन बातों को जनता के सामने आने से रोकने के लिए दबा देते हैं। वे सार्वजनिक धन का अपव्यय कर रहे हैं। जैसा कि राज्य सभा में पूछे जाने पर मन्त्री जी ने स्वयं कहा था कि वे एअर बस तथा अन्य उपलब्ध विमानों के तुलनात्मक गुण-दोषों की पड़ताल किए बिना ही एअर बस खरीदने जा रहे हैं। और इनमें से प्रत्येक का मूल्य 50 से 60 करोड़ रुपए पड़ता है। अतः वे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही वे लोगों के जीवन से भी खिलवाड़ करते हैं; उन लोगों के जीवन से, जो अपना काफी धन देकर इन विमानों से यात्रा करते हैं।

अतः उन्होंने एअर इंडिया और इंडियन एअर लाइन्स दोनों में ही ऐसे व्यक्तियों को शीर्ष स्थानों पर रखा हुआ है जिन्हें कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। वे पाइलट रह चुके हैं। बेशक एक पाइलट आज देश का प्रधान मन्त्री है; पर वह एक दूसरी बात है। ये पाइलट इस स्थान तक उन्नत हुए कि इन दो एअर लाइनों के प्रबन्ध निदेशक और चेयरमैन बन गए। एक तीसरी एअर लाइन भी है। वहां की स्थिति के बारे में मैं नहीं जानता। बेशक, पाइलटों को कुछ तकनीकी कार्य करना पड़ता है, क्योंकि औद्योगिक कानून में उन्हें श्रमिक माना जाता है। किन्तु उन्होंने नीति निर्माण सम्बन्धी महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर लिया है और वे इतने विशाल और महत्वपूर्ण संस्था को चला रहे हैं। क्या वे इतने बड़े संगठन को उचित तरीके से संचालित कर सकते हैं। क्या वे क्षय कर रहे हैं। यदि वे क्षय नहीं कर रहे तो वह भार यात्रा करने वाली जनता पर आता है। हमें यह भी पता चला है कि इस बात की पुष्टि मन्त्री जी ने भी की है कि उड़ानें पूरी भर कर जा रही हैं। लोग बिना सवारी के खड़े रहते हैं पर और उड़ानों की व्यवस्था नहीं की जाती। ऐसा क्यों है? हम इस सम्बन्ध में बेहतर व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए कोई जवाब नहीं है। वास्तव में मुझे बताया गया है कि उनके पास हवाई जहाज के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कार्मिक नहीं हैं। चूंकि कार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाते, इसलिए उनके पास न तो बेहतर पाइलट हैं, न पर्याप्त मात्रा में फ्लाइट इंजीनियर हैं, न मार्गनिर्देशक हैं और न ग्राउंड इंजीनियर हैं। ये भी हो सकता है कि पाइलटों को इन दो कम्पनियों के संचालन कार्य में लगा दिया जाता हो और इस कारण वे भावी आवश्यकताओं के बारे में सोच भी नहीं पाते।

एक निश्चित पद पर पहुंचने के बाद वे अपने हितचिन्तक हो जाते हैं और देश की भावी जरूरतों का अनुमान नहीं लगा पाते। इस परिस्थिति में नागरिक उड्डयन मन्त्रालय उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसा कि उसे करना चाहिए। भारत जैसे विशाल देश में, जो क्षमता इसे प्राप्त हुई है, उनका सही लाभ नहीं उठाया जा रहा है। तिस पर भी भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक रेल द्वारा यात्रा करने पर 40 से 60 घंटे का समय लगता है। बहुत से लोग हवाई जहाज से यात्रा करना चाहते हैं और करते भी हैं। बहुत से व्यक्ति हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं यदि आप इसे कुछ

[श्री अमल दत्त]

सस्ता बनाएं और आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आप उड़ानों की संख्या में वृद्धि कर सकें। हमने देखा है कि जहाज अधिक उड़ानें नहीं भरते हैं जबकि वे ऐसा कर सकते हैं। मैं अमेरिका और ब्रिटेन से इसकी तुलना नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनके पास अधिक पैसा है और वे अधिक समय तक जहाज को ग्राउंड में रख सकते हैं।

किन्तु जब आप इसकी अन्य देशों जैसे सिंगापुर एअर लाइन्स मलेशियन एअर लाइन्स, थाई-एअर लाइन्स, से तुलना करेंगे तो देखेंगे कि हमारी उड़ानें कहीं अधिक कम हैं क्योंकि आपके पास एक उपयुक्त कार्मिक नीति नहीं है जो इस सत्य को झठला सके कि आपके मुख्य अधिकारी सु-प्रशिक्षित नहीं हैं। एअर इंडिया और इंडियन एअर लाइन्स केवल पक्षपातवाद के कारण ही अब तक वह क्षमता प्राप्त नहीं कर सके हैं जो कि वे कर सकते थे।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से इस विधेयक पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी। इससे मेरे मित्र को कलकत्ता हवाई अड्डे के दोषपूर्ण कार्यकरण के लिए विभाग और सरकार को दोषी ठहराने का अवसर मिला।

श्री अमल दत्त : क्यों नहीं ? क्या वे हवाई अड्डों और हवाई जहाजों का संचालन नहीं कर रहे हैं ?

श्री विजय एन० पाटिल : मेरे विचार से कलकत्ता हवाई अड्डा इंडियन एअर लाइन्स की दोष-पूर्ण व्यवस्था का शिकार नहीं हैं, बल्कि वहां के स्थानीय कर्मचारियों के कटु रवैये और व्यवहार के कारण है। और उन्हें इन लोगों से प्रोत्साहन मिलता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून अपने आप में लचीला है। जैसे-जैसे हवाई यात्रा के कारण देश नजदीक आ रहे हैं, उनमें बहुत से संशोधन और नए परिवर्तनों की आवश्यकता है। यह संशोधन विधेयक उसके लिए कोई अपवाद नहीं है।

जैसा कि हम जानते हैं विमान अपहरण की घटनाओं ने कुछ वर्ष पहले एक खतरनाक मोड़ ले लिया और बहुत से देशों में विमान अपहरण की घटनाएं होनी शुरू हो गई। हमारे यहां विमान अपहरणकर्ताओं को दण्डित करने के लिए उचित कानून नहीं है। केवल यही नहीं। हमारे कानून में विमान दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों को मुआवजा देने की व्यवस्था है। किन्तु विशेषतौर पर कनिष्क विमान के मामले में, जहां उसके बम विस्फोट से ध्वस्त होने के विषय में संदेह है, ऐसी स्थिति में मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी ही स्थिति इंडियन एअर लाइन्स, एअर इंडिया और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एअर लाइन्स में उत्पन्न हो रही हैं और इसका कारण उड़ानों के नए तरीके, हवाई टैक्सी का चयन और अन्य बातें भी हैं।

जहां तक विश्व-उड्डयन का सम्बन्ध है, यह वर्ष सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हाल ही में हमने कनाडा में हुए अमरीका के विमान की दुर्घटना के बारे में सुना। केवल इसी वर्ष में मृतकों की संख्या

1,700 तक जा पहुंची। हम आशा करते हैं कि अब दिसम्बर के अन्त तक कोई दुर्घटना नहीं घटे। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है किन्तु इसे नियन्त्रित करने के लिए हमें बहुत से उपाय अपनाने पड़ेंगे। मैं इंडियन एअर लाइन्स और एअर इंडिया को अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन कार्यक्षेत्र में अच्छे निष्पादन के लिए बधाई देना चाहता हूं।

यद्यपि उन्होंने अच्छा काम दिखाया किन्तु फिर भी उसमें सुधार की गुंजाइश है और इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा। आरक्षण के लिए हमने कम्प्यूटर-प्रणाली को अपनाया है किन्तु 13 तारीख को मैंने देखा कि एक व्यक्ति जिसका प्रतीक्षा सूची में 70वां नम्बर था टिकट पा गया। अत: कम्प्यूटर प्रणाली में सुधार होना चाहिए और आरक्षण प्रणाली भी उपयुक्त होनी चाहिए। आज भी मैंने देखा कि एक वियतनामी शिष्टमण्डल हवाई अड्डे पर था किन्तु उन्हें प्रथम श्रेणी के एक्जीक्यूटिव लगेज का बाहर लाने में $1\frac{1}{2}$ घंटे का समय लगा। यद्यपि ये छोटी-छोटी बातें हैं किन्तु बाहर से आने वाला व्यक्ति इन चीजों को नोट करता है और इसी से हमारी बदनामी होती है। अब जबकि श्री टाइटलर इस विभाग के प्रमुख हैं, और हमारे प्रधान मन्त्री की दूरगामी आयोजनाएं भी हैं मैं आशा करता हूं कि एअर इंडिया और इंडियन एअर लाइन्स अधिक अच्छा काम करेंगे और हवाई टैक्सी का प्रचलन और हेलीकाप्टर निगम द्वारा दी जाने वाली सेवाएं देश के आन्तरिक भागों में अधिक सेवाएं प्रदान करेंगे और मध्यम श्रेणी और निर्धन वर्ग भी इनकी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार): महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1971 की धारा 36 और 37 में संशोधन करने का बुनियादी लक्ष्य पांचवी लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को पूरा करना था किन्तु पांचवी लोक सभा से लेकर आठवीं लोक सभा तक इतने समय अन्तराल का क्या कारण है? इससे यह साबित होता है कि इस देश को चलाने वाली सरकार इस दिशा में बहुत ही सुस्त है। जहां तक हवाई अड्डों का सम्बन्ध है इस देश में 4 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। इन चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से मद्रास और कलकत्ता हवाई अड्डे सबसे अधिक उपेक्षित हो रहे हैं। इन हवाई अड्डों पर कोई मरम्मत केन्द्र नहीं है। अत: आप इन हवाई अड्डों की दयनीय दशा का अन्दाजा लगा सकते हैं। इसी सम्बन्ध में मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि त्रिवेन्द्रम और बंगलौर हवाई अड्डों को भी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में उन्नत करे क्योंकि दक्षिण के लोग यदि विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले बम्बई आना पड़ेगा और इस तरह अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। यह पैसा किसका है? यह जनता का पैसा है। सरकार इसे बचाने का उपाय क्यों नहीं करती। अत: इन दो केन्द्रों पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे खोले जाने चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय हवाईपत्तन प्राधिकरण के सदस्यों और भूत-पूर्व चेयरमैन की शक्तियों के दुरुपयोग की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

नई दिल्ली स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विश्व के सुन्दरतम हवाई अड्डों के अनुसार बनाया गया था। इस हवाई अड्डे की आयोजना 1978 में जनता सरकार द्वारा की गई थी। उस समय बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था, उसके पश्चात् यह तुरन्त 62.95 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया। उसके

[डा० बी० वेंकटेश]

बाद इसे पुनः 95 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया और अब इसमें 15 करोड़ रुपए और जोड़े गए हैं, ताकि कुल राशि 42 करोड़ के स्थान पर 110 करोड़ रुपए हो जाए। मैं मन्त्री जी को बधाई देता यदि वे इस देश में आम आदमी के पैसे का दुरुपयोग करके अपराध करने वालों ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इस प्रकार शक्तियों का दुरुपयोग किया हो, और मात्र त्यागपत्र देकर चलते बने हों, कोई कठोर दण्ड की व्यवस्था करते। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस विषय में अंतिम जांच रिपोर्ट का क्या हुआ। प्रारम्भिक जांच से यह पता चला था कि वहां टैक्सी हवाई पट्टियों का निम्न स्तर का निर्माण हुआ था, नई दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सस्ते किस्म की फ्लोरिंग हुई थी। उसकी छतें भी कमजोर थीं। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पानी की सप्लाई करने वाले 22 बरमे निष्क्रिय पड़े थे। वहां प्रसाधन कक्ष भी दोषपूर्ण थे और प्रशीतन व्यवस्था भी दोषपूर्ण पाई गई। इन सब बातों को देखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के गम्भीर अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है। ऐसा लगता है कि हवाई अड्डे के मूल डिजाइन में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। मैं पूछता हूं ऐसा क्यों किया गया? यह सिर्फ पैसा बनाने के लिए किया गया।

जहां तक हवाई अड्डों की सुरक्षा का सम्बन्ध है, यह कहा गया है कि सरकार ने 100 पुलिस कांस्टेबलों को अपहरणकर्त्ताओं का पता लगाने और उनसे निपटने तथा बमों का पता लगाने की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया है। परन्तु प्रशिक्षण के बाद उन्हें हवाई अड्डों पर तैनात करने के स्थान पर पुलिस स्टेशनों में तैनात कर दिया गया है। आपने ऐसा क्यों किया?

मुझे पता चला है कि एक माडल 85 है जिसे 'वर्ल्ड स्कैफर' कहा जाता है तथा ब्रिटिश की संसद में इससे उन वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है जो परिसर के भीतर नहीं ले जाई जा सकती। मैं माननीय मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वह सुरक्षा के उद्देश्य से ऐसे आधुनिक उपकरण खरीदें।

मैं देश की आंतरिक विमान सेवाओं के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। जहां तक राजस्व का सम्बन्ध है दक्षिण के राज्यों में 1984 में काफी प्रगति हुई है उन्होंने 135 करोड़ रु० के लक्ष्य के मुकाबले 145.87 करोड़ रु० अर्जित किए हैं। सारे भारत में केवल 22 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि दक्षिण में 29 प्रतिशत हुई। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि त्रिवेन्द्रम तथा बंगलौर स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को फौरन खोला जाए।

अब मैं अपने राज्य कर्नाटक के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वायुदूत सेवा बेल्लरी तक नहीं जा रही है। यह एक मजाक का विषय बन गई है। इसके उद्घाटन का दिन तीन-चार बार निर्धारित किया गया था जिसे बाद में बदल दिया गया। अभी तक यह सेवा चालू नहीं हुई है। इसलिए बेल्लरी तथा हसन में वायुदूत सेवा तुरन्त चालू की जानी चाहिए।

मैसूर एक ऐतिहासिक स्थान है। समूचा विश्व इसके ऐतिहासिक को जानता है। इस जगह पर मशहूर जैन मन्दिर भी है। वहां महाबलि की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। इसलिये यह एक तीर्थ

स्थल भी बन गया है। बंगलौर जाने वाले लोग इस ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण भी करते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस स्थान के लिए भी वायुदूत सेवा शुरू की जाए।

अब मैं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सेवाओं के बारे में भी कुछ कहूंगा। पहाड़ी क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण वहां विकास बहुत कम हो पा रहा है। इस क्षेत्र में हैलीपैंड बनाने तथा अधिक से अधिक हैलीकाप्टर सेवाएं शुरू करने की आवश्यकता है। उदाहरणतया सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचने के लिए हवाई जहाज से बागडोगरा जाना पड़ता है। वहां से गंगटोक पहुंचने के लिए छः घंटे लगते हैं। ऐसी स्थिति में पहाड़ी क्षेत्रों का उपयुक्त विकास कैसे हो सकता है। इसलिए मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक हैलीकाप्टर सेवा शुरू की जानी चाहिए।

जहां तक हवाई मार्ग से मालवहन सेवा का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में सुधार करें। इस आधुनिक विश्व में यदि किसी देश को प्रगति या विकास करना है तो संचार और यातायात की आधारभूत सुविधाओं को बनाने के लिए कारगर कदम उठाये जाने चाहिए। नागर विमानन यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है तथा हमें यह देखना चाहिए कि उसका इस देश में सही विकास हो। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जगदीश टाइटलर : सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है।

चूंकि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर यह संशोधन किया जाना था, अतः इसके लिये यह विधेयक लाना आवश्यक था।

अब कुछ विशेष प्रश्न उठाए गए हैं। श्री अमल दत्त ने एक प्रश्न उठाया था जिसका उत्तर मैं देना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि इंदिरा जी के नाम पर बने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सम्बन्ध में कुछ बातें उठाई गई हैं। निस्सन्देह कुछ बातें जो हमारे नोटिस में आई हैं तथा उन पर कार्यवाही भी की गई है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है यह इस सम्बन्ध में उपेक्षा नहीं की जा रही। इसकी जांच की जा रही है जो कि पूरी नहीं हुई है। जैसे ही जाच पूरी होगी तथा यदि इससे कुछ बात सिद्ध हुई तो हम देश के कानून के अनुसार उस पर कार्यवाही करेंगे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विमान धावन पथों की मरम्मत करने में सतही काम किया गया है। जहां भी आवश्यक होता है हम विशेषज्ञों की सहायता से पूरा कार्य करते हैं। हम आपको यह आश्वासन देना चाहेंगे कि 3-4 महीनों के भीतर हवाई अड्डा तैयार हो जाएगा। टैक्सी ट्रैक भी मानक के अनुरूप होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत से पाइलट जो एम०डी० हैं अपना काम नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। वह अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी विमान सेवा पूरे विश्व में उन कुछ थोड़ी-सी विमान सेवाओं में से है जिन्हें बड़े अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है तथा विमान चालक भी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे हवाई जहाजों का भी पूरा उपयोग हो रहा है। मैं केवल यही

[श्री जगदीश टाइटलर]

कह सकता हूं कि एअरफोर्स में भी विमानों को विमान चालक ही चलाते हैं। मेरे विचार से हमारी एयरफोर्स संसार में सर्वोत्तम सेवाओं में से एक है। तथा जो भी एम० डी० पाइलट हैं तथा जो जिम्मेवार पदों पर हैं उनके लिए एक प्रशासनिक पाठ्यक्रम है जिसे उन्हें पास करना होता है। उनके अलावा कुछ और व्यक्ति भी हैं जो एयर इंडिया तथा इंडियन एअर लाइन्स का कार्यभार संभाल रहे हैं।

श्री अमल दत्त : एम०डी० के पास कितने साल का प्रशासनिक अनुभव होता है।

श्री जगदीश टाइटलर : वह पहले से वहां हैं। डा० वेंकटेश ने भी कुछ मुद्दे उठाये हैं। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात भी की है। मैंने बताया है कि देश में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जहां तक कोयम्बटूर का संबंध है हमने वहां से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की हैं। देश में किसी भी हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। यहां 52 उड़ानों का संचालन कर रहे हैं जो कि काफी अच्छी तरह चल रही हैं। अगर कोई जहाज कोयम्बटूर से खाड़ी के देश को जाता है तो बीच में फासला तो है ही।

इसके अलावा किराया भी उतना नहीं है जितना एअर इंडिया चाहता है किराया भी आई०ए०टी०ए० के नियमों के अन्तर्गत लिया जाता है तथा सभी सदस्य देशों को इसे मानना पड़ता है। सभी सदस्य देशों की बैठक होती है जिसमें यह निश्चय किया जाता है कि क्या किराया होगा। हां, मुझे याद है कि मुझे कलकत्ता के बारे में बताना है। कलकत्ता हवाई अड्डा पर अधिक व्यस्तता तभी थी—मुझे खेद है, कोयम्बटूर नहीं, मेरा मतलब त्रिवेन्द्रम से है। क्षमा करें, मैंने गलती से ऐसा कह दिया है मैं उस गलती को सही करना चाहता हूं।

एक समय था जब छोटे हवाई जहाज थे, तथा तब उन्हें सुदूर पूर्व जाने के लिए कलकत्ता में दोबारा ईंधन भरना पड़ता था। अब तो अद्यतन हवाई जहाज हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं वरन् सिंगापुर एयर लाइन्स तथा अन्य एयर लाइन्स से हाल ही में हुई बातचीत में हमने उन्हें अधिक रियायतें—जहाज उतारने सम्बन्धी तथा कई अन्य रियायतें भी दी हैं, ताकि वह फिर से कलकत्ता के हवाई अड्डे का प्रयोग कर सकें। मेरी समझ में नहीं आता कि आप यह कैसे सोच रहे हैं कि हम कलकत्ता हवाई अड्डे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तो हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं कि कलकत्ता हवाई अड्डे का प्रयोग किया जा सके। परन्तु दुर्भाग्यवश अब ऐसे अद्यतन तकनीक के हवाई जहाज बन रहे हैं जो लंदन से दिल्ली या फ्रैंकफर्त से हांगकांग सीधे उड़ान भरते हैं। परन्तु एक समय था जब उन्हें दिल्ली या बम्बई से दोबारा ईंधन लेने के लिए उतरना पड़ता था।

श्री अमल दत्त : हमारी एक मांग है कि फ्रैंकफर्त से कलकत्ता को एक सीधी उड़ान शुरू की जाए। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : अवश्य, आप इसे हमें दीजिये, हमें बहुत ही हर्ष होगा कि हमारा मंत्रालय इसकी जांच करे।

श्री अमल दत्त : बहुत उच्छा, मैं इसे आपको दूंगा ।

श्री जगदीश टाइटलर : कृपया दे दीजिए ।

मैं भूतपूर्व चेयरमैन द्वारा प्राधिकार का दुरुपयोग करने के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं । मैंने पहले बताया था कि जांच चल रही है और, मैं आपको बता दूं, कि एक बार जब बातें सिद्ध हो जाती हैं तो हम देश के कानून के अन्तर्गत पूरी कार्यवाही करेंगे और किसी को भी नहीं बख्शा जायेगा वे धन का अपव्यय करें तथा अपनी स्थिति का दुरुपयोग करें और फिर इससे बच निकलें, ऐसा हम नहीं होने देंगे । जांच-कार्य चल रहा है ।

ज ां तक हवाई अड्डों की सुरक्षा का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में हम यह पता लगाने की हर संभव कार्यवाही कर रहे हैं कि हवाई अड्डों पर पूरी सुरक्षा बनाये रखी जा सके, अधिक सुरक्षा के लिए लोगों को कई चीजों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है—ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें गोपनीयता के नाते सुरक्षा विभाग पर छोड़ देना चाहिये । किंतु मैं आपको बता दूं कि हम इसके बारे में चिंतित हैं और हम नये उपकरण प्राप्त करने तथा कुत्तों को प्रशिक्षण देने सहित अपनी सीमा के अनुसार हर सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री अमल दत्त : कुत्तों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

श्री जगदीश टाइटलर : जी हां, क्योंकि जो सुरक्षा उपाय हम करते हैं उनमें यह ये बहुत अच्छे अन्वेषक होते हैं ।

जहां तक हेलीकाप्टर निगम का सम्बन्ध है, हेलीकाप्टर निगम को पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तथा हमने पहली प्राथमिकता तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को दी है उसके बाद हमारे पर्वतीय क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र आते हैं । हम स्वयं भी बहुत अधिक महसूस करते हैं कि जहां हम पहुंच नहीं सकते और जहां हवाई अड्डे का निर्माण करना भी सम्भव नहीं है, वहां हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि जैसे ही समय आएगा, हम हेलीकाप्टर निगम सेवाओं का उपयोग शुरू कर देंगे ।

हम भारवाहक (कार्गो) सेवा को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं, और मुझे आपको यह बताते हुये खुशी हो रही है कि हमने भारवाहक जहाजों की उड़ानों में गत वर्ष की तुलना में काफी अधिक वृद्धि की है, और अभी हाल ही में मैं कलकत्ता में था उस समय मैंने यह आश्वासन दिया था कि "आप मुझे कारोबार दीजिये और मैं आपको आपका माल ले जाने के लिए जहाज देने को तैयार हूं ।"

श्री अमल दत्त : पहले क्या पैदा होता है —चूजा या अंडा ?

श्री जगदीश टाइटलर : मेरी बात सुनिए । मैं उद्योग मंत्रालय को लिख रहा हूं कि चमड़ा जांच कार्यालय ने अपनी फैक्ट्री अब मद्रास में खोल ली है । मैं उनसे कह रहा हूं कि वे कलकत्ता में भी अपना एक कार्यालय खोलें ताकि ऐसा न हो कि कलकत्ता के लोगों को अपना माल जांच के लिए बम्बई

[श्री जगदीश टाइटलर]

न लाना पड़े। और यह बात उन बातों में से एक है जिसके लिए मैं चाहता हूं कि कलकत्ता हवाई अड्डे का उपयोग किया जाये ताकि हम माल ढुलाई के लिए इसका और अधिक उपयोग कर सकें। और यदि आपकी सरकार कोई ऐसा सुझाव देती है जो हवाई अड्डे को और अधिक उपयोगी बनाने में सहायक हो तो उस सुझाव को प्राप्त करके हमें अत्यधिक प्रसन्नता होगी क्योंकि हमारे हवाई अड्डे का क्षमता से कम उपयोग किया जा रहा है जबकि कलकत्ता एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।

महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने जो बात आपको बतानी थी वह बता दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.41 म० प०

प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 18 पर विचार करते हैं। श्री भारद्वाज !

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि नियमों तथा अन्य प्रत्यायोजित विधान के प्रकाशन तथा उनको विधानमंडल के समक्ष रखे जाने तथा कुछ अन्य विषयों के सम्बन्ध में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कतिपय अधिनियमों में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

महोदय, माननीय सदस्यों को प्रत्यायोजित विधान के लिए उपबन्धों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में, सभाओं की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समितियों की सिफारिशों के बारे में जानकारी है। विगत में संसद द्वारा पारित किये गये अधिनियमों में से कुछ अधिनियम, जिनकी व्यवस्था नियमों, विनियमों तथा अधीनस्थ विधान के अन्य रूप तैयार करने के लिए की जाती है, समिति की उन सिफारिशों के अनुरूप नहीं हैं, या तो उनमें ऐसे नियमों, विनियमों अथवा अधीनस्थ विधानों के अन्य रूपों को संसद की सभाओं के समक्ष रखे जाने का उपबंध अन्तर्विष्ट नहीं है अथवा वे उनके प्रकाशन के लिए स्पष्ट तौर पर उपबन्ध नहीं करते और फिर भी उन्हें सभा के समक्ष रखे जाने के लिए कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जो इस विषय पर अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा यथापारित अद्यतन फार्मूला से भिन्न हैं। समिति, अपनी सिफारिशों को कार्यान्वित किये जाने में हुए विलम्ब की समय-समय पर निंदा करती रही है और इस बात पर जोर देती रही है कि सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों को चाहिए कि वे अलग-अलग विधान बनाकर समिति की सिफारिशों के अनुरूप उनमें समुचित रूप से संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। विगत समय में, जब समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अलग-अलग अधिनियमों में संशोधन करने हेतु कुछ विधेयक विचार के लिए रखे गये, तो सदस्यों द्वारा ये सुझाव दिये गये थे कि यह बेहतर होगा कि विभिन्न विधानों को शामिल करके एक ऐसा व्यापक विधान बनाया जाये जिसमें एक समान विधानों की आवश्यकता हो। इस प्रकार का 50 अधिनियमों वाला एक विधेयक संसद द्वारा वर्ष 1983 में पहले ही पारित कर दिया गया था। अब संसद के समक्ष जो विधेयक लाया गया है वह इस प्रकार का दूसरा विधेयक है और यह इस दिशा में मेरे मंत्रालय द्वारा किये गये प्रयासों का परिणाम है।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (सातवीं लोक सभा) ने सिफारिश की है कि निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 39 के उपनियम (6) में, इस समय जो उपबन्ध अन्तर्विष्ट है, वह अधिनियम में भी स्वतः ही समाविष्ट हो जाना चाहिए उपनियम में यह व्यवस्था की गई है कि जब

[श्री एच० आर० भारद्वाज]

कोई मतदाता नियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने से मना कर दे तो उसे जारी किया गया मत पत्र रद्द कर दिया जाए। विद्यमान अवसर का इस सिफारिश को भी कार्यान्वित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

विधेयक में 92 प्रावधान हैं जो इसकी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये हैं। लगभग 115 प्रावधान ऐसे हैं जिनमें समान रूप रेखा के आधार पर संशोधन किया जाना है। इस मामले पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ लिखा पढ़ी की जा रही है और बकाया विधानों में यथाशीघ्र संशोधन करने के लिए मेरा मंत्रालय प्रयास कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि नियमों तथा अन्य प्रत्यायोजित विधान के प्रकाशन तथा उनको विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने तथा कुछ अन्य विषयों के सम्बन्ध में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कतिपय अधिनियमों में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश कुरूप चर्चा आरम्भ करें।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, यह एक ऐसा विधेयक है जो अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समितियों की सिफारिशों पर लाया गया है। हम चाहते थे कि संसद के समक्ष एक विधेयक लाया जाये और तदनुसार, इस एक विधेयक के अन्तर्गत 92 प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है।

मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि विधेयक के खंड 31 में, जैसा कि मन्त्री जी ने उल्लेख किया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किये जाने की मांग की गई है। मुझे नहीं मालूम कि इस बात के सम्बन्ध में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है या नहीं।

यदि ऐसा है तो अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की क्या शक्ति है। इस प्रकार की चीजों के लिए सिफारिश करना अथवा उन्हें बनाना समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बहुत से संशोधनों के बीच मन्त्रीजी ने इस संशोधन को किस प्रकार प्रस्तुत किया ? लगभग 92 प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। यह इसके साथ भी लाया गया है। सरकार द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक पृथक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में एक और धारा 132-'क' जोड़ी गई है। मैं एक बार फिर यह दोहराना चाहता हूं कि यह अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं आता और इस विधेयक को इस संशोधन में लाना सर्वथा गलत है। इसका मुख्य आशय नियम बनाने के लिए

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना है। यह मेरी मुख्य आपत्ति है।

अधीनस्थ विधान के सम्बन्ध में, वर्तमान प्रक्रिया यह है कि एक बार बनाए गये नियम राज-पत्र में प्रकाशित हो जाते हैं और कोई भी इन नियमों के बारे में नहीं जान पाता। मेरा आशय यह है कि यह नियम समाचार-पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित हों। प्रतिदिन ये नियम सभा-पटल पर रखे जाते हैं और कोई भी यह नहीं जान पाता कि कौन-कौन से नियम सभा पटल पर रखे गए हैं। हमारा सचिवालय बहुत कुशल है और उन्हें यह कार्य सौंपा जाना चाहिये कि जो नियम बनाये जाते हैं, वे सदस्यों को तो कम से कम मालूम होने ही चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक विशिष्ट समय सीमा में यह प्रत्यायोजित विधान पूरा करने के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिये। एक बार एक विधेयक पारित होने के बाद नियम और अन्य परन्तुकों को 2 महीने, 3 महीने या 5 महीने के निर्धारित समय में विरचित कर दिया जाना चाहिये। इसे और बढ़ाना नहीं चाहिए। अनुचित विलम्ब को खत्म करना चाहिये। यही मेरा आशय है।

इस विधेयक के सम्बन्ध में यही कुछ बातें हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता था।

मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस विधेयक की अधिसूची की मद संख्या 3, अर्थात् लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम का वर्तमान संशोधन, इस विधेयक को सीमा में नहीं आता।

श्री हरू भाई मेहता (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। प्रत्यायोजित विधान का यह एक प्रमुख सिद्धांत है कि संसद का अधीनस्थ विधान पर अवश्य नियन्त्रण होना चाहिये। सामान्यतः संसद ही सर्वोच्च सत्ता है जिसे कानून बनाने के लिए शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

तथापि, आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये, प्रत्यायोजित विधान की पद्धति बनाई गई है। इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया है कि अधीनस्थ विधान पर दो तरह का नियन्त्रण होना चाहिये। एक नियन्त्रण संसद का होना चाहिये और दूसरा न्यायिक नियन्त्रण होना चाहिये। संसदीय नियन्त्रण दो तरीकों से किया जाता है : पहला, विधेयक पारित करते समय, जब संसद यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि इस विधेयक के द्वारा अत्यधिक शक्तियां नहीं दी जा रही हैं; और दूसरे, प्रत्यायोजित विधान बन जाने के बाद भी, संसद दो बातों को सुनिश्चित करने के लिए अपना नियंत्रण बनाये रखती है। एक अधीनस्थ विधायी अधिकरण अर्थात सरकार अथवा जो भी प्राधिकरण हो, संसद द्वारा संबद्ध अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों से अधिक का प्रयोग नहीं करेगा, और दूसरा यह कि प्रत्यायोजित प्राधिकरण द्वारा और बनाये गये नियम सम्बद्ध अधिनियम अथवा संविधान का अतिक्रमण नहीं करेंगे।

सातवीं लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने यह सिफारिश उचित ही की है कि

[श्री हरू भाई मेहता]

अधीनस्थ विधानों पर संसदीय नियन्त्रण बनाये रखने के लिए, इस प्रकार के प्रावधान विभिन्न अधिनियमों में अधिनियमित किये जाने चाहियें।

मेरे विद्वान मित्र श्री सुरेश कुरूप ने एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण बात उठाने की कोशिश की है कि विधेयक की अनुसूची की 31वीं मद में अन्तर्विष्ट प्रावधान के बारे में की गई सिफारिश अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि जो प्रस्ताव किया गया है वह नियमों से सम्बन्धित नहीं है। काश ! मेरे विद्वान मित्र ने सदन में इस मुद्दे को उठाने से पूर्व सिफारिश को पढ़ा लिया होता। वास्तव में, नियमों में ऐसा प्रावधान तो था किंतु समिति ने कहा कि नियमों के द्वारा इस दण्डात्मक प्रावधान को नहीं बनाया जा सकता। प्रत्यायोजित अधिकारियों को दण्डात्मक नियम नहीं बनाने हैं। अधीनस्थ विधान का यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि जब तक कि अधिनियम ने विशेष अधिकार न दिया हो नियमों के द्वारा दण्ड की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। वर्तमान मामले के नियमों में दण्ड की व्यवस्था की अपेक्षा है और अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने उचित ही कहा कि इस प्रकार का प्रावधान केवल अधिनियम में ही किया जाना चाहिए। यह कहना कि इस प्रकार का प्रावधान नियमों में नहीं बल्कि अधिनियम में होना चाहिये, पूरी तरह से अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के अधिकार क्षेत्र में है। उक्त सिफारिश को स्वीकार करते हुए, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रावधान नियमों में न किया जाकर अधिनियम में ही किया जाये, इस विधेयक के माध्यम से यह प्रस्ताव पेश किया है। मुझे आशा है कि मेरे विद्वान मित्र श्री सुरेश कुरूप अब इस बात से जरूर सहमत होंगे कि इस सिफारिश को अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं कहा जा सकता है। अन्ततः यह एक ऐसा विधेयक है जो यह सुनिश्चित करती है कि संसद अधीनस्थ विधानों पर अपनी शक्ति कायम रख सके। अतः अनेक अधिनियमों में व्यवस्था की गई है।

हमें यहां तीन प्रकार के प्रावधान देखने को मिलते हैं। एक तो, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के बारे में है। उनमें यह प्रस्ताव किया गया है कि नियमों के बन जाने के तुरन्त बाद उन्हें राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाये और राज्य विधान मण्डल का यह कार्य है कि वह राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के ऊपर नियन्त्रण रखे। जहां तक संसद का सम्बन्ध है एक अधिक व्यापक व्यवस्था की गई है, ये नियम 30 दिन की विशिष्ट अवधि के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। संसद के पास उन्हें संशोधित करने की शक्ति है।

तीसरी बात यह है कि जब कभी सरकार द्वारा प्रत्यायोजित विधान के स्वरूप में आदेश दिये जाने होते हैं तो ये आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके दिये जाने चाहिये। उदाहरणार्थ विधेयक की अनुसूची की मद तीन में यह उल्लेख हैं :—

"धारा 59 को उसकी उप धारा (1) के रूप में पुनः क्रम दिया जायेगा और—

(क) इस प्रकार पुनः क्रम की गई उप धारा (1), में "राज्य सरकार" शब्दों के

पश्चात् सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शब्द अन्तर्विष्ट किये जाएंगे।"

जब कभी भी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार के आदेश दिये जाने हों तो ये सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दिए जाने चाहिए। यह भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। आखिरकार, प्रत्येक व्यक्ति से कानून की जानकारी रखने की अपेक्षा की जाती है। कोई भी व्यक्ति कानून की जानकारी न होने को सुरक्षा के रूप में नहीं ले सकता है। जब हम यह मानते हैं कि प्रत्येक नागरिक को कानून की जानकारी होनी चाहिये तो यह स्वाभाविक है कि सरकार को किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानून क्रियान्वित करने अथवा लागू करने से पूर्व उसे प्रकाशित करना ही चाहिए।

इसलिए अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने इस पर ठीक ही जोर दिया है और सरकार का यह प्रस्ताव सही है कि ऐसे आदेशों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाना चाहिए।

मेरे कुछ विद्वान मित्र चाहते हैं कि इन नियमों को कुछ समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाये। यह व्यवहारिक नहीं है। कानून में भी यह मान्य है कि इनके प्रकाशन के लिए राजपत्र ही सुनिश्चित और स्थायी स्थान है। प्रत्येक विधिज्ञ, प्रत्येक नागरिक यह पता करने के लिए राजपत्र देखता है कि क्या कोई प्रत्यायोजित विधान अथवा कोई नियम इसमें प्रकाशित हुआ है अथवा नहीं, आप इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि क्या इसे किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जायेगा अथवा नहीं और यह व्यावहारिक भी नहीं होगा।

वास्तव में, समाचार-पत्र में प्रकाशन शत-प्रतिशत नहीं होता। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में अधिक से अधिक 30 प्रतिशत व्यक्ति ही समाचार-पत्र पढ़ पाते हैं अथवा समाचारों को सुन पाते हैं। इसलिए, प्रकाशन के सही स्थान के रूप में सर्वत्र राजपत्र को ही स्वीकार किया गया है। ताकि राजपत्र में प्रकाशित किये जाने के कारण नागरिकों पर यह उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सके कि उन्हें कानून की जानकारी हो। इसलिए राजपत्र में ही प्रकाशन की व्यवस्था की गई है और समाचार-पत्र में नहीं। यह बिल्कुल सही है कि समाचार-पत्रों में स्थानीय नियम, जैसे नगरपालिका नियम, प्रकाशित किये जा सकते हैं। यहां यह प्रश्न उठता है कि इसे एक समाचार-पत्र में प्रकाशित जाये अथवा दो समाचार-पत्रों में, उपबंधों को देखते हुए जैसी भी स्थिति हो। अतः यहां पर यह उपबंध करना कोई गलत बात नहीं है कि प्रकाशन केवल सरकारी राजपत्र में ही किया जायेगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमने यह व्यवस्था की है, कि प्रकाशन सरकारी राजपत्र में किया जाये तथा सरकार ऐसे आदेशों को सरकारी राजपत्र में प्रचारित करके पारित नहीं कर सकती।

विद्वान विधि मन्त्री ने बताया है कि अभी भी लगभग 115 अधिनियमों में संशोधन किया जाना बाकी है। मेरा विश्वास है कि वे इस बात से सहमत होंगे कि यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। जब अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति चाहती है कि इन अधिनियमों में संशोधन किया जाये, तो हमें

[श्री हरू भाई मेहता]

अधिक तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए था। इसलिए, मैं चाहता हूं कि सरकार अन्य अधिनियमों में भी शीघ्र संशोधन करे।

मेरा यह सुझाव है कि सरकार के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि वह साधारण खण्ड अधिनियम में एक उपबंध किये जाने पर विचार करे ताकि इसमें सभी अधिनियमों को सम्मिलित किया जा सके। साधारण खण्ड अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि जब यह बताया जाये कि कुछ नियम पूर्व प्रकाशन द्वारा बनाएं जाएंगे, तो इसका मतलब है कि प्रारूप नियम प्रकाशित किए जाएंगे, आपत्तियां आमन्त्रित की जाएंगी और तत्पश्चात् नियमों को अन्तिम रूप दिया जाएगा। क्या हम साधारण खंड अधिनियम में ही अधिनियमित किया जाने वाला ऐसा फार्मूला स्वीकार नहीं कर सकते कि जब कभी किसी अधीनस्थ प्राधिकरण को केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने के लिए शक्ति प्रदान की जाए, तो इन नियमों को प्रस्तावित तरीके से प्राधिकरण द्वारा सभा के समक्ष रखा जाना आवश्यक होगा।

अत: मेरा सुझाव है कि यह तरीका अपेक्षाकृत एक सरल फार्मूला हो सकता है। उसे भविष्य में स्वीकार किया जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि सरकार शेष अधिनियमों में भी संशोधन करने के लिए शीघ्र विचार करे ताकि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की सिफारिशें पूरी तरह से तथा तत्परता के साथ क्रियान्वित की जाएं।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है। निस्संदेह, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

1983 में एक विस्तृत विधेयक लाया गया था।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : यह मात्र एक विधेयक ही नहीं है जिसे पांच मिनट में पारित कर दिया जाए। मैं यह इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मैंने स्वयं इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया है। आप समय बढ़ा सकते हैं। आपने पहले से ही इस विधेयक के लिए एक घंटा निश्चित कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम हर बात का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं। क्या आप समय-सीमा का पालन करते हैं जब हम अन्य विधेयकों के लिए दो घंटे की अनुमति देते हैं। हम वहीं पर नहीं रुक जाते, हम इसे चार घंटे तक बढ़ा देते हैं। श्री कृष्ण अय्यर कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर : 1983 में, एक विधेयक के अन्तर्गत 53 अधिनियम लाए गए थे। अब आप 92 लेकर आए हैं। आपने कहा है कि अभी-भी 115 अधिनियम ऐसे हैं जिन्हें अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना है।

वास्तव में यह एक आश्चर्य की बात है। आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि अनेक मन्त्रालयों को अधिनियम भेजने के लिए कहा गया है। वास्तव में, यह आश्चर्य की बात है। क्या आप उन्हें आदेश देकर उन अधिनियमों को प्राप्त नहीं कर सकते ? यदि आप चाहें, तो कल तक उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कितने अधिनियम हैं वहां ? क्या उन्हें प्राप्त करना कठिन है ? ये सभी संसदीय ग्रंथालय में रखे हुए हैं। एक साधारण व्यक्ति भी इसे प्राप्त कर सकता है। क्या विधि मन्त्रालय के लिए इसे प्राप्त करना कठिन है। मुझे वास्तव में मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर पर आश्चर्य हो रहा है। वे एक विस्तृत विधेयक ला सकते हैं जिसमें संशोधित किए जाने वाले सभी अधिनियम शामिल हों।

6.00 म० प०

जहां तक संशोधन का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। एक मुद्दा है जिसका मेरे से पूर्व वक्ताओं ने उल्लेख किया है और यह प्रकाशन से संबंधित है। पुराने समय में राज-पत्र सभी को स्वीकार्य था और समाचार पत्र अधिक संख्या में नहीं थे। अब तो गांवों में भी समाचार पत्र प्राप्त हो जाते हैं। मेरा यह सुझाव है कि यद्यपि सभी अधिसूचनाओं एवं नियमों को सभी समाचार-पत्रों में प्रकाशित करना संभव नहीं है, किन्तु उन अधिसूचनाओं एवं नियमों को समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिये जिनका लोगों पर प्रभाव पड़ना है। भवन संबंधी उप-विधियों अथवा मोटर-वाहन अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गयी आपत्तियों जैसी कुछ अधिसूचनाओं का प्रकाशित किया जाना बाध्यकर है। यहां पर इसमें बाध्यता है। मेरा सुझाव है कि जिन नियमों अथवा अधि-सूचनाओं से लोग प्रभावित होते हैं उन्हें, समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाये। उसके लिये आवश्यक संशोधन किया जाये।

एक दूसरा मुद्दा जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह इस प्रकार है : मैं अधीनस्थ विधान संबन्धी समिति में रहा हूं, केवल यहीं नहीं बल्कि कर्नाटक विधान-मंडल की समिति में भी रहा हूं। ऐसे अनेक अवसर आये जब हमनें कार्यपालिका द्वारा बनाये गये नियमों मे संशोधन किया है। इस अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के ऊपर बहुत ही भारी जिम्मेवारी है। इस सदन ने उस निकाय के सम्बन्ध में विश्वास व्यक्त किया है ताकि यह निकाय कारगर ढंग से कार्य कर सके। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति नामक यह निकाय सभा के समक्ष रखे गये प्रत्येक नियम की जांच करता है। जैसाकि मेरे मित्र, श्री कुरूप ने पहले ही कहा है, हम सभा के समक्ष एक के बाद दूसरी अधिसूचनाओं एवं नियमों को रखते चले जाते हैं और कुछ ही क्षणों में बहुत-सी अधिसूचनाएं एवं नियम रख दिये जाते हैं। इसके बाद क्या होता है ? वस्तुतः वह कानून बन जाता है क्योंकि यह एक प्रत्यायोजित कानून है। इसलिये यह कानून बन जाता है। किन्तु, यहां तक कि संसद् सदस्यों को भी अधिसूचनाओं एवं नियमों की प्रतियां नहीं दी जाती हैं। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं। जबकि राज्य विधान-मंडल में जब-कभी कोई नियम सभा-पटल पर रखा जाता है, तो इसकी एक प्रति सदस्यों को दी जाती है। मुझे संसद् में पिछले एक वर्ष के दौरान यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि सभा-पटल पर रखे गये नियमों की प्रतियां जोकि बड़ी पुस्तकों के रूप में होती हैं, अधिक लागत के कारण संसद् सदस्यों को नहीं भेजी जातीं— वस्तुतः यह बात तो समझ में आती है, लेकिन साधारण अधिसूचनाओं तथा महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं की प्रतियां तक भी संसद् सदस्यों को नहीं भेजी जाती हैं। इसलिये मैं श्री कुरूप द्वारा उठाये गए मुद्दे

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

का जोर देकर समर्थन करता हूं तथा माननीय अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे संसदीय सचिवालय को यह सुनिश्चित करने के लिये निर्देश दें कि जब कभी नियम तथा अधिसूचनाएं सभा-पटल पर रखी जायें, उनकी प्रतियां संसद् सदस्यों को उपलब्ध करायी जायें।

अंत में, एक बात और कहनी है। इसमें एक और विसंगति है और मुझे यकीन है कि माननीय विधि मंत्री इससे अवगत होंगे। वह इसे सभा में क्यों रखते हैं ? बस इसीलिए कि एक बार सभा में रखे जाने से इन्हें स्वीकृत समझा जाएगा और यदि कोई सदस्य इन नियमों पर चर्चा करना चाहता है तो वह प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के तहत इस पर चर्चा के लिए कह सकता है। लेकिन यदि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए और अधीनस्थ विधान समिति द्वारा जांचे गए नियमों में संशोधन करना है तो, यह सभा उनमे तब तक कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक दूसरी सभा भी इसके लिए सहमत नहीं होती। महोदय, क्या मेरा यह कहना सही नहीं कि जब तक दोनों सभाएं सहमत नहीं हो जाती इन नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से यह एक खास किस्म की कमी है क्योंकि हम इसके लिए संयुक्त सत्र नहीं कर सकते। इसलिए, जब तक दोनों सभायें सहमत नहीं होतीं इस नियम को संशोधित नहीं किया जा सकता। अत:, मैं आपके माध्यम से माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न पर विचार करें और इसका हल खोजें। मैं नहीं समझता कि इसके लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है क्योंकि यह प्रभुसत्ता सम्पन्न है। हालांकि इन वर्षों में कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई, पर ऐसा होना सम्भव है और कभी भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विचार करें और यदि जरूरी हो तो संविधान में संशोधन करें।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं को स्थानीय समाचार-पत्रों, अलग-अलग भाषाओं के समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाए और मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री इसके लिए सहमत होंगे और शेष अधिनियमों को एक ही अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए कदम उठायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का सभापति हूं और मै सरकार से यह बार-बार अनुरोध करता रहा हूं कि वह निश्चित समयावधि में कतिपय नियम बनाए। यह कोई पहली सिफारिश नहीं है। मैं उनसे कई बार यह बात कह चुका हूं और मैंने सभी सचिवों को बुलाकर स्पष्ट रूप से यह कहा कि वे इन नियमों को बनाएं और उन्हे राजपत्र में तीन महीने के भीतर अवश्य प्रकाशित करें और इस सम्बन्ध में अगर आपत्तियां और सुझाव रखे जाते हैं तो वे इन पर छः महीने का समय लगा सकते हैं।

महोदय, अगर आप कुछ रिपोर्टों का अवलोकन करें तो देखेंगे कि कुछ मामलों में तो आठ वर्ष का समय लगाया गया है। माननीय मंत्री यह बताने को तैयार नहीं हैं कि ऐसे अभी कितने अधिनियम हैं जिनके बारे में नियम नहीं बनाए गये हैं।

महोदय, संसद अपने अधिकार का परित्याग अथवा अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं करती

है। यह केवल अधीनस्थ अधिकारियों से, अधिनियम की परिधि के भीतर नियम और विनियम बनाने के लिए कहती है। इसलिए हमारा यह कहना सही नहीं है कि संसद अपनी शक्तियों का परित्याग अथवा प्रत्यायोजन करती है। हम उनसे केवल नियम तथा विनियम, उपविधि और अधिसूचनाएं तैयार करने के लिए कहते हैं। आजकल क्या हो रहा है। हम आम तौर पर अधिनियम में कुछ सिद्धान्त निर्धारित कर देते हैं और बाकी सारा दायित्व एजेंसियों को सौंप देते हैं और वे संसद के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। ऐसे अतिक्रमण से संरक्षण प्रदान करना अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का कर्तव्य है। हमारे पास नियम 34 मौजूद है परन्तु हम दिए गए सुझावों पर यदा-कदा ही आपत्ति करते हैं। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सभापति के नाते मेरा सुझाव यह है कि जब भी कोई विधेयक पारित अथवा पुरःस्थापित किया जाता है, उसके साथ नियमों को भी पुरःस्थापित किया जाना चाहिए ताकि हमें यह पता लग सके कि यह विधेयक किस प्रकार क्रियान्वित होगा, क्योंकि आम तौर पर विधेयक के पारित होने के पश्चात् नियम छः महीने या उससे भी अधिक समय के बाद बनाए जाते हैं। राज्यों में इन पर दो-तीन वर्ष लग जाते हैं। इस सभा के अधिकांश सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि रेल विभाग द्वारा आरक्षण के बारे में क्या नियम पारित किए गए हैं। उन्हें इसका पता नहीं होगा क्योंकि ये नियम प्रारूप के तौर पर प्रकाशित नहीं किए गए थे। अतः नियम और विनियम पहले प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किए जाने चाहिए ताकि जो लोग उनसे प्रभावित हों वे अपनी आपत्तियां प्रकट कर सकें और अपने सुझाव दे सकें। आज क्या हो रहा। ऐसे कुछ नियम हैं जो किसानों, कमजोर वर्गों और खेतिहर लोगों के लिए हैं परन्तु उन्हें स्थानीय भाषा में स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है। इसलिए इन लोगों को इन नियमों की जानकारी नहीं है। आज जब कि यह दिन समाप्त हो रहा है माननीय मंत्री यह चाहते हैं कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाए। परन्तु वह इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि ऐसे लगभग 90 अधिनियम हैं, जिनके लिए नियम नहीं बनाए गए हैं। अभी तक ऐसे लगभग 450 या इससे अधिक अधिनियम हैं। वे ऐसा कहते हैं। महोदय, क्या वे हमें यह बता सकते हैं कि संसद द्वारा पारित ऐसे कितने अधिनियम हैं जो अभी तक प्रवर्तित नहीं हुए हैं? माननीय मंत्री कम-से-कम इतना तो कह सकते हैं कि ऐसे इतने अधिनियम हैं जिन्हें संसद ने पारित कर दिया है पर वे अभी तक प्रवर्तित नहीं हुए हैं।

फिर मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसे कितने अधिनियम हैं जिनके लिए आपने नियमों और विनियमों की कुछ प्रक्रिया निर्धारित की है? ठीक है, हमें पता है कि कुछ मामलों में कुछ नियम निर्धारित किए गये हैं। किन्तु विनियमों की क्या स्थिति है? अधिसूचनाओं एवं उप-नियमों के बारे में क्या स्थिति है? बिजली बोर्ड जैसे ऐसे कतिपय उपक्रम हैं। वे किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत विनियम पारित करते हैं। परन्तु हम इसके बारे में हम यह कह देते हैं कि "खेद है उन्हें सभा-पटल पर नहीं रखा गया है और उन्हें प्रकाशित नही किया गया है और इसलिए हम उनकी जांच नहीं कर सकते, अतः हम इस सम्बन्ध में कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हैं।" अधिकांश विनियम, कार्यपालिका द्वारा पारित किए जाते हैं और मैं आपको बता सकता हूं कि हम नियम और विनियम बनाने के बारे में बार-बार अनुरोध कर चुके हैं पर उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार नहीं किया। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की और समूची सभा इससे अवगत है। ये रिपोर्टें क्रमशः दूसरी लोक सभा, पांचवी लोक सभा और सातवीं लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। मैं विधि विभाग से बार-बार नियम और विनियम बनाने का अनुरोध करता रहा हू लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय,

[श्री मूल चन्द डागा]

आज आप कृपया इस बात की जांच करें कि अभी भी ऐसे कितने अधिनियम हैं जो इस प्रक्रिया के अनुरूप नहीं हैं। वे कौन से कानून हैं जिनके लिए वे नियम निर्धारित करना भूल गए हैं ? विनियमों अधिसूचनाओं के बारे में वस्तु स्थिति क्या है ? योजना का क्या हुआ ? मैं कल एक योजना के बारे में बात कर रहा था। उसका क्या रहा ? वह डी०टी०सी० अधिनियम से सम्बन्धित थी। यह एक संवैधानिक योजना नहीं थी। एक कर्मचारी ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में प्रति माह 3000 रुपये प्राप्त किए। यहां विसंगति यह है कि यह कोई संवैधानिक अधिनियम नहीं था। इसलिए इन लोगों ने अपनी अलग योजना बना ली और अपनी अलग अधिसूचनाएं निकाली। हमें यानी सभा के माननीय सदस्यों को राजपत्र के सभी पन्नों को पढ़ने का समय नहीं मिलता। हम नहीं जानते कि नियम कब प्रकाशित हुए। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सभापति के नाते मैंने विधि सचिव से कहा कि इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से, संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से, विधि मंत्री के माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि विनियम बनाए जाएं और उन्हें सभा-पटल पर रखा जाए। मुझे खुशी है कि कम-से-कम आज विधि मंत्रालय इस विधेयक को सभा के समक्ष लाया है। इसमें कुछ समय, यों कहिए छः माह का समय लग सकता है। परन्तु आप यह सुनिश्चित करें कि ये विनियम अवश्य बनाए जाएं और सभा-पटल पर रखे जाएं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डागा जी के प्रति आभारी हूं जो अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सभापति के तौर पर सभी विभागों को अपने नियम बनाने और उन्हें सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रबोधित करते रहे हैं और यदि उन्होंने उनकी इतनी जोरदार आवाज को नहीं सुना है, तो मेरा सभी माननीय सदस्यों और मन्त्रियों से अनुरोध है कि वे उनकी बात सुनें और औपचारिकताओं को पूरा करें। किन्तु डागा जी सही हैं···

श्री मूल चन्द डागा : डागा जी को ही नहीं, बल्कि समस्त सभा को अधिकार है···

उपाध्यक्ष महोदय : डागा जी समस्त सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। **(व्यवधान)**

श्री एच० आर० भारद्वाज : यदि आपको मेरी बात सुनने में अलर्जी होती है, तो यह एक अलग बात है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप समिति के सभापति हैं और मैं सभा को यह याद दिला रहा हूं कि यह अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सभापति ही हैं। जो सभी प्रशासनिक मन्त्रालयों को प्रबोधित करते रहे हैं। यह विधि-मन्त्रालय का प्रश्न नहीं है। विधि-मन्त्रालय तो केवल उन्हीं पुराने अधिनियमों को ले रहा है जो काफी पहले पारित किये गये थे। अब हम पुराने अधिनियमों की सूचियां संकलित कर रहे हैं। जहां तक वर्तमान अधिनियमों का सम्बन्ध है, प्रशासनिक मन्त्रालयों को अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के निर्देशों का अनुपालन करना होता है क्योंकि इस समय उनके सामने ये निर्देश हैं। वे जब कभी इस प्रकार के नियम बनाएं, उन्हें इन्हें सभा के समक्ष रखना चाहिए। यह कार्य प्रशासनिक मन्त्रालयों का है। समिति के निर्देशों के अनुसरण में हमने पहले 69 अधिनियमों की सूची तैयार की थी और इसके बाद अब हमने 92 अधिनियमों की दूसरी सूची निकाली है। हमने प्रशंसनीय कार्य किया है। इन 69 और 92 अधि-

नियमों की सूचियां तैयार करके हमने आधे से अधिक कार्य पूरा कर लिया है और अब लगभग 115 अधिनियमों का कार्य शेष है इसे भी मैं कल पेश कर सकता हूं किन्तु प्रशासनिक मंत्रालय उनका निपटान नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसमें विधि-मन्त्रालय अथवा मेरी गलती नहीं है।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : यह सरकार की गलती है और आपको इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यदि आप मेरे द्वारा दिये गये तर्क को नहीं समझ सकते हैं, तो आपको कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसे समझने की बजाय कुछ भी कह देना बहुत आसान है। यह प्रशासनिक विभागों का कार्य है। जब तक वे हमें अपने कागजात न भेजें, हम उन्हें सभा के समक्ष नहीं रख सकते। कठिनाई यह है कि सम्बन्धित मन्त्रालयों को समिति के निर्देशों को अवश्य समझना चाहिए। क्योंकि समिति सभा के प्राधिकार के अधीन कार्य करती है। यदि अन्य मन्त्रालय इन कागजातों को यथाशीघ्र भेज दें, तो 92 विधेयकों के इस बैच के साथ इनकी जांच करने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। मैं अब भी सभी मन्त्रालयों से अनुरोध कर रहा हूं मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि शेष विधेयक जो कि 50 के लगभग हैं, तीसरे बैच में सूचीबद्ध कर दिये जायें और मैं इसे संसद के आगामी सत्र में सभा के समक्ष रखूंगा। यदि कोई व्यक्ति काम करता है और अपना कार्य करता है, तो आप इसकी प्रशंसा नहीं करते। यदि अन्य मन्त्रालय काम नहीं करते, तो इस दोष को मैं क्यों स्वीकार करूं। दोष उसी को दिया जाना चाहिए जो वस्तुतः दोषी है।

समस्या यह है कि मैं तब तक इन विधेयकों को छू नहीं सकता जब तक कि प्रशासनिक मन्त्रालय इन्हें हमें न भेजे। आज, मैं 92 विधेयक लाया हूं यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमने इस मामले को मन्त्रालय के साथ चलाया है। इसलिए मैं समिति के इन निर्देशों से सहमत हूं कि नियम तत्काल तैयार किये जाने चाहिए क्योंकि नियम कानून से भिन्न नहीं होते। नियम ही कानून हैं। इसलिए यदि नियम तैयार नहीं किये जाते, तो कानून का मूल प्रयोजन ही विफल हो जायेगा। इसलिए यदि सम्भव हो तो नियम कानून के साथ-साथ ही तैयार कर दिये जाने चाहिए। अन्यथा उन्हें अधिकतम शीघ्रता से और न्यूनतम विलम्ब से तैयार किया जाना चाहिए।

अतः महोदय, यह विधेयक अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के निर्देशों की पूर्ति स्वरूप ही है और जब मैं विधेयकों के ऐसे बैच को लाता हूं, तो सभा को इसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि मैं अपना कार्य कर रहा हूं। अतः इस बारे में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। श्री डागा जी ने कहा है कि हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि नियम न केवल शीघ्र बनाए जाएं, बल्कि उन्हें इस सभा के सदस्यों, सम्बन्धित विभागों तथा जनता की जानकारी में भी लाया जाना चाहिए। इसलिए अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के निर्देशों की पूर्ति के लिए एक प्रणाली तैयार की जानी चाहिए। मैं सिफारिश करता हूं कि इस विधेयक को बिना किसी विवाद के पारित कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नियमों तथा अन्य प्रत्यायोजित विधान के प्रकाशन तथा उनको विधान मण्डल के

समक्ष रखे जाने तथा कुछ अन्य विषयों के सम्बन्ध में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समितियों की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए कतिपय अधिनियमों में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची

किया गया संशोधन :

"पृष्ठ 2—पंक्ति 5 से 11 तक का लोप किया जाये।" (1)

(श्री एच० आर० भारद्वाज)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री जी।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रो० एम० जी० रंगा (गुंटूर) : सभा और जनता के अधिकारों के एक बहुत अच्छे समर्थक के रूप में हमारे मित्र श्री मूल चन्द डागा जी को पाने के लिए मैं हम सभी को, अर्थात् सभा को और अध्यक्ष महोदय को बधाई देने के लिए चन्द शब्द कहना चाहता हूं और इन कार्यों को करने के लिए एक सही व्यक्ति के रूप में उन्हें चुनने के लिए मैं विशेषकर अध्यक्ष महोदय को बधाई देना चाहता हूं। मुझे इस बात की भी हार्दिक प्रसन्नता है कि मन्त्री महोदय हमें पूर्ण सहयोग दे सके हैं और वे समस्त सभा—सभी दलों सहित—के साथ पर्ण सामंजस्य बना पाये हैं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.22 म० प०

बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) संशोधन विधेयक पर विचार करना शुरू करते हैं। श्री टी० अन्जैया।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : महोदय। बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) संशोधन विधेयक; जिसे राज्य सभा ने (9-11-1985) को पारित कर दिया है, में बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 2(छ) के अन्तर्गत इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि ऐसे ठेका अथवा अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक जिसमें बंधुआ मजदूर प्रणाली से संबंधित संघटक हैं, जैसे ऋणदाता प्राप्तकर्ता सम्बन्धों की उपस्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने तथा रोजगार की स्वतन्त्रता का हनन और अलाभकारी मजदूरी इत्यादि बंधुआ मजदूरों की परिभाषा के अन्तर्गत आयेगा।

अधिनियम की धारा 2 'बंधुआ मजदूरी', 'बंधुआ मजदूर' तथा 'बंधुआ मजदूर प्रणाली' को परिभाषित करती है। यद्यपि ये परिभाषाएं सुस्पष्ट हैं, तथापि कुछ लोगों ने शंकाएं व्यक्त की हैं कि क्या इन परिभाषाओं में अनुबंधित मजदूर अथवा एक अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर की परिभाषा भी सम्मिलित है। विधेयक का लक्ष्य बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अनुबन्ध तथा प्रवासी श्रमिक को सम्मिलित करने की स्थिति को स्पष्ट करना है।

अनुबन्धित मजदूर तथा अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की परिभाषाएं क्रमशः ठेका श्रम

[श्री टी० अंजैया]

(विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार रोजगार का (विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 से की गई है।

मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पर विचार करके उसे पारित किया जाए।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 को संशोधित करने वाले विधेयक यथा राज्य सभा पारित रूप पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में संशोधित करने वाले विधेयक यथा राज्य सभा द्वारा पारित रूप पर विचार किया जाए।"

अब श्री राम प्यारे पनिका।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय श्रम मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब से इन्होंने इस पद को दोबारा सम्भाला है तब से श्रमिकों के हित में अनेकों कानून बनाए गए हैं और जो पुराने कानून थे, जिनमें कमियां और खामियां थीं, उनमें भी संशोधन लाये गए हैं। हमारी सरकार एक-के बाद-एक श्रमिकों के हित में कानून बनाती जा रही है। मान्यवर, यदि आप पिछले 4-5 वर्षों में देश में मानव-दिवसों की हानि की ओर देखें तो उसमें कमी आई है और इस दौरान देश में इंडस्ट्रियल रिलेशन्स बहुत अच्छे बने हैं। यदि कहीं पर मानव-दिवसों की हानि भी हुई है तो इसलिए नहीं कि हमारी श्रम-नीति खराब थी, अथवा उसमें कहीं कोई कमी थी, बल्कि उसके पीछे कारण यह रहा कि देश के कुछ उद्योगपतियों ने अपनी मिल को सिक करके, लॉक-आउट करके अथवा दूसरे तरीके अपना कर वैसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। हमारे देश में प्राइवेट सैक्टर में और कुछ पब्लिक सैक्टर में भी, ऐसे उद्योग हैं, जिनके गलत इंतजाम के कारण, लगभग 50 प्रतिशत मानव-दिवसों की हानि हुई है, और गलत-इन्तजाम ही उसका मूल कारण रहा है, न कि हमारी श्रम नीति उसके लिए जिम्मेदार है।

मान्यवर, यह बात सही है कि हमारे देश में बौंडेड लेबर की समस्या आज की नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, बौंडेड लेबर की जो समस्या है यह आज की नहीं है। यह समस्या तो भारतवर्ष में बहुत पुरातन है। दास-प्रथा इसी का नाम रहा है और यहां भारतवर्ष में नहीं, बल्कि दुनिया में यह दास-प्रथा किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि

स्वतन्त्र भारत में एक कानून आया और यह क्रान्तिकारी कानून था, किंतु दुखद बात यह है कि आज 38 वर्ष बाद भी हमारे देश में काफी संख्या में बंधुआ मजदूर हैं, ये बंधुआ-मजदूर खासकर उन इलाकों में हैं जो देश के पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। ट्रायबल एरियाज हैं, हरिजन-बहुल क्षेत्र हैं और वे क्षेत्र हैं जो कई दृष्टियों से डैजर्ट इलाके हैं, सायक्लोनिक इलाके हैं, जो हीन-परिस्थिति वाले इलाके हैं, उनमें ये मजदूर रहते हैं।

मान्यवर, हमारे यहां कुछ पुरातन नीतियां रही हैं। हमारे देश में किसानों, श्रमिकों और महाजनों के बीच में ऐसी रीति नीति रही है जिसके कारण देश में हजारों और लाखों की संख्या में आज गुलाम बनाकर रख दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में मान्यवर एक मात-प्रथा ऐसी है कि अगर किसी आदिवासी या मजदूर ने कर्जा ले लिया, तो उसकी पुश्त-दर-पुश्त उस परिवार में काम करेंगी। इसको मात-प्रथा कहते हैं। इस प्रकार से हमारे देश में आज भी किसी न किसी रूप में यह प्रथा रही है कि यदि किसी ने एक वार कर्जा ले लिया तो वह कभी कर्ज-मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन बांडेड लेबर एक्ट पास होने के बाद इस स्थिति में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ, लेकिन मान्यवर इस कानून के क्रियान्वयन का जो तरीका है वह बहुत डिफेक्टिव है। प्रदेश की मशीनरी जब एक बार बांडेड लेबर आइडेंटिफाई कर लेती है तो उसके बाद उनके रीहैबिलिटेशन का प्रश्न आता है, वह इतना खराब है कि जो मानक-सिद्धांत आपने तय किए हैं, उनके अनुसार उनको बसाया नहीं जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उनको पुनः उन्हीं लोगों की शरण में जाना पड़ता है, जिनकी शरण में से उन्हें छुड़ाया गया है क्योंकि उनकी आजीविका का प्रश्न है, उनके बाल-बच्चों के पालन-पोषण का प्रश्न उसके सामने होता है। इसलिए मान्यवर मेरा अनुरोध है कि वाकई अगर श्रम मन्त्री महोदय यह चाहते हैं कि बांडेड-लेबर देश में न रहें और यह प्रथा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो एक बार उनके बांडेड लेबर आइडेंटिफाई होने के बाद, उन रीहैबिलिटेशन की कार्यवाही होनी चाहिए, तभी यह प्रथा समाप्त हो सकती है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में, वहां की सरकार ने बांडेड लेबर आइडेंटिफाई किए, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करने के बाद वर्षों हो गए, उनके रीहैबिलिटेशन के लिए जो चार हजार रुपए ग्रांट मिलती है, वह भी अभी तक नहीं दी गई है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि वे लोग पुनः उसी के संरक्षण में चले गए हैं जहां से उनको निकाला गया था। इसलिए हमें गहराई से इस विषय में सोचना होगा और सस्ती लोकप्रियता में न जाकर इस कानून के कार्यान्वयन की तरफ गहराई से देखना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारीगण हमारे श्रमिकों और किसानों में द्वन्द्व चलवाते रहते हैं। एक तरफ वे श्रमिकों को भड़काते हैं और दूसरी तरफ वे किसानों को भड़काते हैं जिसके कारण उनकी मदद नहीं हो पाती है, उल्टे लैंड लार्ड उनका शोषण करते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि इस प्रकार के झगड़े न हों, तो हमें इस प्रकार के अधिकारियों पर भी पैनी दृष्टि रखनी होगी, ताकि वे झगड़े न करा सकें। यदि हमें शांति बनाए रखनी है, तो ऐसे क्षेत्रों में हमें उचित मजदूरी देने की व्यवस्था करनी होगी और उनका रीहैबिलिटेशन करना होगा। यदि हमारी सरकार में इतनी क्षमता है, तब तो इस कार्य को छेड़े अन्यथा किसानों और श्रमिकों में लड़ाई होती रहेगी जिसका नतीजा यह हो जाता है कि वहां पर शांति बनाए रखना और उन पर अंकुश लगाना मुश्किल हो जाता है।

[श्री रामप्यारे पनिका]

मान्यवर, जब आप मिनिमम वेजेज देने की बात करते हैं, तो वहां की परिस्थितियों को अवश्य देखें। अभी पिछले दिनों में हम कृषि के बारे में एक बिल पर चर्चा कर रहे थे, तो यहां कहा गया था कि हमारे देश में कृषि का विकास इम्बैलैन्स्ड हुआ है और केवल 15 प्रतिशत क्षेत्र में 56 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है। यदि इसको मानक मानकर श्रमिकों की मजदूरी तय करेंगे, तो निश्चित रूप से यह व्यवहार्य नहीं होगा। इसलिए जो ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रति एकड़ उपज कम होती है, वहां उसके अनुरूप मजदूरी तय करना जरूरी होगा। आपके यहां से वह गाइड लाइन है कि हर दूसरे साल मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत उनकी मजदूरी को पुनरीक्षित किया जाये, लेकिन ऐसा न करके, आज बिहार में वर्षों से गरीबों का शोषण हो रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि वहां की सरकार ने मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत 2 साल के बाद वहां के मजदूरों की मजदूरी का पुनरीक्षण नहीं किया, इसलिए वहां कम मजदूरी मिल रही है। इन सारी बातों को सरकार को ध्यान में रखना होगा कि कौन से इलाके में कृषि का उत्पादन अधिक है और कौन से में नहीं है, और कहां की वस्तुस्थिति क्या है, उसका निर्धारण करना होगा।

आज हम उन तमाम शोषणों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर की बात है। हमारे यहां कालीन का काम है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार हमारे मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में दोनों जिलों को मिलाकर चाइल्ड वैलफेयर के लिए, जो बांडेट लेबर थे, उनके लिए 40 करोड़ रुपये एक व्यापक योजना बनाने जा रही है, जो कि स्वागत योग्य बात है। लेकिन जहां आप यह कह सकें वहां तो ठीक है, लेकिन आज हो क्या रहा है? सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है। हमारे आदिवासी दूर-दूर से, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के छोटे-छोटे बच्चे यहां आकर जीवन-पालन के लिए कालीन उद्योग मे काम कर रहे हैं। अगर आपने उनको छेड़ा, उनको वापिस कर दिया कि बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास उन बच्चों के लिए क्या योजना है? क्या उनको शिक्षा देंगे, और उनके माता-पिता व परिवार के भरण-पोषण के लिए आपके पास क्या तरीका है? यह एक बड़ा भारी सवाल है। मेरा निवेदन है कि सस्ती लोकप्रियता में कोई कदम सरकार न उठाए बल्कि एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाये। हमारे जिले के उन बच्चों को जो कि हजारों की संख्या में इन कल-कारखानों में काम करते हैं, खासकर कालीन उद्योग में काम करते हैं, उनको वहां से उठाकर आप उनके मां-बाप के हाथ वापिस न भेज दीजिए जिससे वह भूखे मरें, बल्कि आपको करना यह होगा कि जो लड़के वहां से आप मुक्त करावें, उनके लिए आप रैजिडेंशियल स्कूल खोलें, खाने-पीने और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करें और उनके माता-पिता के हितों की भी सुरक्षा करनी होगी।

पिछले सत्र में एक प्रश्न हुआ था कि क्या मिर्जापुर में हजारों बालकों से मजदूरी कराई जाती है? यहां से उसकी जांच पड़ताल हुई। स्थिति साफ हुई। कुछ लड़के वहां से निकाले गये, लेकिन उससे भी बुरी हालत में उनको छोड़ दिया गया। वहां पर वह 10, 15 रुपये मजदूरी पाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब इतने व्यापक पैमाने पर देश में बौंडेड लेबर हैं तो आप ऐसी व्यवस्था करें, एक सामंजस्य स्थापित करें कि देश में काम भी होता रहे और उनकी मजदूरी आप बढ़ावें। कानून ऐसा

बनायें कि उनकी सुविधाएं बढ़ती जायें। लेकिन आप तो उन्हें वहां से मुक्त कराने के नाम पर सस्ती लोकप्रियता के नाम पर उनको हटा देते हैं।

हमारे क्षेत्र में क्या हुआ है ? वहां पर किसानों की रीति-नीति के अनुसार कुछ मजदूरी देने का नियम था। यहां के अधिकारी वहां गए, उन्होंने कहा कि इस कानून के अन्तर्गत इतना रुपया नहीं आता है। वहां पर इससे बड़े छोटे की लड़ाई हो गई। आपने उनका चालान कराया, वहां से मजदूर अलग हुए और आज तक भटक रहे हैं। आज वहां यह हो रहा है कि वहां के अधिकारी और दलाल मिलकर, अगर बौंडेड लेबर नहीं भी हो तो भी मजदूरों से लिखवा लेते हैं कि लिखो, हम मजदूरी कर रहे हैं और जो ग्रान्ट मिल रही है उसे वहां के अधिकारी और दलाल आपस में बांट लेते हैं और वह पैसा मजदूरों के पास नहीं पहुंच पाता है।

इसलिए जहां आप अनेक कदम उठा रहे हैं तो आप इसको भी देखें। अभी भी कुछ प्रदेश की सरकारें अपने को छिपाने के लिए बौंडेड लेबर की संख्या नहीं बताना चाहती हैं। हमारे बगल में छोटा नागपुर और बिहार के हजारों की संख्या में मजदूर पंजाब और हरियाणा में आकर काम कर रहे हैं। उड़ीसा के हमारे आदिवासी मजदूर कई प्रदेशों में जाकर काम करते हैं, लेकिन अगर वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा जाये कि यहां बौंडेड लेबर है या नहीं, तो वह कहते हैं कि यहां सब ठीक है, यहां ऐसी समस्या नहीं है। आपने बांडेड लेबर ऐक्ट बनाया है, उसमें अब संशोधन करने जा रहे हैं, लेकिन केन्द्रीय सरकार की कोई मशीनरी प्रदेश स्तर पर नहीं है जो कि उसे देखे। आप तो केवल प्रदेश सरकार को गाइड-लाइंस ही देते हैं, लेकिन इस बारे में कभी नहीं सोचते कि मजदूरों के हक में जो एक्ट बना है, उसका पालन हो रहा है या नहीं। इंसान के लिए यह बहुत ही खतरनाक बात रही है। यदि आप इसमें सुधार लाना चाहते हो तो हर प्रदेश में आपकी मशीनरी रहनी चाहिए, खास कर उन इलाकों में जहां पर आदिवासी और हरिजन मजदूरों की संख्या काफी अधिक मात्रा में है ताकि उन गरीबों का शोषण न हो सके।

आज के युग में तो यह शोषण अवश्य खत्म होना चाहिए। आशा है हमारे मंत्री जी इस ओर अवश्य कदम उठायेंगे। इन चन्द शब्दों के साथ मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

———

6.36 म० प०

पाकिस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : पाकिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम जनरल मुहम्मद जिया-उल-हक इस क्षेत्र के कई देशों की सरकारी यात्रा से लौटते हुए 17 दिसम्बर को नई दिल्ली में भी कुछ देर के लिए रुके।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति तथा हमारे प्रधान मंत्री के पारस्परिक हित के विभिन्न विषयों पर बात की। बातें काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई।

[श्री बी० आर० भगत]

दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को पूरी तरह सामान्य बनाने तथा इसके लिए आगामी सप्ताहों में द्रुतगति से सकारात्मक तथा संरचनात्मक प्रयास करने के लिए अपने दृढ़ निश्चय को दोहराया।

निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे :

(एक) व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ाने सम्बन्धी समझौतों पर विचार करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्री 5 से 7 जनवरी 1986 को इस्लामाबाद में मिलेंगे।

(दो) एक व्यापक संधि पर चर्चा करने तथा अन्य विश्वास पैदा करने वाले उपायों पर चर्चा करने के लिए जनवरी 1986 के तीसरे सप्ताह में दोनों देशों के विदेश सचिव इस्लामाबाद में बैठक करेंगे।

(तीन) भारत पाकिस्तान संयुक्त आयोग के अन्तर्गत चार उपायोग जनवरी-अंत फरवरी-आरम्भ 1986 तक अपने कार्यों को अन्तिम रूप देने के लिए भेंट करेंगे। अपने-अपने विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में संयुक्त आयोग की बैठक फरवरी, 1986 के अन्त में होगी।

(चार) दोनों पक्षों ने एक अनुबन्ध पत्र तैयार करने की सहमति व्यक्ति की है जिसमें दोनों इस बात का वचन देंगे कि वे एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर आक्रमण नहीं करेंगे।

(पांच) दो देशों के बीच एक सांस्कृतिक समझौता भी होगा।

(छः) उपरोक्त सभी उपायों पर हमारे प्रधान मंत्री की 1986 पूर्वार्द्ध में पाकिस्तान-यात्रा के दौरान पर परमोत्कर्ष रूप से विचार किया जायेगा।

6.39 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 18 दिसम्बर 1985/27 अग्रहायण 1907 (शक)
के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53